लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 51 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 23, शुक्रवार, 24 अगस्त, 1984/2 भाद्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	5—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 457 से 459, 462 और 463	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—250
तारांकित प्रश्न संख्या : 460, 461 और 464 से 478	23—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4577 से 4806 और 4806-क	35—248
सभा पटल पर रखे गये पत्र	251—264
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	264
77वीं तथा 81वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश	
राज्य सभा से संदेश	264—265
राज्य सभा के सदस्य श्री के० एल० एन० प्रसाद का सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए चुनाव	265
सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	265
लोक लेखा समिति	266
225वां, 227वां तथा 231वां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	266
87वां और 89वां प्रतिवेदन एवं कार्यवाही-सारांश	
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	266
27वां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	267
22वां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	267
22वें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यवाही-सारांश	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	267—272
(एक) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का विकास श्री केशवराव पारधी	267—268
(दो) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए और अधिक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की आवश्यकता श्री के० प्रधानी	268
(तीन) सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनीय परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिए जाने की आवश्यकता श्री चिन्तामणि जेना	268—269
(चार) चोरी छिपे दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाले भारतीय कलाकारों/खिलाड़ियों के पासपोर्ट जब्त करना श्री एडुआर्डो फैलीरी	269
(पांच) बंगलौर में प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग फैक्टरी की स्थापना श्री टी० आर० शमन्ना	269—270
(छः) तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में पैट्रोलियम उत्पादों की लागत निर्धारित करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन को मूल्य-निर्धारण स्थान घोषित करने के लिए शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता श्री एन० सुन्दर राजन	270
(सात) बैंक अधिकारियों की पदोन्नति में गत्यावरोध दूर करने तथा बैंकों में ग्राहक सेवाओं को सुधारने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	271
(आठ) कन्नानौर तथा एरणाकुलम के बीच हाल ही में चलाई गई सुपर-फास्ट एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के नये स्टाप बनाने की आवश्यकता श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	271—272
(नौ) कारगिल में बादल फट जाने से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता श्री पी० नामग्याल	272

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 272--314

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण 272

श्री अमल दत्त 278

श्री गिरधारी लाल डोगरा 288

श्री सतीश अग्रवाल 290

श्री मूलचन्द डागा 298

श्री बनारसी दास 302

श्री राम सिंह यादव 306

श्री हरीश कुमार गंगवार 309

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 314

81वां प्रतिवेदन

विधेयक—पुरःस्थापित 315—316

(एक) विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक 315

श्रीमती प्रमिला दंडवते

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 315

(धारा 129 में संशोधन आदि)

प्रो० मधु दंडवते

(तीन) कनिष्ठ कलाकार (नियोजन का विनियमन) विधेयक 315

प्रो० मधु दंडवते

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 15-क का अंतःस्थापन) 316

श्री जार्ज फर्नान्डीस

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये भाग ग्यारह-क का अंतःस्थापन) 316

श्री चित्त बसु

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक—वापस लिया गया 316—351

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव

श्री हरीश रावत 317

श्री हरिकेश बहादुर	318
श्री मूलचन्द डागा	321
श्री राजेश कुमार सिंह	323
श्री ए० जी० सुब्बुरमण	326
श्री सोमनाथ चटर्जी	328
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	332
श्री रामावतार शास्त्री	335
श्री गिरधारी लाल व्यास	337
श्री रामविलास पासवान	341
श्री केयूर भूषण	343
श्री चन्द्रजीत यादव	344
श्री एस० टी० के० जक्कायन	345
प्रो० सैफुद्दीन सोज	346
श्री जगन्नाथ कौशल	348
बम्बई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक—वापस लिया गया	352
विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री उत्तम राठौर	352
श्री जगन्नाथ कौशल	352
लाटरी प्रतिषेध विधेयक	353—354
विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	
प्रो० मधु दंडवते	
इंडियन एयरलाइन्स के विमान आई० सी०-421 का 24 अगस्त, 1984 को अपहरण किए जाने के बारे में वक्तव्य	355—356
श्री खुर्शीद आलम खां	

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अगस्त, 1984/2 भाद्र, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, विमान का अपहरण हो गया है। 122 लोगों का जीवन खतरे में है। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस बार चंडीगढ़ से अपहरण हुआ है जो एयरफोर्स के अंतर्गत आता है। कैसी सिक्योरिटी थी वहां ?

श्री राजेश कुमार सिंह : वहां पर तो राष्ट्रपति शासन है। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : महोदय, यात्रियों के बारे में जानकारी देने वाला एक वक्तव्य सरकार को देना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, हमेशा जहाज लाहौर जाकर ही रुकता है। क्या मजाक बना रखा है। सारी स्थिति सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इससे बहुत सी बातें प्रकट होती हैं। इस घटना से अनेक बातों का रहस्य खुलता है। इससे विरोधी दल के बारे में स्पष्ट होता है। इससे उन्हें स्पष्ट पता चलता है क्योंकि विरोधी दल कहते हैं कि पाकिस्तान की नीति शान्तिपूर्ण है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : महोदय, हमें पहले यात्रियों की सुरक्षा की चिन्ता करनी चाहिए। उसके बाद किसी और बात के बारे में सोच सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, इस विषय पर चर्चा के लिए सदन को अवसर दिया जाना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह कहते हैं कि पंजाब में पूर्ण रूप से शान्ति है। यह लोग पंजाब से सेना हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान की नीति शान्तिपूर्ण है। महोदय, निश्चित रूप से इसमें उनका हाथ है। महोदय, विरोधी दल की स्थिति निन्दनीय तथा अस्पष्ट है।

श्री राजेश कुमार सिंह : यह जो घटना घटी है, इसके बारे में बताइए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को आप बोलने देंगे तब न।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि आप चंडीगढ़ से विमान अपहरण को रोक नहीं सकते, तो आप बाहर चले जाइए। आपने विमान अपहरण के लिए डा० फारुख अब्दुल्ला को दोष दिया। अब आप किसे दोष देंगे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने डा० फारुख अब्दुल्ला से त्यागपत्र मांगा था। अब आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यह वायुसेना का क्षेत्र है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पता चलता है कि वह सुरक्षा की परवाह किए बिना राजनीति से खेल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब आप उनकी सुनेंगे, तभी तो वे बता पाएंगे।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहें कि वे इस बारे में बयान दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। हम गर्मागर्मी नहीं करना चाहते। जो यात्री उसमें हैं उनकी हमें चिंता है। उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। लेकिन तिवारी जी अगर बीच में राजनीति को लाएंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सरकार इस देश में राज्य करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : ऐसी निकम्मी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनने देगा तभी तो वह स्टेटमेंट देंगे।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय,

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप हमें यह बताने जा रहे हैं कि आप त्यागपत्र दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कुछ कहने की अनुमति दी है। आप नहीं सुनना चाहते तो मैं उनको बैठा देता हूं।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : सुरक्षा से संबंधित मामला है, डिफेन्स मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए।··· **(व्यवधान)**

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, इस समय हम अपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाए हैं और मैं विस्तृत वक्तव्य दोपहर में ही दे पाऊंगा क्योंकि प्रश्न काल समाप्त होने के तुरंत बाद, मैं नियंत्रण कक्ष में जाऊंगा और लाहौर से सम्पर्क स्थापित करके विस्तृत जानकारी का पता लगाऊंगा। परन्तु तब तक जो भी जानकारी उपलब्ध है, मैं माननीय सदस्यों को बता रहा हूं :

उड़ान संख्या—आई सी-421 (वी टी/ई एफ एक्स) बोईंग विमान

उड़ान मार्ग—दिल्ली से श्रीनगर, बरास्ता, चंडीगढ़ और जम्मू

विमान ने दिल्ली से 06.15 बजे तथा चंडीगढ़ से 07.35 बजे उड़ान भरी।

विमान का अपहरण जम्मू से उड़ान भरने के बाद किया गया जहां से उसे लाहौर ले जाया गया।

09.30 बजे वर्तमान स्थिति : लाहौर से 25 मील दूर उत्तर में। लाहौर में विमान 09.50 बजे उतरा। विमान के अपहरण की प्रथम सूचना 08.35 बजे भारतीत वायु सेना गतिविधि नियंत्रण से वायुसेना नियंत्रण कक्ष, दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई।

यात्रियों की कुल संख्या—86

विवरण अभी मालूम नहीं है—41 यात्री चंडीगढ़ से विमान में चढ़े।

कप्तान तथा कर्मचारियों के नाम :

कप्तान—कैप्टन वी० के० मेहता

सह-पायलट—कैप्टन बी० एल० घादी

विमान परिचारिकाएं—कुमारी ए० सिंह, उर्वशी सम्बल

विमान में कर्मचारियों की कुल संख्या—6

अपहरणकर्त्ताओं की पहचान, उनकी संख्या तथा उनके पास हथियारों के बारे में अभी मालूम नहीं है।

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की संख्या अभी मालूम नहीं है।

भारतीय वायु सेना द्वारा मांगों के बारे में दी गई जानकारी। एक हेलिकॉप्टर अमृतसर में 3000 फुट ऊंचाई पर उड़ रहा है और वायुसेना का एक लड़ाकू विमान 9000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है।

पहला सन्देश 10.08 बजे प्राप्त हुआ : अपहरणकर्त्ता खालिस्तान फैडरेशन के अध्यक्ष हैं और वे विमान को अमरीका ले जाने के लिए उसमें शीघ्र पेट्रोल भरना चाहते हैं। श्री मलवर खान अपहरणकर्त्ताओं के नेता हैं।

10.09 बजे अपहरणकर्त्ताओं ने पाकिस्तान प्राधिकारियों को धमकी दी कि यदि शीघ्र पेट्रोल नहीं भरा गया तो वे हर 15 मिनट बाद एक यात्री को मार देंगे।

10.17 बजे अपहरणकर्त्ताओं ने विमान के चालक तथा सह-चालक को कुछ दवाई दी और दोनों बेहोश हैं ।

10.20—12 अपहरणकर्त्ता विमान में चढ़ गए ।

10.23 बजे—एक अपहरणकर्त्ता पायलट है । वह विमान को अमरीका के लिए उड़ाकर ले जाएगा । यह अपहरणकर्त्ता पाकिस्तान में पहले अपहरणकर्त्ताओं से भी मिलना चाहते हैं ।

विमान के दरवाजे अभी तक बंद हैं ।

श्री राम विलास पासवान : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं । इस विषय पर निन्दा प्रस्ताव की आप अनुमति दें ।

(**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, आपका शासन कैसा है ? सरकार को अवश्य त्यागपत्र देना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : क्या आप निन्दा प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं ? (**व्यवधान**) क्या आप इस विषय पर निन्दा प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं ? (**व्यवधान**) क्यों नहीं ? मैंने सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव का नोटिस दिया है । क्या इसकी अनुमति दी जा रही है ?

श्री राम विलास पासवान : सर, इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग क्या है, हम जानना चाहते हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह : सर, इतना गम्भीर मामला है, इस पर आप अपनी रूलिंग तो दीजिए··· (**व्यवधान**) ···आपकी रूलिंग क्या है ।

श्री हरिकेश बहादुर : इस विषय पर गवर्नमैंट मस्ट रिजाइन··· (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह : सर, यह देश की सिक्यूरिटी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है···आप इस पर रूलिंग दीजिए··· (**व्यवधान**)···

श्री राम विलास पासवान : आप सैंश्यर मोशन एलान करने जा रहे हैं या नहीं···सर, यह गम्भीर मामला है··· (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस देश में शासन करने के लिए सरकार को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है । यह क्या है जो वह केन्द्र में कर रहे हैं ? पूरी सुरक्षा व्यवस्था असफल हो गई है ।

रक्षा मंत्री यहां बैठे हैं । आप क्या कर रहे हैं । (**व्यवधान**) लोगों के सामने आप अपना अस्तित्व कैसे उचित सिद्ध कर पायेंगे ? बेहतर होगा कि आप त्यागपत्र दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य आने दें ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिक्यूरिटी के लिए जिम्मेदार हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी यह जिम्मेदारीनहीं है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तमाम एअरपोर्ट्स सिविल अथारिटी के अंडर हैं, डिफेंस के अंडर नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पंजाब केन्द्र सरकार के अधीन है और वस्तुत: यहां सैनिक शासन है। वह भी इसके लिए जिम्मेवार है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : हम जानना चाहते हैं कि आप इस विषय पर डिस्कशन क्यों एलान नहीं करना चाहते··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : कह तो दिया, स्टेटमैंट आ रहा है···

श्री राम विलास पासवान : आपने सारा कुछ पास कर लिया, इसके बाद आप और क्या चाहते हैं···

आप और अधिक क्या चाहते हैं ? क्या आप सम्पूर्ण देश को आतंकवादी देश घोषित करना चाहते हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, यह 126 लोगों की जिन्दगी का प्रश्न है। क्या उन लोगों को बचाने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है या नहीं ?

(व्यवधान)

11.12 म० प०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चिल्का झील के निकट यूथ होस्टल

*457. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास प्रसिद्ध चिल्का झील के नजदीक "यूथ होस्टल" बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) चिल्का झील पर बारकुल में एक यूथ होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव पर्यटन विभाग की सातवीं योजना के प्रारूप में शामिल कर लिया गया है और धनराशियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए इसे प्रारंभ किया जाएगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : चिल्का झील देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो अपनी सुन्दरता, पक्षी विहार तथा हरी भरी पहाड़ियों के कारण विख्यात है। पर्यटन सम्बन्धी केन्द्रीय कार्य दल के चर्चा के दौरान इस बात का संकेत दिया गया था कि वे इन दो इकाइयों अर्थात् चिल्का में बारकुल तथा भुवनेश्वर को शामिल करेंगे। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर दिया है : "चिल्का झील पर बारकुल में एक यूथ होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव पर्यटन विभाग की सातवीं योजना के प्रारूप में शामिल कर लिया गया है और धन-राशियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए इसे प्रारंभ किया जाएगा।" मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (ख) का कोई उत्तर नहीं दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चिल्का का पर्यटकों के आकर्षण के लिए अपना महत्त्व है, उड़ीसा में पुरी के अलावा कोई यूथ होस्टल नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए तथा धनराशियों को उपलब्ध करा कर इस चालू वित्तीय वर्ष में कार्य को प्रारंभ किया जाना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने अभी-अभी इस बात का उल्लेख किया है कि इस समय विभिन्न राज्यों में 18 यूथ होस्टल हैं तथा शेष राज्यों में 9 यूथ होस्टल निर्माणाधीन हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकता इस बात की है कि प्रत्येक राज्य में एक यूथ होस्टल होना चाहिए। जब तक हम प्रत्येक राज्य में एक यूथ होस्टल नहीं उपलब्ध करा लेते तब तक उड़ीसा में दूसरे यूथ होस्टल को उपलब्ध कराना हमारे लिए कठिन होगा। उड़ीसा में पहले ही पुरी में एक यूथ होस्टल है। मैंने अपने पहले कथन में कहा है कि हमने दूसरे यूथ होस्टल के लिए उड़ीसा को शामिल कर लिया है। लेकिन यह निश्चित रूप से देश में सातवीं योजना के अंतर्गत यूथ होस्टलों के निर्माण के लिए उपलब्ध धनराशियों के आबंटन पर निर्भर करेगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : कुछ राज्यों में एक से अधिक होस्टल हैं। क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शेष यूथ होस्टलों को सातवीं योजना में शामिल किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या इसके लिए धन उपलब्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा राज्य में होस्टलों की संख्या बहुत कम है, वहां 6 यूथ होस्टल उपलब्ध कराने की हमारी मांग पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सर्वप्रथम हम प्रत्येक राज्य में एक यूथ होस्टल उपलब्ध करा रहे हैं और जब हम प्रत्येक राज्य में एक यूथ होस्टल उपलब्ध करा देते हैं तो हम निश्चित रूप से यह देखते हैं कि जिन राज्यों में होस्टल की मांग अधिक है और इन होस्टल की सुविधाओं का अधिक इस्तेमाल किया जायेगा तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि समूचे देश में यूथ होस्टलों की स्थापना के लिए मानदंड क्या है ? क्या इनकी स्थापना झीलों के कारण या जनसंख्या या किसी अन्य कारण से की जा रही है। इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में भी अधिक संख्या में झीलें हैं। यदि झीलें मानदंड नहीं हैं तो यूथ होस्टलों के निर्माण के लिए कौन-कौन से मानदंड निर्धारित किये गये हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मानदण्ड बहुत ही साधारण है। यूथ होस्टल युवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा उपयोग के लिए मुहैय्या किये जाते हैं। युवा एक राज्य से दूसरे राज्य के लिये यात्रा करते हैं। स्वाभाविक रूप से हमें आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में यूथ होस्टलों को उपलब्ध कराना होता है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मैं 10 वर्ष पूर्व हुई राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग की बैठक में हमारी प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने चिल्का झील को अधिक महत्व दिया था। मैं मंत्री महोदय जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। वह कह रहे थे कि हम धनराशियों की कमी के कारण यूथ होस्टलों तथा अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं। क्या वह बता सकते हैं कि गत दो वर्षों में उनके मंत्रालय के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा क्या सारी राशि को खर्च कर लिया गया है या नहीं ? यद्यपि मंत्रालय उड़ीसा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से इस बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा को जो मिलना चाहिए उससे कहीं अधिक राशि उसे मिली है तथा यूथ होस्टल के निर्माण के लिए जो भी धनराशि आबंटित की गई है·········

डा० कृपा सिन्धु भोई : कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : समूचे मंत्रालय के लिए कुल आबंटन सिर्फ 25 करोड़ रु० का किया गया था। हम आबंटित धनराशि का अधिकांश भाग इस्तेमाल कर चुके हैं। चूंकि यह योजना का अंतिम वर्ष है इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

जहां तक चिल्का झील का संबंध है, हम समझते हैं कि हमें चिल्का झील के लिए संपूर्णता से कुछ करना चाहिए। इसलिए हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से कहा है कि वह चिल्का झील पर आवश्यक सुविधाएं तथा आकर्षण उपलब्ध कराने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करायें ताकि चिल्का झील एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण का केन्द्र बने।

अध्यक्ष महोदय : कम-से-कम मैं यह सिफारिश करता हूं कि श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती को वहां मछली पकड़ने के लिए ले जाया जाये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी हां, महोदय। चिल्का झील मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। अतः होस्टल का निर्माण पूरा कर दिया जाये।

श्री खुर्शीद आलम खां : लेकिन दुर्भाग्य से चिल्का झील में मछली पकड़ने की नावों के प्रयोग के कारण पक्षियों की शांति में खलल पहुंचती है।

हल्के भूकम्पों के साथ डायनामाइट फटने की आवाज के कारण आंध्र प्रदेश के ग्रामीणों में आतंक पैदा होना

*458. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि आंध्र प्रदेश के जिला आदिलाबाद, तहसील मदहोल के विज्जुर, कोथाल गांव और वादुल गांव में गत दो महीनों से, प्रतिदिन एक या दो बार हल्के भूकम्पों के साथ डायनामाइट के फटने जैसी जोरदार आवाजें आ रही हैं और कुछ घरों की दीवारों और छतों में दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे ग्रामीणों में आतंक पैदा हो गया है और वे इस असमंजस में हैं कि वे गांव में रुके रहें अथवा गांव छोड़कर चले जायें;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का कोई दल भेजा गया है यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह पता लगाने के लिए स्थिति का अध्ययन करने का है कि क्या उन ग्रामीणों को जान-माल का कोई खतरा है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार वहां के ग्रामीणों को उपयुक्त मुआवजा देकर उन गांवों को तुरन्त खाली करवाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) लोगों के दिमाग में अपने गांवों में रहने के बारे में चिंता है, जो स्वाभाविक है।

(ग) आदिलाबाद के जिलाधीश के अनुरोध पर राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने उस क्षेत्र में वैज्ञानिकों का एक दल भेजा था। प्रारंभिक नतीजों से यह पता चला है कि जुलाई, 1984 के उत्तरार्द्ध में झटकों की आवृत्ति एक या दो से बढ़कर 10 या अधिक हो गयी थी। अगस्त, 1984 में आवृत्ति घटी है।

(घ) और (ङ) यह क्षेत्र भूकम्पीय मंडल में आता है जहां भारी भूकम्पों की सम्भावना नहीं होती। राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुमानों के अनुसार हल्की भूकम्पीय क्रियाशीलता के वर्तमान स्तर से इन ग्रामीणों के जान और माल को खतरा होने की सम्भावना नहीं है। इन गांवों को खाली कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह प्रश्न पर्यटन तथा नागर विमानन के पास कैसे जाता है ? यह हल्के भूकम्पों के साथ डायनामाइट के फटने जैसी आवाज के सम्बन्ध में है। वह इन सब बातों का कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले में आप मुझे संरक्षण दीजिये। इस प्रश्न को पूछने का मेरा अभिप्राय यह है। पहले मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यह प्रश्न पूछा था कि ताकि वे इसके कारणों का पता लगाने में समर्थ होंगे और मेरे जिले आदिलाबाद में गांव वालों को बचायेंगे। दुर्भाग्य से यह प्रश्न पर्यटन तथा

नागर विमानन को भेज दिया गया है। इस पहले कि मैं अपने पूरक प्रश्नों को पूछूं, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र को पर्यटन के आकर्षण का केंद्र न माना जाए।

अध्यक्ष महदोय : मुझे आशा है कि इस प्रश्न का अपहरण नहीं किया गया है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : एक स्थान पर इसका अपहरण किया गया है। जो कुछ भी हो, आपकी सहायता से मैं इसे बचाऊंगा।

श्रीमान जी, मेरे प्रश्न के भाग (क) में यह पूछा गया है :

"क्या सकरार को यह पता है कि आंध्र प्रदेश के जिला आदिलाबाद, तहसील मदहोल के विज्जुर, कोथाल गांव और बादुल गांव में गत दो महीने से प्रतिदिन एक या दो बार हल्के भूकम्पों के साथ डायनामाइट के फटने जैसी जोरदार आवाजें आ रही हैं और कुछ घरों की दीवारों तथा छतों में दरारें पड़ गई हैं।"

मेरे इस प्रश्न का उत्तर है, हां श्रीमान। मेरे प्रश्न के भाग (ङ) कि "क्या सरकार का विचार वहां के ग्रामीणों को उपर्युक्त मुआवजा देकर उन गांवों को तुरंत खाली करवाने का है" का उत्तर यह दिया गया है कि : "···इन ग्रामीणों के जान और माल को खतरा होने की संभावना नहीं है।"

पहले उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन गांवों के घरों में दरारें पड़ रही हैं और उनकी सम्पत्ति नष्ट हो रही है। और अन्त में वह कहते हैं कि उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर के कौन से भाग को मैं सही मानूं और तत्पश्चात अपने पूरक प्रश्नों को पूछूं।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह सच है कि जिला आदिलाबाद, तहसील मदहोल के विज्जुर, कोथाल गांव और बादुल गांव में गत दो महीनों से, विशेषकर जुलाई और अगस्त में, हल्के कंपन आ रहे हैं। अतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिकों के एक दल को स्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा है। उन्होंने बादुल गांव, चट्टा, भइसा और तोरोन क्षेत्रों में कंपनों का अध्ययन करने के लिए चार अस्थायी भूकम्पीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। 23 जून को आया कंपन केवल दो सैकंड तक महसूस किया गया जैसा कि हैदराबाद स्थित भूकम्पीय विज्ञान वेधशाला द्वारा दर्ज किया गया है। जुलाई में इसकी आवृत्ति में वृद्धि देखी गई लेकिन अगस्त में इसमें कुछ कमी आई।

निदेशक के अनुसार इस क्षेत्र में किसी बड़े भूकम्प की संभावना नहीं है तथा इसके लिए दीर्घकालीन अवलोकन की आवश्यकता नहीं है। इकट्ठे किये गये आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा अंतिम रिपोर्ट मिलने में करीबन एक माह का समय लग सकता है। कंपनों की प्रारम्भिक जांच के अनुसार पता चलता है कि वे हल्की तीव्रता के हैं और इनसे किसी बड़े नुकसान की संभावना नहीं है। इस प्रकार के भूकम्प कमजोर क्षेत्र में चट्टानों के खिसकने के कारण आते हैं तथा बहुत ही कम गहराई में भूकम्पों के आने के कारण विस्फोट की आवाजें आती हैं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरा पहला पूरक प्रश्न व्यर्थ गया है।

मैं व्यक्तिगत रूप से उन गांवों में गया हूं। रोजाना एक या दो बार अचानक डायनामाइट के फटने जैसी बहुत जोर की आवाज हल्के भूकम्प के साथ आती है। गांवों में आ० सी० सी० से निर्मित मकान नहीं हैं। ये छोटे घर हैं और ये हिल जाते हैं। रात्रि में इसके कारण लोग सो नहीं सकते हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने माना है, उनके घरों की दीवारों में पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं।

दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये लोग कृषक हैं, छोटे किसान हैं। जब कृषक एक जोड़ी बैलों के साथ जमीन जोतता है तो धमाका होने के दो या तीन मिनट पहले बैल एक इंच आगे नहीं चलते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे वहां कोई तनाव है और जब धमाके की आवाज समाप्त हो जाती है तो बैल चलने लगते हैं।

मैं वहां व्यक्तिगत रूप से गया और मुझे इस बात का पता चला। मैं मंत्री महोदय से केवल यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इन सब बातों का विस्तृत रूप में अध्ययन करायें तथा मेरे जिले के गांवों के लोगों को आश्वासन दें कि यदि कंपन में थोड़ी-सी तेजी होने के कारण मकान गिरते हैं तो वह इन सब क्षेत्रों का सर्वेक्षण करायेंगे और वह उन गांवों को खाली करवायेंगे तथा गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेज देंगे तथा इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : पशु ज़्यादा समझदार प्रतीत होते हैं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : आप कृषक होने के नाते जानते होंगे कि पशु हमसे ज्यादा समझदार हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि केवल अवलोकन तथा अध्ययन करने के लिए चार अस्थायी भूकम्प विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है, निदेशक ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में पहले ही कहा है कि लोगों के जान और माल को कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वे एक माह के भीतर अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे। स्वाभाविक रूप से केवल अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने केवल यही कहा है कि यदि भूकम्प की तीव्रता ऐसी स्थिति तक बढ़ जाती है कि जब घर गिरने शुरू हो सकते हैं और लोग यह महसूस करते हैं कि उन गांवों में रहना असम्भव है तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि ऐसी परिस्थितियों में ग्रामवासियों को उपयुक्त मुआवजा देकर उन्हें गांवों से अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जब ऐसी स्थिति आएगी तब हम उससे निबट लेंगे।

श्री सुनील मैत्रा : रिचटर स्केल पर तीव्रता कितनी है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : दो प्वाइण्ट के आसपास।

(व्यवधान)

श्री नरसिम्हा रेड्डी : हाल ही में उस क्षेत्र में रामसागर परियोजना के नाम से एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। पिछले वर्ष तालाब पूरा भरा था, पानी अपनी पूरी क्षमता के साथ बह रहा था और बाढ़ भी आई हुई थी। अधिकांश लोग यह विश्वास करते हैं कि उस बड़ी सिंचाई परियोजना में इतनी भारी मात्रा में पानी का भण्डारण करने के कारण इस प्रकार के कंपन तथा भूकम्प आ रहे हैं। यदि सर्वेक्षण के दौरान उस विश्वास को सही पाया जाता है तो मैं योजना मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे योजना में खाली कराए जाने वाले उन गांवों के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करें क्योंकि नई सिंचाई परियोजना से कंपन आने शुरू हो गए हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : ऐसा प्रतीत होता है कि यह बांध कम्पन आने के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि यह लगभग 20-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह एक सामान्य घटना है। कंपन चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से यह सब अन्तिम रिपोर्ट आने पर निर्भर करता है।

विदेशों में पर्यटक कार्यालय

*459. **श्री नवीन रावणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने पर्यटक कार्यालय कार्यरत हैं और वे कार्यालय किन-किन देशों में हैं;

(ख) इन कार्यालयों के रखरखाव पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) ये कार्यालय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में किस सीमा तक सहायता करते हैं;

(घ) क्या विदेशों में ऐसे और कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, और ये कार्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यू० एस० ए०	एक व्यक्ति वाला कार्यालय
1. न्यूयार्क	1. वाशिंगटन
2. शिकागो	2. सान फ्रांसिसको
3. लास एंजेल्स	3. मियामी
	4. डैलास

कनाडा

4. टोरंटो

यू०के०

5. लंदन

स्विटजरलैंड

6. जनेवा

फ्रांस

7. पैरिस

पश्चिमी जर्मनी

8. फ्रैंकफर्ट

बेल्जियम

9. ब्रुशैल्ज

स्वीडन

10. स्टाकहोम

इटली

11. मिलाना

आस्ट्रिया

12. वीयाना

आस्ट्रेलिया

13. सिडनी

14. सिंगापुर

जापान

15. टोकियो

16. **कुवैत**

थाईलैंड

17. बैंकाक

मलेशिया

18. कुआलालामपुर

श्रीलंका

19. कोलम्बो

5. मेलबोर्न

6. ओसाका

7. दुबई

8. काठमाण्डु (नेपाल)

अधिकारियों की नैनाती के तुरंत बाद ये पर्यटक कार्यालय कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के रख-रखाव पर 381.27 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

(ग) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय पर्यटक उद्योग के विभिन्न घटकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विदेशों से पर्यटक यातायात के संवर्धन में कार्यरत हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान 1063.9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय हुई थी। वर्ष 1982-83 के दौरान विदेशी मुद्रा आय में लगभग 6 प्रतिशत की ओर अनुमानित वृद्धि हुई है।

(घ) फिलहाल नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नवीन रावणी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में व्यय की कुल धनराशि बताई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्रत्येक कार्यायय पर किया गया खर्च उस आय के अनुरूप है जो उन स्थानों में जाने वाले पर्यटकों से होती है जहां ये कार्यालय स्थित हैं। कुछ कार्यालय, जो खोले गए हैं, पर्यटकों को आकर्षित करने में बहुत सहायक नहीं रहे हैं। इस बात को देखते हुए क्या कुछ कार्यालयों को बन्द करने के प्रस्ताव किए गए हैं?

पूर्वी अफ्रीका तथा वेस्ट इन्डीज से अधिक से अधिक पर्यटकों को भारत की यात्रा करने के लिए आकर्षित किया गया है। हम अब तक इन दोनों देशों में कार्यालय क्यों नहीं खोल पाए हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : प्रथमत: मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि हमारे 17 कार्यालय तथा 8 एक व्यक्ति वाले कार्यालय, जो समस्त विश्व में स्थित हैं, अब लाभदायक कार्य कर रहे हैं। इस तथ्य से यह बात स्पष्ट है कि जबकि 1952-53 में इस देश में केवल 26,000 पर्यटक आए, 1983 में इस देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख हो गई। वास्तव में हमारे देश में इतने अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में कार्य कर रहे हमारे अधिकारियों का योगदान है।

जहां तक नए कार्यालयों को खोलने का सम्बन्ध है, हम इस बात की जांच उचित समय पर करेंगे कि क्या उन देशों के लोग हमारे देश का दौरा करने के इच्छुक हैं और हम इस सम्बन्ध में जो आवश्यक होगा वह करेंगे।

श्री नवीन रावणी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन कार्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है; क्या ऐसे पदों की श्रेणी के लिए किसी संवर्ग का सृजन किया जा रहा है और यदि हां, तो भर्ती करने के लिए कोई एजेन्सी है?

श्री खुर्शीद आलम खां : विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले सभी अधिकारी पर्यटन के बारे में भली प्रकार जानकारी रखने वाले होते हैं। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश का परिचायक दौरा करें तथा लोगों से अपनी जान-पहचान बनायें और उनके इतिहास, संस्कृति तथा उस देश की अन्य सभी बातों की जानकारी प्राप्त करें ताकि

वे यात्रा में आने के इच्छुक पर्यटकों को सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकें तथा उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दें सकें।

डा० कर्ण सिंह : सातवें दशक के अन्त में पर्यटन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह काफी हद तक विदेशों में स्थित हमारे पर्यटन कार्यालयों तथा एयर इण्डिया के कार्यालयों की गतिविधियों के समन्वय के द्वारा प्राप्त हुई थी। इन कार्यालयों का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने यह बताया है कि विदेशों में 19 कार्यालय तथा 8 एक आदमी वाले कार्यालय हैं, मैं चाहूंगा कि वे सभा को यह बताएं कि पर्यटन कार्यालयों तथा एयर इंडिया के कार्यालयों के बीच क्या सही सम्बन्ध है, क्योंकि वे भी पर्यटन मंत्रालय के अवस्थापना सम्बन्धी ढांचे का एक अंग हैं और क्या उनका पूर्णतया उपयोग हो रहा है। यह भाग (क) है।

भाग (ख) यह है, अब पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत जातीय पर्यटन है। विदेशों में रह रहे भारतीय वापस भारत आने के बहुत इच्छुक हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि उन क्षेत्रों में जहां विदेशों में रहने वाले भारतीयों का काफी जमाव है जैसे पूर्वी अफ्रीका, कैरिबियन, फिजी और मारीशस में रहने वाले भारतीयों के आंकड़े इस सूची में दिए गए प्रतीत नहीं होते हैं।

क्या मंत्री महोदय इन दो मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि माननीय सदस्य इस मंत्रालय में काफी लम्बे अरसे तक रहे हैं और उन्हें समस्त ब्यौरे की जानकारी है। जिस परिचालनात्मक प्रणाली के वे प्रणेता थे वह तब से ही परिचालन में रही है। वास्तव में मैंने केवल जो एक काम किया है और मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि मैं इस बात का सुनिश्चय करने के लिए योजना की समीक्षा कर रहा हूं कि इस योजना में दिए गए सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि पर्यटन और एयर इण्डिया आपसी निकटता से सहयोग कर रहे हैं और उनके सहयोग के फलस्वरूप इस देश में अधिक पर्यटक आए हैं। पर्यटन मंत्रालय को लाभ हुआ है तथा साथ ही साथ एयर इण्डिया की सीटें भी भरी हैं।

जहां तक जातीय पर्यटकों का सम्बन्ध है, हम इस बारे में काफी सचेत हैं, और केवल यही कारण है कि हम उन अन्य स्थानों, जहां जातीय लोग उपलब्ध हैं, में भी अपनी सेवाओं का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी भारी संख्या ब्रिटेन में है और ब्रिटेन से प्रतिवर्ष 1,20,000 लोग इस देश में आ रहे हैं।

श्री दौलतसिंह जी जदेजा : महात्मा गांधी की फिल्म रिलीज होने के बाद पर्यटकों की भारत आने की रुचि पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि भारत तथा पोरबन्दर और अहमदाबाद जैसे स्थानों में भी आने वाले इस किस्म के पर्यटकों के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : निःसंदेह, यह सच है कि 'गान्धी' फिल्म देखने के बाद काफी लोग भारत आने के इच्छुक हुए हैं। इसलिए, हमने महात्मा गांधी के देश की ओर, न कि किसी विशेष क्षेत्र की ओर, अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष साहित्य प्रकाशित करके, विशेष पुस्तिकाएं निकाल कर और विशेष प्रचार करके विशेष प्रयास किए हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय मंत्री महोदय का यह जवाब सही नहीं था, जब उन्होंने यह कहा कि इन कार्यालयों के कारण अधिकांश पर्यटक भारत आ रहे हैं। वास्तव में भारत में आने के अन्य आकर्षण हैं जैसे हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी सभ्यता, ऐतिहासिक स्मारक तथा कई अन्य बातें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि विदेशों में स्थित कुछ पर्यटक कार्यालयों ने हमारी सरकार को यह बताया है कि हम अधिक संख्या में पांच तारा होटल खोल रहे हैं और केवल अमीर पर्यटकों का ध्यान रखते हैं और यह कि विदेशों से आने वाले मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए, विदेशों से आने वाले निम्न आय ग्रुप के पर्यटकों के लिए, जो भारत आने के बहुत इच्छुक हैं, पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर खजुराहो में हमने केवल पांच तारा होटल ही खोले हैं। अधिकांश व्यक्ति वहां जाते हैं और वे वहां एक दिन बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पांच तारा होटलों में ही ठहरना पड़ता है यद्यपि वे इतना अधिक रुपया खर्च नहीं करना चाहते। इसके साथ-साथ, जमैका, त्रिनिदाद तथा मारीशस से आने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भारत आने के बहुत इच्छुक हैं लेकिन उन देशों में हमारे कोई कार्यालय नहीं हैं। मैं यह जान सकता हूं कि क्या, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय इस तरफ कुछ कदम उठाएंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं यह बात पुन: दोहराना चाहूंगा कि इन कार्यालयों ने लोगों को इस देश में आने हेतु प्रेरित करने में काफी सहयोग दिया है। यह सच नहीं है कि वे कोई लाभदायक कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह कार्य किया है। मेरे विचार में मैंने इस सभा में कई बार इस बात का खण्डन किया है कि इस देश का पर्यटन पांच तारा संस्कृति है। वास्तव में बहुत ही कम होटल पांच तारा श्रेणी के हैं और वे भी अधिकांशतया महानगरों में स्थित हैं। इस देश में शेष अनुमोदित पर्यटक होटलों के कमरे, जिनकी संख्या लगभग 38,000 है, अधिकांशतया 1 से 4 तारा होटल हैं और स्वभावत: लोगों को उस किस्म के होटलों का चयन करना पड़ता है जहां वे रहना चाहते हैं। यह उनके पास उपलब्ध धनराशि तथा बजट पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि भारत में केवल 5 तारा होटल ही उपलब्ध हैं और कोई होटल नहीं है। वास्तव में, कतिपय स्थानों में और अधिक संख्या में 5 तारा होटलों का निर्माण करने की मांग की गई है। उदाहरण के तौर पर बम्बई में और अधिक संख्या में 5 तारा होटलों की लगातार मांग रही है लेकिन हम अधिक संख्या में 4 तथा 3 तारा और 2 तारा होटलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री नित्यानन्द मिश्र···
श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी···
प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न संख्या 462.

श्री खुर्शीद आलम खां : आज आप मुझे बिल्कुल विश्राम लेने नहीं देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : आप बैठ जाइए, मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : ऐसा मैं किया करता था जब आप रेल मंत्री थे।

इंडियन एयरलाइन्स के पास पर्याप्त संख्या में विमान न होना

*462. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के पास इस समय जितने विमान हैं, वे क्लोज सर्किट विमान यातायात संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यदि एक या दो विमानों में कोई यांत्रिक गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो विमान-यातायात के बहुत सारे कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो विमान-यातायात में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) इंडियन एयरलाइंस का वर्तमान विमान बेड़ा इसकी इस समय की प्रचलनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है । आपातकालीन स्थितियों के मामले में राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास पर कुछ अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई गई है ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस एक ही विमान से एक से अधिक सेवा प्रचालित करती है, इसलिए एक विमान के भूमि पर खड़े कर दिए जाने से कुछ सेवाओं में अव्यवस्था हो जाती है ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस का 1985-87 की अवधि में 12 बोइंग 757 विमान प्राप्त करके अपनी क्षमता में वृद्धि करने का विचार है ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री जी ने उत्तर के भाग (क) में कहा है :

> "इंडियन एयरलाइंस का वर्तमान विमान बेड़ा इसकी इस समय की प्रचलनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है ।"

यह उत्तर केवल स्वरूप संबंधी है । मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या वह हमें बतायेंगे कि इसके पास कितने विमान हैं और विभिन्न हवाई अड्डों पर इंडियन एयरलाइंज की ठीक समय पर सभी उड़ानों के लिए कितने विमानों की आवश्यकता है और यह बताने के बाद वह यह बतायें कि वास्तव में कितने विमानों की आवश्यकता है और उनके पास कितने विमान हैं । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि विमानों के हिसाब से उसके पास कितनी क्षमता है और क्या उसकी क्षमता तथा मांग में कोई अंतर है।

श्री खुर्शीद आलम खां : आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के 54 विमान हैं जिनमें एयर-बसें, बोइंग 747, एच० एस० 748 और एफ० 27···

प्रो० मधु दण्डवते : आप पहले प्रश्न से क्यों शुरू नहीं करते कि हमारी कितनी क्षमता की मांग है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस समय हमारे पास जो क्षमता है उससे आवश्यकता वास्तव में पूरी हो रही है । लेकिन समस्या तो तब होती है जब कोई विमान खराब हो जाता है । निस्संदेह हमारे विमान विभिन्न मार्गों पर कम-से कम 2-3 चक्कर लगाते हैं । लेकिन जब कोई विमान खराब हो जाता है या उसकी उड़ान में प्राथमिक देरी हो जाती है तो इसके बाद की उड़ानों में देरी होती जाती है । तब हमारे समक्ष यह समस्या हो जाती है । आजकल हवाई अड्डों पर प्राय: हमें टेलीफोन काल आते हैं कि विमान में बम रखा हुआ है और ऐसे मामलों में हमारे लिए यात्रियों तथा सामान को उतारना तथा विमान की तलाशी लेना और उसके बाद ही विमान को उड़ान करने की अनुमति देना जरूरी हो जाता है । एयरबसों के मामले में इस कार्य के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं तथा बोइंग 737 के मामले में 2-3 घंटे लगते हैं । बढ़ती हुई मांग, जो कि 10% प्रति वर्ष है, को देखते हुए हमें अतिरिक्त विमानों की जरूरत है इसीलिए इंडियन एयरलाइंस ने पहले से ही अपने बेड़े में 12 और 757 बोइंग विमान जोड़ने का निर्णय ले लिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय पर कोई आक्षेप लगाये बिना, आप यह मानेंगे कि चूंकि 12 अतिरिक्त विमान जरूरी हैं, इसलिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है…

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मांग में 10% की वृद्धि का भी उल्लेख किया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : कितनी क्षमता की मांग है, उसके बारे में बताते हुए उन्हें मांग में होने वाली वृद्धि को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है : यदि आप महसूस करते हैं कि कुल मिलाकर वर्तमान क्षमता बिल्कुल सही है जैसा कि आपने पहले कहा है तो उस मामले में हम तीसरी एयरलाइन बनाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं जिसमें हम कुछ निजी कम्पनियों को कुछ अन्य हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं । ऐसा क्यों किया जा रहा है ? आप उसकी अब योजना तो बना ही रहे हैं । इसका एक पहलू यह है । दूसरा—मैं आशा करता हूं कि आप इसे गम्भीर रूप से नहीं लेंगे —क्या आपने 'टाइम्स आफ इंडिया' में लक्ष्मण का वह कार्टून देखा है जिसमें उसने कहा है :

'इंडियन एयरलाइंस खेद के साथ यह घोषणा करती है कि उड़ान सं० 186 के प्रस्थान में थोड़ा विलम्ब होगा, इसलिए यात्रियों से अनुरोध है कि वे लाइन्ज पर वापस जायें । उन्हें सबेरे 8.30 बजे नाश्ता मिलेगा, एक बजे दोपहर का भोजन तथा रात 8 बजे खाना मिलेगा ।' क्या यह वास्तविकता को बताता है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं मि० लक्ष्मण को जानता हूं । वह एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं । मैंने उनके बहुत अच्छे कार्टून देखे हैं कुछ समय पहले जब आप रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना हुई थी उस समय आप इस तरफ थे ।

इस विस्तार कार्यक्रम में कुछ पुराने विमानों का स्थान नये विमान लेंगे और उनकी संख्या

में वृद्धि होगी। और जैसा कि मैंने कहा है, घरेलू एयरलाइन में वृद्धि दर अब 10% है। इसलिए इस वृद्धि को देखते हुए हमने अगले पांच वर्षों में एयरलाइन सेवा में विस्तार और विमानों को बदलने के लिए ये विमान खरीदने का निर्णय लिया है। (व्यवधान) मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी, हमारे यहां कोई गैर-सरकारी एयरलाइन कार्य नहीं कर रही— मेरे विचार से ऐसा नहीं है। पहले एक व्यक्ति बंबई से शारजाह तक गैर-सरकारी विमान सेवा चला रहा था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जब मैंने पहली बार इसका भार संभाला तो मैंने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया।

प्रो० मधु दण्डवते : बम्बई से रत्नगिरि के बीच एक एयर लाइंस सेवा चल रही थी। क्या आपने रत्नगिरि, जो कि मेरा चुनाव क्षेत्र है, का नाम सुना है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने रत्नगिरी का नाम सुना है। मैंने प्रो० दण्डवते का भी नाम सुना है। लेकिन मैंने यह नहीं सुना कि वहां कोई गैर-सरकारी एयरलाइन सेवा चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर मेरा ध्यान भी गया है। श्री तेवर।

श्री के० मायातेवर : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि देश भर में विभिन्न विमानों के विलंब से आने और जाने के क्या कारण हैं ? महोदय, गत मास की 20 तारीख को एक एयरबस सं० IC-440 ने मद्रास के लिए उड़ान भरी और हैदराबाद हवाई अड्डे पर सबेरे 7 बजे पहुंचा। इस विमान का वहां ठहरने का समय केवल 40 मिनट का था लेकिन हमें 8.45 तक विमान में जबरदस्ती बैठा रहना पड़ा। हो सकता है, इसका कारण कोई विशिष्ट व्यक्ति रहा हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री के० मायातेवर : क्या मंत्री महोदय मुझे इस विलंब का कारण बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मि० हाल्दर। मि० मायातेवर, कृपया आप संगत प्रश्न पूछिये। कृपया आप बैठ जाइये। मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता। श्री हाल्दर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सभा के माननीय सदस्य हैं या कोई अन्य व्यक्ति हैं ? मैं पहले कह चुका हूं कि यह प्रश्न असंगत है। कृपया बैठ जाइये। मि० मायातेवर, क्या आप बैठेंगे ?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? मैंने आपके प्रश्न को स्वीकृति नहीं दी है। मुझे आपकी और आपके स्वास्थ्य की चिंता है।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैंने प्रश्न नहीं सुना। क्या माननीय सदस्य इसे दुबारा पूछेंगे ?

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : विमान की उड़ान में विलंब होने के क्या कारण हैं ? क्या इसका कारण राष्ट्रीय नेताओं को राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने से रोकना था ? **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मंत्री जी चाहते थे कि प्रश्न को दोहराया जाये जबकि इसका दोहराया जाना जरूरी नहीं था। यद्यपि प्रश्न दोहराया जा चुका है तथापि इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : डिले के कारण क्या थे, यह बतला दीजिये। आप नाम न बताइये।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आखिरी दिनों में क्यों यह मेरे से करवाते हो जैसे कि कहते हैं :

सारी उम्र तो कटी इश्के बूतां में गालिब
अब आखरी वक्त में क्या खाक मुसलमां होंगे।

श्री राम विलास पासवान : आज तक सरकार ने कभी नहीं बतलाया कि डिले क्यों किया ?

अध्यक्ष महोदय : बता दिया था।

(व्यवधान)

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब हमें विमान में बम रखे जाने के बारे में टेलीफोन काल मिलता है तो हमारे लिए यात्रियों और सामान को उतारना जरूरी हो जाता है। विमान की तलाशी ली जाती है और जब हमें यात्रियों की सुरक्षा का विश्वास हो जाता है, तभी हम विमान को दुबारा उड़ान भरने की अनुमति देते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० मायातेवर, आपसे भारतीय संसद का एक माननीय सदस्य होने की आशा की जाती है।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इंडियन

एयरलाइंज का वर्तमान विमान बेड़ा इसकी इस समय की प्रचलनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरे माननीय साथी प्रो० मधु दण्डवते ने सिद्ध कर दिया है कि इंडियन एयरलाइंज का वर्तमान बेड़ा पर्याप्त नहीं है। विमान यात्रियों के लिए विभिन्न वायु मार्गों की समय-सारणी भी महत्त्वपूर्ण होती है। पर्यटन की दृष्टि से कलकत्ता पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए प्रवेश द्वार है। अब दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले और वहां से आने वाले यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई हैं। एयरबस की समय-सारणी को फिर से बनाने की जरूरत है। यदि यह एयरबस दिल्ली से सबेरे 8.30 बजे और कलकत्ता से शाम 7 बजे उड़ान भरती है तो इसके लिए अधिक यात्री यातायात होगा और इसकी उपयोग क्षमता भी अपेक्षाकृत अधिक होगी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे कलकत्ता और दिल्ली में एयरबस की समय-सारणी फिर से बनाने पर विचार करेंगे ताकि यात्रियों के लिए विमान यातायात अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक हो सके।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री हरिकेश बहादुर : मंत्री जी ने बताया है कि वे एयरवेज में विमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे गोरखपुर से होकर काठमांडू जाने के लिए एक सीधी विमान सेवा की व्यवस्था करेंगे ताकि गोरखपुर विमान यात्रियों की समस्याओं का समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री खुर्शीद आलम खां : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

जयपुर-कोटा उड़ान को भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाना

*463. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के लोगों के अनुरोध पर जयपुर-कोटा उड़ान को, जो सप्ताह में तीन बार चलती है, राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा के लिए चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाने का है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच "सोनियाणा" गांव के पास एक हवाई पट्टी का निर्माण किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थान को एयरपोर्ट में बदलकर और दिल्ली-जयपुर-कोटा उड़ान को भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बिल्कुल निकट है जो बम्बई/दिल्ली/जयपुर और जोधपुर से अच्छी तरह से हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा रखी गई सूचना के अनुसार सोनियाणा में कोई हवाई पट्टी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की सूचना पूर्णतः गलत है । वहां पर एयर स्ट्रिप बन गई है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में होने की वजह से मुझे पूरी जानकारी है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपका एयर क्राफ्ट जो कि दिल्ली से जयपुर और जयपुर से कोटा जाता है वह पूरी तरह खाली जाता है । इसलिए अगर उसको इस ऐतिहासिक नगर चित्तौड़गढ़ से जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा । चित्तौड़गढ़ खजुराहो से किसी मायने में कम नहीं है । इसको पर्यटन के नक्शे में उभारने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि इसको एयर सर्विस से जोड़ा जाए । इसमें कोई एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा नहीं देना होगा और एयर स्ट्रिप पहले से ही बनी हुई है । इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जहां पर हर कण-कण में वीरों की गाथाएं छिपी हुई हैं, ऐसे स्थान को पर्यटन के नक्शे में उभारने के लिए क्या आप वहां पर देशी और विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए इस सुविधा को कायम करने के बारे में सोचेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हम चित्तौड़गढ़ के महत्व को समझते हैं और इसलिए हमने वहां के विकास के लिए एक वृहद योजना बनाने का निर्णय किया है । इस समय चित्तौड़गढ़ को विमान सेवा बड़ी आसानी से उदयपुर से दी जा रही है और कुछ समय ऐसा ही रहेगा जब तक कि हम चित्तौड़गढ़ में मूलभूत सुविधायें जुटाने की स्थिति में नहीं हैं ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, चितौड़गढ़ और भीलवाड़ा, दो मुख्य डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर्स हैं और साथ ही एक तो इण्डस्ट्रीयल एरिया है और दूसरा ऐतिहासिक नगर है । ऐसी स्थिति में, जो एयर-क्राफ्ट कोटा तक आता है, वह पूरी तरह से खाली आता है । उसको चित्तौड़गढ़ तक बढ़ा दें तो क्या दिक्कत आयेगी ? क्या मंत्री जी इस बारे में बतायेंगे ?-

श्री खुर्शीद आलम खां : यह बिल्कुल अलग मार्ग है और कोटा तथा चित्तौड़गढ़ को जोड़ना सम्भव नहीं होगा और वास्तव में इन दो स्थानों पर आवाजाही का कोई रास्ता नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : देश के विभिन्न शहरों को जोड़ने के लिए विमान सेवा के विस्तार की विभिन्न योजनाओं की श्रृंखला में क्या मंत्री महोदय की विश्व विख्यात पक्षी विहार भरतपुर, चित्तौड़ अजमेर, बीकानेर और जैसलमेर को जोड़ने की कोई योजना है ? ये अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं और इन स्थानों पर बहुत से पर्यटक आते हैं । क्या राजस्थान में इन महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को बोइंग अथवा अन्य विमानों के माध्यम से जोड़ने के लिए कोई वृहद योजना अथवा कार्यक्रम है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं एक और नाम जोड़ूंगा, गंगानगर ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं नहीं समझता कि विमानों को पक्षी विहार तक ले जाना कोई

उचित कदम होगा। लेकिन जैसलमेर और बीकानेर हमारे दिमाग में हैं और जैसे ही हम आवश्यक सुविधाएं और उपकरण जुटाने में समर्थ हो जायेंगे, हम इस प्रश्न पर जरूर विचार करेंगे।

श्री दीनबन्धु वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि उदयपुर एक टूरिस्ट सैंटर है। लेकिन, वहां पर आए दिन कभी एक और कभी दो इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट चलती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर एक टूरिस्ट सेन्टर होने के कारण वहां पर दो फ्लाइट की नितांत आवश्यकता है, इसको बराबर बनाए रखें। दूसरा यह कि सेक्योरिटी की एक्स-रे मशीन वहां पर नहीं लगी है। मैं चाहूंगा कि उसको आप जल्दी से जल्दी लगवाने की कृपा करें। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी वहां पर अभी पूरी नहीं हुई है। इस ओर शीघ्र ध्यान दें।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं उदयपुर के महत्व को समझता हूं। हम सुरक्षा प्रबंधों के बारे में अत्यंत उत्सुक हैं। एक्स-रे मशीनों के आर्डर दे दिये गये हैं और जैसे ही ये मशीनें पहुंचेंगी हम उन्हें विभिन्न हवाई अड्डों पर अधिष्ठापित कर देंगे। जहां तक रात में विमान के उतरने की सुविधा का प्रश्न है, समस्या यह है कि उदयपुर के चारों तरफ बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं और जब तक इन पहाड़ियों पर रोशनी के लिए विशेष प्रबंध नहीं हो जाते, रात को विमान उतारने की सुविधा अधिक प्रभावकारी नहीं होगी। पहाड़ियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और हम इन पर रोशनी का प्रबंध करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जहां तक नियमित सेवा का संबंध है, निश्चित रूप से हम यह चाहेंगे कि सेवा नियमित हो।

श्री एम० एम० लारेंस : केरल भारत के सुन्दर राज्यों में से एक है और कोचीन विशेष रूप से मेरा निर्वाचन क्षेत्र इदुक्की पर्यटन विकास के लिए एक सुन्दर स्थान है। वहां पक्षी विहार भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कोचीन से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा शुरू करने का है? जब श्री अनंत प्रसाद शर्मा विमानन मंत्री थे उन्होंने दिल्ली से कोचीन तथा वहां से वापिस दिल्ली के लिए एक सीधी विमान सेवा शुरू करने का वचन दिया था। क्या मंत्री महोदय विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बम्बई, बंगलौर और मद्रास से दिल्ली आने में सैंकड़ों यात्रियों को टिकटें न मिलने के कारण कठिनाई होती है, कोचीन से दिल्ली तक एक सीधी विमान शुरू करने पर विचार करेंगे?

श्री खुर्शीद आलम खां : हम कोचीन से दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा के बारे में जांच करेंगे और यातायात के अधिक या कम होने के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा। जहां तक टिकटों के पक्का होने की बात है, इसमें अभी कुछ कठिनाई है। लेकिन अब इंडियन एयरलाइन्स अपनी कंप्यूटर प्रणाली अधिष्ठापित कर रहे हैं जिसका अभी परीक्षण किया जा रहा है और जैसे ही यह काम करना शुरू कर देगी, टिकटों की पुष्टि अथवा पुष्टि में विलंब की समस्या कम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा में भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम की शाखाएं खोलना

•460. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अखिल भारतीय वित्त संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने उड़ीसा में अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) जैसे अखिल भारतीय वित्त संस्थानों ने उड़ीसा में अपनी शाखाएं नहीं खोली हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ीसा में आई० सी० आई० सी० आई० की शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के उड़ीसा में शाखा कार्यालय हैं :—

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(ii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(iii) भारतीय जीवन बीमा निगम

(iv) भारतीय साधारण बीमा निगम

(ख) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) का उड़ीसा में कोई शाखा कार्यालय नहीं है।

(ग) और (घ) आई० सी० आई० सी० आई० के संगठनात्मक ढांचे में शाखा कार्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है। इसके बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था करते हैं।

कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकार क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है जिसमें बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। आई० सी० आई० सी० आई० के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं अतः आई० सी० आई० सी० आई० प्रत्येक राज्य में छोटे शाखा कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझता।

भारतीय स्टेट बैंक में सीमा-शुल्क का भुगतान

461. **श्री चंद्रभाल मणि तिवारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क समाहर्ता, दिल्ली को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली में

भारतीय स्टेट बैंक सीमा-शुल्क की भारी मात्रा में नगद राशि स्वीकार नहीं करता है;

(ख) क्या सीमा-शुल्क समाहर्ता, दिल्ली द्वारा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा की गई शुल्क की अदायगी को तत्काल मान्यता नहीं दी जाती है और केवल स्टेट बैंक में ही भुगतान करने की मांग की जाती है;

(ग) क्या सरकार को इसके परिणामस्वरूप शुल्क भुगतान करने वालों को भारी कठिनाई और परेशानी होने का पता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में शुल्क अदा करने वालों को राहत देने के लिए विशेषतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, अन्य स्थानों के समाहर्ता अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी किए गए ड्राफ्टों को तत्काल मान्यता देते हैं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जहां तक दिल्ली का संबंध है, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा की जाने वाली अदायगी की रकम को केवल उगाही के बाद ही जमा किया जाता है । वसूलियों का काम दिल्ली हवाई-अड्डे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और समाहर्तालय के विभागीय राजकोष में किया जाता है । तथापि, सीमा-शुल्क समाहर्ता, दिल्ली को अब ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अदा किए गए शुल्क की रकम शीघ्र ही जमा कर दिया करें ।

(ग) जी, नहीं । सरकार को कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

अभ्रक का निर्यात

*464. **श्री ए० के० राय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मुक्त मुद्रा क्षेत्रों (पश्चिमी देशों) को अभ्रक के निर्यात में कमी हुई है; और इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अभ्रक का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने अभ्रक के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० द्वारा प्रदान किये गये सामान्य मुद्रा क्षेत्र अभ्रक के निर्यातों के अनन्तिम आंकड़े निम्नलिखित अनुसार हैं :

वर्ष	सा० मु० क्षेत्र के देशों को निर्यात (मूल्य करोड़ रु० में)
1981-82	15.99
1982-83	15.25
1983-84	15.35

यह पता चलेगा कि सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को अभ्रक के निर्यातों में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई है।

(ख) अभ्रक व्यापार निगम के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के वर्षों के दौरान अभ्रक के कुल निर्यात क्रमशः लगभग 44 करोड़ रु०, 38 करोड़ रु० तथा 40 करोड़ रु० के थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस स्तर पर सरकार अभ्रक तथा अभ्रक पाउडर के लिए निर्यात नीति में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती।

लाख और लाख-दाना के निर्यात में गिरावट

*465. **श्रीमती माधुरी सिंह :**
श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाख और लाख-दाना के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 1984-85 में कितनी मात्रा में लाख और लाख-दाना के निर्यात की संभावना है;

(ग) उक्त निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं;

(घ) आयातक देशों के नाम क्या हैं और उनको अलग-अलग कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है; और

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) 1982-83 तथा 1983-84 में चपड़ा तथा लाख-दानों के निर्यातों ने 1981-82 के निर्यातों की तुलना में गिरावट दर्शायी जो मुख्यतः इन दो वर्षों में फसल की कमी के कारण हुई।

2. ऐसा अनुमान है कि 1984-85 के दौरान, देश में स्टिक लाख का कुल उत्पादन 9,000 मे० टन होगा, जबकि यह 1983-84 में 11,600 मे० टन का था। चपड़े में समान मात्राएं क्रमशः 4,500 मे० टन तथा 5,800 मे० टन की होंगी।

3. भारतीय चपड़े/लाख-दाने का निर्यात लगभग 40 देशों को किया जाता है जिसमें 5 तो उसके नियमित खरीदार हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रमुख देशों को किये गये निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य नीचे बताए अनुसार थे :

मात्रा : मे० टन
मूल्य : लाख रु० में

देश का नाम	1981-82		1982-83		1983-84	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सं० रा० अमरीका	3801	497	983	167	802	196
ब्रिटेन	861	136	504	109	595	87
पश्चिम जर्मनी	1324	164	1227	205	1128	248
सोवियत संघ	125	20	325	54	742	177
चीन जनवादी गणराज्य	418	59	108	18	125	30
अन्य	4171	690	3855	752	2402	620
योग	10700	1566	7002	1305	5794	1358

4. देश में स्टिक लाख के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग के वन प्रभाग से तथा लाख विकास परिषद से अनुरोध किया गया है कि वे अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों की शुरूआत करें।

5. चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद भी चपड़े के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये अनेक उपाय कर रही है। इन उपायों में शामिल हैं :

1. लाख की खेती के लिये उपयुक्त नये वन क्षेत्रों का पता लगाना।
2. विद्यमान ब्रूडलाख (कीट युक्त लाख) के खेतों को पुन: सक्रिय करना ताकि वे नये लाख वृक्षों के लिये कीटयुक्त लाख के भण्डार के रूप में इस्तेमाल किये जा सकें।
3. उत्पादकों को कीटयुक्त लाख वितरित करने की योजना को चालू करना।
4. लाख उत्पादकों के लिये सहकारी विपणन पद्धति को आरम्भ करना ताकि वे लाभकर दाम प्राप्त कर सकें।
5. कीटाणुओं की बड़ी संख्या में होने वाली निश्वरता के कारणों को जानने के लिये सुव्यवस्थित अनुसन्धान।
6. मौसम की विषमताओं से अधिक प्रतिरक्षण दिलाने के लिये कीटयुक्त लाख की किस्म में सुधार लाना।

7. विद्यमान लाख उत्पादक वृक्षों से देश में बेहतर उत्पादन को सुनिश्चित करते हुए लाख उत्पादन की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिये दीर्घावधि योजना बनाना, नये क्षेत्रों में लाख की खेती करना तथा सामूहिक अभियानों में उत्पादकों द्वारा सम्बन्धित उत्पादकता को प्रोत्साहित करना ।

पोतवाहकों के आयकर का निर्धारण

*466. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय ध्वज पोतों में नियुक्त पोतवाहक अन्य नागरिकों के ही समान हैं और उनके आय-कर की कटौती स्रोत पर ही हो जानी चाहिये, पोत मालिक आयकर अधिकारियों के इस फैसले का पालन कर रहे हैं;

(ख) क्या पोतवाहक को स्रोत पर काटे गये कर की पूरी राशि लौटायी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार सरकारी निर्णय की क्रियान्विति में इस विरोधाभास को किस प्रकार दूर करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि जहाज के मालिक सामान्यत: स्रोत पर कर की कटौती के बारे में विद्यमान अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं ।

(ख) पूरे कर की वापसी का प्रश्न, वह भी सभी नाविकों के मामले में, नहीं उठता ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

"लीजिंग कम्पनियों" की संख्या में तेजी से वृद्धि

*467. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश में "लीजिंग कम्पनियों" की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की प्राधिकृत पूंजी वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और इनमें से कौन-कौन-सी कम्पनियां बड़े औद्योगिक गृहों की हैं;

(ग) क्या कई बड़े और अत्यधिक लाभ कमाने वाले व्यापारिक गृह अपनी गतिविधियों में विविधता लाकर "लीजिंग व्यापार" में प्रवेश करने और इसका कर से बचने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं;

(घ) क्या यह व्यापारिक गृह इस प्रकार की कम्पनियां बनाकर अधिकतम मूल्य ह्रास अर्जित करने और निगमित कर बचाने और "इन हाउस बिजनेस" का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ङ) क्या इस लीजिंग व्यापार से एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कंपनियों को आस्तियां बढ़ाए बिना व्यापार बढ़ाने में सहयोग मिलता है; और

(च) "लीजिंग व्यापार" को विनियमित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) पहली अप्रैल, 1984 से 31 जुलाई, 1984 तक की अवधि के दौरान 26 कम्पनियों को, जिनकी प्राधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए अथवा उससे ज्यादा थी और जिनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ लीजिंग का कार्य करना भी था, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत, 44.22 करोड़ रुपए के मूल्य में सामान्य शेयर और ऋण पत्र जारी करने के लिए अनुमोदन दिए गए, जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान ऐसी 34 कम्पनियों को 59.81 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर तथा ऋण पत्र जारी करने के लिए अनुमोदन दिए गए थे। यह जानकारी कि इनमें से कौन-कौन-सी कम्पनियां बड़े औद्योगिक गृहों से संबंध रखती हैं, इकट्ठी की जा रही हैं और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

लीजिंग कम्पनियों को ऐसी कोई विशेष कर-राहत प्राप्त नहीं है जो कि अन्य कम्पनियों को प्राप्त न हो; अतः लीजिंग कम्पनियों को कर से बचने अथवा निगम कर से बचाने के साधन के रूप में उपयोग में लाए जाने का सवाल पैदा नहीं होता। चूंकि पट्टांतरित (लीज्ड) परिसम्पत्तियों पर पट्टांतरित (लेसी) कम्पनियों का कोई स्वामित्व नहीं होता, इसलिए ऐसी परिसम्पत्तियां उसकी परिसम्पत्तियों का अंग नहीं बनतीं। लीजिंग का कारबार करने वाली कम्पनियों का विनियमन, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम जैसे संगत कानूनों तथा विनियमों के अंतर्गत किया जाता है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हेलीकोप्टर फ्लीट प्राप्त करना

*468. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हेलीकोप्टर फ्लीट प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसके संभावित सप्लायरों के साथ फिर से बातचीत करने की क्या आवश्यकता थी; और

(ग) इस सौदे के लिए कितने संभावित सप्लायरों ने रियायती ऋण सुविधाएं देने की पेशकश की है ?

रक्षा मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हेलीकोप्टरों की खरीद के संबंध में इस समय समझौता-वार्ता का अंतिम दौर चल रहा है। चूंकि यह वार्ता अभी जारी है इसलिए वार्ता पुनः शुरू करने का प्रश्न ही नहीं है।

2. ब्रिटेन की सरकार ने यह पेशकश की है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए जो वेस्टलैंड डब्ल्यू जी-30 हेलीकोप्टर खरीदे जाएंगे उनकी लागत एक अनुदान के अंतर्गत पूरी कर ली जाएगी। फ्रांस की सरकार ने भी प्रस्ताव किया है कि एयरोस्पेतियल हेलीकोप्टरों की खरीद के लिए रिआयती दर पर ऋण दिया जाएगा।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षोपायों संबंधी भूलें

*469. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से पता चला है कि हाल ही के विमान अपहरण की घटना के दौरान लगभग 1,000 लोगों के पास श्रीनगर हवाई अड्डे में बिना कोई प्रतिबंध प्रवेश करने का प्रवेश पत्र था;

(ख) ऐसे पास किसने जारी किये थे और किन-किन लोगों को जारी किये गए थे; और

(ग) क्या सुरक्षोपाय में पाई गई इस तरह की भारी भूलों के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सुरक्षा पास जारी किए जाने के प्रश्न सहित केन्द्रीय जांच ब्यूरो विमान अपहरण की इस घटना की जांच कर रहा है। सुरक्षा संबंधी अवहेलना (अवहेलनाओं) के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का निर्णय जांच परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

तमिलनाडु में कोयम्बतूर स्थित पीलामेडु हवाई अड्डे का विस्तार

*470. **श्री ईरा मोहन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कोयम्बतूर स्थित पीलामेडु हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा विस्तार कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) इस विस्तार-कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि ले ली गई है। इस विमान क्षेत्र के विकास के लिए 1984-85 की वार्षिक योजना में 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के सातवीं योजना की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति

*471. **श्री टी० एस० नेगी :**
श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8-22 जून, 1984 की "आनलुकर" पत्रिका में भारतीय स्टेट बैंक के बारे में किए गए अनेक रहस्योद्घाटनों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार उक्त रहस्योद्घाटनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में अपने निर्णय पर विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में सभी शीर्ष नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग में एक कक्ष स्थापित करने का भी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की परामर्श से की जाती है। यह नियुक्ति सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा नियम मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विलंब

*472. **श्री के० लकप्पा :**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा अनुमोदित आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने के लिए काम पर लगाई गई इंजीनियरी ठेका-एजेंसियों अथवा सिविल ठेकेदार, उनके बिलों का नियमित भुगतान न करने के कारण, ठेके के अधीन किया गया काम करने में असफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिकीकरण की समूची योजना में विलंब हो रहा है;

(ख) क्या अधिकांश ठेके मूल्यों में वृद्धि के प्रावधान के बिना दिए गए थे जिस वजह से भी ठेकों के निष्पादन में विलंब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न मिलों, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु विद्यमान ठेकेदारों के लिए इस्पात तथा अन्य इस्पात सामग्री के मूल्यों में सांविधिक वृद्धि सहित लागत वृद्धि का प्रावधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं। एन० टी० सी० के अधीन मिलों के लिए स्वीकृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन बिना विलंब के प्रावस्थाबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) एन० टी० सी० द्वारा दी गयी सिविल संविदाओं में मूल्य वृद्धि की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि ये सामान्य तौर पर समयबद्ध होती हैं और इनमें दो महत्त्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों अर्थात् सीमेंट तथा इस्पात की अधिप्राप्ति करने तथा उसे उपलब्ध कराने का दायित्व एन० टी० सी० के सहायक निगमों का होता है। अतः निर्माण सामग्रियों की लागत में हुई किसी भी वृद्धि, सांविधिक अथवा अन्यथा, का वहन एन० टी० सी० द्वारा किया जाता है।

चूंकि देश के सभी क्षेत्रों में स्थित एन० टी० सी० की मिलों के लिए स्वीकृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन बिना विलंब के किया जा रहा है अतः पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश में मिलों के लिए सिविल संविदाओं में विशेष कीमत वृद्धि का प्रावधान करने का प्रश्न नहीं उठता।

मिलों के प्रबंध के लिए श्रमिक सहकारी समिति योजना

*473. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कितनी कपड़ा मिलें हैं जिनका प्रबंध पहले ही "श्रमिक सहकारी समितियों" को सौंप दिया गया है और जिन्हें चलाने के लिए श्रमिकों के हाथ में दिए जाने की आशा है;

(ख) क्या सरकार "श्रमिक सहकारी समितियों" की अवधारणा को स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी पर भी लागू करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन "श्रमिक सहकारी समिति" योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी सूती कपड़ा एकक को प्रबंध हेतु "श्रमिक सहकारी समितियों" को नहीं सौंपा गया है। श्रमिकों को किसी विशिष्ट एकक का प्रबंध कार्य सौंपने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ख) "श्रमिक सहकारी समितियों" को स्वदेशी काटन मिल्स सौंपने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी तक किसी भी "श्रमिक सहकारी योजना" को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विभागीकृत लेखा संगठन में वेतनमानों का पुनरीक्षण

*474. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक ने अपने संगठन में वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावों में, वेतन तथा लेखा अधिकारियों, कनिष्ठ लेखा अधिकारियों और कनिष्ठ तथा वरिष्ठ लेखाकारों तथा समूह "घ" पदों के कुछ प्रतिशत पदों के वेतनमान के संशोधन की परिकल्पना की गई है। चूंकि, चतुर्थ वेतन आयोग की स्थापना सरकार द्वारा पहले ही कर दी गई है इसलिए इन प्रस्तावों पर उक्त निकाय द्वारा ही उपयुक्त रूप से विचार किया जाना चाहिए।

अफीम का भंडार जमा होना

*475. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में अफीम जमा हो गयी है और विदेशी बाजार में अफीम की मांग उत्साहजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस समय अफीम का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) अफीम उत्पादकों के हितों और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के इस परम्परागत स्रोत की किस तरह रक्षा करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) भारत में अफीम का उत्पादन निरपवाद रूप से निर्यातोन्मुख है। पिछले कुछ वर्षों में अफीम का हमारा निर्यात इस प्रकार रहा :—

वर्ष	90° गाढ़ता पर मात्रा (मीट्रिक टनों में)
1977-78	978
1978-79	852
1979-80	796
1980-81	444
1981-82	585
1982-83	845
1983-84	677

स्वापक कच्ची सामग्री की विश्वव्यापी अत्यधिक सप्लाई के कारण, भारतीय अफीम को वैकल्पिक कच्ची सामग्रियां, विशेष रूप से पोस्त की भूसी के सांद्रण के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामतः सरकारी कारखानों में अफीम का स्टाक बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है। नब्बे डिग्री गाढ़ता की अफीम का, 31.7.1984 की स्थिति के अनुसार, अनुमानित स्टाक 2478 मीट्रिक टन है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा तथा हमारे कारखानों में उसके परिणामतः बड़ी मात्रा में एकत्र हो गये अफीम के स्टाक को मद्देनजर रखते हुए, सरकार को, पोस्त की काश्त हेतु लाइसेंसशुदा रकबे को पिछले कुछ वर्षों में मजबूरन कम करना पड़ा है। तथापि, अफीम के काश्तकारों के हित को देखते हुए, काश्तकारों को लाइसेंस से बेदखल करने की बजाए अलग-अलग काश्तकारों की जोतों में प्रतिशत-अनुपात के आधार पर धीरे-धीरे कमी करके, काश्त के रकबे को कम किया गया है। इसके अतिरिक्त, पोस्त की काश्त की छोटी-छोटी जोतों वाले काश्तकारों की जोतों को इस प्रकार की प्रतिशत-अनुपात की कमी से मुक्त रखा गया है।

खरीदारों को भारतीय अफीम खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु, भारतीय अफीम को उनकी दृष्टि में आकर्षक बनाने के वास्ते, अफीम का निर्यात-मूल्य समय-समय पर कम किया जाता रहा है और साथ ही प्रोत्साहन रिबेटें भी दी जाती रही हैं।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफीम के एकत्रित स्टाक के मामलों को तो उठा ही रहे हैं और इसके साथ-साथ वे पोस्त की काश्त के क्षेत्र में अफीम-उत्पादन के सामाजिक-आर्थिक महत्त्व को भी जोरदार ढंग से उजागर करते रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक द्रव्य आयोग में भाग लेने गये भारतीय प्रतिनिधि-मंडल कतिपय प्रस्ताव पारित करवाने में सफल रहे हैं, जिनमें आयात करने वाले विभिन्न देशों से स्वापक कच्ची सामग्री के पारम्परिक उत्पादन देशों अर्थात् भारत और तुर्की की सहायता करने के लिए कहा गया है तथा इन प्रस्तावों में नये उत्पादक देशों से कहा गया है कि वे अपने उत्पादन को मुख्यतया अपनी स्वदेशी जरूरत तक सीमित रखें।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र मूल पंचवर्षीय कार्यवाही-कार्यक्रम में 1984-85 के दो वर्षों के लिए "सांविधिक स्वापक कच्ची सामग्रियों के अतिरिक्त स्टाक में कमी" शीर्षक एक परियोजना भी शामिल की गई है।

उचित कार्यवाही हेतु इस विषय की सतत समीक्षा भी की जाती रहती है।

तस्करों के गिरोह से निपटने के लिए सीमा शुल्क कर्मचारियों को हथियारों का प्रशिक्षण

*476. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में तस्करों के गिरोहों से निपटने के लिए सीमाशुल्क कर्मचारियों को पुलिस द्वारा हथियारों का प्रशिक्षण दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, समूह "क" के नये भरती किये जाने वाले अधिकारियों को उनकी परिवीक्षा-अवधि के दौरान तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों को उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंग-रूप में अग्नयस्त्र चलाने एवं उनके प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। समूह "क" के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के मामले में इस प्रशिक्षण का आयोजन, प्रशिक्षण निदेशालय से सम्बद्ध स्टाफ कालेज द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों के मामले में इस प्रशिक्षण का आयोजन, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। इन स्थानों पर अग्नयस्त्रों का प्रशिक्षण स्थानीय पुलिस अधिकारियों की सहायता से दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समाहर्तालय/सीमा शुल्क गृह, जरूरत के मुताबिक तथा अग्नयस्त्रों के प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कार्यकारी कर्मचारियों को, चुनिंदा आधार पर और बैंचों में, अग्नयस्त्रों का प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करते हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण की योजना

*477. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित सहायक कम्पनी द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण की मंजूर शुदा योजना को धन की कमी और/अथवा आधुनिकीकरण के लिए मंजूर धन को अन्यत्र लगाने के कारण अभी तक पूरे तौर पर क्रियान्वित नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० वी० ओ०) लिमिटेड के विभिन्न एककों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंग के रूप में पहले सिविल निर्माण कार्यों के लिए बड़ी संख्या में निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं; लेकिन ठेका देने का निर्णय नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और पूर्वी क्षेत्र में मिलों के नवीकरण हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम की क्रियान्विति में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) मंजूरशुदा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों वर्तमान परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अधीन एककों के लिए आधुनिकीकरण की अनुमोदित योजना का कार्यान्वयन कुल मिलाकर एक क्रमबद्ध ढंग से प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम/वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत 36.19 करोड़ रु० की कुल राशि में से, इस सहायक निगम के अधीन मिलों ने लगभग 31 करोड़ रु० मूल्य की मशीनरी प्राप्त करके संस्थापित कर ली है।

(ख) ऐसी सभी निविदाओं पर, एक को छोड़ कर, अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह आशा है कि शेष आधुनिकीकरण स्कीमों को वित्तीय विवशताओं के अधीन रहते हुए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक पूर्णत: कार्यान्वित कर लिया जाएगा। उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंध के लिए अनुषंगी स्तर पर भी प्रबंध को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा धन संबंधी प्रश्नों पर भारत और अमरीका के बीच मतभेद

*478. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई के मध्य में अमरीका के उप-राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश की नई दिल्ली यात्रा के दौरान बातचीत के अनेक दौर के पश्चात् भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और धन संबंधी प्रश्नों पर भारत और अमरीका के बीच मतभेद बना रहा;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच जो मतभेद दूर न हो सके, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बातचीत के परिणामस्वरूप मतभेद कहां तक दूर हुए और क्या अमरीका आई० डी० ए० प्रतिपूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) में अमरीकी अंशदान बढ़ाने के लिए सहमत हो गया, यदि हां, तो कितना ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और धन संबंधी प्रश्नों पर हमारे और अमरीका के बीच लगातार मतभेद बने हुए हैं। उदाहरणार्थ विकास के लिए मुद्रा और वित्त के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता और विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर धन-प्रवाह की गति तीव्र करने की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ-7 पुनर्भरण व्यवस्था की राशि 9 अरब डालर तय की गई है जिसमें अमरीका का हिस्सा 2.25 अरब डालर होगा और सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस मामले में अमरीका की स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मेकडोवेल्स की गतिविधियों के प्रसार का अध्ययन

4577. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेकडोवल एंड कम्पनी शीतल पेय उद्योग में प्रचलित विशेष विक्रय अधिकार पद्धति का रेस्तराओं में विस्तार करने और 1985 के अंत तक सभी बड़े नगरों में तैयार पदार्थ परोसने वाले अमरीकी किस्म के लगभग एक दर्जन रेस्तरां खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मेकडोवल कम्पनी के अपनी गतिविधियों के प्रसार का देश के विभिन्न भागों में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और रेस्तराओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है; उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार का इस प्रतिस्पर्द्धा का किस प्रकार मुकाबला करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मैसर्स मेकडोवल ने अपनी सहयोगी संस्था मैसर्स फिप्सन एंड कम्पनी के माध्यम सेनई दिल्ली में एक "फास्ट-फूड रेस्टोरेंट" शुरू किया है। वे नई दिल्ली स्थित अपने रेस्तराओं के परिणामों का जायजा लेने के बाद, अगले दो वर्षों के अंतर्गत बंबई और दिल्ली में दो और "आउट-लेट्स" खोलने का इरादा रखते हैं।

(ख) और (ग) मैकडोवल की गतिविधियों के प्रसार से आई० टी० डी० सी० होटलों और रेस्तराओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि मैसर्स मेकडोवल "फास्ट-फूड सर्विसेज" प्रदान कर रहा है जबकि भारत पर्यटन विकास निगम मित-व्ययिता श्रेणी से लेकर 5-स्टार डीलक्स तक की श्रेणी के होटलों का परिचालन कर रहा है, जिनमें विविध प्रकार के भोजन परोसने वाले रेस्तरां हैं। आई० टी० डी० सी० आगरा, नई दिल्ली, कोसी और मामल्लपुरम में कुछ रेस्तराओं का भी परिचालन कर रहा है। आई० टी० डी० सी० होटल/रेस्तराओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और मेकडोवल के रेस्तराओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं परस्पर तुलनीय नहीं हैं।

मजूरी संशोधन समिति की सिफारिशें

4578. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों और ऊंचे वेतन-मानों के बारे में, पिछली सरकार के शासन काल में गठित मजूरी संशोधन समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) कोवलम स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटल के मालिकों को इस प्रकार की पदोन्नतियां और ऊंचे वेतनमान न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें ऊंचे वेतनमान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मजूरी संशोधन समिति की मुख्य सिफारिशें ये थीं कि स्टाफ की अधिकांश श्रेणियों के लिए, जिनमें माली शामिल हैं, सेवा की एक निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद उच्चतर ग्रेडों में स्वत:

उन्नयन की व्यवस्था हो । समिति ने चयन के माध्यम से उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की व्यवस्था भी की थी।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम होटल में कार्यरत ऐसे पात्र-मालियों को उच्चतर ग्रेडों में रखा गया है जो अपेक्षित शर्तों को पूरा करते थे ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नई सरायों का निर्माण

4579. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री आवास विकास समिति ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नई सरायों का निर्माण करने और चालू परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान राज्यवार निर्माण कार्य पूरा करने के परियोजना लक्ष्यों और उन नए निर्माण कार्यों का, जिन्हें शुरू किया जाएगा अथवा शुरू किए जाने का विचार है, क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सभी कार्य, जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे हो जाएं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दो यात्रिका परियोजनाएं---यथा चित्रकूट (मध्य प्रदेश) और अमरकंटक (मध्य प्रदेश) में पहले ही पूरी की जा चुकी हैं । वृंदावन (उत्तर प्रदेश), कम्पिल (उत्तर प्रदेश) और बिदार (कर्नाटक) में अवस्थित 3 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इन परियोजनाओं का 1984-85 में अर्थात् छठी योजनावधि के दौरान निर्माण पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

1984-85 के दौरान निर्माण के लिए जो नई परियोजनाएं तैयार हैं, वे करायकल (पांडिचेरी) और पुरी (उड़ीसा) में हैं ।

विभिन्न बैंकों में ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया

4580. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वितरित किये जाने वाले प्रस्तावित 4500 करोड़ रु० में से अब तक कुल कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये गए हैं;

(ख) राज्यों और राज्यों के उन प्रत्येक जिलों के नाम क्या हैं जिनमें ऋण वितरित किये गए; और कितनी धनराशि वितरित की गई है और कितने व्यक्तियों को धन मिला है;

(ग) ऋण मंजूर करने में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है;

(घ) कितने व्यक्तियों को दो बार अथवा अलग-अलग बैंकों से ऋण मिल गया है; और

(ङ) ऋण मंजूर करने के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया की न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुसरण करने के लिए कितने बैंक कर्मचारियों की हत्या की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) माननीय सदस्य का आशय संभवत: गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लाभ के वास्ते बनाये गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छठी आयोजना अवधि के दौरान 1.5 करोड़ परिवारों की सहायता करना है। इस पर आर्थिक सहायता 1500 करोड़ रुपये के रूप में और बैंक ऋणों के रूप में परिणाम 3000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार छठी आयोजना की अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन कुल 3.32 करोड़ रुपये के ऋण और आर्थिक सहायता वितरित की गई थी।

(ख) दिए गए सावधि ऋणों/उपयोग की गई आर्थिक सहायता की राज्यवार राशि तथा सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय स्तर पर इस सूचना का जिला-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों का निर्धारण राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा किया जाता है जो क्षेत्र के लिए हिताधिकारियों के वास्ते समनुरूप अर्थक्षम योजनाएं बनाती हैं और बैंकों के विचारार्थ वित्तीय सहायता के आवेदन तैयार करती हैं। बैंकों द्वारा आवेदनों की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित जिला विकास एजेंसी आर्थिक सहायता जारी करने की कार्रवाई करती है। जहां तक संभव होता है, ऋणों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए हिताधिकारी की सहमति से परिसम्पत्ति के अधिकृत सप्लायर को ऋणों और आर्थिक सहायता संवितरित की जाती है।

(घ) बैंकों द्वारा उत्पादक और आर्थिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है और एक व्यक्ति पर बैंकों से एक से अधिक बार ऋण लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन हिताधिकारियों के वास्ते परिवार द्वारा उपयोग की जा सकने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम राशि की सीमा निश्चित है। जब इस मानदंड के उल्लंघन की विशिष्ट घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाता है तो उनकी जांच की जाती है और कार्यवाही की जाती है।

(ङ) माननीय सदस्य संभवत: उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें एक बेरोजगार युवक श्री पेरूमल ने 28-6-84 को सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की कीलालापूर शाखा के एग्रीकल्चरल फील्ड अधिकारी को छुरा घोंप दिया था क्योंकि उक्त शाखा द्वारा उसके ऋण-आवेदन पर, कार्रवाई नहीं की थी। यह घटना बैंकों द्वारा अनुकरण की जा रही न्यूनतम अपेक्षाओं के कारण नहीं की जा सकती। सरकार को ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी

नहीं है जिसमें ऋण-स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया की न्यूनतम अपेक्षाओं की वजह से किसी बैंक कर्मचारी की हत्या की गई हो।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जुटाए गए सावधि ऋण	(अनंतिम)	(लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	18984.72	10167.00	690112
2.	असम	2551.66	1889.75	142527
3.	बिहार	19287.66	11457.13	1329248
4.	गुजरात	9816.20	5518.45	579347
5.	हि० प्रदेश	2034.40	1664.51	172018
6.	हरियाणा	3571.94	2515.61	386238
7.	जम्मू और कश्मीर	1805.14	1292.17	117052
8.	कर्नाटक	10695.21	5756.60	532450
9.	केरल	8913.90	3685.54	425265
10.	मध्य प्रदेश	25119.93	11198.87	1104824
11.	महाराष्ट्र	17207.10	7561.13	728250
12.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	262.56	20141
13.	मेघालय	उपलब्ध नहीं	159.98	19786
14.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	427.28	37373
15.	उड़ीसा	10146.38	6706.67	708642
16.	पंजाब	5617.05	3535.79	321626
17.	राजस्थान	10400.27	6880.35	531082
18.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	63.42	6105
19.	तमिलनाडु	19964.92	11287.13	1162752
20.	त्रिपुरा	786.41	473.48	40966
21.	उत्तर प्रदेश	59728.37	21929.42	2737404
22.	पश्चिम बंगाल	4815.50	3001.12	438510

1	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	3.75	330
24.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	563.91	31583
25.	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	2.97	1091
26.	दादर व नगर हवेली	20.55	17.87	709
27.	दिल्ली	321.05	156.22	14445
28.	गोवा द० व दीप	433.58	299.45	23930
29.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	38.46	876
30.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	242.95	8918
31.	पांडिचेरी	132.22	88.79	8654

स्थानीय शासन और नगर विकास संबंधी केन्द्रीय परिषद में पारित संकल्प पर निर्णय

4581. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक आवासीय मकान को उसकी संभावित आय को आयकर से छूट देने के संबंध में स्थानीय शासन और नगर विकास संबंधी केन्द्रीय परिषद् की बीसवीं बैठक में पारित संकल्प संख्या 9 पर कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां । यह सुझाव स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई में डायमंड क्लब की कार्यविधि

4582. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में नरीमन प्वाइंट पर कोई डायमंड क्लब कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह क्लब कब शुरू हुई थी और किसने शुरू की थी;

(ग) क्या इस क्लब को चलाने वाले को हीरों के व्यापार का कोई पूर्व-अनुभव है;

(घ) क्या इस क्लब के संचालक ने सरकार को क्लब के लिए 2 करोड़ रु० का तत्काल अनुदान देने का अनुरोध किया है;

(ङ) क्या सरकार ने अनुदान दे दिया है; और

(च) यदि हां, तो क्या इसके साथ कोई शर्त लगाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को ऐसे किसी डायमंड क्लब की जानकारी नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन प्रभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण

4583. **श्री भीखाभाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन प्रभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल कितने सहायक यातायात पर्यवेक्षक कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्ष से यातायात पर्यवेक्षक के ग्रेड में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित कुल कितने पद अगले वर्ष में ले जाए गए; और

(ग) पिछले बकाया की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक यातायात पर्यवेक्षकों को पदोन्नति देने के क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निर्माण कंपनी के कई व्यक्तियों और एक कलाकृति विक्रेता के परिसरों पर आयकर के छापे मारा जाना

4584. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री मनोहर लाल सैनी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1984 में एक प्रसिद्ध निर्माण कम्पनी संबंधित कई व्यक्तियों और एक कलाकृति विक्रेता के परिसरों पर छापों के दौरान आयकर विभाग की आसूचना यूनिट, दिल्ली को लाखों रुपयों का करवंचना का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ग) आय छुपाने और करवंचना करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने मैसर्स डी० एस० कंस्ट्रक्शन कं० (प्रा०) लि० के परिसरों, इसके निदेशकों के आवासीय परिसरों और दिल्ली के कलाकृति तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के एक व्यापारी श्री बी० के० नौलखा के आवास एवं कार्यालय परिसरों की दिनांक 9-5-1984 को तलाशियां ली थीं। इन तलाशियों में प्रथमदृष्ट्या 1.05 लाख रुपये की लेखा-बाह्य नकदी और अपराध-आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए। कलाकृति आदि के स्टाक को सत्यापन किए जाने तक रोक लिया गया है। इस मामले में समुचित कार्यवाही करने के लिए पकड़े गए दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है।

आन्तरिक ऋण

4585. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1984 को आन्तरिक ऋणों की कुल राशि कितनी थी;

(ख) उन ऋणों को चुकाने संबंधी स्थिति क्या है; और

(ग) ऋणों की कुल राशि का वार्षिक हिसाब रखने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

निम्न तारीख को	केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण (करोड़ रुपये)
31 मार्च, 1980	24319
31 मार्च, 1984 (संशोधित अनुमान)	50045

(ख) और (ग) सरकार के आन्तरिक ऋणों में बाजार उधार, राजकोष हुंडियां, मुआवजा बांड और अन्य बांड तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। राजकोष हुंडियों का हर 91 दिनों की समाप्ति पर उन्मोचन/नवीकरण किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां मांग करने पर चुकाई जानी होती हैं, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। मौजूदा बाजार उधारों और अन्य आन्तरिक ऋणों के बारे में, जिनकी वापसी अदायगी का कार्यक्रम निर्धारित है, बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 1984-85 में 621 करोड़ रुपए की वापसी अदायगी और 3057 करोड़ रुपए की ब्याज की अदायगी की जानी है।

कृत्रिम अंग निगम, कानपुर के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का भुगतान

4586. **श्री अजित बाग :**
श्री एम० एम० लारेंस :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त राज्य मंत्री ने 24 अप्रैल, 1984 को सदन में कहा था कि कृत्रिम अंग निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यह निगम चौथे वेतन आयोग के अन्तर्गत नहीं आता है;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डार निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दी गई थी क्योंकि इन निगमों के कर्मचारी संघों ने औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली अपना ली थी;

(ग) क्या कलकत्ता, पटना और हैदराबाद के उच्च न्यायालयों ने केन्द्रीय भण्डार निगम के प्रबन्धकों को अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का भुगतान करने के निदेश दिए थे;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डार निगम के कर्मचारियों ने औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली का प्रस्ताव नहीं किया था; और

(ङ) क्या सरकार ए० एल० आई० एम० सी० ओ०, कानपुर के कर्मचारियों, जिन्हें इन्कार कर दिया गया है; को अन्तरिम राहत का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वित्त राज्य मंत्री महोदय ने 27 अप्रैल, 1984 को राज्य सभा में कहा था, चूंकि सरकारी क्षेत्र के उद्यम वेतन आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं, इसलिये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्तरिम राहत के आदेश जारी किये जाने के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, किन्तु उनके कथन में आर्टिफिशियल लिम्ब्स कारपोरेशन का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था ।

(ख) जी हां, उन्होंने यह भी कहा था कि समयबद्ध आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न लागू करने सम्बन्धी उनकी सहमति पर भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गैर-कार्यपालक संवर्ग के लिए ऐसे अन्तरिम भुगतानों को सरकार ने प्राधिकृत कर दिया है।

(ग) हालांकि, कलकत्ता और हैदराबाद उच्च न्यायालयों ने केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्धकों को निदेशित किया था कि वे अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का भुगतान करें, परन्तु पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं ।

(घ) वित्त मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारी औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं ।

(ङ) सरकार औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न समयबद्ध आधार पर अपना लेने के बाद जब तक वेतनमानों का परिशोधन न हो जाए तब तक प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर अन्तरिम राहत का भुगतान करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर उचित रूप से तथा निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिए तैयार है ।

विश्व वस्त्र निर्यातकर्ताओं की जुलाई, 1984 में कराची में आयोजित बैठक

4587. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 जुलाई, 1984 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में 'टेक्सटाइल पालिसी आफ वैस्ट अटैक्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने विश्व वस्त्र निर्यातकर्ताओं की पांच दिवसीय बैठक में भाग लिया और यदि हां, तो इसमें शिरकत करने के क्या कारण हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन देशों ने इस बैठक में भाग लिया और इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बैठक में क्या समझौते हुए;

(घ) इसमें भाग लेने वाले देशों ने अपनाए जाने के लिए किस भावी कार्यक्रम पर सहमति हुई;

(ङ) क्या कोई सरकार अथवा निकाय वस्त्र निर्यात करने वाले देशों के इस कार्य के लिये सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है, यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों के विवरण और पते क्या हैं; और

(च) क्या इस बैठक के पृष्ठभूमि पत्रों (बैकग्राउंड पेपर्स) को सभा पटल पर रखा जाएगा अथवा उसकी सन्दर्भ संख्या देते हुए संसद ग्रंथालय में उपलब्ध कराया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) से (च) भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जुलाई 21-25, 1984 को कराची में हुए विकासशील देशों, वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यातकों की कार्यशाला में भाग लिया । पहले की तरह इस कार्यशाला में प्रतिनिधिमण्डलों के लिए अन्त:कार्यवाही को सुकर बनाया और विकासशील देशों, वस्त्रों तथा क्लोदिंग के अधिक महत्वपूर्ण मसलों पर संयुक्त रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया ।

2. इस कार्यशाला में निम्नोक्त देशों और क्षेत्रों ने भाग लिया : अर्जेन्टीना, बंगलादेश, ब्राजील, चीन, कोलम्बिया, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जमैका, कोरिया गणराज्य, मकाओ, मैक्सिको, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपीन, रूमानिया, श्रीलंका, थाइलैंड, टर्की और उरुग्वे । गाट के महानिदेशक, गाट के उपमहानिदेशक और उप-महासचिव, अंकटाड ने भी इसमें भाग लिया ।

जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और इस कार्यशाला की समाप्ति पर जो सर्वसम्मति हुई वे 'वस्त्रों तथा क्लोदिंग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कराची विवरण' में अन्तर्विष्ट हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र तथा क्लोदिंग ब्यूरो की औपचारिक स्थापना और चालू होने तक विकासशील देशों, वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यातकों के अनौपचारिक समूह को जेनेवा स्थित अंकटाड सचिवालय द्वारा सहायता दी गई है। श्री फिलिप जैरेमिल्लो, कोलम्बिया के जेनेवा स्थित राजदूत 1980 से इस अनौपचारिक समूह के अध्यक्ष हैं।

4. इस कार्यशाला के प्रारम्भिक दस्तावेज रिलीज करने के लिए सहभागी सदस्यों का कोई निर्णय उपलब्ध नहीं है। इसलिये, इस कार्यशाला के समापन पर जारी किया गया "कराची विवरण" संलग्न किया गया है।

विवरण

टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कराची वक्तव्य

विकासशील देशों के बीच सहकारिता के कार्यक्रम में भाग ले रहे बीस देशों तथा प्रदेशों के प्रतिनिधियों, टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग के निर्यातकों की 21 से 25 जुलाई, 1984 तक कराची में एम० एफ० ए० के प्रचालन सहित टैक्सटाइल्स में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिति की समीक्षा करने और नवम्बर, 1982 में मंत्री-स्तर पर गाट बैठक के सांविदाकारी पक्षकारों के निर्णय के कार्यान्वियन के लिए समुचित दृष्टिकोण विकसित करने, "....टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग में आगे व्यापार उदारीकरण की रूपात्मकताओं, जिनमें व्यापार के इस क्षेत्र से संबंधित गाट उपबन्धों के पूर्ण विनियोग करने की संभाव्यताएं शामिल हैं," की शीघ्रतापूर्वक जांच करने के लिए बैठक हुई।

2. बैठक का उद्‌घाटन गुलाम इशाक खान, वित्त, वाणिज्य तथा समन्वय के संघीय मंत्री की ओर से एक प्रारंभिक भाषण के साथ स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के गवर्नर श्री ए० जी० एन० काजी द्वारा किया गया जिसमें अनुवर्ती वाद-विवाद का मार्ग प्रशस्त किया गया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम में सहभागियों के समूह का "संबंध प्रतिबन्धात्मक तथा विभेदकारी उपायों को दूर करने के जरिये विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के बाजारों के समुन्नत प्रवेश पाने के साझे उद्देश्य से था" और यह कि उसे "गाट के सिद्धान्तों, नियमों तथा उद्देश्यों के पूर्ण अनुपालन की प्राप्ति के लिए दबाव डालना चाहिए।" उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि "व्यापार उदारीकरण की रूपात्मकताओं की जांच की परिधियों का विस्तार अथवा रूपांतरण एक ऐसे ढंग से, जिससे गाट व्यवस्था हतोत्साहित हो और इसके द्वारा सृजित बाध्यताओं तथा अधिकारों में कमी आती हो, किये जाने वाले किन्हीं भी प्रयासों को रोकना होगा।" विशेष तौर पर, समूह को गाट कार्य के कार्यक्रम के अन्य घटकों के साथ मिथ्या अन्त:संबंधों की स्थापना के विरुद्ध रहना होगा। यह अभिभाषण अनुबन्ध 1 में दोहराया गया है।

3. बैठक में श्री इजारुल हक, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार को

कार्यशाला के अध्यक्ष के रूप में और कोलम्बिया के राजदूत जारामिलो को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

4. श्री आर्थर डंकेल, गाट के महानिदेशक, श्री अलिस्टर पैकिनटावर, अंकटाड के उप-महासचिव और श्री एम० जी० माथुर, टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग की गाट कार्यकारी पार्टी के अध्यक्ष ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

5. यह देखा गया कि टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग के संबंध में 1982 का गाट निर्णय लेते समय मंत्रियों ने भी राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में संरक्षणवादी दबावों का विरोध करने, ऐसे उपायों का परिहार करने, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित अथवा विघटित होता हो, के लिए सुनिश्चित प्रयास करने और टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग में व्यापार के उदारीकरण के लक्ष्य वाले उपायों का अनुसरण करने का दायित्व लिया था।

6. बहुपक्षीय वस्त्र प्रणाली में अनुकूल रूप में उत्पाद तथा देश के दायरे में विस्तार हुआ और प्रतिबंधात्मक तथा विभेदकारी पहलुओं में गहनता आई। निर्यातक तथा आयातक देशों, जिन्हें एम० एफ० ए० से अलग कर दिया गया था, के हितों के बीच सन्तुलन पूर्णतः उत्तरवर्ती समूह के हक में विघटित हो गया था। आयातक देशों द्वारा एम० एफ० ए० में परिश्रम से तय की गई बहुपक्षीय व्यवस्थाओं और इसके विस्तारण के वर्तमान संलेख को अधिकांशतः उपेक्षित कर दिया गया था जिन्होंने अपनी वस्त्र व्यापार नीतियों में नई संकल्पनाओं का प्रयोग किया जिनसे एम० एफ० ए० के मौलिक उद्देश्य का पूर्णतः व्यतिक्रम हुआ।

7. इस प्रक्रिया में, एम० एफ० ए० के अनुच्छेद 6 में प्रदत्त विशेष व्यवहार पाने की बजाय नये प्रवेशक भी, लघु पूर्तिकर्ता तथा रुई उत्पादक देश, विभेदकारी प्रतिबन्धों के लक्ष्य बने। यह भी देखा गया कि ऊन उत्पादों के आयातों के संबंध में अभी भी अलग से औचित्यपूर्ण प्रमाण की निरन्तर अनुपस्थिति के बावजूद अत्यधिक रूप से प्रतिबंधात्मक व्यवहार प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा यह देखा गया कि अभी हाल के प्रतिबंधात्मक उपाय विकसित देशों, विशेषतः संयुक्त राज्य अमरीका में टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग क्षेत्र सहित "सुस्थापित तथा सुदृढ़ तौर पर आधारित" आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि के आधार पर लागू किए गए थे।

8. वस्त्रों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हाल के विशेष परिवर्तनों पर विचार-विमर्श करते हुए भागीदारों से एम० एफ० ए० तथा विस्तार संलेख 1981 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुपालन करने में तीव्र गिरावट नोट की है। इस सम्बन्ध में सबसे नया तथा गम्भीर परिवर्तन या "बाजार विघटन के अनुमान" के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अतिरिक्त मानदण्ड का लागू किया जाना जिसके परिणामस्वरूप एक राष्ट्र द्वारा निर्धारित स्वचालित ट्रिगस व्यवस्था के आधार पर बाधाएं डाली जा रही हैं। व्यवस्था की घोषणा 16 दिसम्बर, 1983 को की गई थी, उस तारीख से 20 विकासशील देशों के खिलाफ नियंत्रण के लिए 100 से अधिक मांगें उठाई गई हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में टैक्सटाइल तथा क्लोदिंग का उत्पादन बढ़ रहा था और बाजार विघटन का प्रश्न नहीं उठा। भागीदारों ने सं० रा० अमरीका से एम० एफ० ए० के दायरे में आने और इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जनवरी, 1984 में वस्त्र समिति की बैठक

में मंत्रिस्तरीय घोषणा में की गई वचनबद्धता तथा दिए गए आश्वासनों के अनुरूप उसका दृढ़ता से तब तक पालन करने का अनुरोध किया जब तक विस्तार संलेख 1981 समाप्त न हो जाए।

9. विकासशील निर्यातक देशों के व्यापार को 'परेशान' करने तथा प्रतिबंधित के लिये विकसित आयातक देशों में संरक्षणवादी हितों द्वारा अनेक चालाकियां प्रयोग की जा रही थीं। हाल ही में यह प्रवृत्ति एम० एफ० ए० के अनुच्छेद 9 के उल्लंघन में पहले से नियंत्रण करारों के आधार पर टैक्सटाइल तथा क्लोदिंग के आयातों के खिलाफ और तेज हो गई थी। संयुक्त राज्य अमरीका में एम० एफ० ए० सप्लायरों से आयातों के लिये उदभव के नियमों आदि सम्बन्धी नए विनियमों के लिये प्रस्ताव इसका एक उदाहरण था। इस प्रकार परेशान करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बहुत से भागीदार देशों से, जिनमें अर्जेन्टीना, कोलम्बिया, इण्डोनेशिया, मलेशिया, पेरू, सिंगापुर, श्रीलंका, थाइलैंड, टर्की शामिल हैं। इस बार टैक्सटाइल तथा क्लोदिंग के आयातों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमरीका में नई प्रतिकारी शुल्क याचिकाएं दायर करके नाटकीय ढंग से स्पष्ट की गई थी जिसकी खबर बैठक के दौरान ही मिली।

10. भागीदारों ने प्रतिबंधों के प्रचलन और तीव्रीकरण और साथ ही घरेलू समर्थन नीतियों के प्रचार की निन्दा की जिससे स्वतः समायोजन प्रक्रिया के संचालन में बाधा पड़ी थी। एम० एफ० ए० का प्रयोग ऐसे उपायों को न्यायोचित ठहराने के लिए किया गया था जिससे व्यापार के उत्तरोत्तर उदारीकरण के अनुकूलन के लिए ढांचे संबंधी आवश्यक समायोजन के लिए अस्थायी सुविधा प्रदान करने का उसका अपना उद्देश्य ही निष्फल हो गया।

11. यह भी नोट किया गया कि "आउटवर्ड प्रोसेसिंग ट्रेड" (ओ० पी० टी०) द्वारा औद्योगिक विकास और परस्पर व्यापार के विस्तार की दिशा में विकासशील देशों के प्रयास प्रतिबंधित न हों।

12. मंत्रिस्तरीय निर्णय के अनुसरण में गाट सचिवालय द्वारा तैयार किए गए ("विश्व अर्थव्यवस्था में टैक्सटाइल तथा क्लोदिंग") तथा स्वयं सहयोग कार्यक्रम द्वारा आयोजित ("सिद्धान्त तथा व्यवहार में बहुरेशा प्रबन्ध") अध्ययन से स्पष्ट रूप से संरक्षण की सीमा और विकासशील निर्यातक देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर उसके नकारात्मक प्रभावों का पता चला। बाद के अध्ययन से आर्थिक धारणाओं के भ्रान्तिकारी स्वरूप का भी पता चला जिस पर यह व्यवस्था आधारित थी। तथापि, भागीदारों के दृष्टिकोण से गाट का अध्ययन विकासशील देशों से मुख्य रूप से संबंधित विषयों को पर्याप्त व्यवहार देने में असफल रहा। हालांकि उसमें उसके विचारार्थ विषयों की सीमा के बाहर अन्य विषय शामिल किए गए। उन्होंने गाट कार्यक्रम के अन्य तत्वों के साथ गलत रूप से अन्तर्सम्बन्ध कायम करने के बारे में भी सावधान किया। विकासशील निर्यातक देशों ने गाट की कार्यकारी पार्टी में सामान्य विवरण देने का निश्चय किया जिसमें उन्होंने गाट अध्ययन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये।

13. यह माना गया कि 1982 की गाट मंत्रिस्तरीय बैठक के संगत निर्णय में शामिल की गई वचनबद्धता विकासशील देशों के टैक्सटाइल और क्लोदिंग के निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिबन्धों और भेदभाव की व्यवस्था समाप्त करने की राजनैतिक इच्छा का द्योतक है। इस सम्बन्ध में ठोस

कार्यवाही करने की वचनबद्धता सामान्य रूप में गाट प्रणाली की विश्वसनीयता की एक बड़ी परीक्षा थी।

14. इस पृष्ठभूमि के वितरीत, भागीदार इस बात पर सहमत हुए कि टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग में गाट मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र के आदेश पत्र को पूरा करने का उनका दृष्टिकोण बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली के मूलभूत सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें ये शामिल हैं :

(क) पक्षपातरहित, अर्थात्, शर्तरहित परम-मित्र-राष्ट्र (एम० एम० एन०) व्यवहार।

(ख) तुलनात्मक लाभ।

(ग) मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों का निषेध, जिसमें स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध भी शामिल हैं; और

(घ) विकासशील देशों के पक्ष में विभेदक तथा और अधिक अनुकूल व्यवहार। इसमें अनिवार्य रूप से गाट सम्बन्धी अन्य देशीय संकल्पनाओं, जैसे कि "बाजार विघटन" तथा चयनात्मकता, को समाप्त करना अन्तर्ग्रस्त है।

15. विकसित देशों द्वारा इस सिद्धान्तों के समर्थन को गाट प्रणाली की साख क्षमता की बहाली के योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए।

16. भागीदारों ने गाट मंत्रिस्तरीय घोषणा के पैराग्राफ 7(VII) की वचनबद्धता को दोहराया जिसमें, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने से पहले की अन्तरिम अवधि के दौरान, एम० एफ० ए० के पक्षकारों को उसके नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा।

17. भागीदारों ने, टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना के माध्यम से समन्वय की प्रक्रिया को शक्तिशाली बनाने का स्वागत किया, उन्होंने इसे वस्त्र तथा क्लोदिंग के विकासशील निर्यातकों के बीच सहयोग के, जो कि नवम्बर, 1980 में बोगोटा में आरम्भ हुआ, गठन तथा उसके सांस्थानिकरण के रूप में लिया।

18. यह स्वीकार किया गया कि उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ब्यूरो का तात्कालिक कार्यक्रम, प्रभावी समन्वय तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से विकासशील देशों की सौदा करने की स्थिति को सुदृढ़ होना चाहिए। विकसित देशों में जनमत की सूचना देने के लिए ध्यानपूर्वक समयबद्ध तथा सुलक्षित शुरूआत करने से भी इस उद्देश्य को सहयोग मिलना चाहिए।

19. भविष्य में समन्वित प्रयासों को जारी रखने तथा उनमें तेजी लाने एवं गाट संविदा-कारी पक्षकारों के 40वें सत्र (नवम्बर, 84) से पहले जैनेवा में अगली कार्यशाला आयोजित करने का विनिश्चय किया गया था। 1985 में दो और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी विनिश्चय किया गया तथा भागीदारों ने मैक्सिको तथा कोरिया गणराज्य की सरकारों का इनकी मेजबानी करने की पेशकश का स्वागत किया।

20. जिस कार्यकुशलता से कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा कराची में उनके ठहरने के दौरान उनका जो शानदार अतिथि-सत्कार किया गया उसके लिए भागीदारों ने पाकिस्तान के मुस्लिम गणराज्य की सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया ।

"मिसिंग साइंटिस्ट मिस्ट्री डीपन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4588. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "मिसिंग साइंटिस्ट मिस्ट्री डीपन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के वैज्ञानिक मूल्यांकन निदेशालय में तत्कालीन मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी ने विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में रक्षा मंत्री और वैज्ञानिक सलाहकार को अपने 15 सितम्बर, 1979 के पत्र में सावधान किया था जिसका उक्त समाचार-पत्र ने उल्लेख किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या सावधानी बरती गई थी; और

(घ) उक्त परियोजना और लापता वैज्ञानिकों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) एक प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (अब नौकरी से बर्खास्त) ने सहयोग करार के बारे में सावधान नहीं किया था बल्कि उसने अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी० आर० डी० ओ०) पर यह आरोप लगाया था कि वह देश के भीतर अनुसंधान तथा विकास को हतोत्साहित कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी आयात करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

(ग) विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित चुने हुए क्षेत्रों में ही प्रौद्योगिकी का आयात किया गया था । देश में ही उसके सदृश विकास करने का काम भी शुरू किया गया और उसका लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहा ।

(घ) देश में इसके सदृश तकनालाजी के विकास के आधार पर विशेष प्रकार के रडार के विकास का काम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है और मार्च, 1985 तक उसके पूरा हो जाने की संभावना है । ज्ञात हुआ है कि वैज्ञानिक श्री एम० के० शनडास, जो यहां से गायब हो गया था, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसर्स स्पेस माइक्रोवेव लेबोरेटरी (एस० एम० एल०) में नौकरी कर रहा है । मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने के विपरीत प्रभाव

4589. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने के निर्णय का, यदि विपरीत नहीं तो अभिप्रेत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का ऋण लिया गया है अथवा लिया जाएगा और भारत के प्रति इस विपरीत-रवैये के कारण क्या हैं;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक का पुनर्गठन करने और अधिक उपाध्यक्ष बनाने का कोई प्रयास भी चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और एशियाई विकास बैंक के दूसरे सबसे बड़े अंशदाता के रूप में भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : भारत सरकार को, एशियाई विकास बैंक से उधार लेने के अपने निर्णय के बारे में, किसी प्रतिकूल प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।

(ख) बैंक से अभी तक कोई रकम उधार नहीं ली गई है। भारत को दिए जाने वाले उधार संबंधी कार्यक्रम के आकार पर अभी बातचीत चल रही है।

(ग) एशियाई विकास बैंक का प्रबंध-मण्डल कुछ आन्तरिक पुनर्गठन करने पर विचार कर रहा है, परन्तु फिलहाल और उपाध्यक्ष नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पुनर्गठन का उद्देश्य मुख्य रूप से वर्तमान उपाध्यक्षों के कार्य को सरल और सुचारू बनाना है ताकि संभावित अतिव्याप्ति (ओवरलैपिंग) से बचा जा सके। प्रस्तावित पुनर्गठन के कारण बैंक की पूंजी में तीसरे सबसे बड़े अंशदाता के रूप में भारत की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र कनाडा से धन प्राप्त कर रहे भारतीय संगठन

4590. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "थर्ड वर्ल्ड्स बेनीफैक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र कनाडा से विदेशी धन प्राप्त कर रहे भारतीय संगठनों के नाम क्या हैं और यह धन किस प्रकार की गतिविधियों के लिये दिया जाता है और आज तक प्रत्येक मामले में कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा द्वारा अब तक भारत में 58 अनुसंधान परियोजनाओं को दिए गए धन का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक चालू अनुसंधान परियोजना के लिए दिए गए धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा ने किसी विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8704/84]**

(घ) जी, हां। निम्नलिखित दो विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त हुए हैं :

(1) महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा को "प्रारम्भिक शिक्षा में शिक्षा संबंधी निर्योग्यताओं" से संबद्ध परियोजना के लिए 11,000 डालर मिले हैं। इस परियोजना को अब पूरा कर लिया गया है।

(2) नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर को जीव-वैज्ञानिक महामारी प्रबन्ध में अध्ययन के लिए 1,28,100 डालर मिले हैं। यह परियोजना अभी चल रही है।

उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों को अन्य अनुदान दिए गए हैं जिन्हें संलग्न अनुसूची में शामिल किया गया है।

ग्रुप "क" पदों पर कार्यरत स्थायी रूप से सेकिन्डिड सर्विस आफिसर

4591. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालय में स्थायी रूप से सेकिन्ड़िड सर्विस आफिसर ग्रुप "क" पदों पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या निरीक्षण महानिदेशालय में सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों को अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति पाने का हकदार बनने के लिए न्यूनतम वर्ष सेवा अवधि जरूरी है जबकि स्थायी रूप से सेकिन्डिड सर्विस आफिसरों के लिए यह जरूरी नहीं है;

(ग) यदि भाग "क" का उत्तर सकारात्मक है तो, एक ही संगठन में एक ही ग्रुप "क" पदों पर कार्यरत समान ड्यूटी और कार्य करने वाले दो श्रेणियों के अधिकारियों में यह भेदभाव करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संगठन में प्रत्येक ग्रेड में अर्हता सेवा, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति आदि के मामले में ग्रुप "क" के अन्य पदों पर लागू नियम और मानदंड ग्रुप "क" पदों पर कार्यरत स्थायी रूप से सेकिन्डिड सर्विस अधिकारियों पर लागू क्यों नहीं होते ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में समूह "क" पदों पर दो संवर्गों के अधिकारी अर्थात् सेना-अफसर (स्थायी आधार पर उपनियुक्त और निर्धारित समय अवधि के आधार पर नियुक्त—दोनों) और रक्षा गुणवत्ता आश्वासन सेवा (डी० क्यू० ए० एस०) के सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक ग्रेड/रैंक में पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा पर और पदोन्नति की पद्धति पर दोनों वर्गों के अधिकारियों के लिए निर्धारित उनके सेवा नियम लागू होते हैं।

उत्पाद शुल्क में विसंगति के कारण एल्यूमिनियम बर्तन एककों को हानि

4592. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने वाले हजारों छोटे और मध्यम यूनिटों को पिछले एक वर्ष के दौरान उत्पाद-शुल्क नियमों में विसंगति के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उत्पाद शुल्क नियमों में इस विसंगति को दूर करके एल्यूमीनियम बर्तन बनाने वालों को राहत उपलब्ध कराएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी किसी ऐसी गंभीर विसंगति का पता नहीं चला है जिसके परिणामस्वरूप एल्युमीनियम-बर्तन के लघु क्षेत्र के तथा मध्यम क्षेत्र के अनेक निर्माताओं को भारी आर्थिक हानि हुई हो।

(ख) एल्यूमीनियम के बने ऐसे बर्तनों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता है जिन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अधीन विशेष छूट प्राप्त है। एल्यूमीनियम के बर्तनों के निर्माण में सामान्यतया प्रयुक्त होने वाले 0.56 मि० मी० और 2.00 मि० मी० के बीच की मोटाई के एल्यूमीनियम बलयों पर भी उस अवस्था में उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दी गई है, जब उनका निर्माण शुल्क प्रदत्त कच्ची सामग्री अथवा स्क्रैप से किया गया हो। तथापि, लघु निर्माताओं से कुछ अभ्यावेदन इस संबंध में प्राप्त हुए थे कि अंतर्गामी उत्पादों, अर्थात् ऐसी एल्यूमीनियम चद्दरों पर जो बर्तन ग्रेड के एल्यूमीनियम बलयों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होती हैं, पर भी उत्पादन शुल्क की मांग की जा रही है। सरकार ने 0.56 मि० मी० और 2.00 मि० मी० के बीच की मोटाई के एल्यूमीनियम बलयों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऐसी एल्यूमीनियम चद्दरों पर अब दिनांक 1 अगस्त, 1984 से उत्पादन शुल्क से छूट दी है।

वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण लगाना

4593. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन पर अब तक सरकार ने मूल्य नियंत्रक लागू किया है; और

(ख) वर्ष 1983-84 में उपरोक्त प्रत्येक वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उन वस्तुओं में, जिन पर मूल्य-नियंत्रण लागू होता है, कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुएं ये हैं : कच्चा पेट्रोलियम और इसके उत्पाद, कोयला, बिजली, एल्यूमीनियम, सीमेंट (लेवी), उर्वरक, कागज (छपाई का सफेद कागज), औषध, चीनी (लेवी) और वनस्पति। इनमें से वनस्पति पर स्वैच्छिक मूल्य व्यवस्था लागू है।

उपर्युक्त वस्तुओं के थोक मूल्य सूचक अंक में 1983-84 के दौरान अर्थात् 26-3-83 और 31-3-84 के बीच हुए परिवर्तन निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं :

26-3-1983 और 31-3-1984 के बीच थोक मूल्य सूचक अंक (1970-71=100) में हुए परिवर्तन

वस्तुएं	प्रतिशत परिवर्तन
1. कच्चा पेट्रोलियम	कोई परिवर्तन नहीं
2. पेट्रोलियम उत्पाद	0.5
3. कोयला	25.2
4. बिजली	12.9
5. एल्यूमीनियम	5.1
6. सीमेंट	8.2*
7. उर्वरक	—5.5
8. कागज	17.9*
9. औषध और दवाएं	8.7*
10. चीनी	4.8*
11. वनस्पति	—0.7

*इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों अंश शामिल हैं।

ईंधन की कम खपत वाली कारों के पुर्जों पर शुल्क में रियायत देने से राजस्व की हानि

4594. **श्री दयाराम शाक्य :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** मारुति सुजूकी कार के लिए आयात किये गये यूनिटों के बारे में 23 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4450 और सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 6/84 के बारे में 27 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9075 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1000 सी० सी० से अधिक क्षमता के इंजन की ईंधन की कम खपत वाली कारों के निर्माण के लिए पांच वर्ष की कालावधि में आयात किये जाने वाले पुर्जों पर शुल्क में रियायत मंजूर करते समय जिस आधार पर राजस्व की हानि की गणना की गई है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) 80 करोड़ रुपये के राजस्व, (8.4 करोड़ रुपये का दस गुना) की हानि का कैसे अनुमान लगाया गया, इसके विवरण सहित शुल्क में रियायत मंजूर करते समय प्रत्येक पुर्जे का हिसाब में लिया गया जहाज तक आयात मूल्य लागत, बीमा, भाड़ा, आयात मूल्य सहित विवरण क्या है; और

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 4450 के उत्तर में सूची में दी गई प्रत्येक खेप पर लगाये गए शुल्क की दरों का ब्यौरा क्या है, इस वर्ष छुड़ाई गई कारों और वैनों, प्रत्येक किन्हीं दो खेपों का जहाज तक मूल्य/लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य क्या था तथा प्रत्येक खेप पर किस दर पर और कितना शुल्क लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) यह अनुमान लगाया गया था कि प्रथम पांच वर्षों के दौरान 1000 सी० सी० से अनधिक क्षमता वाली इंजिन-युक्त-ईंधन-मितव्ययी-कारों के संघटकों के आयात की कुल मात्रा का मूल्य लगभग 71.5 करोड़ रुपये होगा। उस समय प्रवृत्त मूल्यानुसार 153 प्रतिशत की सामान्य शुल्क-दर तथा मूल्यानुसार 35 प्रतिशत की प्रभावी शुल्क दर को देखते हुए 84 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि हुई थी। इस प्रकार, यह मूल्य उन संघटकों का कुल आयात-मूल्य था जिनका पांच वर्षों की अवधि के दौरान आयात किये जाने की संभावना थी। इस मूल्य को, न कि प्रत्येक पुर्जे/संघटक के मूल्य को, छूट के कारण होने वाले राजस्व-प्रभाव की गणना करते वक्त हिसाब में लिया गया था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु हथकरघा बुनकर संगठन, कांचीपुरम से प्राप्त ज्ञापन

4595. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु हथकरघा बुनकर संगठन कांचीपुरम द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1984 को उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था;

(ख) उपर्युक्त ज्ञापन में क्या समस्याएं और सुझाव दिये गये थे; और

(ग) समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) हमें स्मरण नहीं है कि तमिलनाडु हथकरघा बुनकर एसोसिएशन, कांचीपुरम ने ज्ञापन दिया था। तथापि, स्थिति की जांच की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिलिगुड़ी में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

4596. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिलिगुड़ी में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सिलिगुड़ी स्थित इस क्षेत्रीय कार्यालय का काम देखने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में सिलिगुड़ी में तैनात किया गया था;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने सिलिगुड़ी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किए थे;

(घ) क्या रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालयों ने सिलिगुड़ी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को पत्र संख्या 38921/353 (ए)-83 द्वारा अनुमति जारी की थी;

(ङ) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक का उक्त कार्यालय सिलिगुड़ी की बजाय मालदा में खोलने का प्रस्ताव है जिसमें सिलिगुड़ी के लोगों में असंतोष फैल गया है; और

(च) उक्त समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) भारतीय स्टेट बैंक का पहले सिलिगुड़ी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार था। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अनुमति दे दी थी। तथापि, सिलिगुड़ी में इस कार्यालय के खुलने से पहले ही इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि यह कार्यालय इस स्थान के बजाय, रायगंज में खोला जाये। इस मामले पर अब भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम की तुलना में डाक जीवन बीमा द्वारा प्रायोजित योजनाएं

4597. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाएं जीवन बीमा निगम की योजनाओं की तुलना में अधिक लाभकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा उन योजनाओं को न अपनाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) डाक जीवन बीमा योजना एक विभागीय योजना है, जो कि सीमित श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होती है, अर्थात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों के कर्मचारी स्थानीय निधियां, आदि। यह पूर्ण विकसित जीवन बीमा अभिकरण की तरह कार्य नहीं करती और इसका प्रशासन अपेक्षाकृत सरल है।

डाक जीवन बीमा से भिन्न, भारतीय जीवन बीमा निगम को संपूर्ण समुदाय की जीवन बीमा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्य के लिए, जीवन बीमा निगम को आधारभूत ढांचे के विकास और साथ ही कारबार को प्राप्त करने और उसके लिए सेवाएं जुटाने पर काफी अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिए जीवन बीमा निगम इस

स्थिति में नहीं है कि वह ऐसी शर्तें तथा लाभ मुहैया करे जो कि डाक जीवन बीमा द्वारा अपनी योजनाओं के तहत मुहैया किए जा रहे हैं।

कृषि उत्पादों का आयात

4598. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किन-किन कृषि उत्पादों का आयात और प्रत्येक का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक उत्पाद का खरीद मूल्य क्या है और इसे किस मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ग) किस एजेंसी के माध्यम से इनका आयात और निपटान किया जा रहा है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन उत्पादों के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) आयातित कृषि उत्पादों के नाम तथा मात्रा "मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इंडिया—वाल्यूम-II (आयात)" नामक प्रकाशन में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। प्रकाशित आंकड़े फिलहाल 1981-82 तक उपलब्ध हैं।

(ख) तथा (ग) कृषि उत्पादों के आयतों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य भाग (क) में निर्दिष्ट किये गए प्रकाशन में दर्शाया गया है। कतिपय कृषि उत्पादों का आयात सरणीकरण अधिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध है जिनके नाम "आयात तथा निर्यात नीति—वाल्यूम-I" नामक प्रकाशन में दर्शाए गये हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सरणीबद्ध मदों के आयात, वितरण तथा मूल्य विभिन्न उपादानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं। अन्य सभी गैर-सरणीबद्ध कृषि मदों के लिए ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जानकारी ऊपर भाग (क) में निर्दिष्ट प्रकाशन में उपलब्ध है।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए कोटा नीति

4599. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्माता निर्यातकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस वर्ष तथा 1980 से 1983 के बीच प्रत्येक वर्ष सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात को कोटा नीति के अंतर्गत कोटा दिया गया तथा प्रति वर्ष, प्रति देश/श्रेणी, आबंटित संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के निर्यातकों की संदर्भाधीन प्रत्येक वर्ष के दौरान किस आधार पर कोटा आबंटित किया गया; और

(ग) निर्माता-निर्यातकों को पृथक कोटा देने के पीछे क्या तर्क है जबकि वह अन्य श्रेणियों के अंतर्गत भी कोटा पाने के हकदार हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) ऐसे विनिर्माता-निर्यातकों को संदर्भाधीन प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके पिछले निष्पादन के आधार पर मात्राएं आवंटित की गई थीं।

(ग) उन विनिर्माता निर्यातकों को, जिन्होंने विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं, प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नीति में आबंटन की एक अलग प्रणाली दी गई है।

एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ० लि०), कलकता के अधीन यूनिटों को कच्चे माल और कपास की कमी के कारण भारी हानि

4600. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, कलकत्ता (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अधीन यूनिटों में नियमित आधार पर कच्चे माल और कपास की कमी के कारण खाली प्रभारों के भुगतान के कारण भारी हानि हुई है;

(ख) क्या मौजूदा प्रबन्धक, निदेशकों की आपसी लड़ाई के कारण, प्रबन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधार कर पाने में असमर्थ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो कपास आदि के उपलब्ध न होने के कारण उक्त सहायक कम्पनी के अधीन प्रत्येक यूनिट में श्रम दिनों की कुल हानि सहित, तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अधीन मिलों को हानियां हो रही हैं और उन्हें कच्चे माल तथा भण्डारों की अपर्याप्त सप्लाई, अनियमित तथा बड़े पैमाने पर बिजली सप्लाई में कटौती, भण्डारों के मन्द उठान आदि के कारण अपनी क्षमता के उपयोग को कम कर देना पड़ा था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य व्यापार निगम में पदोन्नतियां

4601. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1984 में राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों द्वारा 55 वरिष्ठ अधिकारियों का अतिक्रमण करके, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के 7 मैनेजर भी हैं; बहुत

ही कनिष्ठ व्यक्ति को विपणन मैनेजर (बीमा) के रूप में पदोन्नति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे वरिष्ठ 7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के अतिक्रमण से पूर्व इस मामले में उनकी पूर्वानुमति प्राप्त की गई थी, जैसा कि गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार अपेक्षित है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व मुख्य बीमा प्रबन्धक (मुख्य विपणन प्रबन्धक के वेतनमान पर) के 30-11-83 को सेवा निवृत होने पर, बीमा प्रबन्धक (विपणन प्रबन्धक के वेतनमान में) ही एस० टी० सी० में एक ऐसे अधिकारी थे, जो विपणन प्रबन्धक के वेतनमान में थे और जिनके पास अपेक्षित बीमा सम्बन्धी अनुभव था, इन्हें आरम्भ में बीमा प्रभाग का कार्यभार सौंपा गया, बाद में 31 मई, 1984 से मुख्य बीमा प्रबन्धक के पद पर पूर्णत: तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। वे अधिवार्षिकी वय प्राप्त करने पर हाल में 31-7-84 को निगम की सेवाओं से सेवानिवृत हुए हैं। यह व्यवस्था निगम के हित में पूर्णत: तदर्थ आधार पर थोड़े समय के लिए की गई थी और क्योंकि यह नियमित पदोन्नति नहीं थी अत: अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत का प्रमुख तम्बाकू उत्पादक देश होना

4602. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक देशों में से एक है;

(ख) भारत में तम्बाकू का किस्म-वार कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ग) क्या विदेशों में भारतीय तम्बाकू की अत्यधिक मांग है और यदि हां, तो किस किस्म का तम्बाकू निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या तम्बाकू के निर्यात में गिरावट आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य कारण क्या है और समस्या के समाधान और चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों में, तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां। विश्व में तम्बाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है।

(ख) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान तम्बाकू की विभिन्न किस्मों का अनुमानित उत्पादन निम्नोक्त प्रकार था :

(मात्रा : मिलियन किग्रा० में)

मात्रा	1980-81	1981-82
फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया	117.0	137.7
बीड़ी तम्बाकू	175.0	190.0
नाटू तम्बाकू	43.0	50.0
चाबने वाला तम्बाकू	85.3	85.0
अन्य	60.5	62.6
योग	480.8	525.3

(ग) जी हां। भारतीय तम्बाकू लगभग 55 देशों को निर्यात किया जाता है। फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू निर्यात किये जाने वाले तम्बाकू की मुख्य किस्म है।

(घ) 1982-83 के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान तम्बाकू के निर्यातों में मामूली-सी गिरावट आई।

(ङ) निर्यातों में गिरावट आने का प्रमुख कारण सोवियत संघ तथा चीन द्वारा भारतीय तम्बाकू की कम खरीदारी करना है। तम्बाकू के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए थे/उठाए जा रहे हैं :

(1) सुदूरपूर्व तथा उत्तर अफ्रीकी देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित किये गये;

(2) तम्बाकू बोर्ड विश्व के विभिन्न भागों में व्यापार मेलों में भाग लेता है।

(3) तम्बाकू उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए तकनीकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

सरकारी खरीद के लिए मूल्य-प्राथमिकता प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव

4603. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रमों के लाभार्थ सरकारी खरीदों के लिए मूल्य प्राथमिकता प्रणाली पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए मूल्य और खरीद अधिमान्यता नीति अक्तूबर, 1980 में पुनः चालू की गई थी। तत्सम्बन्धी विवरण लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 486, जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 1980 को दिया गया था, के उत्तर के साथ सभा-पटल पर रखा गया था।

केरल में समुद्र तट से दूर विदेशी मत्स्य ट्रालर पकड़े जाना

4604. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट-रक्षकों ने जुलाई, 1984 में केरल में, समुद्र तट से दूर, मछली पकड़ने के बहुत से विदेशी चार्टर ट्रालरों को पकड़ा है;

(ख) विदेशी चार्टर ट्रालरों के पकड़े जाने की तारीख सहित उनकी संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्तशुदा इन नौकाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इस समय वे कहां पर रखी गई हैं;

(घ) उपरोक्त नौकाओं को भारत लाने वाली भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उन विदेशी नौकाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) तटरक्षक संगठन ने 26 जुलाई, 1984 को चार भारतीय कम्पनियों द्वारा चार्टर किए गए 8 ताइवानी मछली पकड़ने के ट्रालर क्विलोन समुद्र में पकड़े थे।

(ग) ट्रालर बम्बई में तट रक्षक संगठन के कब्जे में हैं।

(घ) निम्नलिखित 4 भारतीय कम्पनियों ने इन आठ मछली पकड़ने वाली ट्रालरों को चार्टर किया था :—

(1) मैसर्स बी० बी० सी० एक्सपोर्ट प्रा० लि०, हैदराबाद।

(2) मैसर्स जी० पी० मैरीन प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा० लि०, गुन्टूर।

(3) मैसर्स कंचनगंगा सी० फुड्स प्रा० लि०, विजयवाड़ा।

(4) मैसर्स गोल्डन फिशरीज लि०, नई दिल्ली।

(ङ) ट्रालरों के प्रत्येक संचालक को एक-एक लाख रुपए की जमानत पर छोड़ा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि यह शर्त पूरी न करने पर उन्हें जेल भेज दिया जाए। कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 19 के अन्तर्गत औपचारिक शिकायत पेश की जा रही है।

राजस्थान में बैंकों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए ऋणों की वसूली

4605. **श्री विरधाराम फुलवारिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) विभिन्न सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में दिये गए ऋण की कितने प्रतिशत वसूली हुई है;

(ख) क्या राज्य में वसूली जबरदस्ती की गई थी और गरीब लोगों तथा काश्तकारों से हाथापाई और दुर्व्यवहार किया गया; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा सहकारी बैंकों द्वारा दिये गए अग्रिमों की वसूली के संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, जून 1982 में समाप्त होने वाले वर्ष में राजस्थान राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता 52.6 के अखिल भारतीय स्तर के मुकाबले 47.1 थी। 31 मार्च, 1984 को राजस्थान राज्य का प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं का संचयी मांग की तुलना में प्राथमिक स्तर पर वसूली का प्रतिशत 12.81 था।

(ख) और (ग) बकाया रकमों की वसूली करने के लिए बैंक पुराने और जान-बूझकर चूक करने वालों के मामलों में कानूनी कार्रवाई करते हैं। यदि दुर्व्यवहार आदि की विशिष्ट

शिकायतें हों तो जांच और उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें सरकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए ।

विद्युतचालित करघों की अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए कानून

4606. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के विद्युतचालित करघों के मालिकों ने उनके मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 1977 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सी॰ ई॰ आर॰/10177 के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस स्थगन आदेश से हथकरघा बुनाई उद्योग के हितों को आघात पहुंचेगा;

(ग) क्या सरकार इस स्थगन आदेश को रद्द करवाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) क्या सरकार विद्युत चालित करघों की अंधाधुंध वृद्धि को रोकने और हथकरघों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को स्थगन से हथकरघा बुनाई उद्योग के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभाव्यता की जानकारी है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस समय विद्युत करघों की वृद्धि को रोकने के लिए विधान लाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन हेतु फैब्रिकों की कतिपय किस्मों के आरक्षण के लिए विधान लाने संबंधी एक प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करना

4607. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों को वहां 6 से 15 वर्षों तक सेवा कर लेने के बाद भी, नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उनकी सेवाएं नियमित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम बोड के 381 कर्मचारियों को बोर्ड में विद्यमान 422 स्थायी पदों के आधार पर पक्का किया जा चुका है। चूंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे बहुत से संस्थानों का केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अधिग्रहण किया गया था इसलिए बोर्ड द्वारा समेकित वरिष्ठता सूची को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड, बाकी स्थायी पदों तथा अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के फलस्वरूप यथासमय उपलब्ध होने वाले पदों पर पात्र कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कार्यवाही करेगा।

उद्योगों में पैट्रो-डालर निवेश

4608. **श्री० एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के किसी देश ने हमारे कुछ उद्योगों में बड़ी मात्रा में पैट्रो-डालर निवेश करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो कितने निवेश की पेशकश की गई है और इन पूंजी निवेशों से कौन-कौन से उद्योग लाभान्वित होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें तेल निर्यात करने वाले विकासशील देशों को निवेश के लिए सरकार द्वारा अब तक दिए गए अनुमोदनों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

तेल निर्यातक विकासशील देशों से भारत में निवेश की सुविधा के अन्तर्गत अनुमोदित मामले

क्रम सं०	भारतीय पार्टी का नाम	तेल निर्यातक विकासशील देशों की इक्विटी का परिमाण	विदेशी इक्विटी के मूल की देश	विनिर्माण की मद
1	2	3	4	5
1. 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान मामले				
(i)	स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र (सिकोम) बंबई	40 प्रतिशत (112 लाख रुपये)	बहरीन	मांस संसाधन
(ii)	ईस्टलैंड कम्बाइंस, त्रिवेन्द्रम	40 प्रतिशत (7.2 लाख रुपये)	आबूधाबी	वाटर कूलर, डीप फ्रीजर
(iii)	हयातकुम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वकीला, केरल	26.7 प्रतिशत (8 लाख रुपये)	लेबनान	मिनरल वाटर
2. अन्य				
(i)	ए० आर० सी० सीमेंट लिमिटेड नई दिल्ली	6.25 प्रतिशत (10 लाख रुपये)	बहरीन	पोर्टलैण्ड सीमेंट

1	2	3	4	5
(ii)	डा० एस० एल० शर्मा और मिस्टर टोनी एन० जशनमल	—	—	—
	(अरब गल्फ इन्वेस्टमेंट कं० प्रा० लिमिटेड) नई दिल्ली	33.3 प्रतिशत (8.3 लाख रुपये)	कुवैत	निवेश परामर्श
(iii)	नलिनीकान्त नंदलाल किलाचन्द बंबई	40 प्रतिशत (300 लाख रुपये)	आबूधाबी	तेल उद्योग के लिए अपतटीय और तटीय प्लेटफार्म
(iv)	प्रदेशीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू० पी०, लखनऊ	40 प्रतिशत (लगभग 65 करोड़ रुपये) सिद्धांततः अनुमोदित	बहरीन	उर्वरक संयंत्र की स्थापना
(v)	जे० पी० रेवा सीमेंट लि०, दिल्ली	28.85 प्रतिशत (7.5 करोड़ रुपये)	दुबई यू० ए० ई०	सीमेंट संयंत्र की स्थापना

कच्चे रेशम का निर्यात

4609. **श्री चिंतामणि जैना :**
श्री अमरसिंह राठवा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कच्चे रेशम का निर्यात किया जाता है, यदि हां, तो 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में वर्षवार कितने कच्चे रेशम का निर्यात किया गया;

(ग) निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है और भारत से कच्चे रेशम का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) देश में कच्चे रेशम की मांग को पूरा करने और निर्यात बढ़ाने के लिए कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यद्यपि कर्नाटक, प० बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा जम्मू व कश्मीर मलवरी कच्चे रेशम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, गैर-मलवरी कच्चा रेशम अधिकतर बिहार, असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है ।

(ख) गत सात वर्षों के दौरान कच्चे रेशम के कोई निर्यात नहीं हुए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) स्वदेशी मांग को पूरा करने तथा साथ ही निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से देश में कच्चा रेशम बढ़ाने के लिए आवश्यक अंतर्निवेश आधार बनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत अनेक ठोस परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । कुछ महत्त्वपूर्ण हैं : कर्नाटक में रेशम उद्योग परियोजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मूगा बीज विकास परियोजना तथा भारत-स्विस टसर परियोजना, जिसमें आठ अन्य राज्य शामिल हैं, को विश्व बैंक द्वारा सहायता दिया जाना । इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय/राज्य योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का और अधिक आबंटन भी किया है ।

ग्रामीण बैंकों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी की योजना

4610. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध में जनवरी, 1984 से कर्मचारियों की भागीदारी की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रम ग्रामीण बैंकों में यह योजना शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बैंक में 1984 में सुरक्षा के अभाव के कारण बैंक और उसके कर्मचारियों को हुई हानि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। इस योजना में मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में, वर्कशाप और संयंत्र स्तर पर श्रमिकों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। सरकारी क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के वास्ते इस योजना में बोर्ड स्तर पर कर्मचारियों को शामिल किए जाने के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने की भी परिकल्पना की गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक बोर्डों की संरचना इन बैंकों के कार्य को नियंत्रित करने वाले कानूनों में निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से लेकर अब तक हुए समय को देखते हुए ऐसा महसूस किया गया है कि इन संस्थाओं में इस योजना को लागू करना अभी समय-पूर्व होगा।

(ग) वर्ष 1984 की पहली छमाही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हुई डकैतियों/लूटपाट की घटनाओं की संख्या और इनमें अंतर्ग्रस्त राशि के आंकड़ों का पता लगाया जा रहा है और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा। डकैती आदि की घटनाओं के कारण अलग-अलग बैंकों को हुई हानि के संबंध में सूचना एकत्र करना व्यवहार्य नहीं है।

एल्गिन टैक्सटाइल मिल्स, कानपुर को भारी घाटा

4611. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्गिन टैक्सटाइल मिल्स, कानपुर को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) उक्त मिल को, गत दो वर्षों के दौरान कुल कितना घाटा उठाना पड़ा है;

(ग) क्या उपरोक्त मिल आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अतिरिक्त कर्मचारियों की छटनी करने अथवा उन्हें दूसरे एककों में स्थानान्तरित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) कम्पनी को वित्तीय वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान क्रमशः 498.52 लाख रु० और 743.58 लाख रु० (अनन्तिम) की हानि हुई।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। मिल के प्रबंधक कानपुर स्थित सूती वस्त्र मिलों के लिए कामगार के मानदंड निर्धारित होने के बाद ही कोई निर्णय लेने की स्थिति में होंगे।

तेल का निर्यात करने वाले विकासशील देशों से भारत में पूंजी निवेश

4612. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल का निर्यात करने वाले विकासशील देशों द्वारा भारत में पूंजी-निवेश को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके द्वारा पूंजीनिवेश किये जाने की शर्तें क्या हैं; और

(घ) विदेशों द्वारा भारत में पूंजीनिवेश के लिए प्राथमिकता वाले किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) दिनांक 28-10-1980 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है, जिसमें तेल निर्यातक विकासशील देशों के लिए सरकार द्वारा स्थापित निवेश सुविधा तथा निवेश संबंधी निर्धारित शर्तों और क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। तेल निर्यातक विकासशील देशों में अल्जीरिया, बहरीन, इकुएडोर, मिस्र, गेबन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मलयेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, ओमान, कातार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेज्वेला सम्मिलित है। एक विवरण भी संलग्न है, जिसमें ऐसे निवेश के संबंध में अब तक सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदनों का एक ब्यौरा संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8705/84**]

भारत-श्रीलंका व्यापार

4613. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 में भारत-श्रीलंका के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1983-84 में इन देशों के बीच व्यापार की स्थिति क्या थी और पिछले वर्ष (1982-83) की तुलना में हुई वृद्धि की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) 1984-85 वित्तीय वर्ष के दौरान श्रीलंका और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1983-84 (अप्रैल, 83 से दिसंबर, 83 तक) में दोतरफा व्यापार के अनन्तिम आंकड़े 102.43 करोड़ रु० थे, जिन्होंने 1982-83 की उसी अवधि की तुलना में 41.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी।

(ग) सरकार श्रीलंका में व्यापार तथा आर्थिक अवसरों की बराबर समीक्षा करती रहती है तथा श्रीलंका के साथ व्यापार से संबंधित व्यापार समर्थन उपाय करती रहती है।

ग्राम एवं डाकघर खरहाड़, हरियाणा के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा मिलिट्री पेंशन जारी किये जाने के लिए आवेदन

4614. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम एवं डाकघर खरहाड़, जिला रोहतक (हरियाणा) के भूतपूर्व सैनिकों से 1 मार्च, 1983 से 31 जुलाई, 1984 तक मिलिट्री पेंशन जारी किए जाने के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) 1 मार्च, 1983 से 31 जुलाई, 1984 तक संसद सदस्यों/पार्षदों के माध्यम से रक्षा मंत्री/रक्षा सचिव को कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ग) उत्तर दिये जाने के लिए अभी तक कितने पत्र लंबित पड़े हैं;

(घ) कितने मामले निपटा लिए गए हैं;

(ङ) मामलों को न निपटाए जाने के लिए क्या कारण हैं;

(च) सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(छ) उन पर और कितना समय लगने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों का रिकार्ड गांवार नहीं रखा जाता है। लेकिन संसद सदस्यों के पत्रों संबंधी रिकार्ड से संयोगवश यह पता चला है कि 1 मार्च, 1983 और 31 जुलाई, 1984 के बीच संसद सदस्यों से चार पत्र प्राप्त हुए थे जिनके साथ उन्होंने गांव व डाकघर खरहाड़ के एक पेंशनर के अभ्यावेदन भेजे थे।

(ग) एक संसद सदस्य का पत्र विचाराधीन है।

(घ) से (छ) ये सभी पत्र और अभ्यावेदन एक ही व्यक्ति के मामले से संबंधित हैं और उस पेंशनर के संबंध में संगत ब्यौरों, जिन्हें भेजने के लिए उससे कहा गया है, के अभाव में उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। महानियंत्रक रक्षा लेखा ने सूचित किया है कि पेंशन भुगतान अधिकारी, रोहतक को अब कहा गया है कि वे पेंशनर से संपर्क करें और कागजात सही पाए जाने पर पेंशन का भुगतान करें।

दानापुर छावनी कार्यकारी अधिकारी और सेना के विरुद्ध शिकायतें

4615. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पटना शाखा को जनवरी, 1984 से मार्च, 1984 तक दानापुर छावनी कार्यकारी अधिकारी और सेना के विरुद्ध जनता और छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितने मामलों का निपटान हो गया है; और

(ग) लंबित पड़ी शिकायतों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

विभिन्न धागों और रेशों पर एकत्र किया गया उत्पादन शुल्क

4616. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान वर्षवार और मात्रावार निम्नलिखित मदों पर कितने उत्पादन शुल्क का बजट में प्रावधान किया गया और कितना वास्तव में एकत्र किया गया;

(एक) नायलोन फिलामेंट यार्न;

(दो) पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर;

(तीन) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न;

(चार) एक्रायलिक फाइबर;

(पांच) विस्कोस फिलामेंट यार्न;

(छः) विस्कोस फाइबर;

(सात) सेलूलोस ब्लेंडेड यार्न; और

(आठ) नान-सेलूलोस ब्लेंडेड यार्न ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : प्रश्न में क्रम संख्या (i) से (vii) के सामने उल्लिखित माल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 18 के अधीन तथा क्रम संख्या (viii) के सामने उल्लिखित माल उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद 18-ङ के अधीन आएगा। बजट-अनुमान टैरिफ मद के लिए समग्र रूप से तैयार किये जाते हैं और ये प्रत्येक टैरिफ मद के अधीन आने वाली समस्त जिन्सों के लिए पृथकतः तैयार नहीं किये जाते हैं।

वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के संबंध में बजट अनुमानों और इन वर्षों के दौरान हुई वास्तविक वसूलियों के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

मानव-निर्मित तन्तु और सूत के संबंध में वर्ष 1980-81 से 1983-84 के संबंध में बजट में उल्लिखित उत्पादन शुल्क की रकम तथा उनसे वास्तव में वसूल हुए उत्पादन शुल्क की रकम

लाख रुपये

क्रम सं०	विवरण	बजट अनुमान				वास्तविक वसूलियां			
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i)	नायलान फिलामेंट सूत					12607	15442	15754	
(ii)	पोलिएस्टर स्टेपल तन्तु					11065	12788	11530	
(iii)	पोलिएस्टर फिलामेंट सूत					8233	11096	15594	87340**
(iv)	एक्रिलिक तन्तु	45189*	49754*	64172*	73075*	304	उपलब्ध नहीं	2883	
(v)	विस्कोस फिलामेंट सूत					4537	5022	3329	
(vi)	विस्कोस तन्तु					1864	2926	1932	
(vii)	कता हुआ सेलूलोसिक सूत***					5140	4401	4052	
(viii)	कता हुआ सेलूलोसिक-भिन्न सूत****	8086	8781	6484	6000	7773	4566	3362	6323

* समस्त टैरिफ मद सं० 18 के संबंध में जोड़।

*** इसमें शतप्रतिशत कता हुआ सेलूलोसिक सूत तथा मिश्रित सूत शामिल है, जिसमें सेलूलोसिक तन्तु भार में अधिक है।

**** इसमें शत-प्रतिशत कता हुआ सेलूलोसिक-भिन्न सूत (मानव-निर्मित) तथा कते हुए मिश्रित सूत शामिल हैं, जिनमें सेलूलोसिक-भिन्न तन्तु भार में अधिक है।

** ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी द्वारा काले धन के संबंध में अध्ययन

4617. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा "इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी", को काले धन के संबंध में अध्ययन करने का जो कार्य सौंपा गया था, उनकी क्या प्रगति है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अथवा प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इससे विषय पर कोई नया प्रकाश पड़ा है; और

(घ) क्या सातवीं योजना के लिए वित्तीय नीति बनाने हेतु अध्ययन के निष्कर्ष उपलब्ध होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) काले धन के संबंध में अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त एवं संस्थान, नई दिल्ली को जुलाई, 1982 में सौंपा गया था। उक्त संस्थान ने अभी कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अध्ययन कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी संभव यत्न किए जा रहे हैं।

बंगलौर एयरपोर्ट पोर्टर्स की समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन

4618. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर एयरपोर्ट पोर्टर्स की शिकायतों और समस्याओं के बारे में बंगलौर एयरपोर्ट सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन पोर्टर्स को प्रारंभ में नागर विमानन विभाग द्वारा भर्ती किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें अभी भी नागर विमानन विभाग के कर्मचारी माना जाता है;

(ङ) क्या सरकार ने बंगलौर के एयरपोर्ट पोर्टर्स का काम गैर-सरकारी ठेकेदारों को दे दिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ठेके की शर्तें क्या हैं;

(छ) क्या बंगलौर एयरपोर्ट के पोर्टरों ने एक सहकारी समिति बनाकर पोर्टर्स का ठेका मांगा है;

(ज) यदि हां, तो क्या उन्हें ठेका देने से इन्कार कर दिया गया है और यह ठेका ऐसी पार्टी को दे दिया गया है जो ठेके की शर्तों को पूरा नहीं करती; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) बंगलौर हवाई अड्डे पर बंगलौर एयरपोर्ट सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा धारित पोर्टरेज लाइसेंस की अवधि के दिनांक 30-4-1984 को समाप्त हो जाने पर नए लाइसेंस देने के लिए टेंडर मंगवाए गए थे। प्राप्त हुए टेंडरों के आधार पर सबसे ऊंचे टेंडर देने वाले श्री जी० एन० चन्द्रशेखरैया को तीन वर्ष की अवधि के लिए 24,000 रुपये प्रति मास के लाइसेंस शुल्क पर पोर्टरेज लाइसेंस देने का निर्णय किया गया। परन्तु यह दिए जाने से पहले ही उक्त सोसायटी ने अदालत से व्यादेश प्राप्त कर लिया जिसमें उक्त लाइसेंस अधिकतम बोली देने वाले को दिए जाने से रोक दिया गया था। उक्त सोसायटी द्वारा दायर किए गए इस मुकदमे को अब खारिज कर दिया गया है और स्थगन आदेश हटा दिया है। श्री जी० एन० चन्द्रशेखरैया को उसके द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन पोर्टरेज लाइसेंस दे दिया गया है ।

उक्त सोसाइटी ने अपने अभ्यावेदन में यह कहा था कि ऐसे लाइसेंस दिए जाने में वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटीज को तरजीह दी जानी चाहिए। इस पहलू की जांच की गयी थी परन्तु वर्तमान नियमों के अधीन तरजीह दिया जाना अनुज्ञेय नहीं है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं है ।

(ङ) उक्त प्राइवेट पार्टी श्री जी० एन० चन्द्रशेखरैया को, जिसने सबसे ऊंचा टेंडर दिया था, अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर देने के बाद बंगलौर हवाई अड्डे पर पोर्टरेज लाइसेंस ले लेने के लिए कहा गया है ।

(च) कारण इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए हैं।

शर्तों का ब्यौरा बंगलौर के हवाई अड्डा अधिकारी से प्राप्त किया जा रहा है तथा सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(छ) बंगलौर की 'दी बंगलौर एयरपोर्ट सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी' बंगलौर हवाई अड्डे पर पोर्टरेज लाइसेंस के टेंडर देने वालों में से एक थी।

(ज) और (झ) प्राप्त हुए चार टेंडरों में से सबसे ऊंचा टेंडर एक प्राइवेट पार्टी अर्थात् श्री जी० एन० चन्द्रशेखरैया का था, जिसने 24,000 रु० प्रति मास की लाइसेंस फी की निधि दी

थी और उक्त सोसाइटी का प्रस्ताव 12,000 रु० प्रति मास था जो सबसे कम था। इसके अनुसार वह पोर्टरेज लाइसेंस सबसे अधिक बोली लगाने वाले श्री जी० एन० चन्द्रशेखरैया को देने का निर्णय किया गया था। उक्त लाइसेंस श्री चन्द्रशेखरैया को उचित रूप से दिया गया है।

सिलघाट, आसाम में सहकारी पटसन मिल का बन्द होना

4619. **श्री विष्णु प्रसाद :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिलघाट जिला नवगंठा, आसाम में स्थापित पहली सहकारी पटसन मिल कुछ समय पूर्व बन्द घोषित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार मिल को पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का है?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि मिल असम की राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है, अत: इस मामले में समुचित कार्यवाही उन्हीं को करनी है।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा "बी" ग्रेड के प्रबंधकों के रिक्त स्थानों को भरना

4620. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक ने राष्ट्रीयकरण के बाद से जनवरी, 1984 तक वर्ष-वार "बी" ग्रेड के प्रबंधकों (मध्यवर्ती प्रबन्धक ग्रेड दो) के कितने रिक्त स्थानों पर रोस्टर के अनुसार कनिष्ठ प्रबंधकों के ग्रेड के अधिकारियों में से वरिष्ठता के आधार पर भरा है; और

(ख) वर्ष 1984 में "बी" ग्रेड के प्रबन्धकों के कितने पद भरे जायेंगे और उनमें से कितने पद अगस्त, 1984 तक भरे गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसके अनुमान के अनुसार वर्ष 1984 में 'बी' ग्रेड के प्रबंधकों (मध्यवर्ती प्रबंधक ग्रेड दो) के लगभग 500 रिक्त स्थान भरे जाएंगे। बैंक द्वारा 247 अधिकारियों की एक नामिका पहले ही जारी कर दी गयी है। शेष रिक्त स्थानों के लिए चयन प्रक्रिया अभी चल रही है।

सहकारी कताई मिलों के एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से आवधिक ऋण सहायता

4621. **श्री भाऊसाहिब थोरट** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कताई मिलों के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता प्राप्त एककों में से 18 परियोजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से आवधिक सहायता अभी प्राप्त होनी है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उन्हें कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता प्राप्त सहकारी कताई मिलों से प्राप्त 16 आवेदन-पत्र वित्तीय संस्थाओं के पास विचाराधीन पड़े हैं।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्यारह आवेदन-पत्रों पर विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जायेगी।

मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में वृद्धि

4622. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के दक्षिणी भागों में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी गिरफ्तारियां की गईं और उनसे कितने मादक पदार्थ प्राप्त किए गए और प्रत्येक मामले में कितने रुपये मूल्य के मादक पदार्थ प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह देश में सक्रिय है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) भारत के दक्षिणी भागों में वर्ष 1982 और वर्ष 1983 में अभिगृहीत हशीश और गांजा की मात्रा की तुलना में वर्ष 1984 के प्रथम छह महीनों के दौरान पकड़े गए इन द्रव्यों की मात्रा से कुछ अधिक है। तथापि, इस क्षेत्र में वर्ष 1982 में पकड़ी गई अफीम की मात्रा की तुलना में इसी अवधि के दौरान पकड़ी गई अफीम की मात्रा कुछ कम रही।

(ख) 1983 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान, भारत के दक्षिणी भागों में, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गोआ, दमण और दीव, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी और दादर एवं नागर हवेली में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, पकड़े गए माल की मात्रा और अभिगृहीत किए गए नारकोटिक द्रव्यों की मात्रा निम्नानुसार है :—

	मामलों की संख्या	अभिगृहीत मात्रा (किलोग्राम में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
अफीम	18	620.765	17
गांजा	233	3666.785	270
चरस	29	24.058	29
मार्फीन	4	0.093 (+) 177 एम्पस० (+) मार्फीन एट्रोपीन का 10 एम्पस०	8
हेरोइन	12	0.296	14

अवैध नारकोटिक द्रव्यों के बाजार-मूल्यों में काफी विभिन्नता होती है, जो अभिग्रहण के समय और स्थान, औषध द्रव्य की शुद्धता आदि पर निर्भर करता है। अतः अभिगृहीत औषध-द्रव्यों की सही-सही रकम के बारे में नहीं बताया जा सकता।

(ग) और (घ) गत कुछ वर्षों के दौरान कुछ विदेशी राष्ट्रिकों को नारकोटिक द्रव्यों की तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। जब कभी भी किसी विदेशी राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया जाता है, तो संबंधित राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्त्तन एजेन्सियों के तालमेल से उचित कार्यवाही की जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालय नरकोटिक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क बने रहते हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित करके तस्करी-निवारण के समुचित उपाय किए जाते हैं। औषध-द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ निकट सहयोग भी बनाए रखा जाता है। मामले पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए इसकी निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है।

बम्बई की गोल्ड मोहर और फिन्ले काटन मिलें

4623. **श्री केशव राव पारधी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में बम्बई की पूर्ववर्ती गोल्ड मोहर और फिन्ले काटन मिल्स नामक मिलों का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद इन मिलों में उत्पादन शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके उत्पादों का नाम अथवा चिह्न (मार्क) क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन कब से शुरू हो जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) फिन्ले और गोल्ड मोहर मिल्स का उत्पादन चिह्न "फिन्ले सौवरिन क्वालिटी" है। इन दोनों मिलों के उत्पादन पर टैक्स मार्क की मोहर भी लगी होती है।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण देना

4624. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण, क्षेत्रीय बैंकों, भूमि विकास बैंकों और अन्य बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिए गए और उन्हें ऋण की कितनी राशि दी गयी;

(ख) उस ऋण में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पृथक-पृथक कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दी गई ऋण राशि में आर्थिक राजसहायता देने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को कितनी आर्थिक राजसहायता दी गयी; और

(ङ) क्या सरकार को गरीबों को ऋण देने में भारी कदाचारों की जानकारी है और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिये गये ऋणों के संबंध में आंकड़े प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के संदर्भ में ही उपलब्ध हैं। बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (20 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक समूह) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं के हिस्से का विवरण नीचे दिया गया है :—

	दिसम्बर, 1980	दिसम्बर, 1981	दिसम्बर, 1982
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम			
खातों की संख्या	6,67,664	7,90,734	8,74,182
	(241133)	(269991)	(328501)
बकाया रकम (करोड़ रुपये)	339	439	510
	(14)	(18)	(23)
जिनमें से अ० ज०/अ० ज० जा० के ऋणकर्त्ता			
खातों की संख्या	1,40,990	1,63,652	2,02,338
	(130092)	(146781)	(157510)
बकाया रकम (करोड़ रुपये)	17	20	25
	(6)	(8)	(10)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत अग्रिमों से संबंधित हैं।

इस अवधि में, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अग्रिम

	दिसम्बर, 1980	दिसम्बर, 1981	दिसम्बर, 1982
खातों की संख्या	1,78,739	3,47,518	4,42,553
बकाया रकम (करोड़ रुपये)	19.53	44.78	67.91

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं के संबंध में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

बिहार के भूमि विकास बैंकों के जो आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं वे केवल दिये गये कुल ऋणों से संबंधित हैं। ये आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

बिहार के भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

	(करोड़ रुपये)
1980-81	14.28
1981-82	29.11
1982-83	20.24

(ग) और (घ) खास-खास कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत ऋणकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो अब देश के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है, अनुसूचित जनजातियों के पात्र हिताधिकारियों के निवेश के 50% तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, लेकिन शर्त यह है कि यह संख्या अधिक से अधिक 5,000 रुपये होगी। जहां तक अनुसूचित जातियों और अन्य हिताधिकारियों का संबंध है, यह आर्थिक सहायता छोटे किसानों के मामले में 25% और सीमांतिक किसानों के मामले में 33.3% तक सीमित है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में आंकड़ों की सूचना देने वाली प्रणाली से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में हिताधिकारियों की संख्या का पता चलता है क्योंकि इस कार्यक्रम में यह पारिकल्पना की गयी है कि इस कार्यक्रम के अधीन सहायताप्राप्त हिताधिकारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों की संख्या कम से कम 30% होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में बिहार में इस कार्यक्रम के संबंध में आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	कुल हिताधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के हिताधिकारी
1981-82	276169	102380
1982-83	362354	135374
1983-84	430145	175924

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों तथा राज्यों की एजेंसियों के नाम कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वियन के लिए मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं। बैंक प्राधिकारियों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे छोटे ऋणकर्त्ताओं के ऋण आवेदनों के निपटान पर नजर रखें। फिर भी हिताधिकारियों से अनियमितताओं अथवा कदाचार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन शिकायतों को दूर करने तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जांच की जाती है।

"बैंक आफ इंडिया 'डील' स्टिल ए मिस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4625. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 जुलाई, 1984 के बम्बई के "फ्री प्रेस जर्नल" में प्रकाशित "बैंक आफ इंडिया 'डील' स्टिल ए मिस्ट्री" शीर्षक समाचार देखा है;

(ख) क्या सरकार ने सी० बी० आई० द्वारा बैंक आफ इंडिया के विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार की जांच कराई है जिसमें अत्यंत जोखिम-भरी लेन-देन हुई थी और जिससे 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था;

(ग) क्या उप महाप्रबंधक के आदेशानुसार "क्रास करेंसी डील" अभी तक जारी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक ने क्रास करेंसी सौदे पहले ही बंद कर दिए हैं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों की कुछ श्रेणियों पर सी० सी० एस० की समाप्ति

4626. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों को जनवरी-मार्च, 1979 के दौरान निर्यात किये गए वस्त्रों की कुछ श्रेणियों पर सी० सी० एस० समाप्त कर दिया था;

(ख) क्या सरकार इस समाप्ति के बारे में वस्त्र निर्यातकों द्वारा दर्ज कराए गए मामलों की सूची सभा पटल पर रखेगी;

(ग) क्या किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय ने सिविल रिट अथवा किसी अन्य मामले में कोई निर्णय दिया है; यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई अपीलों और उनकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त (ख) भाग में उल्लिखित इस प्रकार के सभी मामलों को एस० एल० पी० के द्वारा उच्चतम न्यायालय में लाने का विचार है और क्या एस० एल० पी० दर्ज कर दिए गए हैं और यदि हां, तो एस० एल० पी० का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) संलग्न सूची [**ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 8706/84**] में उल्लिखित विभिन्न परिधान निर्यातकों द्वारा इस संबंध में 133 रिट याचिकाएं/सिविल वाद दायर किये गए हैं । बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालयों द्वारा 46 प्रकरणों में निर्णय दिये गए हैं । मद्रास उच्च न्यायालय की अपेक्षाकृत बड़ी न्यायपीठ में अपीलें तथा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए कार्यवाही की गई है । मामला न्यायाधीन है ।

लखनऊ के अधिवक्ताओं द्वारा कर अपवंचन के बारे में शिकायत

4627. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा कर अपवंचन के विरुद्ध आयकर आयुक्त, लखनऊ के पास बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई आरंभिक जांच पूरी की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) जुलाई और अगस्त, 1984 में इस प्रकार के कितने मामले प्राप्त हुए; और

(घ) कानून के अनुसार कठोर कार्यवाही करने के लिए इस पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) आयकर आयुक्त, लखनऊ ने सूचित किया है कि लखनऊ में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा कर अपवंचन करने की कोई शिकायत जुलाई और अगस्त, 1984 के दौरान उनके पास दायर नहीं की गयी है। तथापि, निरीक्षण निदेशालय (जांच) को हाल ही में एक शिकायत मिली है और उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु आयकर, लखनऊ को भेजा जा रहा है।

लखनऊ के अधिवक्ताओं द्वारा कर अपवंचन के संबंध में आयकर प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतें

4628. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ के अधिवक्ताओं के कुछ समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर आयकर अपवंचन आदि के विरुद्ध आयकर आयुक्त, लखनऊ/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या लखनऊ में प्राधिकारियों को बार-बार सूचना दिये जाने के बावजूद इस प्रकार के दोषियों को दंडित करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके और इन कर अपवंचकों पर कानून लागू किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) आयकर आयुक्त, लखनऊ ने बताया है कि उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, निरीक्षण निदेशालय (जांच) में हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसे आयकर आयुक्त, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्युतकरघा को नियमित करने के आवेदनों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय, बम्बई द्वारा रोका जाना/अस्वीकृत किया जाना

4629. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतकरघा के नियमित करने के अनेक आवेदनों के निपटान को वस्त्र आयुक्त कार्यालय, बम्बई द्वारा केवल पोस्टमैन की इस टिप्पणी कि "पता नहीं/मिला नहीं" के आधार पर रोका गया अथवा अस्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या राज्य वस्त्र प्राधिकरण को, राज्य वस्त्र प्राधिकरण, बम्बई द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के बावजूद पहले जारी किये गए उनके प्रमाणपत्रों में लिखे गए स्थानों से इतर

विभिन्न स्थानों पर विद्युतकरघों की मौजूदगी को सत्यापित करने के लिए कोई पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1980 से अब तक आवेदनों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं और इस प्रकार रोके गए/अस्वीकृत किये गए आवेदनों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कई आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गए हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण के लिए पार्टियों को भेजे गये रजिस्ट्री-पत्र डाक अधिकारियों के पास से इस टिप्पणी के साथ वापस आ गये हैं कि पते पर पार्टियों के बारे में पता नहीं चला है/वे मिले नहीं हैं ।

(ख) विनियमीकरण योजना के अंतर्गत राज्य वस्त्र प्राधिकारी 31 मार्च, 1981 को या उससे पहले गैर सूती धागे पर काम करने वाले अनधिकृत विद्युत करघों के लिए स्थापना के स्थान आदि सहित मौजूदगी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले थे । राज्य वार प्राधिकारियों ने करघों के स्थान के बारे में मौजूदगी प्रमाण-पत्रों में परिवर्तन करने से मना कर दिया है ताकि बाद में अनुमति परमिटों के लिए अनैतिक दावे न हो सकें ।

(ग) एक जून, 1984 की स्थिति के अनुसार नीचे लिखे कारणों से मात्र आयुक्त के कार्यालयों ने 3,773 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये थे :—

(1) आवेदनपत्रों के साथ निर्धारित दस्तावेज या डिमान्ड ड्राफ्ट नहीं थे;

(2) आवेदन-पत्र में और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों में बताए गए तथ्यों में फर्क थे;

(3) आवेदकों को संबोधित प्रश्न डाक अधिकारियों ने पता नहीं/मिला नहीं टिप्पणी के साथ वापस कर दिये;

(4) आगे जांच करने पर करघे मौजूद नहीं पाये गये ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित सहायकों के रिक्त स्थानों को भरना

4630. **श्री पसाला पेंचालैया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में सहायक के ग्रेड में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित कितने ऐसे मूल पद 30 जून, 1979 को खाली पड़े थे जिन पर किसी भी सीधे भर्ती किये गए व्यक्ति को उस तारीख तक नियुक्त नहीं किया गया था, जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1982 के नियम 13 के उपनियम 6(क) में उल्लिखित है;

(ख) उनके मंत्रालय ने सहायक ग्रेड परीक्षा, 1978 के आधार पर भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को कितने मूल पदों की सूचना दी थी; और

(ग) उनके मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा, 1962 के नियम 13 के उपनियम 6(क) के अनुसार सहायक ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से कितनी मूल नियुक्तियां की गईं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय में 30 जून, 1979 को सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) ग्रेड में 16 स्थायी पद सीधी भरती के लिए आरक्षित किए गए थे, जिन पर इस तारीख तक सीधी भरती के किसी सहायक को नियुक्त नहीं किया गया जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली 1962 के नियम 13 के उपनियम 6(क) में उल्लेख किया गया है। इससे पहले सहायक ग्रेड में सहायक ग्रेड परीक्षा, 1978 के आधार पर 11 स्थायी सहायकों की नियुक्ति के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को लिखा गया था।

(ग) छियालीस ।

आयकर विभाग और कर अपवंचकों के बीच संबंध

4631. **श्री दौलत राम सारण :**
श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ मामले सरकार के नोटिस में आये हैं, जहां आयकर विभाग के अधिसूचना स्कंध के ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के रिश्तेदार और बच्चे, इस विभाग और धन छिपाने के लिए पकड़े गए लोगों के बीच एक सम्पर्क का कार्य करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोर्ट ब्लेयर होकर बैंकाक-कलकत्ता/मद्रास के बीच और नई दिल्ली-पोर्ट ब्लेयर के बीच वायु सेवा

4632. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर होकर बैंकाक-कलकत्ता/मद्रास के बीच वायु सेवा प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है और उपयुक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से नई दिल्ली से नागपुर और विशाखापत्तनम के रास्ते से पोर्ट ब्लेयर को एक सीधी विमान सेवा के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार द्वीपसमूहों की दूरी को ध्यान में रखकर पोर्ट ब्लेयर के लिए रियायती माल दरें प्रारंभ करने का है जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में किया गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। तथापि कलकत्ता तथा बैंकाक के बीच एक सीधी उड़ान प्रचलित करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) नागर विमानन विभाग में इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से भी इसकी पुष्टि की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं है।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस अपनी कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर तथा मद्रास-पोर्ट ब्लेयर सेवाओं पर विभिन्न सामान के लाने-ले जाने के लिए पहले ही 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक छूट दे रही है। इन दरों को और अधिक कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"कोफेपोसा" के अंतर्गत गिरफ्तार किये गए तस्कर

4633. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**
श्री सुभाष यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा, जून और जुलाई, 1984 के दौरान, राज्य-वार कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) उनमें से "कोफेपोसा" के अंतर्गत कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) उनके कब्जे से अथवा उनके बताए जाने पर कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : क) जून और जुलाई, 1984 के दौरान तस्करी की गतिविधियों के संबंध में गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 193 और 261 है.।

गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते। तथापि, विभिन्न समाहर्तालियों में गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) 1 जून, 1984 से लेकर 31 जुलाई, 1984 तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन 214 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गए अथवा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंद किये गए तस्करों से अभिगृहीत माल के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यदि माननीय सदस्य गिरफ्तार/नजरबंद किये गए किसी व्यक्ति-विशेष के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विवरण

समाहर्तालय का नाम	वर्ष 1984 के दौरान गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या (अनन्तिम)	
	जून	जुलाई
1	2	3
1. अहमदाबाद सीमा शुल्क (निवारक)	16	19
2. बम्बई (सीमा शुल्क)/बम्बई (सीमा शुल्क) निवारक	49	59
3. पश्चिम बंगाल, सीमा शुल्क (निवारक)/ कलकत्ता (सीमा शुल्क)	27	31
4. पटना, सीमा शुल्क (निवारक)	5	15
5. मद्रास (सीमा शुल्क)	41	43
6. कोचीन (सीमा शुल्क)	—	3
7. विशाखापट्टनम (सीमा शुल्क)	1	—
8. बंगलौर (सीमा शुल्क)	2	2

1	2	3
9. चण्डीगढ़	—	6
10. कोचीन	1	—
11. दिल्ली	12	44
12. गुण्टूर	1	8
13. हैदराबाद	1	1
14. इंदौर	1	—
15. जयपुर	7	2
16. कानपुर	—	1
17. मद्रास	2	6
18. मुदुरै	10	6
19. मेरठ	—	1
20. शिलांग	2	1
21. तिरुचिरापल्ली	15	13
योग	193	261

हथियारों की तस्करी के लिए तस्कर जिम्मेवार

4634. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उनमें हथियारों की तस्करी के लिए, जिसके कारण स्वर्ण मन्दिर में आग्नेयास्त्रों का भारी जमाव हो गया था; कितने तस्कर जिम्मेदार थे;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) वर्ष 1984 (जुलाई तक) के दौरान तस्करी की गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त पाये जाने के सिलसिले में सम्पूर्ण देश में पकड़े गए तस्करों की कुल संख्या 11288* है।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

जहां तक "हथियारों की तस्करी" के कारण स्वर्ण मन्दिर काम्प्लेक्स में आग्नेय अस्त्रों के जमा होने का प्रश्न है, इस संबंध में पंजाब आन्दोलन पर दिनांक 10 जुलाई, 1984 को जारी किए गए श्वेत-पत्र के अध्याय v की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

बम्बई में कुख्यात तस्करों से हथियार बरामद

4635. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजी मस्तान के बम्बई स्थित "आल इंडिया डिल्ले सेक्रेटेरियट" से भारी मात्रा में प्रतिबंधित वस्तुएं और हथियार बरामद किए हैं;

(ख) यदि हां, तो बरामद की गई प्रतिबंधित वस्तुओं और हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों के विरुद्ध वारंट जारी किए गए हैं और कितनों की अभी खोज की जा रही है; और

(घ) उनके विरुद्ध अन्य क्या कार्यवाही की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा "आल इंडिया मिली सेक्रेटेरिएट", बम्बई के परिसर से कोई निषिद्ध माल अथवा हथियार अभिगृहीत नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

कलोल स्थित नवजीवन कपड़ा मिल को पुनः चालू करना

4636. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलोल स्थित नवजीवन कपड़ा मिल को, जिसे पहले बन्द कर दिया गया था, पुनः चालू कर दिया गया है;

(ख) उक्त मिल में उसके बन्द होने से पहले और पुनः चालू किये जाने के बाद कितने-कितने श्रमिक थे;

(ग) क्या उक्त मिल को सही अर्थों में पुनः चालू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) उक्त मिल में उसके बन्द होने से पहले कार्यरत सभी श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स नवजीवन मिल्स, कलोल की नामावली में, इसके बन्द होने से पहले, श्रमिकों की संख्या 2060 थी। इस मिल में 2-8-1984 तक लगभग 300 श्रमिक नियुक्त किये गये थे।

(ग) कताई विभाग से इसे पुन: चालू किया गया और अन्य विभागों को पुन: चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) गुजरात में बन्द पड़ी/रुग्ण मिलों के अध्ययन हेतु नियुक्त अधिकारी समूह द्वारा इस मिल की पुनर्स्थापना के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है। गुजरात सरकार ने इस एकक को एक राहत उद्यम के रूप में अधिसूचित किया है। वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

गाय की चर्बी का आयात

4637. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों के बारे में अब तक पूरी तरह जांच कर ली है जिनमें गाय की चर्बी के आयात की अनुमति दी गयी थी;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसका आयात किया और प्रत्येक पार्टी ने कितनी मात्रा में आयात किया;

(ग) इसे किस प्रयोग में लाया गया; और

(घ) किन-किन देशों से और कितने मूल्य पर इसका आयात किया गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सभी मामलों में जांच तथा विभागीय कार्यवाहियां अभी पूरी नहीं हुई हैं।

(ग) कहा जाता है कि पशु चर्बी साबुन आदि के बनाने में कच्ची सामग्री रूपी मद है। पशु चर्बी का वास्तविक प्रयोग, लागू होने वाले संबद्ध नियम पर निर्भर करेगा।

(घ) जैसा कि जांच तथा विभागीय कार्यवाहियां अभी पूरी करनी हैं, इसलिए उन देशों के नाम बताना संभव नहीं है जहां से पशु चर्बी का आयात किया गया अथवा उनका मूल्य जिस पर ये आयात की गई। तथापि, इसकी सप्लाई के प्रमुख स्रोत हैं : अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया।

पंजाब और सिंध बैंक के कर्मचारियों द्वारा बैंक-शाखाएं बन्द किया जाना

4638. **श्री छांगुर राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और सिंध बैंक के कुछ कर्मचारियों ने पंजाब में सैनिक कार्यवाही किये जाने वाले दिन बैंक की शाखाओं को जबरदस्ती बन्द करने के लिए दबाव डाला था;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उस दिन कितने कर्मचारियों ने छुट्टी ली थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंक के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया, जिसमें पंजाब में सैनिक कार्रवाई के अगले दिन बैंक कर्मचारियों ने जबरदस्ती बैंक की शाखाएं बंद की हों।

(ग) कुछ स्थानों पर पंजाब में सैनिक कार्रवाई किए जाने के अगले दिन कर्मचारियों के आकस्मिक छुट्टी लिए जाने की सूचना है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मृत अफीम उत्पादकों के पुत्रों को दिए गए लाइसेंस

4639. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कोटा-झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में वर्ष 1983-84 के दौरान कितने अफीम उत्पादकों को, उनके पिता के मरने के बाद लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में अधिकारियों ने केवल जिला मुख्यालयों में ही फोती पट्टा लाइसेंस (मृत्य पट्टा लाइसेंस) दिये, जबकि कुछ मामलों में नियमानुसार ब्लाक केन्द्रों पर अफीम के लिए "फोती पट्टा" जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या इन मामलों में सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी जायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जायेगा और तथ्य सदन के सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान जिन अफीम उत्पादकों को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् लाइसेंस दिए गए हैं, उनकी जिलावार संख्या निम्नलिखित है :—

जिला	लाइसेंसों की संख्या
कोटा	215
झालावाड़	301
चित्तौड़गढ़	499
	1015

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित कुल 1015 लाइसेंसों में से, 830 लाइसेंस स्थानीय केन्द्रों पर जारी किए गए थे। बाकी के मामलों में, जहां काश्तकार समझौता-केन्द्रों पर उपस्थित नहीं हुए अथवा संगत कागजात प्रस्तुत नहीं किए, वहां लाइसेंसों की उप-नारकोटिक आयुक्त के सत्यापन एवं अनुमोदन के पश्चात् जिला केन्द्रों पर जारी किया गया था।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि गैर-कानूनी रिश्वत लेने संबंधी दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। विभाग द्वारा उनकी जांच-पड़ताल की गई तथा उन्हें बेबुनियाद पाया गया। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सतर्कता जांच कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में लोहा व्यापारियों के परिसरों पर छापे मारा जाना

4640. **श्री छोटे सिंह यादव :**
श्री दौलत राम सारण :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के उन लोहा व्यापारियों का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों पर एक विशेष अभियान के दौरान जुलाई के प्रथम सप्ताह में छापे मारे गये;

(ख) उपर्युक्त छापों में कितना काला धन बरामद हुआ;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए तथा इस संबंध में कितनी गिरफ्तारियां हुईं;

(घ) क्या पकड़े गए काले धन का कम मूल्यांकन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) आयकर विभाग में मई/

जून, 1984 में दिल्ली के निम्नलिखित लौह-व्यापारियों की तलाशियां लीं :—

1. मैसर्स सी० बी० गुप्ता एण्ड कम्पनी
2. मैसर्स एम्पायर सेफ कम्पनी
3. मैसर्स आर० आर० स्टील ट्रेडर्स
4. मैसर्स राजा आयरन फैक्टरी
5. मैसर्स दुर्गा टिम्बर वर्क्स
6. मैसर्स जसवन्त सिंह भाटिया एण्ड सन्स
7. मैसर्स रायल सेफ कंपनी
8. मैसर्स किंग सेफ कम्पनी
9. मैसर्स लायड सेफ कम्पनी
10. मैसर्स करम चन्द राम प्रकाश अग्रवाल
11. मैसर्स भगत राम चुन्नी लाल मरवाह
12. मैसर्स मिलाप आयरन सिन्डिकेट्स
13. मैसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग वर्क्स
14. मैसर्स एम० आर० काटेज इन्डस्ट्री
15. मैसर्स पंजाब आयरन स्टोर्स
16. मैसर्स यूनिवर्सल स्टील कम्पनी

कुछ मामलों में तलाशी की कार्यवाहियां जुलाई, 84 के तीसरे सप्ताह तक जारी रहीं।

(ख) तलाशी के परिणामत: लगभग 94.89 लाख रुपये मूल्य की प्रथमदृष्ट्या लेखा बाह्य नकदी, स्टाक आदि पकड़े गये। आयात की गई कुछ चद्दरों को प्राप्त किये जाने के स्रोत का पता लगाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत रोक लिया गया है।

(ग) तलाशियों के दौरान गिरफ्तार कर सकने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई उपलब्ध नहीं है। पकड़े गये कागजातों की छानबीन के बाद उपयुक्त मामलों में अभियोजन के मामले दायर किये जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"टैक्स चोरी बढ़ रही है" शीर्षक से समाचार

4641. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1984 के दैनिक "जागरण" में "टैक्स चोरी बढ़ रही है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित तथ्य सही है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वास्तविक तथ्य क्या हैं;

(ग) कर चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और करवंचना में लगे हुए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) करवंचना के लिए दण्डित किए गये लोगों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनसे करों की कितनी राशि वसूली की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में दो रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण

4642. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की दो रुग्ण मिलों के राष्ट्रीयकरण संबंधी कोई मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह वित्तीय संस्थाओं के साथ परामर्श करते हुए इन मिलों में से एक को पुन: खोलने के प्रयास करे। अन्य मामले में राज्य सरकार से इसकी भावी व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश में कालीन बुनायी प्रशिक्षण केन्द्र के क्षेत्रीय प्रशासनिक कक्ष के अन्तर्गत काम करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का स्थानान्तरण

4643. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कालीन बुनायी प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्रीय प्रशासनिक कक्ष के अंतर्गत काम करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के पहली जुलाई, 1983 से पहली जुलाई, 1984 तक कितने स्थानान्तरण किए गए तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके वेतन आदि की अदायगी में विलम्ब हुआ और अदायगी रोक ली गई;

(ग) क्या भाग (क) और (ख) में उल्लिखित घटनाओं में वृद्धि का पता चलता है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अवधि के दौरान स्थानान्तरित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या 24 है। ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

समूह ख	1
समूह ग	13
समूह घ	10
योग :	24

(ख) उनके द्वारा ली गयी अग्रिम धनराशि की बकाया राशि के निर्धारण न होने की वजह से एक अधिकारी का वेतन, फरवरी-मई, 1984 के दौरान रोक लिया गया था। बाद में इन देनदारियों को तय कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स सुदर्शन कर्माशियल फाइनेंस कारपोरेशन मद्रास

4644. **श्री सूरज भान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कौंध चिट्स एंड कर्माशियल कारपोरेशन प्रा० लि०, 158 मार्किट रोड, मद्रास को मैसर्स सुदर्शन फाइनेंस कारपोरेशन यूनिट ने इस वर्ष के आरंभ में अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, यमुनानगर, चंडीगढ़ और हरियाणा तथा पंजाब के अनेक अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय बंद करके इन स्थानों के लोगों के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को ऐसी शिकायतें मिली थीं जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि कौंध चिट्स एंड कर्मशियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, 158, मार्किट रोड, मद्रास की एक यूनिट सुदर्शन फाइनेंस कारपोरेशन ने इनाम की राशि का भुगतान नहीं किया और कुछ स्थानों पर अपनी शाखाएं भी बंद कर दी हैं। जांच करने पर, कम्पनी द्वारा यह बताया गया है कि ये शाखाएं पंजाब और हरियाणा में दंगों के कारण बंद कर दी गयी थीं। कम्पनी ने सूचित किया है कि उक्त शाखाओं को यथासंभव शीघ्र खोलने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइंस की टिकटों का दुरुपयोग

4645. **श्री राजनाथ-सोनकर शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के टिकट हस्तांतरणीय हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो जिन लोगों के नाम यात्री सूची में नहीं होते वे इंडियन एयरलाइंस के विमानों में कैसे यात्रा करते हैं जैसा कि 22 जुलाई, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में जगन्नाथ की हवाई यात्रा की जांच गुप्तचर ब्यूरो ने की थी, शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। किसी एक व्यक्ति को जारी किया गया टिकट दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तथापि, एक एयरलाइंस द्वारा जारी किये गए टिकटों को दूसरी एयरलाइनों द्वारा प्रयोग में लाये जाने के लिए पृष्ठांकित किया जा सकता है।

(ख) पटना-रांची क्षेत्रक के लिए 12 मार्च, 1984 की आई० सी० 409 में यात्रियों की सूची में डा० जगन्नाथ मिश्र का नाम शामिल नहीं है। समाचार में उल्लिखित ऐसी कोई जांच खुफिया ब्यूरो द्वारा नहीं की गई है।

बंगलादेश द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान किये बिना भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्तियों का निपटान करने का निर्णय

4646 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धकेश्वरी काटन मिल्स लिमिटेड कलकत्ता से, जिसकी ढाका में अपनी शाखा है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा गया अभ्यावेदन मिल गया है;

(ख) क्या इसमें उन्होंने बंगलादेश सरकार के, क्षतिपूर्ति के भुगतान का कोई प्रावधान किये बिना भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति को निपटाने के कथित निर्णय के बारे में उल्लेख किया है; और

(ग) क्या सरकार ने मामले का समाधान करने और उस देश में भारतीयों की सम्पत्तियों के निपटारे को रोकने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ मामले पर विचार करने के लिए कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सरकार को वैध स्वामियों को समुचित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कोई प्रावधान किये बिना भारतीय राष्ट्रिकों से संबंधित सम्पत्तियों का निपटान करने के लिए बंगलादेश के कथित निर्णय के संबंध में मैसर्स धकेश्वरी काटन मिलस लि०, कलकत्ता से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) भारत सरकार बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क में रही है कि उनके द्वारा निहित सम्पत्तियों का निपटान स्वामियों की सहमति के बिना अथवा दोनों देशों के बीच क्षतिपूर्ति के प्रश्न को तय किये बिना न किया जाए। सरकार इन सम्पत्तियों के वैध स्वामियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अब भारत में हैं, के हितों को ध्यान में रखते हुए बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ मामले का अनुसरण करती रहेगी।

थलसेना में "एडजूटेंट जनरल" के निधि कार्यालय में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विरोध

4647. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**
श्री राम सिंह शाक्य :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एक्स सर्विसमैन प्राटेस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सेवा शर्तों और जो पुनरीक्षा के पश्चात् आने वालों की सेवा शर्तों का ब्यौरा क्या है तथा परिवर्तनों के कारणों सहित दोनों के मध्य मुख्य अंतर क्या है;

(ग) थल सेना में "एडजुटेंट जनरल" के निधि कार्यालय और अन्य दो सेनाओं में कितने भूतपूर्व सैनिक कार्य करते हैं और उनकी सेवा शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें क्या हैं तथा क्या सरकार का कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (आई) जैसे संस्थानों सहित उनकी नियुक्ति/भर्ती के लिए कुछ मार्ग-निर्देशी सिद्धांत निर्धारित करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एड्जूटेंट जनरल ब्रांच द्वारा नियंत्रित निधियों का कार्यालय एक प्राइवेट कार्यालय है। यह कार्यालय एड्जूटेंट जनरल द्वारा गैर-सरकारी निधियों के नियंत्रण के लिए

स्थापित किया गया है । इस प्रकार इस कार्यालय/निधि पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है । तथापि सरकार को यह सूचित किया गया है कि इस कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे में कुछ असमानता है तथा इसमें कुछ कर्मचारी उसी रैंक के कार्यरत कार्मिकों की अपेक्षा अधिक वेतन ले रहे हैं । ये निधियां सशस्त्र सेना के कार्मिकों के कल्याण के लिए हैं । इसलिए इस निधि के संचालकों ने यह महसूस किया कि अपने कर्मचारियों के वेतन-ढांचे की गहराई से जांच की जाए ताकि इन निधियों का एक बड़ा भाग इसकी प्रबंध व्यवस्था पर गैर-आनुपातिक रूप से खर्च न हो ।

मेडिकल बोर्ड की बैठक विलंब से होने के कारण विकलांगों को कारों के आयात की अनुमति दे देना

4648. **डा० वसंत कुमार पंडित :**
श्री भीम सिंह :
श्रीमती प्रमिला दंडवते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मई, 1983 की अधिसूचना संख्या 152/83-कस्टम के अनुसरण में डिसेबिलिटी कंट्रोल उपकरणों से लैस कार के आयात के लिए चिकित्सा बोर्ड का गठन दिल्ली में फरवरी, 1984 में किया गया था और इसने मार्च, 1984 से कार्य आरम्भ किया और पहला चिकित्सा प्रमाण-पत्र मार्च, 1984 के तीसरे सप्ताह में जारी किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या जिस विकलांग व्यक्ति को मार्च, 1984 के तीसरे सप्ताह में चिकित्सा प्रमाण-पत्र मिला वह 30 अप्रैल, 1984 से पूर्व कार का आयात कर पाया था और दिल्ली में कितने व्यक्तियों द्वारा कार का आयात किया गया;

(ग) क्या सीमा-शुल्क विभाग द्वारा चिकित्सा बोर्ड का विलंब से गठन किये जाने के कारण बहुत से विकलांग व्यक्ति इस लाभ से वंचित रहे; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिसूचना/संख्या 160/84-कस्टम के अंतर्गत कार के डिस्पैच के संबंध में लगाई गई अतिरिक्त शर्त को हटा देने का है; यदि नहीं, तो सरकार का उन मामलों में क्या कार्रवाई करने का विचार है, जिनमें चिकित्सा प्रमाण-पत्र मार्च/अप्रैल में जारी किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं । मेडिकल बोर्ड का गठन सीमा-शुल्क समाहर्ता, दिल्ली द्वारा नवंबर, 1983 में किया गया था । तथापि, उसका पुनर्गठन फरवरी, 1984 में किया गया था । प्रथम चिकित्सा प्रमाण-पत्र को दिल्ली में स्थापित मेडिकल बोर्ड द्वारा नवंबर, 1983 में जारी किया गया था । आयातकर्ताओं को, आयात-पत्तन पर स्थित मेडिकल बोर्ड का प्रयोग करने की भी छूट दी गई थी ।

(ख) औस (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिनांक 22 मई, 1984 की अधिसूचना सं० 160/84-सीमा-शुल्क, दिनांक 31-7-1984 को समाप्त हो चुकी है और मीयाद-बाहर हो गईं किसी अधिसूचना की किसी शर्त में छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अधिसूचना की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, चिकित्सा प्रमाणपत्र वाले जो व्यक्ति कारों का आयात करना चाहते हैं, उन्हें एक आयात लाइसेंस प्राप्त करना होगा और कार पर सामान्य शुल्क अदा करना होगा।

पूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा दवाओं की खरीद

4649. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशक, समय-समय पर देश में विभिन्न निर्माताओं से ठेका दरों पर प्रति वर्ष दवाईयां खरीदते हैं;

(ख) सरकार द्वारा खरीदी गई विभिन्न आवश्यक और गैर-आवश्यक दवाओं के मूल्यों में, पैकिंग के बिना, प्रति यूनिट मूल्य और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा इन्हीं उत्पादों के घोषित किये गए अग्रणी (लीडर) मूल्य में क्या अंतर है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि इस नीति से आवश्यक तथा गैर आवश्यक दवाओं के बाजार मूल्यों में वृद्धि नहीं हो?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, दर-संविदा के आधार पर, कुछ दवाईयां प्रति वर्ष खरीदता है।

(ख) से (घ) नियंत्रित उत्पादों के मामले में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन, ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारित करके, अधिकतम मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। ठेके करने से पहले पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, निविदाकारों द्वारा प्रस्तावित किये गए मूल्यों की, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गए अधिकतम फुटकर मूल्यों से तुलना करता है, ताकि प्रस्तावित मूल्यों के औचित्य की जांच की जा सके। इस प्रकार से, ठेका देते समय, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, इस पर विचार करता है कि क्या फर्म, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को उतनी छूट देती है, जितनी छूट एक थोक व्यापारी को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन दी जा सकती है। इस प्रकार से, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, अधिकतम फुटकर मूल्य से कम मूल्य पर औषधियों की खरीद करता है। अतः पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली खरीद से दवाईयों के बाजार-मूल्य में वृद्धि नहीं होती।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रम

4650. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उद्योगों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1980 से अब तक सरकारी क्षेत्र में कितने केन्द्रीय उपक्रम स्थापित किए हैं;

(ख) उस राज्य में सातवीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में कितने केन्द्रीय उपक्रम स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में अधिग्रहीत रूप से कुल चार केन्द्रीय सरकारी उपक्रम स्थापित किये गये हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में लगी पूंजी में भी काफी वृद्धि हुई है। 31-3-1980 को पश्चिम बंगाल स्थित केन्द्रीय सरकार उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के मूल्य के रूप में 1540.39 करोड़ रुपये की लगी पूंजी बढ़कर 31-3-83 को 2394.14 करोड़ रुपये हो गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसीलिए इस स्थिति में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

4651. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के गढचिरौली, चन्द्रपुर और नागपुर जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं और किन-किन स्थानों पर खोली गयीं और वे किन-किन तारीखों को खोली गयीं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन जिलों के आम आदमियों को बैंकों की इन शाखाओं द्वारा कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ग) उससे कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली से जमा और अग्रिमों के सम्बन्ध में शाखावार सूचना प्राप्त नहीं होती। ऐसा महसूस किया जाता है कि अलग-अलग बैंक/शाखाओं से सूचना एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा, वह प्राप्त होने वाले उद्देश्य को देखते हुए कहीं अधिक होगा।

उदार पेंशन संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन

4652. **श्री अनवार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में उदार पेंशन आदेशों को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन श्रेणियों को उसका लाभ हुआ है;

(ग) क्या इन आदेशों में परिवार-पेंशन पाने वालों को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, जिसमें पेंशन पाने वाले सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों को शामिल किया गया है, उक्त पेंशन आदेशों को परिवार-पेंशन पाने वालों पर भी लागू करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) निम्न प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी लाभान्वित होते हैं : (1) निवृत्ति पेंशन, (2) अधिवार्षिकी पेंशन, (3) मुआवजा पेंशन, (4) अशक्तता पेंशन, (5) अनुग्रह भत्ता और (6) अनिवार्य निवृत्ति पेंशन।

(ग) से (च) परिवार पेंशन पूर्णतया भिन्न आधार पर निर्धारित की जाती है, न कि 1979 के उदारीकृत पेंशन आदेशों के आधार पर। इसलिए, इस श्रेणी के पेंशनभोगियों से उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कोई संबंध नहीं है।

घटिया किस्म के कारण भारत के विदेश व्यापार में गिरावट

4653. **श्री वी० डी० सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश व्यापार में गिरावट के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि भारतीय वस्तुएं घटिया किस्म की होती हैं;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जांच निर्यात जांच परिषद् द्वारा कराए जाने की बजाए उनकी जांच निजी एजेंसियों द्वारा कराई जाती है;

(ग) क्या भारतीय वस्तुओं की किस्म में गिरावट के लिए यह व्यवस्था भी जिम्मेवार है; और

(घ) इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा किए गये निर्यातों का सरकार तथा साथ ही गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

25 प्रमुख औद्योगिक गृहों द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों को देय बकाया राशि

4654. **श्री वृद्धि चंद्र जैन :**
श्री सूरज भान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 को 25 प्रमुख औद्योगिक गृहों में से प्रत्येक के द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों को कुल कितनी राशि देय थी; और

(ख) 31 मार्च, 1980, 31 मार्च, 1981, 31 मार्च, 1982 और 31 मार्च, 1984 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को 20 बड़े औद्योगिक घरानों में से प्रत्येक के नाम देय बकाया राशियों के संबंध में सरकार के पास तुरन्त उपलब्ध सूचना 31 दिसम्बर, 1981, 31 दिसम्बर, 1982, 31 दिसम्बर, 1983 और 31 जनवरी, 1984 की स्थिति ही उपलब्ध है जो संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

औद्योगिक घरानों के नाम	बकाया राशि (लाख रुपये)			
	31-12-1981	31-12-1982	31-12-1983	31-1-1984
1. टाटा	—	30.66	-7.08	7.04
2. बिड़ला	4.44	137.62	99.70	87.93
3. मफतलाल	96.71	8.75	9.51	4.19
4. जे० के० सिंघानिया	144.71	143.21	167.95	161.42
5. थापर	158.73	254.58	372.43	196.01
6. ए० सी० सी०	—	5.95	7.50	—
7. आई० सी० आई०	51.03	84.67	14.30	—
8. साराभाई	10.29	17.22	0.12	—
9. बंगुर	0.13	17.88	38.26	38.25
10. किर्लोस्कर	281.44	226.66	266.37	25.76
11. रिलायंस टैक्सटाइल्स	0.31	—	3.01	—
12. श्रीराम	18.41	1.67	—	—
13. अशोक लेलैंड	—	—	1.71	—
14. हिन्दुस्तान लीवर	—	—	—	—
15. मोदी	55.03	64.42	153.61	130.32
16. सिंदिया	—	—	—	—
17. टी० वी० एस० आयंगर	—	3.40	—	—
18. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	—	—	—	—
19. लार्सन एण्ड टूब्रो	—	—	—	—
20. बजाज	0.90	10.72	4.93	6.44
जोड़ :	822.13	1007.41	1146.48	657.36

सेना से भागने की घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच

4655. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री के० ए० स्वामी :
श्री एम० अरुणाचलम :

क्या **रक्षा मंत्री** रामगढ़ से भागने की उच्च स्तरीय जांच के बारे में 27 जुलाई, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कितने सैनिक भागे, शस्त्रागार से कितना गोलाबारूद लूटा गया तथा वे कितने वाहन अपने साथ ले गए;

(ग) क्या सभी भगौड़े इस बीच पकड़ लिए गए हैं मारे गए हैं अथवा लापता हैं और उनसे गोला-बारूद और वाहन बरामद कर लिए गए यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस विद्रोही कार्रवाई में किसी विदेशी हाथ अथवा तत्व के होने का पता चला है; और

(ङ) सेना कर्मियों द्वारा विद्रोह को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाने की सिफारिश की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) जांच अदालत की कार्यवाही पूरी हो जाने पर ही सैनिकों की संख्या शस्त्र गोला-बारूद की मात्रा, वाहनों की संख्या और उन एजेंसियों के नाम, जिनका इस मामले में हाथ था, के बारे में सूचना उपलब्ध हो सकेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कर्नाटक में लघु उद्योगों को पर्याप्त ऋण दिया जाना

4656. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कर्नाटक और बिहार राज्यों में दिए जाने वाले ऋण लघु उद्योगों के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त ऋण न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंरों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और बिहार राज्यों में लघु उद्योगों के विकास के लिए दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन ऋणों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने की कर्नाटक और बिहार में लघु उद्योगों को पर्याप्त ऋण दिए जाएं, केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान कर्नाटक और बिहार में लघु उद्योगों को दिए गए ऋण के सम्बन्ध में, आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(राशि लाख रुपयों में)

दिसम्बर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	कर्नाटक		बिहार	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1980	53957	186	44365	82
1981	73387	228	53518	102
1982	78531	266	52521	120

उक्त आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कर्नाटक और बिहार के राज्यों में लघु उद्योगों को दिए गए बैंक ऋणों में वृद्धि हुई है। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे मार्च, 1985 तक अपने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को बढ़ाकर अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक ले आएं। लघु उद्योगों में कमजोर वर्गों जैसे कारीगरों, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्राथमिकता क्षेत्र को, जिसमें कारीगर, ग्राम तथा कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, दिये जाने वाले ऋण मार्च, 1985 तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के 25 प्रतिशत स्तर तक पहुंच जाने चाहिए। बैंकों से राशि का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण करने की भी अपेक्षा की जाती है।

राजस्थान में सैन्य अभ्यासों के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा

4657. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने राजस्थान के बीकानेर जिले में लूनकरनसर तहसील के 32 गांवों के क्षेत्र में फाइरिंग रेंज शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह फायरिंग रेंज किस तारीख से चालू हुई है;

(ग) सैन्य अभ्यास वर्ष में कितने महीने होता है;

(घ) अभ्यास के दौरान इन गांवों के निवासियों और पशुओं के बाहर न आने देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन गांवों में खेती करने पर भी प्रतिबन्ध हैं;

(च) क्या इन 32 गांवों के किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए कोई मुआवजा दिया है;

(छ) क्या इन किसानों को भूमि के लिए कोई मुआवजा दिया गया है अथवा उनकी अपनी भूमि के बदले में कोई और भूमि दी गई है; और

(ज) यदि किसान गांवों को खाली करते हैं तो क्या उनके घरों के लिए मुआवजा दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) मैनोवर फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टीलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के अन्तर्गत अधिसूचित महाजन रैंज नामक एक फील्ड फायरिंग रैंज इस क्षेत्र में 1975 से मौजूद है। फील्ड फायरिंग प्रत्येक वर्ष दिसम्बर और जुलाई के बीच में लगभग 100 दिन चलती है।

(घ) वास्तविक फायरिंग के दौरान क्षेत्र में रहने वाले लोगों और पशुओं को वहां नहीं आने दिया जाता है।

(ङ) वास्तविक फायरिंग के अलावा दूसरे दिनों में इस रैंज में खेती करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(च) यदि फसलों को वास्तविक नुकसान पहुंचता है तो सेना और जिला सिविल अधिकारी मिलकर गांव वालों को देय मुआवजा निर्धारित करते हैं।

(छ) और (ज) जब इस रैंज के लिए वास्तव में भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो प्रभावित भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत उचित मुआवजा दिया जाएगा।

कमजोर वर्गों और स्व-रोजगार योजनाओं के लिए ऋण मंजूर करने हेतु मार्ग निर्देश

4658. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (एक) कमजोर वर्गों; (दो) स्वरोजगार योजनाओं और (तीन) जनता प्रतिनिधियों की सिफारिशों पर ऋण मंजूर करने संबंधी मार्ग निदेश क्या है;

(ख) ऋण मंजूर करने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है; और

(ग) ऋणों की वापसी सम्बन्धी नियम और शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अधीन छोटे ऋणकर्ताओं और कमजोर वर्गों को और अधिक ऋण देने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता है। नए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका विषयक कार्यकारी दल सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1983 में ये अनुदेश जारी किये थे कि बैंकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कमजोर वर्गों की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी हिताधिकारियों के वास्ते विभिन्न राज्य विकास एजेंसियों के परामर्श से समुचित अर्थक्षम योजनाएं तैयार की जाएं और उनके पर्याप्त वित्त की व्यवस्था की जाए।

विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को 5,000 रुपए तक के बहुत रियायती सावधि ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ऋण लेने वाले व्यक्ति से कोई मूर्त जमानत या अन्य पक्षीय गारंटी नहीं मांगी जाती। लेकिन उसे बैंक ऋण से खरीदी गई परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना होता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को, उनके लिए उत्पादन परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करके, 3,500 रुपए वार्षिक से ऊपर के आय-स्तर तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के अधीन छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत तक और सीमान्तिक किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक पूंजीगत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जनजातीय हिताधिकारी 5,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अन्दर-अन्दर 40 प्रतिशत की दर से पूंजीगत आर्थिक सहायता के पात्र होते हैं। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम से भिन्न इलाकों के अलग-अलग परिवार 3,000 रुपए तक और सूखा अशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के इलाकों के अलग-अलग परिवार 4,000 रुपए तक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

15 अगस्त, 1983 को एक स्वरोजगार योजना का श्रीगणेश किया गया था जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को मिली-जुली सहायता से उद्योग, सेवाओं और व्यापार में नए धन्धे शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना 18-35 वर्ष के मैट्रिक पास या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवकों के लिए यह योजना दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों को छोड़कर सारे देश में लागू है। सम्बद्ध क्षेत्रों के लीड बैंकों के परामर्श से जिला उद्योग केन्द्र स्वरोजगार योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडिल एजेंसी के रूप में काम करते हैं और इस संदर्भ में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र ने बैंकों को मामलों की सिफारिश करने से पहले भावी हिताधिकारियों की प्रारंभिक जांच करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है। इस योजना के अधीन पात्र उद्यमकर्ता पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत की ब्याज दर से और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की ब्याज दर से 25,000 रुपए से अनधिक के संमिश्र ऋण प्राप्त कर सकते है। ये हिताधिकारी ऋणों की कुल राशि (अर्थात् सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी के साथ) का 25 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। बैंकों को स्वरोजगार योजना के अधीन ऋणकर्ताओं से सांपाश्विक प्रतिभूति अथवा तीसरे पक्ष की

गारंटी की मांग नहीं करनी चाहिए। बैंक के वास्ते यह प्रतिभूति बैंक वित्त द्वारा निर्मित सम्पत्ति होगी।

(ख) साधारणतः 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा के सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े और 25,000 रुपए से अधिक राशि के ऋण आवेदनों को 8 से 9 सप्ताहों के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।

(ग) सामान्यतः सभी ऋण आवेदनों के सम्बन्ध में वापसी अदायगी कार्यक्रम, धन्धे को बनाए रखने की अपेक्षाओं, अधिशेष निर्माण क्षमता, न लाभ न हानि के स्तर, परिसम्पत्ति की आयु आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए न कि तदर्थ आधार पर। कारीगरों, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के वास्ते 25,000 रुपए तक के संमिश्र ऋणों के सम्बन्ध में वापसी अदायगी की समय-सारिणी (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अपेक्षाओं के पूरा हो जाने की स्थिति में) केवल सावधि ऋण संघटक के वास्ते निर्धारित की जाए।

विभिन्न योजनाओं के लिए मित्र देशों द्वारा ऋण और सहायता

4659. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मित्र देशों देशों ने योजना और कार्यक्रमवार कितने ऋण और सहायता उपलब्ध कराई;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा कितने ऋणों औरसहायता का आश्वासन दिया गया और अब तक कितने ऋण और सहायता दी गई है; और

(ग) छठी योजना के दौरान राज्यों ने ऐसे ऋणों और सहायता के लिए किन योजनाओं और कार्यक्रमों का सुझाव दिया तथा सरकार ने राज्यवार किस-किस योजना, कार्यक्रम को मंजूरी दी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) यह सूचना संसद में यथाप्रस्तुत 1984-85 के केन्द्रीय सरकार के बजट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध IV में दी गई है।

(ख) 31-3-1984 तक प्राधिकृत तथा प्रयुक्त ऋणों और अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर योजनाओं के नामों और कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया जाता है और उन अनुमोदित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा, जिनके लिए सहायता स्वीकृत दी गई है और उसका उपयोग कर लिया गया है, विदेशी सहायता पुस्तिका 1982-83 में दिया गया है जिसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

विवरण

विदेशों से अब तक (31-3-84 की स्थिति के अनुसार) प्राधिकृत और संयुक्त ऋणों और अनुदानों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	देश का नाम	प्राधिकृत सहायता			सहायता का उपयोग		
		ऋण	(अनुदान)	जोड़	ऋण	(अनुदान)	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आस्ट्रिया	35.50	1.71	37.21	42.64	1.71	44.35
2.	आबूधाबी निधि	12.92	—	12.92	14.27	—	14.27
3.	बेल्जियम	71.41	1.12	72.53	82.76	1.12	83.88
4.	कनाडा	630.04	634.80	1264.84	569.26	626.08	1195.34
5.	चेकोस्लावाकिया	166.10	0.63	166.73	98.04	0-63	98.67
6.	डेनमार्क	77.37	13.22	90.59	70.72	11.56	82.28
7.	जर्मन संघीय गणराज्य	1610.96	45.88	1656.84	1794.26	43.93	1838.19
8.	फ्रांस	765.10	3.75	768.85	603.84	3.75	607.59

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हंगरी	12.80	—	12.80	12.27	—	12.27
10.	इराक	217.59	—	217.59	157.15	—	157.15
11.	इटली	69.71	—	69.71	35.83	—	35.83
12.	जापान	998.30	50.78	1049.08	1236.54	42.64	1279.18
13.	कुवैत निधि	164.43	—	164.43	107.74	—	107.74
14.	नीदरलैण्ड	381.43	147.00	528.43	593.68	102.51	696.19
15.	न्यूजीलैण्ड	0.33	10.78	11.11	0.33	10.78	11.11
16.	स्वीडन	—	403.45	403.45	—	363.10	363.10
17.	पोलैण्ड	36.62	—	36.62	36.62	—	36.62
18.	साऊदी निधि	76.18	—	76.18	78.00	—	78.00
19.	स्विट्जरलैण्ड	42.32	34.04	76.36	33.17	32.54	70.71
20.	यू० के०	1187.41	1817.75	3005.16	1228.83	1565.53	2794.36
21.	संयुक्त राज्य अमेरिका	4453.50	314.18	4767.68	4562.91	249.11	4812.02
22.	रूस	1700.24	10.15	1710.39	1060.28	9.63	1069.91
23.	यू० ए० ई०	52.50	—	52.50	61.44	—	61.44
24.	यूगोस्लोविया	18.18	—	18.18	18.18	—	18.18

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	नार्वे	—	21.76	21.76	—	0.17	0.17
26.	आस्ट्रेलिया	—	110.00	110.00	—	110.00	110.00
27.	कुवैत	—	12.03	12.03	—	12.03	12.03

टिप्पणी—

1. प्राधिकृत राशि को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समान दर पर दिखाया गया है।

2. प्रयुक्त राशि का हिसाब 21-3-74 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समान दर पर और इसके बाद विदेशी मुद्रा की चालू दर पर लगाया गया है।

3. उपर्युक्त आंकड़ों में संयुक्त राज्या अमेरिका की पी० एल०-480 सहायता शामिल नहीं है।

बीमा पालिसीधारियों को नियमित प्रीमियम नोटिस

4660. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कई पालिसीधारियों ने यह अनुभव किया है कि उन्हें अपने प्रीमियम नोटिस नियमित रूप से प्राप्त नहीं होते हैं;

(ख) क्या इसके कारण कई नई पालिसियां व्यपगत हो गई हैं;

(ग) जीवन बीमा निगम का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि यह न होने पाये; और

(घ) प्रीमियम के भुगतान न किए जाने के कारण जीवन बीमा निगम की व्यपगत हो रही पालिसियों का औसत प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जब किसी पालिसी के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि की समाप्ति से पहले नहीं दिया जाता तो उस पालिसी को व्यपगत माना जाता है। पालिसीधारक विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से, जिनमें तात्कालिक वित्तीय समस्याएं भी शामिल हैं, प्रीमियमों का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

यद्यपि प्रीमियम नोटिस जारी करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, फिर भी जीवन बीमा निगम वस्तुतः अपने सभी पालिसी धारकों को प्रीमियम नोटिस जारी करता है। ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें पालिसीधारकों को प्रीमियम नोटिस नहीं मिलते, अपेक्षाकृत कम हैं।

जीवन बीमा निगम, पालिसी धारकों को उन्नत सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से, जिसमें बिना किसी चूक के प्रीमियम नोटिस भेजना भी शामिल है, अपने तंत्र को सरल और कारगर बनाने के लिए अपनी यूनिट रिकार्ड मशीनों के स्थान पर आंकड़े संसाधित करने की आधुनिक प्रणाली के संस्थापन्न के लिए एक कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवधिक ऋण और कार्यचालन पूंजी में निवेशित राशि

4661. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सभी प्रकार के उद्योगों में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया तथा इसका कितना प्रतिशत आवधिक ऋण और कार्य चालन पूंजी के रूप में दिया गया है और इस प्रकार के उद्योगों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) इनमें से कितने उद्योग रुग्ण हो गए हैं और कुल कितनी रकम फंस गई है और कितने प्रतिशत वसूली हुई है;

(ग) 31 मार्च, 1984 तक वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में फसल ऋण या विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने प्रतिशत राशि दी गई तथा कुल कितने व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचा; और

(घ) इन लाभार्थियों में से कितनों ने वापस अदायगी में चूक की है और कुल कितनी राशि अन्तर्गस्त है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों तथा ऋण खातों के विस्तृत क्षेत्रवार आंकड़े केवल जून, 1981 के लिए ही उपलब्ध हैं और ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

बड़े वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्षेत्रवार वितरण के आंकड़ों के त्वरित अनुमान जनवरी, 1984 के अंत तक के ही उपलब्ध हैं। इस तारीख को कृषि के नाम अग्रिमों की बकाया राशि 6090 करोड़ रुपए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के नाम 14002 करोड़ रुपए थी।

दिसम्बर, 1982 के अंत में राज्य एककों की संख्या 60,173 थी और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति इनकी 2585 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी।

वसूली के सम्बन्ध में आंकड़े, कृषि को दिए गए प्रत्यक्ष वित्त के लिए उपलब्ध हैं। जून, 1981 को समाप्त वर्ष के लिए इस वर्ग के अन्तर्गत कुल 1812 करोड़ रुपए की मांग की तुलना में बकाया रकमों की वसूली की रकम 952 करोड़ रुपए की अर्थात् वसूली मांग का 52.6 प्रतिशत थी।

विवरण

धंधों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों का वितरण

(जून 1981)

(करोड़ रुपये)

	खातों की संख्या	बकाया रकम
1 2	3	4
1. कृषि	106,11,697	4,160
2. उद्योग	8,69,257	12,222
3. परिवहन	3,87,276	1,218

1	2	3	4
4.	वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवाएं	13,15,892	571
5.	व्यापार	20,73,225	4,462
6.	व्यक्तिगत ऋण	20,25,864	859
7.	अन्य	34,63,543	1,383
जोड़		207,46,754	24,875

काले धन के मुखबिरों को पुरस्कार

4662. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आय कर विभाग द्वारा काला बाजारियों के मकानों पर मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान काले धन के मुखबिरों को पुरस्कार का पूरा भुगतान कर दिया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितने मामलों में मुखबिरों को पुरस्कार का भुगतान अभी भी किया जाना शेष है और कब से; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्ण) : (क) आयकर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान ली गई तलाशियों की संख्या के बारे में सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	तलाशियों की संख्या
1981-82	4282
1982-83	4291
1983-84	4332

(ख) से (घ) पुरस्कार के मामलों और पूर्ण तथा अंतिम निपटान हो जाने पर देय पुरस्कार की रकम के बारे से अंतिम स्थिति का पता, उस कार्यवाही के पूरा होने पर लग सकता है जिससे दी गई सूचना का सम्बन्ध है तथा उस सूचना के कारण, जिसमें मुखबिर द्वारा दिए गए

दस्तावेज भी शामिल हैं, प्रत्यक्षतः मिलने वाला अतिरिक्त कर लगा दिया गया और वसूल कर दिया गया हो।

बच्चों का निषिद्ध वस्तुओं के वाहकों के रूप में उपयोग

4663. **श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक औरत सहित चार आदमियों को गिरफ्तार करके सीमा-शुल्क अधिकारियों ने एक तस्कर गिरोह की गतिविधियों का झण्डाफोड़ करने का दावा किया है जो बैंकाक से लाखों रुपये की तस्करी की वस्तुएं लाने-ले जाने के लिए बच्चों का उपयोग करता था;

(ख) यदि हां, तो उक्त गिरोह की नवीनतम गतिविधियों के अनुसार, यह कहा जाता है कि उक्त गिरोह ने 10 बच्चों को कथित रूप से भ्रमण के बहाने बैंकाक भेजा था और उनके सामान में बड़ी संख्या में कलाई की घड़ियां तथा अन्य निषिद्ध वस्तुएं रख दी थीं;

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में जिम्मेदार ठहराए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, एक महिला दस बच्चों के साथ, एयर फ्रांस उड़ान से दिल्ली हवाई अड्डे पर 22/23 जुलाई, 1984 को उतरी थी। वह बैंकाक से आई थी। उनके सामान की निकासी सीमा शुल्क की अदायगी के बिना की गई थी क्योंकि उन्होंने ग्रीन चेनल से होकर जाना चाहा था। उनके सामान में लगभग 12 सूटकेस और 6 हैंड बैग थे। एक व्यक्ति उस महिला तथा उन बच्चों को लेने आया था और वह उन्हें दिल्ली स्थित अपने घर ले गया था। बाद में, उक्त महिला, सामान को, जो उसके द्वारा तथा बच्चों द्वारा बैंकाक से लाया गया था, और आगे निपटाने के वास्ते अपने स्थानीय परिचित व्यक्ति के हवाले करके चण्डीगढ़ चली गई थी।

इस मामले में की जा रही जांच पड़ताल से अब तक लगभग 1.84 लाख रुपये मूल्य का निषिद्ध माल बरामद हुआ है और इस माल का अभिग्रहण कर लिया गया है। जांच-पड़ताल से यह भी पता चला है कि उन दस बच्चों को उनकी छुट्टियों के दौरान बैंकाक भेजा गया था और वहां से उनके द्वारा भारत वापस आते समय उनके सामान में बहुत बड़ी मात्रा में उपभोक्ता माल रख दिया गया था और उन्होंने अपनी निकासी ग्रीन चेनल से सीमा शुल्क की किसी प्रकार की अदायगी के बिना की।

(ग) और (घ) इस सिलसिले में, चार व्यक्तियों को, जिनमें उक्त महिला भी शामिल है, सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के साथ-साथ न्यायालय में सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया गया है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को बहु-उद्देशीय सहायता में कमी आने का प्रभाव

4664. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को बहु-उद्देशीय सहायता के कम प्रवाह के कारण भारत पर उसका कुप्रभाव हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान बहु-उद्देशीय एजेंसियों और विकसित देशों से विकासशील देशों को विशुद्ध संसाधनों के प्रवाह में कमी हुई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) छोटे आकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ—VII से ऋण प्राप्त करने वाले विकासशील देशों के भाग को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि ऐसे आसार हैं कि भारत का भाग भी संभवतः कम कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिनांक 6 अगस्त, 1984 के सर्वेक्षण के अनुसार, प्रारम्भिक ओ० ई० सी० डी० अनुमानों से पता लगता है कि विकास सहायता समिति के सदस्यों द्वारा प्राधिकृत विकास सहायता का निवल संवितरण, जिसमें गैर-रियायती संवितरण भी शामिल है, कलेन्डर वर्ष 1982 और 1983 में लगभग समान रहा है।

महाराष्ट्र में सिंचाई कार्यक्रमों हेतु अमरीकी सहायता के लिए हुआ समझौता

4665. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सिंचाई कार्यक्रम हेतु अमरीकी सहायता के लिए हाल ही में कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से महाराष्ट्र के कौन-कौन से स्थानों पर सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में लघु सिंचाई कार्यक्रम की सहायता के लिए 31 जुलाई, 1984 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के अन्तर्गत आने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को चुनने का कार्य चल रहा है।

हथकरघा उत्पादों का पश्चिम एशिया को निर्यात

4666. **डा० प्रताप वाघ :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम एशिया में भारतीय ट्वीड, कम्बलों और साड़ियों की भारी मांग होने के बारे में जानकारी है: और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा उत्पादों के निर्यात क्षेत्रों का पता लगाने और बढ़ाने के संबंध में क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत पश्चिम एशिया को कतिपय वस्त्र उत्पाद निर्यात कर रहा है जिनमें ऊनी/वर्स्टेड वस्त्र शाल तथा स्कार्फ, कम्बल और साथ ही कुछ अन्य हथकरघा उत्पाद शामिल हैं।

(ख) सरकार इन उत्पादों के निर्यातों का पता लगाने और उन्हें बढ़ाने के लिए मेलों/प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता सम्मेलनों, बाजार अभिमुख अध्ययनों आदि में भाग लेने को प्रोत्साहित या प्रायोजित करती है।

तृतीय विश्व के देशों के साथ भारत का व्यापार

4667. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय विश्व के देशों में आर्थिक विकास व्यापार विकास और भारतीय प्रोद्योगिकी के लिए अधिक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों में व्यापार और निर्यात के विस्तार हेतु कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) विशिष्ट वस्तुओं तथा विकासशील देशों में विशिष्ट निर्यात बाजारों संबंधी निर्यात बाजार सर्वेक्षण समय-समय पर किए जाते हैं। तृतीय विश्व के देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अतिरिक्त उपायों में निम्नोक्त उपाय शामिल हैं :

(i) निर्यात सम्वर्धन उपाय;

(ii) द्विपक्षीय व्यापार करार;

(iii) ऐसे देशों के साथ संयुक्त आयोग/संयुक्त समितियां बनाना ताकि व्यापार की संभाव्यताओं का पता लगाया जा सके और उनका विकास किया जा सके;

(iv) जहां कही संभव हो विकासशील देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध;

(v) संयुक्त उद्यमों की स्थापना;

ऊटी और कोयम्बटूर जिलों में बैंकों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की अस्वीकार करना

4668. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि ऊटी और कोयम्बटूर जिलों में बैंकों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल मामूली से तकनीकी आधार पर पात्र व्यक्तियों को ऋणों के आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं । सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना से है और न कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में प्राप्त सफलता

4669. **श्री नरसिंह मकवांणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1984 में तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान में अब तक कितनी और किस प्रकार की सफलता मिली है;

(ख) कितने और कौन-कौन से तस्कर भूमिगत हो गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) गुजरात से कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उनके नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तस्करी-निवारण अभियान को तेज करने के अंग-रूप में, वित्त मंत्रालय के राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय ने तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

करने के निमित्त जुलाई, 1984 में एक विशेष योजना तैयार की तथा उसे कार्यान्वित भी किया। परिणामस्वरूप, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के तहत 21.7.1984 तथा 150 तस्कर नजरबन्द किए गए। इसके अतिरिक्त तस्करी की गतिविधियों से सम्बन्धित देश भर में 261 व्यक्तियों को सीमाशुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जुलाई, 1984 के दौरान गिरफ्तार किया गया।

(ख) जुलाई, 1984 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में जिन 32 व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्दी आदेश जारी किए गए थे, वे व्यक्ति अभी तक नजरबन्दी से बच रहे हैं। जो व्यक्ति नजरबन्दी से बच रहे हैं उनके नाम प्रकट करना इस समय उचित नहीं होगा। तथापि, जो व्यक्ति नजरबन्दी से बच रहे हैं उनके विरुद्ध कानून के तहत यथापेक्षित उचित कार्यवाही की जा रही है।

(ग) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जुलाई, 1984 के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम के उपबन्धों के तहत गुजरात राज्य में तस्करी की गतिविधियों से सम्बन्धित 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सूचना एकत्र करके सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण बैंकों के कार्यक्रमों के बारे में नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट

4670. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में नरसिम्हा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) श्री एम० नरसिम्हा ग्रामीण बैंकों के वास्ते गठित उप कार्यकारी दल के अध्यक्ष थे, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के वास्ते अपनी सिफारिशें वर्ष 1975 में प्रस्तुत कर दी थी।

श्री नरसिम्हा की अध्यक्षता में गठित किसी समिति ने ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा नहीं की है।

जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

4671. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिसूचना के अनुसार जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को वर्ष 1983-84 के लिए बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें बोनस का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम के श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को बोनस के बदले में अदायगी भारतीय बीमा निगम श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारी (बोनस और मंहगाई भत्ता) नियम, 1981 के उपबन्धों के अनुसार, वेतन स्तर, वित्तीय परिस्थितियों और अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखकर की जाती है। इस प्रकार, 1983-84 के लिए बोनस के बदले में अदायगी का मामला विचाराधीन है और जैसे ही इस बारे में कोई निर्णय ले लिया जाएगा, इसकी अदायगी कर दी जाएगी।

बीरभूम पश्चिम बंगाल में ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

4672. **श्री गदाधरा हासा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीरभूम में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विकास घटक योजनाओं के अधीन योजनाओं और 20 सूत्री कार्यक्रम तथा आदिवासी उप-योजनाओं आदि के कार्यान्वयन में ग्रामीण बैंक की क्या भूमिका और कार्य निष्पादन रहा;

(ख) जहां तक सरकार की विकास योजनाओं, उद्देश्यों और नीतियों का सम्बन्ध है, क्या उक्त ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार इस बारे में किन उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) उक्त बैंक की शाखाओं ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, शाखा-वार, योजना-वार और कितनी धनराशि का वितरण किया और उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से छोटे और सीमांतिक किसानों तथा 6500 रुपए प्रति वर्ष की निवेश-पूर्व आय वाले व्यक्तियों के अर्थक्षम धन्धों के लिए ऋण सहायता देने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहक मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति होते हैं। ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 के अन्त में मयूराक्षी ग्रामीण बैंक की 61 शाखाएं थीं जिनकी जमा राशि 4.2 करोड़ रुपये और 64393 ऋण खातों

के अन्तर्गत बकाया अग्रिमों की राशि 6.4 करोड़ रुपये थी। इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात 153 प्रतिशत है जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के, 106 प्रतिशत के औसत के बहुत ऊंचा है। वर्ष 1983 के दौरान इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत 5196 हिताधिकारियों को 40 लाख रुपये के ऋण दिये गये बताये जाते हैं। विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत 1983 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जिन अनंतिम आंकड़ों की सूचना दी है उनसे यह पता चलता है कि बैंक ने 10467 खातों के अन्तर्गत 42 लाख रुपये का वितरण किया है।

यद्यपि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है लेकिन स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को देखते हुए मयूराक्षी ग्रामीण बैंक का समग्र कार्य संतोषजनक बताया जाता है।

(घ) प्रश्न में किस प्रकार आंकड़े मांगे गये हैं सूचना देने वाली प्रणाली से उस प्रकर आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। फिर भी बैंक ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1983 के अन्त में 64393 ऋण खातों के अन्तर्गत 6.4 करोड़ रुपये के बकाया अग्रिमों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 26470 ऋण खातों के अन्तर्गत 2.5 करोड़ रुपये के अग्रिमों की राशि बकाया थी।

विश्व व्यापार में भारत के हिस्से की प्रतिशतता

4673. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में विश्व व्यापार में भारत के हिस्से की प्रतिशतता कितनी थी और अब कितनी है; और

(ख) इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यू० एन० मन्थली बुलिटिन आफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार 1951 और 1982 के दौरान विश्व निर्यातों से भारत का भाग निम्नोक्त प्रकार रहा है;

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	1951	**1982**
भारत के निर्यात	1794	8451
विश्व निर्यात	80200*	1854133
विश्व निर्यात में भारत का प्रतिशत भाग	2.23	0.49

*विश्व निर्यात जिनमें अल्वानिया, बुल्गारिया, चीन, मैनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, उत्तरी कोरिया, पोलैंड, रूमानिया तथा सोवियत संघ का व्यापार शामिल नहीं है।

(ख) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं : निर्यात उत्पादन पर लाइसेन्स सम्बन्धी नियंत्रणों को दूर करना, शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना, आयातित कच्चे माल की अधिक आसान प्राप्ति, विशेष रूप से निर्यात उत्पादन के लिए विकास, निर्यातों पर कतिपय राजकोषीय रियायतें देना तथा वर्तमान दो मुक्त व्यापार दोनों के अलावा कोचीन, मद्रास, नोयडा तथा फाल्टा में चार और मुक्त व्यापार जोन स्थापित करना। चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए आयात तथा निर्यात नीति विश्व के आर्थिक पर्यावरण और घरेलू अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने निर्यात निष्पादन में सुधार लाने के लिए तैयार की गई है। नीति की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं निर्यातों में अधिक मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन, कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात, नए उत्पादों का अथवा नए बाजारों को निर्यात, निर्यात उत्पादन जैसे, प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास के लिए आयात, व्यापार सदनों और उनके सह विनिर्मिताओं के बीच स्थानीय दीर्घावधि सम्बन्धों की स्थापना तथा निर्यात उत्पादन में लघु क्षेत्र को सहायता देना।

भण्डारण में रखे गए सामान पर देय राशि पर ब्याज का भुगतान

4674. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडागारों में सामान्यतः स्वीकार्य अवधि के बाद सामान रखे जाने पर देय शुल्क की राशि पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 62 की धारा (61) में इस बीच में संशोधन किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, क्या सरकार शत-प्रतिशत ई० ओ० यू० के मामले में उपर्युक्त संशोधन के प्रभाव से छूट देने पर विचार कर रही है क्योंकि उन्हें भांडागार में न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए निर्माण कार्य जारी रखने की आवश्यकता है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां। भाण्डागार की सामान्य अवधि के बीत जाने के बाद भाण्डागार में पड़े शेष माल पर देय शुल्क के बारे में ऐसी दर से, जो प्रति वर्ष 18 प्रतिशत से अधिक न हो, ब्याज लगाने की व्यवस्था करने के लिए वित्त अधिनियम 1983 द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61 को संशोधित किया गया था। तथापि, सरकार ने, एक अधिसूचना द्वारा ब्याज की उक्त दर का प्रति वर्ष 12 प्रतिशत निश्चित किया जा सकता है।

(ख) सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के बारे में, भाण्डागारण की सामान्य अवधि के बीत जाने के बाद रखे गए माल पर देय शुल्क की रकम पर ब्याज की अदायगी से छूट के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

भारतीय वायुसेना को उपयुक्त हल्के (लाइट) लड़ाकू विमानों से सज्जित करना

4675. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना को उपयुक्त हल्के लड़ाकू विमानों (एल० सी० ए०) से सज्जित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के किसी खास विमान का चयन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे विमानों का देश में ही निर्माण किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । इस हल्के लड़ाकू विमान (एल० सी० ए०) का उत्पादन और विकास देश में ही किया जाएगा ।

निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निदेशकों और उनके सम्बन्धियों को ऋण सुविधा

4676. **श्री गुफारान आजम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बैंकों को अपने निदेशकों और उनके सम्बन्धियों को उनके निदेशक मंडलों की पूर्व मंजूरी के बिना 5 लाख रु० से कम के ऋण देने की सुविधा प्राप्त है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के निर्देशकों और उनके रिश्तेदारों को अग्रिम ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत वाले आदेश जारी किए है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन निदेशकों और उनके रिस्तेदारों का प्रत्येक बैंक के सम्बन्ध में अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिन्हें बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण मंजूर किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 20 के उपबन्धों के तहत कोई भी बैंककारी कम्पनी अपने निदेशकों में से किसी निदेशक को या उसके निदेशकों में से किसी निदेशक की ओर से या ऐसी किसी फर्म अथवा कम्पनी जिसमें इसके निदेशकों में से कोई एक का भागीदार, प्रबन्धक, कर्मचारी या गारन्टीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो, ऋण या अग्रिम दिये जाने के लिए वचन नहीं देगी । भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अप्रैल, 1984 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं जिनकी एक प्रति संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8707/84]**

(ग) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 और 1980

की धारा 13 के तहत और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

द्विपक्षीय सहायता के लिए इंग्लैंड का प्रस्ताव

4677. **श्री हरिहर सोरन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंग्लैंड ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में भारत में 186 करोड़ रुपए खर्च करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या इंग्लैण्ड ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में कुछ धनराशि खर्च की थी;

(ग) यदि हां, तो इंग्लैण्ड द्वारा दी गई सहायता की कितनी धनराशि किस प्रयोजन और किस कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाई गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने जून, 1984 में सम्पन्न हुई भारत सहायता संघ की बैठक में, 1984-85 के लिए 1240 लाख पौंड स्टर्लिंग (लगभग 186 करोड़ रुपए) की सहायता देने की वचनबद्धता दी थी।

(ख) 1983-84 के दौरान, भारत में यूनाइटेड किंगडम के अनुदान में से कुल मिलाकर 9.53 लाख पौंड स्टर्लिंग (लगभग 143 करोड़ रुपए) की रकम खर्च हुई ।

(ग) तथा (घ) यूनाइटेड किंगडम के अनुदान का उपयोग यूनाइटेड किंगडम से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने, पारस्परिक सहमति से तय की गई परियोजनाओं की स्थानीय लागत की वित्त-व्यवस्था करने, ब्रिटिश विशेषज्ञों के ऊपर आने वाली खर्च का वित्तपोषण करने तथा कोलम्बो योजना के अधीन अधिछात्रवृत्तियों की लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम के अनुदान के उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

यूनाइटेड किंगडम से पूंजीगत तथा अन्य मदों का आयात	1983-84 में व्यय (मिलियन पौंड स्टर्लिंग)
1	2
(क) मिश्रित परियोजनाएं	11.1
(ख) विद्युत क्षेत्र	5.1
(ग) कोयला क्षेत्र	11.5

1	2
(घ) रिहंद सुपर तापीय विद्युत केन्द्र	2.8
(ङ) रेलवे क्षेत्र	1.0
(च) तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र	1.3
जोड़	32.8
2. तकनीकी सहयोग	12.0
3. परियोजनाओं की स्थानीय लागत जिनमें से मुख्य परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—	50.5
1. रिहंद सुपर तापीय विद्युत निगम	17.8
2. आमलोरी कोयला खान	3.3
3. उड़ीसा परिवार कल्याण परियोजना	2.0
4. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन उर्वरक प्रशिक्षण परियोजना	2.8
5. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए हुडको की योजना	19.8
6. नाबार्ड/कृषि पुनर्वित्त विकास परिषद-1	2.8
7. मैसूर वनपालन परियोजना	1.4
कुल जोड़	95.3

मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धकों द्वारा ऋण देने के अधिकार का त्याग दिया जाना

4678. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभी 21 शाखा प्रबंधकों ने ऋण देने के अपने अधिकार त्याग कर चेयरमैन को सौंप दिये हैं;

(ख) क्या यह बात उनके मंत्रालय की जानकारी में है और यदि हां, तो उन्होंने यह कार्यवाही किन परिस्थितियों में की है;

(ग) क्या इससे उस राज्य की बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलने वाली विकास संबंधी गतिविधियां खतरे में पड़ गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बताया गया है कि मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धकों/प्रभारियों ने, जिला प्राधिकारियों द्वारा कुछ शाखा अधिकारियों के विरुद्ध अनाचार/भ्रष्टाचार की शिकायतों के परिणामस्वरूप दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफ० आई० आर०) के विरोध में, ऋण मंजूर करने की अपनी शक्तियों का त्याग करने के बारे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। खगड़िया और मुंगेर के जिलाधीश इस समस्या का समाधान करने और ऋण शिविरों के माध्यम से ऋणों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

4679. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क का व्यापार भारत ने सामान्य रूप से तथा पारादीप पत्तन से इसका निर्यात विशेष रूप से खराब हालत में है;

(ख) क्या यह पारादीप पत्तन पर उपलब्ध अपर्याप्त पत्तन सुविधाओं के कारण खरीदार देशों की दिलचस्पी न होने के कारण है;

(ग) क्या यह उनके मंत्रालय द्वारा पारादीप पत्तन पर समुचित सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए नौवहन और रेल मंत्रालयों के साथ उचित समन्वय स्थापित करने में अनावश्यक देरी के कारण है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा खरीददार देशों को निर्यात रोकने के अपने निर्णय में परिवर्तन करने का आग्रह करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पारादीप पत्तन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विश्व इस्पात उद्योग में बराबर मन्दी की स्थितियों और खरीदारों की इस बात के कारण कि वे अपने आयात उन बन्दरगाहों से करना चाहते हैं जहां बेहतर सुविधाएं हैं, लौह अयस्क के लिए कम मांग हुई है। पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात जो 1982-83 में 9.73 लाख मे० टन और 1983-84 में 9.28 लाख मे० टन थे, मामूली से घंटे।

(ख) पारादीप पत्तन पर ढोने की अपर्याप्त सुविधा के कारण जिसके परिणामस्वरूप भाड़े के मामले में काफी नुकसान रहा और उसके फलस्वरूप विदेशी खरीदारों ने इस पत्तन के लिए जलयान निर्दिष्ट करने की इच्छा नहीं की, अन्य देशों में और साथ ही भारत में लौह अयस्क के प्रमुख लदान पत्तनों की तुलना में इस पत्तन को नुकसान रहा हैं। तथापि, नौवहन तथा परिवहन और रेलवे मंत्रालयों के साथ मिलकर इस पत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार लाने के बराबर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात बढ़ाने के लिए खरीदारों से यह समझाने के नये सिरे से और मिले-जुले प्रयास किए जा रहे हैं कि वे लौह अयस्क अपनी आवश्यकता की पूर्ति यथासंभव सीमा तक पारादीप पत्तनों से करें और इस दिशा में हाल में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

चालू वर्ष (1984-85) के दौरान पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात के लिए एम० एम० टी० सी० ने जापान के साथ 5 लाख टन की संविदा की है। दक्षिण कोरिया ने भी 1984-85 के दौरान पारादीप पत्तन से लगभग 5 लाख टन लेने की सहमति व्यक्त की है। एम० एम० टी० सी० ने 1984-85 के दौरान पारादीप पत्तन से 2 लाख मे० टन लौह अयस्क के निर्यात के लिए जी० डी० आर० के साथ संविदा की है। एम० एम० टी० सी० के प्रयासों के परिणामस्वरूप आशा है कि 1984-85 के दौरान पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात 12 लाख टन के स्तर तक तक पहुंच जाएंगे (जबकि 1983-84 के दौरान 9.27 लाख टन के हुए थे)। पारादीप पत्तन से लौह अयस्क लेने के लिए खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए एम० एम० टी० सी० इस बात के लिए सहमत हो गया है कि वह पारादीप पत्तन से लौह अयस्क उठाने में अन्तर्ग्रस्त अधिक भाड़े की क्षति-पूर्ति उनकी कीमतों में छूट देकर करेगा।

(ङ) पारादीप पत्तन पर पर्याप्त पत्तन सुविधाएं देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(i) वैगन टिपलर की स्थापना करके पारादीप पत्तन पर लौह अयस्क लदान कार्य में काफी सुधार किया गया है।

(ii) एम० एम० टी० सी० दो पत्तन लदान अर्थात आरम्भिक लदान पारादीप और मद्रास पत्तन पर अनटापिंग की सम्भाव्यता और आर्थिक क्षमता के बारे में विचार कर रहा है।

(iii) रात के समय जलयानों की व्यवस्था करने के लिए रात्रि नौवहन आरम्भ किया गया है।

(iv) एम० एम० टी० सी० से परामर्श करके उड़ीसा सरकार पारादीप पत्तन में ट्रांशिपर व ड्रेजर की स्थापना करने की संभावना पर विचार कर रही है ताकि पत्तन की लदान क्षमता

बढ़ाई जा सके और गाध इकट्ठी होने की समस्या का निरन्तर आधार पर हल निकाला जा सके।

(v) ड्राफ्ट बढ़ाने के लिए पारादीप पत्तन में हाल में ड्रेजर लगाए गए हैं।

15 अगस्त, 1984 से मास्को में व्यापार मेला

4680. **श्री के० ओबुल रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत 15 अगस्त, 1984 से मास्को में एक व्यापार मेले का आयोजन करेगा, जैसा कि 14 जुलाई, 1984 के पेट्रियाट में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मेले में कितनी भारतीय फर्मों ने हिस्सा लिया तथा उनके नाम क्या हैं;

(ग) मेले में किन-किन देशों ने भाग लिया है;

(घ) मेले का उद्घाटन किसने किया और यह कितनी अवधि के लिए है;

(ङ) मेले में भारत तथा विभिन्न अन्य साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी देशों के बीच हुए करारों का ब्यौरा क्या है; वे कितने मूल्य के हैं तथा निर्यात/आयात की जाने वाली मदों के नाम क्या हैं; और

(च) मेले के परिणामस्वरूप साम्यवादी देशों के साथ होने वाले व्यापार में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8708/84**]

(ग) चूंकि यह एक विशिष्ट भारतीय प्रदर्शनी है अतः अन्य देशों द्वारा कोई भाग नहीं लिया गया है।

(घ) श्री के० विजय भास्कर रेड्डी, केन्द्रीय नौवहन तथा परिवहन मंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी 15 अगस्त से 14 सितम्बर, 1984 तक है।

(ङ) तथा (च) चूंकि प्रदर्शनी अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, अतः इतनी जल्दी उसके परिणाम बताना संभव नहीं है।

केरल में हथकरघा बुनकर समितियों द्वारा महसूस की जा रही समस्याएं

4681. **श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में हथकरघा बुनकर समितियों द्वारा "यार्न" और अन्य वस्तुओं की नियंत्रित दरों पर अनुपलब्धता के कारण महसूस की जा रही समस्याओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन आवश्यक वस्तुओं की नियंत्रित दरों पर नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यार्न की कीमतों कर नियंत्रण नहीं है। यार्न की कीमतों में, विशेषतः जो अपेक्षतया कम काउन्ट का है, रुई की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हुई है।

(ख) न्यायोचित कीमतों पर हथकरघा क्षेत्र को यार्न की नियमित तथा क्रमबद्ध सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुसार हैं :—

(i) सभी कताई मिलों पर कानूनी बाध्यता लागू की गई है जिसके द्वारा उन्हें अपने विपणन योग्य यार्न के कम से कम 50% भाग को हैंकों के रूप में पैक करना चाहिए जिसमें 85 प्रतिशत 40 एस तथा कम के काउन्टों में होना चाहिए।

(ii) राज्य सरकारों से हथकरघा क्षेत्र में सीमित प्रयोग के लिए सहकारी कताई मिलों, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम से संबंधित मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न को पूल करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने हथकरघा के संगठित क्षेत्र अर्थात् सहकारिताओं और राज्य हथकरघा विकास निगमों को मिल द्वारा कीमतों पर यार्न की सप्लाई के लिए सहमति दी है और राज्य सरकारों से इस पेशकश का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।

(iv) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, जिसे हाल ही में स्थापित किया गया है, के मुख्य उद्देश्यों में एक है। राज्य सरकारों के माध्यम से हथकरघा बुनकरों के लिए यार्न की अधिप्राप्ति तथा सप्लाई करने का है। इसका विचार देश में विभिन्न स्थानों पर यार्न डिपो स्थापित करने का भी है। इसके पहले डिपो ने गोहाटी में कार्य करना शुरू कर दिया है।

औरंगाबाद-भोपाल और खजुराहो होकर बम्बई से दिल्ली के लिए उड़ान प्रारम्भ करना

4682. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औरंगाबाद, भोपाल और खजुराहो होकर बम्बई से दिल्ली के लिए उड़ान प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) बम्बई-खजुराहो-बम्बई; औरंगाबाद-खजुराहो-औरंगाबाद तथा दिल्ली-खजुराहो-दिल्ली क्षेत्रकों पर उपलब्ध यात्री भार से एक सेवा का औचित्य सिद्ध नहीं होता है ।

सूती कपड़ा उद्योग को उसकी आवश्यक कच्चे माल सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता

4683. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपड़ा उद्योग को उसकी कच्चे माल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी नीति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुई की कितनी गांठों के आयात किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में सरकार समय-समय पर समीक्षा करती है और विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए समुचित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। तथापि, रुई के आयात के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

एयर इण्डिया की इन फ्लाइट मैगजीन "नमस्कार" द्वारा कानून का उल्लंघन

4684. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसका बेनसन एण्ड हेजेज इन्टरनेशनल माइल्ट सिगरेट (लक्जरी माइल्ड ब्रान्ड) द्वारा एयर इण्डिया की इन फ्लाइट मैगजीन "नमस्कार" के जुलाई-अगस्त, 1984 के अंक के अंतिम कवर पृष्ठ में जारी किए गए विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिसमें सांविधानिक चेतावनी "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" मुद्रित नहीं की गयी है;

(ख) क्या उसी पत्रिका में "555" स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट के विज्ञापन में भी यही चेतावनी मुद्रित नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो यहां के कानून का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनका विचार एयर-इंडिया की पत्रिका में विज्ञापन को इस रूप में प्रकाशित करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है ।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पेंशन लेने की प्रक्रिया

4685. **श्री ए० के० राय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पेंशन लेने की क्या प्रक्रिया है तथा तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी भूतपूर्व सैनिक के लिए चाहे वह बाद में कहीं और सेवा में हो, पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने मूल निवास के जिला मुख्यालय में जाना अनिवार्य होता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे नियम के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित एजेंसियों के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता है :—

(क) पेंशन पे मास्टर

(ख) खजाना कार्यालय

(ग) डाकघर

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

नौ स्टेशनों अर्थात् अमृतसर, होशियारपुर, रोहतक, हिसार, भिवानी, गुड़गांव, अम्बाला छावनी, सोनीपत और झज्जर को छोड़कर जहां पेंशन का भुगतान पेंशन पे-मास्टर करता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्यों और संघ शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए डाकघर से पेंशन लेना अनिवार्य है । जम्मू-कश्मीर में अफसरों को भी डाकघरों से ही पेंशन लेनी होती है।

2. इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन लेने की सुविधा केवल उन्हीं पेंशनरों को प्राप्त है जो अपनी पेंशन खजाना कार्यालयों अथवा पेंशन पे-मास्टर के कार्यालयों से लेते हैं। डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशनरों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि डाकघरों से पेंशन भुगतान का काम रक्षा लेखा महा नियंत्रक के अधीन स्थापित किए जाने वाले पेंशन पे-मास्टर के कार्यालयों को सौंपा दिया जाए। इस समय कुछ पेंशन पे-मास्टर के कार्यालय स्थापित भी किए जा चुके हैं। पेंशन पे-मास्टरों द्वारा पेंशन का भुगतान शुरू किए जाने पर इन इलाकों के पेंशनर यदि चाहें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन लेने के लिए स्वतः ही पात्र बन जाएंगे।

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जहां लागू हो, पेंशन संबंधी लाभ अधिसूचित करते समय पेंशनर की इच्छा के मुताबिक उसके लिए किसी विशेष पेंशन संवितरण कार्यालय से भुगतान की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके बाद अगर पेंशनर चाहे तो वह पेंशन भुगतान का माध्यम बदलवा सकता है। वह अपने जिला मुख्यालय से भिन्न किसी दूसरे स्थान पर भी पेंशन मंगवा सकता है।

4. कमीशन प्राप्त अफसरों से संबंधित प्रारम्भिक पेंशन-लाभों को अधिसूचित करने वाले पेंशन संदाय आदेश नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा सीधे पेंशन संवितरण कार्यालयों को भेजे जाते हैं और तत्संबंधी सूचना संबंधित अफसर को भी भेजी जाती है। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों से संबंधित आदेश उनके अभिलेख कार्यालयों के माध्यम से संबंधित पेंशनों संवितरण कार्यालयों को भेजे जाते हैं।

5. नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) अथवा अभिलेख कार्यालयों से, जैसा भी मामला हो, पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने पर पेंशन संवितरण अधिकारी पेंशनर का नाम अपनी पेंशन स्थापना में दर्ज कर लेता है। वैयक्तिक पहचान संबंधी आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद पेंशनर अपनी पेंशन ले सकता है।

सरकारिया आयोग को निर्देशित विशिष्ट मामले

4686. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से होने वाली आय के बंटवारे और राज्यों द्वारा आंतरिक संसाधन जुटाने और शुल्कों के बंटवारे संबंधी प्रश्नों सहित केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग को निर्देशित विशिष्ट मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कोई मामले आयोग को भेजे जाएंगे, जैसा कि राज्यों द्वारा पिछले पांच वर्ष अथवा उससे अधिक समय में मांग की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इस मंत्रालय ने केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग को कोई विशिष्ट मामला नहीं भेजा है।

(ख) फिलहाल आयोग को ऐसा कोई मामला भेजने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आयोग के विचारार्थ विषयों में संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाएं शामिल हैं जिनमें विद्यमान वित्तीय संबंध भी समाविष्ट होंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति की बैठक के निष्कर्ष

4687. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि पर विचार करने सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति की 13 अगस्त, 1984 को हुई अन्तिम बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ख) महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की अदायगी के लिए किस पद्धति पर सहमति हुई तथा नई दरें कब से लागू होंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता सूत्र की जांच करने सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति अभी निरन्तर विचार-विमर्श कर रही है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राजनयिकों द्वारा तस्करी

4688. **श्री सनत कुमार मण्डल :**
श्री कमल नाथ :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 जुलाई, 1984 के 'इंडियन एक्सप्रेस' नई दिल्ली के अंक में "डिप्लोमेंट इन्वाल्वड इन ड्रग स्मगलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय उच्चायोग के राजनयिक दर्जे सहित उस अधिकारी का क्या ब्यौरा है जो ब्रिटेन में किसी खतरनाक नशीली औषधि सम्भवत: हशीश की तस्करी के मामले में कथित रूप से शामिल हैं;

(ग) क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) दिनांक 23 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "डिप्लोमेंट इन्वाल्वड इन ड्रग स्मगलिंग" (औषध-द्रव्यों की तस्करी में अन्तर्ग्रस्त राजनयिक (नामक शीर्षक से छपी खबर की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ख) से (घ) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि तंत्रमहती के सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर ब्रिटिश एअरवेज की फ्लाइट सं० 146 द्वारा दिल्ली से लंदन आ रहे किसी भी हंसराज शर्मा को तथा उनके साथ किसी श्रीमती चिब और उनके दो नाबालिग बच्चों को दिनांक 30-5-1984 को रोका था। हंसराज शर्मा के सूटकेस में 4.5 किलो ग्राम हिरोइन पाई गई। लंदन-स्थित भारत के उच्चयोग का एक राजनयिक अधिकारी श्री बाबू लाल गुप्ता श्रीमती चिब और उसके बच्चों को लेने के लिए हवाई अड्डे पर गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने श्री गुप्ता से पूछताछ की। श्री हंसराज शर्मा के खिलाफ मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कारगर जांच-पड़ताल के हित को देखते हुए इस समय और विवरण देना उचित नहीं होगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग में चलने वाले कारखाने

4689. श्री सतीश अग्रवाल :
श्री आर० पी० षाडंगी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग में कितने कारखाते चल रहे हैं और उनका वार्षिक उत्पादन, बिक्री क्या है तथा भारत में इस उद्योग में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है;

(ख) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कुटीर/लघु क्षेत्र के कितने सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग चल रहे हैं और प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के सम्बन्ध में उनके वार्षिक उत्पादन, बिक्री और रोजगार के आंकड़े क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में इस उद्योग के कुल उत्पादन में से कितने भाग का निर्यात होता है और राष्ट्रीय उत्पादन का कितना भाग निर्यात होता है; और

(घ) क्या सरकार को किसी ऐसी रिपोर्ट अथवा अध्ययन की जानकारी है जो इस उद्योग के कार्यकरण पर प्रकाश डालती है और यदि हां, तो तत्संबंधी उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी नहीं रखी जाती है ।

(घ) परिधान उद्योग सम्बन्धी कोई व्यापक रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आयी है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिश्वत (हाटमनी) लेने के प्रयोजन से "लीपा-पोती" किया जाना

4690. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिश्वत (हाटमनी) लेने के प्रयोजन से "लीपा पोती"(विन्डो ड्रैसिंग) किए जाने से उत्पन्न समस्याओं की ओर दिलाया गया है (इकनोमिक्स टाइम्स दिनांक 27 जून, 1984); और

(ख) बैंकों की इन अवांछित गतिविधियों के रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ बैंकों द्वारा वर्ष के अंत में अपनी जमा राशियों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के प्रयासों के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं की जानकारी है। बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके कर्मचारी तुलन पत्र को संवारने के वास्ते अपनी जमा रकमों में वृद्धि करने के लिए अवांछनीय तरीके न अपनाएं । इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए उनसे तुलना करने के वास्ते विशेष तारीखों को जमा राशियों के बजाय साप्ताहिक औसत जमा राशियों के आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए भी कहा गया है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बैंकों की जमा राशियों की भी जांच की जाती है और ऊपरी दिखावट के उदाहरणों की ओर यदि कोई हों, उनका ध्यान दिलाया जाता है ताकि सुधारात्मक/निवारात्मक उपाय किए जा सकें ।

पश्चिमी देशों से इंजीनियरी सामान का आयात

4691. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात शर्तों वाले ऋणों और प्रत्यक्ष अन्तर सरकारी ऋणों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त घोषित भारतीय परियोजनाओं के लिए पश्चिमी देशों द्वारा सप्लाई किए गए इंजीनियरी सामान पोलैण्ड द्वारा की गई पेशकश से 30 प्रतिशत महंगे हैं; और

(ख) भारत द्वारा पश्चिमी देशों से इन मशीनी औजारों का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा इंजीनियरी माल की अधिप्राप्ति प्रौद्योगिकी की अपनी पसन्द के आधार पर की जाती है। अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्णय सामान्य तौर पर उद्यमी द्वारा किया जाता है। ऋण व्यवस्था की पेशकश सरकार द्वारा ये निर्णय लिये जाने के बाद की जाती है। बहुपक्षीय ऋणों (जो विश्व बैंक से होते हैं) के मामले में अधिप्राप्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिप्राप्तकर्ता अभिकरण निम्नतम वित्तीय लागत आना अपेक्षित है। उपरोक्त प्रक्रिया से प्रयोक्ता पर किसी विशेष किस्म के इंजीनियरी उत्पाद की बाध्यता नहीं है। परन्तु अधिप्राप्ति का निर्णय ले लिए जाने के बाद उस मामले में ऋण की व्यवस्था द्विपक्षीय तौर पर की जाती है जहां ऐसा ऋण उपलब्ध है। सभी इंजीनियरी मदें किसी एक देश से उपलब्ध नहीं हैं अतः आवश्यकताएं अनेक देशों से पूरी करनी पड़ सकती हैं।

इंडियन एयरलाइन्स में चेयरमैन का खाली पद

4692. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के भूतपूर्व अंश-कालिक अध्यक्ष का कार्यकाल 16 जुलाई, 1984 को पूरा हो गया था। निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अंश-कालिक अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए उत्तराधिकारी के चयन का कार्य चल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

तैयार वस्त्रों का निर्यात

4693. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के उन निगमों के नाम क्या हैं जिन्हें इस वर्ष और वर्ष 1980 से 1983 के बीच के प्रत्येक वर्ष के दौरान तैयार वस्त्रों के निर्यात संबंधी कोटा नीति के अंतर्गत कोटा दिया गया था तथा प्रति देश को प्रतिवर्ष आबंटित किए गए नगों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के प्रत्येक निगम के उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्य निर्यातकों को इन आबंटनों का कितना भाग अन्तरित कर दिया और प्रति वर्ष प्रत्येक देश को वास्तव में श्रेणीवार कितना-कितना भाग निर्यात किया है; और

(ग) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के निगमों को किन मानदण्डों के आधार पर यह कोटा आबंटित किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जानकारी एकत्र की रही है।

(ख) निर्यात हकदारी वितरण नीति के अनुसार केन्द्रीय/राज्य सरकार के निगमों का आबंटन अन्तरण करने योग्य नहीं है।

(ग) इस वर्ग के अन्तर्गत कोटा आबंटित करते समय वस्त्र आयुक्त द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं :—

(i) आबंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किए जाते हैं।

(ii) ऐसे निगमों/शीर्ष संस्थाओं को तरजीह दी जाती है जो विनिर्माता/निर्यातक हैं और जो फुटकर काम के आधार पर काम करवा रहे हैं।

(iii) यदि आवेदन पत्र उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाते हैं तो आबंटन अधिक उच्च कीमत प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

सी० ओ० डी० छिओकी, इलाहाबाद द्वारा फर्मों का तदर्थ आधार पर पंजीकरण

4694. **श्री दयाराम शाक्य :**
श्री बालासाहिब पवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० ओ० डी० छिओकी, इलाहाबाद द्वारा गत तीन महीनों के दौरान लगभग 40 फार्मों का तदर्थ आधार पर पंजीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो फर्मों के फिर से पंजीकरण करने की क्या आवश्यकता है;

(ग) क्या हाल ही में पंजीकृत की गई फर्मों के पास कोई भंडार नहीं है और एक फर्म की विभिन्न नामों से 4 से 6 फर्में हैं;

(घ) क्या एकल निविदाएं आबंटित की जाएंगी और सामग्री अत्यधिक मूल्यों पर नकद और एक ही कोटेशन (मूल्यों सूची) पर खरीदी जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जांच कराने का है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) गत तीन महीनों के दौरान केवल 6 फर्मों का पंजीकरण किया गया था।

(ख) प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने के लिए समय-समय पर फर्मों का पंजीकरण आवश्यक होता है।

(ग) पुलिस सत्यापन के माध्यम से क्षमता सत्यापन के अनुसार हाल ही में पंजीकृत की गई 8 फर्मों के पास अपना भंडार है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई फर्म विभिन्न नामों से 4 से 6 फर्म चला रही है।

(घ) एकल निविदा में बताई गई दरें मार्किट की दरों के अनुरूप हैं। बहुत ऊंची दरों पर खरीद का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) जी. नहीं।

कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोला जाना

4695. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष (1984-85) सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कांगड़ा जिले में कोई शाखा खोले जाने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) शेष शाखाएं कब तक खोली जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) कांगड़ा जिले के उन स्थानों के नाम, जहां पर 30-6-1984 तक हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोली गई हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जून, 1984 के अन्त में बैंक के पास कांगड़ा में भवारना और निआजपुर में शाखा के खोलने के वास्ते दो लाइसेंस लम्बित पड़े थे। भवारना में शाखा 6-7-1984 को खोली गई। जैसे ही निआजपुर में प्रारंभिक कार्रवाई पूरी हो जाएगी वैसे ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वहां पर अपनी शाखा खोल देगा।

विवरण

कांगड़ा जिले में हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखाओं के नाम

1. चाचियांन
2. धीरा
3. चाड़ीयार
4. लुंज
5. चशरी
6. आलमपुर
7. रानीताल
8. छोविन
9. भाथूटींपरी
10. भटवार
11. बरांदा
12. बैजनाथ
13. हरचाकेन
14. सुलाह
15. नुआना
16. देहर
17. बडोह
18. बडूखर
19. बीर
20. तिआरा
21. टिहरी
22. राय
23. कोसरी
24. दरी

25. संधोल

26. जालम

27. सुलियाली

28. भतौर

29. रक्का

विभिन्न छावनी बोर्डों में प्रमुख और गैर-राजनीतिक व्यक्तियों का मनोनयम

4696. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न छावनी बोर्डों में मनोनयन के लिए असैनिक व्यक्तियों का चयन करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या है;

(ख) विभिन्न बोर्डों के लिए असैनिक सदस्यों का मनोनयन किन बातों पर ध्यान करके किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न बोर्डों में प्रमुख और गैर-राजनीतिक व्यक्तियों को मनोनीत करने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) बोर्ड के परिवर्तित गठन के अन्तर्गत असैतिक सदस्य का मनोनयन समय-समय पर यथासंशोधित छावनी अधिनियम 1924 की व्यवस्थाओं के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) परिवर्तित बोर्ड में सिविलियन सदस्य का मनोनयन, जनभावना वाले व्यक्तियों में से, उनके वैयक्तिक विवरण, पूर्ववृत्त, स्थानीय आधार पर उनकी ख्याति पर विचार करने और उसका मूल्यांकन करने तथा कमान के कमांडिंग-इन-चीफ अफसर के साथ परामर्श करके किया जाना है।

छावनियों में चुने गए बोर्डों की बजाए बोर्ड

4697. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ छावनी बोर्डों के कार्यकाल की समाप्ति पर, सरकार ने विधिवत् चुने गए बोर्डों को गठित करने की बजाए अलग-अलग बोर्ड गठित किए हैं;

(ख) उन छावनियों के नाम क्या हैं जहां पर देश में इस समय अलग-अलग बोर्ड हैं;

(ग) पिछले चुने हुए बोर्डों के सभाप्त होने पर चुने बोर्ड गठित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अलग-अलग बोर्डों के स्थान पर चुने गए छावनी बोर्डों को कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) छावनियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. फैजाबाद	11. देवलाली
2. पुणे	12. अल्मोड़ा
3. नैनीताल	13. औरंगाबाद
4. क्लेमें टाउन	14. कसौली
5. डलहौजी	15. सिकन्दराबाद
6. लैंसडोन	16. जतोंग
7. दानापुर	17. डागसाई
8. लैबोंग	18. सुबाठू
9. बधलोह	19. दिल्ली
10. अहमद नगर	20. मेरठ

(ग) और (घ) 1983 में छावनी अधिनियम 1924 में व्यापक संशोधन किया गया है। छावनियों में चुनाव संशोधित अधिनियम के अनुसार होंगे। चुनाव कराने के लिए तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ है।

दिल्ली छावनी बोर्ड में असैनिक आबादी वाले क्षेत्रों में ऊपरि टैंक का निर्माण

4698. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल व्ययन व्यवस्था में मदद करने और उसे सफल बनाने के उद्देश्य से दिल्ली छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत असैनिक आबादी वाले क्षेत्रों में उपरि टैंक का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छावनी बोर्ड, दिल्ली 35 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत पर सदर बाजार, मेहरम नगर, शास्त्री बाजार और पुराने नांगल में क्रमशः 2 लाख गैलन क्षमता, 25000 गैलन क्षमता, 1 लाख गैलन क्षमता और 25000 गैलन क्षमता वाले 4 उपरि टैंकों का निर्माण करने का विचार कर रहा है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू हो जाने की आशा है परन्तु यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। योजना के शुरू हो जाने की तारीख से उसे तीन वर्ष के भीतर पूरा करने का विचार है।

साउथ अफ्रीकन एयरवेज की 50वीं वर्षगांठ समारोह में एयर इंडिया के उत्तर अमरीका प्रमुख द्वारा भाग लिया जाना

4699. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के उत्तर अमरीकी प्रमुख ने न्यूयार्क में साउथ अफ्रीकन एयरवेज की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था;

(ख) क्या इस प्रकार उन्होंने रंगभेद और साउथ अफ्रीका संबंधी देश की नीति का उल्लंघन किया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या उन्हें अब वापस बुला लिया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के लिए एयर इंडिया के न्यूयार्क स्थित क्षेत्रीय निर्देशक श्री एन० एल० मित्तल रोटरी इन्टर नेशनल के पिछले लगभग 15 वर्षों के सदस्य हैं तथा वे इसकी बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीकी एयरवेज की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिए हाल ही में न्यूयार्क में रोटरी इन्टरनेशनल की एक बैठक आयोजित की गई थी। श्री मित्तल ने इस सभा में भाग लिया जिसमें अन्य लोगों के अलावा रोटरी अध्यक्ष तथा दक्षिणी अफ्रीकन एयरवेज के मुख्य कार्यकारी श्री गर्टवान डेर वीर तथा लुफ्थांसा (जर्मन एयरलाइन्स) के महाप्रबंधक ने भी भाग लिया था।

(ख) से (घ) विदेश मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों की समस्याएं

4700. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जून, 1984 को नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में सैनिक स्कूल संगठन के बोर्ड आफ गवर्नर्स की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में सैनिक स्कूल कर्मचारियों की उनकी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 27-6-1984 को सैनिक स्कूल सोसाइटी के बोर्ड आफ गवर्नर्स की एक बैठक हुई थी। बोर्ड ने सोसाइटी के अवैतनिक सचिव के इस प्रस्ताव पर विचार किया कि स्कूल सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए कई तरह के सेवा लाभ मंजूर किए जाएं और बोर्ड ने उन्हें मंजूर कर दिया।

(ख) और (ग) सैनिक स्कूल सोसाइटी नियमों के अन्तर्गत स्कूल कर्मचारियों को एसोसिएशन बनाने की मान्यता नहीं दी जा सकती। फिर भी बोर्ड आफ गवर्नर्स ने कर्मचारियों को संलग्न विवरण के अनुसार लाभ देने का निर्णय लिया है।

विवरण

(1) कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते की मंजूरी।

(2) सैनिक स्कूल कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर अंतरिम राहत।

(3) जो अध्यापक 1.6.1984 को 2 वर्ष से अपने अधिकतम वेतनमानों पर रुके हुए हैं उनको अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर एक रुकी हुई वेतन वृद्धि दी जा सकती है। जब इस वेतन वृद्धि को लेने के बाद अध्यापक का वेतन फिर स्थिर हो जाता है तो अवैतनिक सचिव उन्हें एक और वेतन वृद्धि मंजूर कर सकता है।

(4) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर, 27.6.1984 से यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते की अदायगी।

(5) सैनिक स्कूल अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु को 55 से 58 वर्ष तथा 58 से 69 वर्ष तक बढ़ाना। ये आदेश 27.6.84 से लागू हैं। शारीरिक स्वास्थता और सन्तोषजनक कार्य के आधार पर 58 वर्षों से अधिक समय तक सेवा में बनाए रखा जाना।

(6) सैनिक स्कूल कर्मचारियों को कुछ विशेष कार्यों के लिए 27.6.84 से एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिनों की सीमा तक विशेष आकस्मिक छुट्टी।

(7) 1.4.83 से सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों के लिए उपदान योजना आरम्भ करना।

कपड़े के आयात पर लगायी गई रोक की निन्दा

4701. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" के "टैक्सटाइल इम्पोर्ट कर्ब असेल्ड" शीर्षक से छपे समाचार की और आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या करांची, में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा और वस्त्र ब्यूरो में भारत शामिल हो रहा है;

(ग) इस ब्यूरो के उद्देश्य क्या हैं और यह ब्यूरो कपड़ा-निर्यातक देशों के बीच किस प्रकार सहयोग में वृद्धि करेगा;

(घ) इस ब्यूरो का पता क्या है और इस ब्यूरो के स्थायी सचिवालय में कर्मचारी किस आधार पर नियुक्त किए जायेंगे;

(ङ) विकासशील देशों में कपड़ा उद्योग उनके निर्यात पर कोटा प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में इस ब्यूरो की क्या भूमिका होगी; और

(च) क्या यह ब्यूरो टैक्सटाइल कमेटी और एम० एफ० ए० के अन्तर्गत गठित टी० एस० वी० जैसे निकायों के कार्य की पुनरावृत्ति नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत टेक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का सदस्य बन गया है। ब्यूरो के लक्ष्य तथा उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) विश्व के बाजारों में सदस्यों के टेक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग से निर्यातों के विरुद्ध निदेशित विभेदीकरण तथा संरक्षणवाद को दूर कराना और टैक्सटाइल तथा क्लोदिंग में विश्व व्यापार के सम्बन्ध में टेरिफ तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार में प्रतिपादित नियमों तथा सिद्धांतों को पूर्ण विनियोग कराना;

(ii) सदस्यों की, अन्तरिम तौर पर, यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि यथाविस्तारित टैक्सटाइल्स में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी प्रबंध के अधीन उनके अधिकारों का कारगर ढंग से प्रवर्तन हो; और

(iii) सदस्यों की इस बात में मदद करना कि वे टेक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग क्षेत्र से सम्बन्धित सभी संगत अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में अपनी कारगर सहभागिता पा सकें।

2. ब्यूरो का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। ब्यूरो का स्टाफ ब्यूरो के सभी सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली परिषद् द्वारा स्थापित विनियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

3. ब्यूरो की स्थापना से विकासशील देशों, टैक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग के निर्यातकों के बीच सहकारिता के कार्यक्रम की संस्थागत व्यवस्था हुई है जो लगभग गत चार वर्षों से प्रचालन में रही है। ब्यूरो परामर्शों और बहुपक्षीय वस्त्र वार्ताओं संबंधी सभी नीतियों तथा दृष्टिकोणों के समन्वय के लिए एक केन्द्रीय स्थल के रूप में कार्य करेगा, विकासशील देश ब्यूरो से तकनीकी तथा विश्लेषणात्मक सहायता के रूप में सहायता प्राप्त करेंगे जो आयातक देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्श तथा वार्ताएं करने के लिए आवश्यक है।

4. यह ब्यूरो वस्त्र समिति तथा टी० एस० बी० के कार्य की समीक्षा नहीं करेगा क्योंकि ये बाद वाले निकाय एम० एफ० ए० के सभी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें एम० एफ० ए० में निर्धारित रूप में विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादित करने होते हैं, जबकि ब्यूरो अनन्य तौर पर विकासशील देशों के हितों से संरक्षण से सम्बन्धित होगा।

इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत के बारे में बिल्लीमोरिया समिति की सिफारिशें

4702. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 6 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत की कार्य प्रणाली की जांच के लिए गठित की गई बिल्लीमोरिया समिति ने सरकार को अपनी सिफारशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कब प्रस्तुत की हैं;

(ग) उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक सिफारश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या निर्णय किया गया है; और उन पर यदि आगे कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क से (ग) वायुदूत के संबंध में श्री बिल्लीमोरिया को रिपोर्ट जनवरी, 1984 में प्राप्त हुई थी। इंडियन

एयरलाइन्स के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। मुख्य सिफारिशें वायुदूत की संगठनात्मक संरचना तथा इसकी भावी प्रचालनात्मक योजनाओं के सम्बन्ध में है।

(घ) वायुदूत के अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति तथा संचालन समूह के गठन से संबंधित दो सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्यान्वित कर दिया गया है। अन्य सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

वर्ष 1943 से पहले कब्जे में लिए गए मकानों के वितरण के सम्बन्ध में निदेश

4703. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वर्ष 1943 से पहले कब्जे में लिए गए मकानों के वितरण के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1983 में निदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निदेशों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। बम्बई में किराए पर लिए गए मकानों को वापस करने के अनुरोध पर विचार करते समय रक्षा मन्त्री ने निदेश दिए थे कि बहुत समय पहले अधिग्रहीत मकानों को छोड़ दिया जाए और उसके अनुसार भावी निर्माण कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

(ग) इस निदेश के अनुसरण में जून, 1984 के महीने में बम्बई में 48 मकान वापस कर दिए गए हैं।

रक्षा कार्मिकों के लिए आवास निर्माण के कार्यक्रम में भी तेजी लाई जा रही है।

विदेशी एयर लाइनों से मानार्थ-यात्रा-टिकट प्राप्त करना

4704. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, दिल्ली और विदेशों में नियुक्त एयर इण्डिया के अधिकारियों द्वारा विदेशी एयरलाइनों से अपने लिए और अपने परिवार के लिए मानार्थ निःशुल्क यात्रा-टिकट प्राप्त करने के बारे में कोई मानदण्ड या मार्ग-निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई अधिकारी एयर इण्डियन के प्राधिकारियों की पूर्वानुमति के बिना इस प्रकार की मुफ्त विदेशी यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकता है;

(घ) क्या उक्त अधिकारियों और उनके परिवारों द्वारा इस प्रकार की मुफ्त यात्रा का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है और विदेशों से अनधिकृत वस्तुओं की खरीद और आयात करके और विदेशों में एयर इण्डिया की कारों और आवासों का प्रयोग करके उनकी मेजबानी का भी बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) मुफ्त यात्रा सुविधा का ऐसा दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक एयरलाइन द्वारा दूसरी एयरलाइन के अधिकारियों को मानार्थ अथवा रियायती पास दिया जाना तथा/अथवा इंटरलाइनिंग सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के विनियमों द्वारा विनियमित होता है। एयर इण्डिया में विभागों के अध्यक्षों/अनुभागों के अध्यक्षों को इन्टर-लाइन यात्रा के लिए आवेदनों की छानबीन करनी होती है। केवल कर्मचारियों, उनकी पत्नियों/उनके पतियों तथा बच्चों के लिए आवेदनों पर विचार किया जाता है। सामान्तर क्षेत्रकों पर इन्टरलाइन यातायात को एयर इंडिया कर्मचारी यात्रा विनियमों के अधीन कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार उनके नाम पर चढ़ा दिया जाता है।

(घ) सामान्यतया इन सुविधाओं का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त एयर इण्डिया के कर्मचारियों के लिए सीमा-शुल्क विनियम लागू होते हैं तथा यदि कोई कर्मचारी इन सुविधाओं का दुपपयोग करता पाया जाता है तो इसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) मार्गदर्शी सिद्धांत/मानक पहले ही निर्धारित किए हुए हैं और यदि एयर इण्डिया के ध्यान में दुरुपयोग का कोई मामला आता है तो एयर इण्डिया यात्रा विनियमों के अधीन पास यात्रा अधिकार के निलम्बन सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 1982 और 1983 के दौरान सेवेसिक एसिड का आयात

4705. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में सेवेसिक एसिड का आयात किया गया और किन-किन देशों से आयात किया गया; और

(ख) क्या उक्त आयात किसी गैर-सरकारी व्यापार प्रतिष्ठान के माध्यम से किया गया था अथवा किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से, और यदि गैर-सरकारी एजेन्सी के माध्यम से किया गया तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सिवेसिक एसिड के आयात से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह मद भारतीय

व्यापार वर्गीकरण संशोधन-2 में, जिसके आधार पर भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े रखे जाते हैं, अलग से वर्गीकृत नहीं है। पार्टी-वार आयात से सम्बन्धित जानकारी नहीं रखी जाती है।

रक्षा सेवा कार्मिकों को बढ़ी दरों पर गृह निर्माण ऋण

4706. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सिविलियन अधिकारियों को मंजूर 1.25 लाख रुपए की बढ़ी हुई दर पर रक्षा सेवा कार्मिकों को गृह निर्माण ऋण मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस मामले में उनके साथ भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि 1-4-84 से 70,000 रु० से बढ़ाकर 1.25 लाख रु० कर दी गई थी। लेकिन यह अतिरिक्त रकम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना से पूरी की जाती है। रक्षा सेवा कार्मिकों की अपनी बीमा योजनाएं हैं इसलिए सेना मुख्यालयों से कहा गया है कि वे उक्त प्रयोजन के लिए इन बीमा योजनाओं से धन की संभावना पर विचार करें।

हथकरघा बुनकरों, हथकरघा दस्तकारों को ऋण दिए जाने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका

4707. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों, हथकरघा दस्तकारों और अन्य दस्तकारों को ऋण देने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की क्या भूमिका है;

(ख) क्या ग्रामीण सहकारी बैंक बुनकरों और दस्तकारों को ऋण देते हैं;

(ग) यदि हां, तो बुनकरों और दस्तकारों द्वारा कुटीर और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज की दर क्या है; और

(घ) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान उपर्युक्त द्वारा कितनी राशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) "नाबार्ड" हथकरघा बुनकरों, शिल्पियों तथा अन्य कारीगरों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन उद्योग-सेवा-व्यापार संघटकों के लिए निर्धारित हिताधिकारियों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के वास्ते सभी पात्र बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

बुनकरों तथा अन्य कारीगरों की कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के वास्ते "नाबार्ड" की पुनर्वित्त सुविधाएं राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक बुनकर

समितियों/औद्योगिक सहकारी समितियों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बृहदाकार बहुउद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समितियों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं ।

(ग) कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना के वास्ते अन्तिम ऋणकर्ता से वसूल किये जाने वाले ब्याज ही दरें नीचे लिखे अनुसार हैं :—

तालिका-I

प्रयोजन	ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष
1	2
1. शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर समितियों द्वारा कपड़े की खरीद तथा बिक्री	7½
2. प्राथमिक बुनकर समितियों की उत्पादन तथा विपणन सम्बन्धी गतिविधियां	7½
3. ग्रामीण-स्तर की समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बृहदाकार बहुउद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समितियों के माध्यम से बुनकरों तथा अन्य कारीगरों का वित्तपोषण	10½
4. कुटीर तथा लघु उद्योगों के 22 बड़े समूहों के अन्तर्गत आने वाली औद्योगिक सहकारी समितियों की उत्पादन तथा विपणन सम्बन्धी गतिविधियां	9

तालिका-II

ब्लाक पूंजी/संमिश्र ऋण	
1. हथकरघों की खरीद/आधुनिकीकरण और कार्यशालाओं का निर्माण	10
2. शीर्ष क्षेत्रीय बुनकर समितियों द्वारा हथकरघा एम्पोरियमों की स्थापना/नवीकरण	11½*
3. हथकरघा विकास निगमों द्वारा हथकरघा एम्पोरियमों की स्थापना/नवीकरण	12½**

*राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया गया पुनर्वित्त ।

**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दिया गया पुनर्वित्त ।

1	2
4. वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन उद्योग-सेवा-व्यापार संघटक का वित्तपोषण	10

(घ) वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान बुनकर समितियों तथा औद्योगिक सहकारी समितियों की उत्पादन तथा विपणन गतिविधियों के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक/"नाबार्ड" द्वारा स्वीकृत ऋण सीमाएं इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	निम्नलिखित वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण सीमाएं		
	1981-82	1982-83	1983-84
1. बुनकर सहकारी समितियां (कपड़े की बिक्री के वास्ते शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर समितियों को स्वीकृत ऋण सीमाओं सहित	97.27	145.31	189.17
2. औद्योगिक सहकारी समितियां (नारियल रेशा सहित)	5.85	5.54	6.28
3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बृहदाकार बहुउद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समितियों के माध्यम से अलग-अलग ग्रामीण कारीगरों का वित्त-पोषण	1.10	2.36	2.93

सीमा शुल्क अधिकारियों के पास पड़े टी० वी० सैट

4708. **श्री नवीन रावणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और जनवरी से जून, 1984 के दौरान कितने रंगीन टी० वी० सैटों का आयात किया गया था;

(ख) आयात किए गए रंगीन टी० वी० सैटों पर किस दर से शुल्क लगाया गया था;

(ग) क्या बहुत बड़ी संख्या में रंगीन टी० वी० सैट सीमा शुल्क अधिकारियों के पास पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ये कितने समय से पड़े हैं और उनको किस तरीके से निपटाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सीमा शुल्क गृह ऐसी सांख्यिकीय सूचना एकत्र नहीं करते हैं और इसलिए यह उपलब्ध नहीं है ।

(ख) असबाब के रूप में आयातित मदों (जिनसे रंगीन टी० वी० भी शामिल हैं) के सम्बन्ध में शुल्क की दर, 1250 रुपये के शुल्क मुक्त मोक की रकम से अधिक 2000 रुपये के प्रथम खण्ड के लिए 170 प्रतिशत है तथा उसके बाद की रकम के लिए 240 प्रतिशत है। कार्गो के रूप में आयातित टी० वी० सैटों के लिए शुल्क की दर, 51 से० मी० आकार की स्क्रीन वाले टी० वी० सैट के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत+40 प्रतिशत+15 प्रतिशत (अतिरिक्त शुल्क) तथा 51 से० मी० से अधिक के आकार वाले टी० वी० सेट के संबंध में 100 प्रतिशत+40 प्रतिशत+30 प्रतिशत (अतिरिक्त शुल्क) है।

(ग) और (घ) यदि किसी मद की साठ दिन की अवधि के भीतर निकासी नहीं की जाती है तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के अन्तर्गत आयातकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद उसे बेचा जा सकता है । अनिकासित पड़े ऐसे टी० वी० सेटों की संख्या थोड़ी-सी है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजा गया धन

4709. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 और 1982-83 में विदेशी निजी कंपनियों ने इस देश से कितना धन स्वदेश भेजा है;

(ख) विदेशों में भारतीय निजी कंपनियों ने कितना धन अपने देश में भेजा है और तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में आने वाले धन की तुलना में देश से बाहर भेजे जाने वाले धन में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध हो जाएगी उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

धनबाद में मोटर वाहन दुर्घटनाओं के मामलों को निपटाए जाने में विलम्ब

4710. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** धनबाद में मोटर वाहनों का बीमा के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4124 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में ऐसे कई मामले 8 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं जिनके दावों को अभी तक नहीं निपटाया गया है, यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनका ध्यान ट्रक नम्बर बी० आर० डब्ल्यू० 7743 के एक विशिष्ट मामले की ओर दिलाया गया है जो कि 15 मार्च, 1975 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था परन्तु उक्त दुर्घटना के लिए व्यक्ति को बीमा कम्पनी द्वारा अभी तक मुआवजा राशि की अदायगी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा दावों और मुआवजों के निपटाने में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को हुए लाभ/हानि

4711. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया ने 1983-84, और वर्ष 1984-85 में जून, 1984 तक, कितना-कितना लाभ कमाया और कितना-कितना घाटा उठाया;

(ख) उक्त एयरलाइनों के विमानों से कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1983-84 में क्रमशः 57.39 करोड़ रुपये तथा 45.85 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया। अप्रैल-जून, 1984 की अवधि के लिए एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का अनुमानित निवल लाभ क्रमशः 12.40 करोड़ रुपये तथा 10.86 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) वर्ष 1983-84 तथा अप्रैल-जून, 1984 की तिमाही में एयर इंडिया द्वारा क्रमशः 18,25,777 तथा 4,55,496 यात्रियों ने यात्रा की। इसी अवधि में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 76.69 लाख तथा 21.11 लाख यात्रियों ने यात्रा की।

यात्री-डिब्बों का निर्यात

4712. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल विभाग द्वारा 1983-84 और 1984-85 (जून, 1984 तक) की अवधि के दौरान कितने यात्री डिब्बों का निर्यात किया गया;

(ख) इनका निर्यात कौन-कौन से देशों को किया जा रहा है और उससे सरकार को कितनी आय हो रही है;

(ग) क्या भविष्य में और अधिक डिब्बे निर्यात किए जाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि०, (पी० ई० सी०) ने, जो कि सवारी डिब्बों के निर्यात के लिए सरणीकरण अभिकरण है, 105.5 लाख रुपए संविदा मूल्य पर बंगलादेश को अप्रैल-जून, 1984 की अवधि के दौरान 9 मीटर गेज सवारी डिब्बों की सप्लाई की है। इस मद का 1983-84 के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ।

(ग) तथा (घ) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भाग लेकर डिब्बों/कोचों के निर्यात के लिए प्रयास कर रहा है। इस समय मौजाम्बीक को 158 लाख रुपए मूल्य के 15 माल-डिब्बों तथा अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई के लिए एक आर्डर कार्यान्वयनाधीन है। हाल ही में पी० ई० सी० ने 806 लाख रु० के अनुमानित मूल्य पर बंगलादेश को 60 एम० जी० सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्थान में मारवाड़ ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोला जाना

4713. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में मारवाड़ ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं खोली गयी हैं और चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन स्थानों पर शाखाएं खोले जाने का विचार है;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं और इन बैंकों ने कितनी राशि वसूल की है; और

(ग) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1983 के अंत में राजस्थान के जालोर, सिरोही और पाली जिलों में मारवाड़ ग्रामीण बैंक की 113 शाखाएं कार्यरत थीं। उन स्थानों के नामों का पता लगाया जा रहा है जहां पर शाखाएं खोलने के वास्ते

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस पड़े हैं और जब यह सूचना उपलब्ध हो जाएगी तब उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण बैंक द्वारा 81724 ऋण खातों के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों की 19.65 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी जिसमें 48607 खातों के अधीन अतिदेय राशियां 7.25 करोड़ रुपए की थीं। आंकड़ा सूचना प्रणाली से जिलावार ब्यौरे का पता नहीं चलता।

ईसबगोल का निर्यात

4714. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इसबगोल का निर्यात करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 85 के निर्यात लक्ष्य क्या हैं;

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से निर्यात होता है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको यह फर्में निर्यात करती हैं; और

(घ) सरकार को इसके निर्यात से कितनी आमदनी होती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति बिभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) ईसवगोल (सीलियम सीड्स तथा सीलिम हस्क) के निर्यात की अनुमति अनियंत्रित आधार पर मुक्त रूप से है।

(ख) 1984-85 के दौरान 20 करोड़ रुपए के ईसबगोल निर्यात की संभावना है।

(ग) जबकि निर्यातों के गंतव्य स्थल का निर्धारण वार्ताओं और आफर की गई कीमतों के आधार पर किया जाएगा. ईसवगोल, के प्रमुख निर्यातिक निम्नलिखित हैं :—

1. मै० हिन्दुस्तान ट्रेडिंग कारपोरेशन, सिधपुर
2. मै० जय इन्डस्ट्रीज, सिधपुर
3. मै० के० वी० पटेल, सिधपुर
4. मै० विजय इन्डस्ट्रीज, सिधपुर
5. मै० अबुष्या इन्डस्ट्रीज. सिधपुर
6. मै० सतपाल कुमार एण्ड संस, सिधपुर
7. मै० सिधपुर ईसबगोल प्रोसेसिंग कं०, सिधपुर
8. मै० राजेन्द्र ब्रादर्स, सिधपुर

ईसबगोल का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा; पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, आयरलैण्ड, फ्रांस, जापान, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मस्कट, श्रीलंका, सऊदी अरब, कतार आदि को किया जाता है।

(घ) सरकार इस मद का निर्यात सीधे नहीं कर रही है।

अनुमानित राशि से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

4715. **श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बैंकों की ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिक धन देने को बाध्य होना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मालूम करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि सहायता प्राप्त एककों में अनुमानित लागत में वृद्धि किस प्रकार हुई है;

(ग) अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण से अधिक राशि मांगने वाली परियोजनाओं के विवरण क्या हैं और उनमें से कौन-सी उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं में अनुमानित लागत में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ङ) अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण कुल कितना धन लगाना पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) परियोजनाओं के लिए सहायता देते समय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सामान्य रीति यह है कि वह प्रवर्तकों से इस आशय का वचन ले लेता है कि अगर परियोजना की लागत अत्यधिक बढ़ जाने की सूरत में प्रवर्त्तक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अतिरिक्त सहायता लिए बिना वित्त-व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर लागतों की अत्याधिक वृद्धि को तर्कसंगत और प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर का समझा जाता है और परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अलग-अलग मामलों के गुण-दोषों को देखते हुए, लागतों की अत्याधिक वृद्धि की वित्त-व्यवस्था करने के लिए सहायता प्रदान कर देता है।

(ख) लागतों की अत्याधिक वृद्धि का समय-समय पर अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उड़ीसा में चल रही 10 परियोजनाओं के मामले में, लागतों की अत्याधिक वृद्धि को पूरा करने के लिए कुल

1092.50 लाख रुपये की राशि मंजूर की। इन दस परियोजनाओं में से आठ परियोजनाएं पिछड़े इलाकों में स्थित हैं। पिछड़े इलाकों में स्थित आठ परियोजनाओं के संबंध में लागतों के अत्याधिक वृद्धि प्रतिशतता 19.3 और 41.00 के बीच थी जबकि पिछड़े इलाकों से भिन्न इलाकों में स्थित दो परियोजनाओं के संबंध में यह प्रतिशतता 21.5 और 59.7 के बीच में थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 29 के उपबंधों के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती, अतः जिन परियोजनाओं ने लागत की अत्याधिक वृद्धि को पूरा करने के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है, उनसे संबंधित ब्यौरा नहीं बताया जा सकता।

(ङ) 30.6.1984 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, देश में लागतों की अत्याधिक वृद्धि को पूरा करने के लिए, 452 करोड़ रुपये की कुल सहायता मंजूर की थी।

नौवहन कम्पनियों की वित्त पोषण व्यवस्था के पुनरीक्षण के लिए समिति की नियुक्ति

4716. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिपिंग कम्पनियों के वित्त पोषण की व्यवस्था का पुनरीक्षण कर और बैंक-सिद्धान्तों को लागू करने के विशेष संदर्भ में मंदी के दिनों में उन्हें यथासंभव अधिक वित्तीय सहायता मंजूर करने के बारे में एक विशेष समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और किन नौवहन कम्पनियों ने उनसे वित्तीय सहायता मांगी है और प्रत्येक ने कितनी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है;

(ग) ऐसी वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए और कोई मार्ग निर्देश हैं तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या इस सहायता के उचित उपयोग पर निगरानी रखने और इन नौवहन कंपनियों के वित्तीय कार्यकरण के निरीक्षण के लिए कोई तंत्र बनाया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने सचिव, नौवहन और परिवहन की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयिक समिति गठित की है जो मंदी के संदर्भ में, नौवहन कंपनियों को सहायता देने के उपायों पर विचार करेगी।

(ख) और (ग) समिति की संरचना इस प्रकार है :

1. सचिव (जहाजरानी तथा परिवहन) अध्यक्ष

2. महानिदेशक, जहाजरानी, बंबई	सदस्य
3. सलाहकार/संयुक्त सलाहकार (परिवहन) योजना आयोग	सदस्य
4. कार्यकारी निदेशक, नौवहन विकास विधि समिति	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (जहाजरानी)	सदस्य
6. वित्तीय सलाहकार (जहाजरानी और परिवहन)	सदस्य
7. संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
8. संयुक्त सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
9. विधि सदस्य, नौवहन विकास विधि समिति	सदस्य
10. सालिसिटर, विधि मंत्रालय	सदस्य
11. सदस्य-सचिव नौवहन विकास निधि समिति	सदस्य
12. उप सचिव, नौवहन नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय	सदस्य-सचिव

समिति के सामने अलग-अलग नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि समिति का काम यह नहीं है कि वह अलग-अलग कम्पनियों से सहायता के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करे। अतः सरकार ने समिति द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किये हैं।

(घ) जी हां। इस प्रयोजन के लिए नौवहन विकास निधि समिति, नौवहन विकास निधि समिति से सहायता-प्राप्त विभिन्न नौवहन कम्पनियों के बोर्डों में नामित निदेशक नियुक्त करती है। नौवहन विकास निधि समिति के कार्यकारी निदेशक द्वारा इस समिति के विचारार्थ इन कम्पनियों के कार्य-निष्पादन के संबंध में आवधिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 का उल्लंघन

4717. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी सभी विमानों के प्रवेश द्वारों पर, "इण्डियन एयरलाइन्स" शब्दों को हिन्दी में नहीं लिखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह राजभाषा अधिनियम, 1963 का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइण्स के विमान बेड़े में सभी विमानों की दाहिनी ओर देवनागरी लिपि में "इण्यिन एयरलाइन्स" पहले से लिखा हुआ है। संसदीय राजभाषा समिति के एक सुझाव पर, यह तय किया गया कि देवनागरी लिपि में "इंडियन एयरलाइन्स" उस ओर लिखा जाए जिस ओर से यात्री विमान में सवार होते हैं। यह कार्य चल रहा है तथा इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में 54 विमानों में से 36 विमानों पर यह आशोधन कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात में कमी

4718. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात में कमी का रुख है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) सरकार का विचार स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए वर्ष 1984-85 में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) जूट उत्पादों के निर्यातों में गिरावट के लिए मुख्य कारण हैं; विश्व बाजार में मन्दी की स्थिति, संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों और अन्य उत्पादक देश से तीव्र प्रतिस्पर्धा।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1984-85 के दौरान जूट माल के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	मात्रा-हजार मे० टन
1. हेसियन	220.0
2. कार्पेट बैकिंग क्लाथ	55.0
3. सैकिंग	35.0
4. अन्य	40.0
योग	350.0

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय उपरोक्त (ग) के उत्तर में बताए गए हैं।

विवरण

(ग) सरकार द्वारा जूट माल के निर्यातों में सुधार लाने के लिए किए कुछ उपाय ये हैं :—

1. जूट माल की विभिन्न किस्मों के निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता योजना।

2. 50 : 50 हानि वहन की व्यवस्था सहित संयुक्त राज्य अमरीका को सी० बी० सी० के निर्यातों के लिए राज्य व्यापार निगम और निर्यातक मिलों के बीच एक सीधे संघ।

3. हमारे निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर० एण्ड डी० के जरिए गहन उत्पाद-विकास प्रयास।

4. व्यापार मेलों में भाग लेना और जूट-निर्यातों पर कार्यशालाएं तथा बाजार अभिमुख व्यापार प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना।

5. जूट उद्योग में 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी बैंक से ऋण

4719. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों ने विदेशी बैंकों से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं और उन विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं और ये बैंक किस देश से संबंधित हैं; और

(ग) मांगे गए उक्त ऋणों का ब्यौरा क्या है और ऋणों की वापस अदायगी की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में (सरकारी क्षेत्र की जहाजरानी कम्पनियों सहित) पहली अप्रैल, 1983 से 31 जुलाई, 1984 तक की हाल की अवधि के दौरान जारी किये गए विदेशी मुद्रा ऋणों की मंजूरियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। विदेशी मुद्रा ऋणों की व्यवस्था आमतौर पर विश्व के विभिन्न देशों में सक्रिय मुद्रा बाजारों में बैंकों के एक संघ (सिंडीकेट) द्वारा की जाती है। किसी संघ में भागीदार करने वाले बैंकों की संख्या हर ऋण के मामले में अलग-अलग होती है, जो आमतौर पर ऋण राशियों पर निर्भर करती है।

विवरण

पहली अप्रैल, 1983 से 31 जुलाई, 1984 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों (जहाजरानी कम्पनियों सहित) को दिए गए क्रेता ऋणों/विदेशी मुद्रा ऋणों की राशि

क्रम सं०	पक्ष का नाम	रुपये के समकक्ष ऋण की राशि (करोड़ रुपये)	ऋणदाता का नाम	वापसी की अवधि	ब्याज की दर
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	0.43	लॉयड बैंक इंटरनेशनल यू० के०	5	10 प्रतिशत
2.	-तदेव-	0.20	यूनियन डि बैंक सुइसेस स्विटजरलैंड	5	बैंकों के मध्यावधिक नोटों के जारी करने की दर पर 1.75 प्रतिशत प्रति वर्ष निवल
3.	-तदेव-	6.80	यूनियन बैंक आफ स्विटरलैंड	5	-तदेव-
4.	-तदेव-	0.20	-तदेव-	5	-तदेव-
5.	-तदेव-	1.54	के एफ डब्ल्यू पश्चिमी जर्मनी	5	9.75 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
6.	मैसर्स शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	37.43	स्टेट बैंक आफ इंडिया, सिंगापुर शाखा और एक वाणिज्यिक बैंक	8½	10.5 प्रतिशत
7.	मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स	6.55	स्टेट बैंक आफ इंडिया लंदन	7½	पहले चार वर्षों में लिबर से 5 प्रतिशत अधिक इसके पश्चात लिबर से 3/4 प्रतिशत अधिक
8.	मैसर्स विजाख स्टील प्लांट	13.00	बैंक दि नेशनल, पेरिस, फ्रांस	8	10 प्रतिशत वार्षिक
9.	मैसर्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि०	9.00	स्टेट बैंक आफ इंडिया टोकियो	8½	जे. एल. टी. पी. आर. 0.5 प्र. श. अधिक
10.	मैसर्स सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	7.60	निर्यात आयात बैंक अमेरिका	8	10 प्रतिशत
11.	-तदेव-	0.62	स्टेट बैंक आफ इंडिया टोक्यो	8½	लिबर से 0.5 प्रतिशत अधिक
		5.36	-तदेव-	8	लिबर के 3 महीने की तुलना में 3/4 प्रतिशत अधिक
		0.85	-तदेव-	8	-तदेव-
12.	मैसर्स मारुति उद्योग लि०	77.10	बैंक आफ टोक्यो द्वारा शीर्षस्थ बैंक के रूप में प्रबन्ध किया गया	7	पहले चार वर्षों के लिए लिबर से 3/8 प्रतिशत अधिक और इसके बाद लिबर से 0.5 प्र. श. अधिक
13.	मैसर्स इंडिया टी एंड रेस्टोरेंट	0.31	बैंक आफ बड़ोदा, लंदन	3½	2 प्रतिशत वार्षिक की प्रस्तावित बैंक दर
14.	मैसर्स विशाखा-पत्तनम स्टील प्रोजक्ट	49.06	के. एफ. डब्ल्लू पश्चिमी जर्मनी	10	0.75 प्रतिशत (जिसमें हमेस की 0.5 प्र. श. लागत शामिल है)

1	2	3	4	5	6
15.	विशाखापत्तनम स्टील प्रोजक्ट	5.73	के. एफ. डब्ल्यू. पश्चिमी जर्मनी	10	9 प्रतिशत
16.	-तदेव-	3.93	-तदेव-	10	9 प्रतिशत
17.	मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	3.05	एन. एम. बी. बैंक नीदरलैंड	5	9.75 प्रतिशत
18.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	52.25	चेस मैनहट्टन एशिया लि०	$8\frac{1}{2}$	लिबर की तुलना में 3/8 प्र. श. अधिक
19.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया	17.54	चेस मैनहट्टन एशिया लिमिटेड हांगकांग जो बैंक संघ के मुख्य प्रबन्धक के रूप में है	10	10.5 प्रतिशत
20.	तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	4.50	बेयर्स लैंड्स बैंक पश्चिमी जर्मनी	8	अस्थाई दर ए. के. ए. दर से 0.25 प्रतिशत अधिक है
21.	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	42.64	के. एफ. डब्ल्यू. पश्चिमी जर्मनी	10	10.2. प्र. श. जिसमें 0.7 प्र. श. हर्मस प्रभार शामिल है
22.	मैसर्स कोल इंडिया	100.00	लैजर्ड ब्रदर्स एंड कं० लि० लंदन	10	ओई. सी. डी. सम्मत दर से जुड़ी है 20 छमाई किस्तों में जिसमें $6\frac{1}{2}$ वर्ष स्थान अवधि शामिल है
23.	मैसर्स तेल प्राकृतिक गैस	45.06	जापान निर्यात आयात बैंक	$8\frac{1}{2}$	8.75 प्रतिशत
24.	-तदेव-	51.605	कोरियाई निर्यात आयात बैंक	10	9 प्रतिशत
25.	-तदेव-	59.51	-तदेव-	10	9.6 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
26.	मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	43.00	सिटी बैंक फ्रैंकफर्ट	9	9.125 प्रतिशत
27.	मैसर्स हिंदुस्तान मशीन	0.38	बी. एच. एफ. बैंक फ्रैंकफर्ट	5	9.375 प्रतिशत

लिबर—लंदन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर

ए. के. ए.—आसफरक्रेडिट जेसेलसाफ्ट एम. बी. एच. फ्रैंकफर्ट

ओ. बी. आर.—प्रस्तावित बैंक दर

जे. एल. टी. पी. आर.—जापानी दीर्घावधिक प्राथमिक दर

ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और अन्य सुविधाएं

4720. **श्री सत्यनारामण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को पदोन्नति, गृह निर्माण, ऋण, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा भत्ता देने संबंध नीति क्या है और उसके कार्यान्वियन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : पहली जुलाई, 1984 से सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा है कि वे क्लर्क-व-खजांची को, जिले चाबी की संयुक्त रक्षा का काम सौंपा गया हो, 30 रुपए प्रति मास की दर से नकद तथा चाबी का भत्ता (कैश एण्ड की एलाउंस) दें। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण देने की एक योजना तैयार की गई है। जहां तक छुट्टी यात्रा रियायत का सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वहां की राज्य सरकार में प्रचलित योजना के अनुसार ही अपने कर्मचारियों को उक्त रियायत देने के लिए अनुमति दे दी गई है। फिलहाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कर्मचारियों को अपने-अपने निदेशक मण्डल द्वारा तैयार की गई नीतियों के अनुसार पदोन्नति दे रहे हैं।

निजी क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों द्वारा इक्विटी शेयर/अपरिवर्तनीय डिबेन्चर जारी करके पूंजी जमा करना

4721. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों जैसे डी० सी० एम० टोयोटा, रिलाइन टैक्सटाइल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स लि० और कुछ अन्य कम्पनियों ने इक्विटी शेयर/अपरिवर्तनीय डिबेन्चर जारी करके कुछ करोड़ रुपए पूंजी जमा की है;

(ख) क्या कोई ऐसी सीमा निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रमोटर/डायरेक्टर कुल जारी धन में से कितनी इक्विटी पूंजी/डिबेन्चर रख सकता है, यदि हां, तत्संबंधी सीमा क्या है ;

(ग) क्या ये पूंजीपति अपनी छुपी सम्पत्ति को प्रयोग में लाने के लिए अधिकांशतः इन शेयरों को जारी करते हैं; और नए औद्योगिक एककों के लिए कर से छूट प्राप्त करते हैं; और

(घ) इन गृहों द्वारा उन उपक्रमों में अपने स्वयं के नाम पर अपने, रिश्तेदारों के नाम पर तथा अन्यों के नाम पर उन शेयरों को अधिकांश संख्या का आबंटन करके किए जाने वाले निवेश तथा इस प्रकार उनकी शेयरधारिता तथा मतदान अधिकार को अपने हाथों में रखने के प्रयासों पर सरकार द्वारा क्या नियंत्रण रखा जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सिक्यूरिटियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित प्रशासनिक मार्ग-निर्देशों के अनुसार नई कम्पनियों के निर्गमों में भारतीय संप्रवर्तकों (प्रमोटरों) का हिस्सा कम्पनी की जारी की गई पूंजी के 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। परन्तु यदि परियोजना की लागत का वह न्यूनतम प्रतिशत अंश, जिसके संबंध में संप्रवर्तकों द्वारा या तो वित्तीय संस्थानों की ओर से निर्धारित किसी शर्त के आधार पर अथवा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभिदान देकर पूरा किए जाने की अपेक्षा हो, 40 प्रतिशत के इस अनुमत्य स्तर से ज्यादा हो जाए तो संप्रवर्तकों को परियोजना की आरम्भिक अवस्था में 70 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में रहते हुए और अधिक प्रतिशत इक्विटी शेयरों को खरीद लेने की अनुमति दी जाएगी ताकि संप्रवर्तकों का अंशदान अपेक्षित स्तर के बराबर हो जाए। यह व्यवस्था इस शर्त पर की जाएगी कि 40 प्रतिशत के अनुमत्य स्तर पर से ऊपर संप्रवर्तकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विनिवेश कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरू करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर सामान्य जनता को उन शेयरों की बिक्री की पेशकश करके पूरा करना होगा बशर्ते कि कम्पनी ने सरकार से इस समयावधि को बढ़ाने की अनुमति प्राप्त न कर ली हो। जहां तक नए औद्योगिक एककों को उपलब्ध कराए गए कर अवकाश का संबंध है, इस पर आय कर अधिनियम 1961 के उपबंध लागू होते हैं और संप्रवर्तकों अथवा जनता द्वारा किए जाने वाले निवेश से इसका किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।

अशोक होटल, नई दिल्ली के स्टाफ क्वाटरों की भूमि पर अवैध कब्जा

4722. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल, नई दिल्ली के स्टाफ क्वाटरों से लगी दुकान, वहां के निवासियों के चमड़े के जूतों की मरम्मत की सुविधा के लिए एक जूते बनाने वाले को आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस दुकान का क्षेत्रफल और किराया कितना है और किराए का आकलन किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या उपरोक्त जूता-निर्माता ने विशाल भू-खण्ड पर अवैध कब्जा करके अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी है जिससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर स्थितियां पैदा की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उसने अवैध रूप से कितने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है;

(ङ) अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है; और

(छ) अवैध कब्जा करने की अनुमति देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां, एक शैड, जिसका माप 506 वर्ग फीट था, अशोक होटल के प्रबन्धकों द्वारा 500 रुपये प्रतिवर्ष की लाइसेन्स-फीस पर एक जूता-निर्माता को आबंटित किया गया था।

(ग) से (छ) जुलाई, 1983 में आई० टी० डी० सी० मैनजमैंट के नोटिस में यह आया कि जूता-निर्माता ने लगभग 495 वर्ग फीट के एक अतिरिक्त क्षेत्र पर अप्राधिकृत कब्जा कर लिया है। मैनेजमैंट ने उसके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्णय किया है।

भारत पर्यटन विकास निगम में उन अधिकारियों की पदोन्नति, जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो/विभागीय सतर्कता जांच चल रही है

4723. **श्री भीखा भाई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों को, जिनके विरुद्ध जांच-कार्य चल रहा है, जांच के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ही पदोन्नत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में विभिन्न कार्यालयों/मण्डलों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारियों को विभागीय सतर्कता जांच/सी० बी० आई० जांच के अंतिम निर्णय के बिना ही पदोन्नत कर दिया गया है;

(घ) क्या कुतुब होटल, विपणन मण्डल, शुल्क मुक्त दुकानों में कार्यरत अनुसूचित जाति के कुछ कर्मचारियों को उसी स्थिति में पदोन्नति नहीं दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तस्करी और कर अपवंचन में वृद्धि संबंधी अध्ययन

4724. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थशास्त्रियों और समाज शास्त्रियों द्वारा तस्करी और कर-अपवंचन में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का अध्ययन करवाने का है जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान नई दिल्ली को शुल्क लगने योग्य 5 जिन्सों के संबंध में, जिनके बारे में उत्पादन शुल्क के अपवंचन की प्रवृति का होना समझा जाता है, उत्पादन शुल्क अपवंचन किस सीमा तक होता है, इस बारे में विशेष अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। इस संस्थान को काले धन का अध्ययन कार्य भी सौंपा गया है जिसमें उन कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करना शामिल है जिससे काले धन की वृद्धि होती है तथा/अथवा उसकी उत्पत्ति में सहायता मिलती है।

(ख) तथा (ग) संस्थान ने शुल्क लगने योग्य 2 जिन्सों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो सरकार के विचाराधीन है। काले धन के अध्ययन के बारे में संस्थान की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इंडियन ओवरसीज बैंक, कलकत्ता के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

4725. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक, कलकत्ता के आठ कर्मचारियों, जिन्होंने बैंक की कलकत्ता स्थित शाखा के कतिपय कर्मचारियों पर हमला किया था और हाथापाई की थी, के विरुद्ध जांच में विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जांच समाप्त करने और कलकत्ता के बैंक के ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक, कलकत्ता के प्रबंधकों ने उक्त कर्मचारियों के प्रति नरमी बरतने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि कलकत्ता में काम कर रहे इसके 6 कर्मचारियों को दिसम्बर, 1982 में

हाथापाई करने पर चार्जशीट किया गया था। बैंक ने आगे बताया है कि उस क्षेत्र के वर्तमान अशांत औद्योगिक संबंधों को मद्दे नजर रखते हुए, चार्जशीट किए गए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई पूरा करना संभव नहीं हो सका।

(ग) और (घ) इण्डियन ओवरसीज बैंक के अनुसार इसके कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने चार्जशीट किए गए कर्मचारियों के प्रति नरमी बरतने का कोई सुझाव नहीं दिया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर औषधियों पर से उत्पाद/बिक्री कर की छूट

4726. **श्री के० टी० कौसलराम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिरद् के कार्यदल ने यह सिफारिश की है कि औषधियों को उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और चुंगी से छूट मिलनी चाहिए और औषधि मध्यवर्ती पर आयात शुल्क बल्क औषधियों से कम होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ताकि औषधि उद्योग इनके दामों को लगभग एक चौथाई कम कर सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्वालियर रेयन मिल में 15 जुलाई, 1984 को हुए विस्फोट में जान माल की हानि

4727. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर रेयन मिल में 15 जुलाई, 1984 को हुए विस्फोट में जान माल का कितना नुकसान हुआ और प्रत्येक मृतक/घायल कर्मचारी के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) मिल में विस्फोट के क्या कारण हैं और की गई जांच का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) ऐसी सूचना मिली है कि ग्वालियर रेयन मिल में 15 जुलाई, 1984 को हुए विस्फोट में कोई जान हानि नहीं हुई है। जिन 29 कामगारों के घायल होने की सूचना मिली थी, उन्हें चिकित्सा देख-रेख प्रदान की गई।

मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही वायलरों के मुख्य निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट तीन महीनों के अन्दर पेश की जानी है।

13 जुलाई, 1984 को इंडियन एयरलाइन्स की नई दिल्ली/श्रीनगर उड़ान को रद्द किया जाना

4728. **श्री विजय कुमार यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए इंडियन एअरलाइन्स की उड़ान को रद्द किया गया और 14 जुलाई, 1984 को पुन: शुरू कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उड़ान को रद्द करने के क्या कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीनगर को प्रचालन करने वाली सभी उड़ानें दि० 13-7-1984 को इसलिए रद्द कर दी गई थीं क्योंकि श्रीनगर में उस दिन कर्फ्यू आदेश लागू हुए थे।

सरकार द्वारा 1983-84 में खरीदी गई अफीम

4729. **श्री चतुर्भुज : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान किसानों से कितनी (सही मात्रा) मात्रा में अफीम खरीदी और राजस्थान के कोटा झालाबाड और चित्तौड़ क्षेत्रों के किसानों से कितनी (सही मात्रा) अफीम खरीदी; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों और जिलों में अफीम के कुल भार और उसे तोलने की पद्धतियों में अन्तर है, और यदि हां, तो वर्ष 1982-83 तथा वर्ष 1883-84 के दौरान अफीम के स्टाक में कुल कितनी मात्रा में अफीम कम पाई गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार को फसल वर्ष 1983-84 के दौरान 70 अंश गाढ़ता वाली 5,57,464 किलोग्राम (अनंतिम) अफीम प्राप्त हुई। उसी वर्ष के दौरान प्रश्न में निर्दिष्ट जिलों से 70 अंश गाढ़ता वाली अफीम निम्नोक्त मात्रा में प्राप्त हुई :—

जिला	प्राप्त हुई अफीम की मात्रा (अनंतिम) (किलोग्राम में)
कोटा	52,842.249
झालावाड़	47,591.247
चित्तौड़गढ़	66,642.160

(ख) विभिन्न पोस्त उत्पादक राज्यों में तोल-प्रणाली एक-जैसी है। तथापि, तोल-केन्द्र के तोल में और अफीम के सरकारी कारखाने की रिपोर्ट के मुताबिक तौल में कुछ अन्तर हो सकता है, क्योंकि तौल-केन्द्र पर तौल 70 अंश गाढ़ता के मुताबिक संगणित किया जाता है, जिसका निर्धारण अफीम को हाथ में उठा करके अनंतिम रूप से किया जाता है और अफीम के सरकारी कारखाने में अफीम की गाढ़ता का मूल्यांकन प्रयोगशाला में उनके विश्लेषण के बाद किया जाता है और तत्पश्चात् उसका तौल 70 अंश गाढ़ता के अनुसार किया जाता है। तथापि, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि यह अन्तर उचित सीमा में है। हालांकि कारखाने के वर्ष 1983-84 के विश्लेषण-आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी फसल वर्ष 1982-83 के दौरान राजस्थान राज्य से प्राप्त अफीम के सम्बन्ध में तौल-केन्द्र और कारखाने की रिपोर्ट के मुताबिक तौल के बीच अन्तर 726.647 किलोग्राम है।

स्वर्ण मंदिर के अंदर पकड़े गए सिख आतंकवादियो पर सेना द्वारा किए गए अत्याचार

4730. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 जून, 1984 के लंदन "टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसे स्वर्ण मंदिर कंप्लेक्स के अन्दर पकड़े गए सिख आतंकवादियों पर सेना द्वारा किए गए अत्याचारों का आंखों देखा हाल होने का दावा किया गया है;

(ख) क्या अमृतसर स्थित ए० पी० संवाददाता के अनुसार, उक्त चश्मदीद गवाह, जालंधर अस्पताल में काम करने वाला एक सिख डाक्टर था; और

(ग) इस आरोप का सरकारी तौर से खंडन नहीं किया गया कि कई आतंकवादियों को बांध कर उन्हें गोली से उड़ा दिया गया था ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार ने 14-6-1984 के लंदन "टाइम्स" के छपी खबर को देखा है। यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है। इस शरारतपूर्ण, दुर्भावपूर्ण और झूठी खबर का खंडन करने के लिए हमारे विदेश स्थित मिशनों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं।

चार्टर्ड बैंक, कलकत्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को हिन्दी में आरोपपत्र देने से इन्कार

4731. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित चार्टर्ड बैंक, अपने कर्मचारियों को हिन्दी में अथवा सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली किसी भाषा में आरोप-पत्र देने से इन्कार करता है यद्यपि बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले पंचाटों और समझौतों के अन्तर्गत (पहले द्विपक्षीय समझौतों का पैरा 19.16) ऐसा करना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रावधानों, जो कि शास्त्री पंचाट (पैरा संख्या 560 और 561) के अनुसार एक स्थायी आदेश है, के उल्लंघन के विरुद्ध क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब नेशनल बैंक, डिब्रूगढ़ में कर-अपवंचन और बेनामी चालू खातों के मामले

4732. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पंजाब नेशनल बैंक, डिब्रूगढ़ (असम) में लाखों रुपए के कर अपवंचन और बेनामी चालू खातों के बारे में लिखित रूप में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) क्या खाताधारी के चैकों को बैंक में रिकार्ड किए गए उसके नमूना हस्ताक्षरों की तुलना में बिल्कुल अलग नाम से हस्ताक्षरित होने पर भी उनका भुगतान किया गया है;

(ग) इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) डिब्रूगढ़ स्थित आयकर विभाग की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख), (ग) से (घ) पंजाब नेशनल बैंक की डिब्रूगढ़ शाखा के प्रबंधक ने सूचित किया है कि इस प्रकार के कोई बेनामी खाते नहीं हैं और इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है ।

भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग पर संयुक्त समिति की बैठक

4733. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नीडरलैंड के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक जून, 1984 में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किए गए समझौते के क्या निष्कर्ष रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी सम्बन्धों को बढ़ाने तथा उनका विस्तार करने की इच्छा दोहराई ।

वित्तीय संस्थानों को अग्रिम ऋण के लिए सिफारिश किए गए आवेदन-पत्र

4734. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 4.3 लाख उद्यम संबंधित आवेदन-पत्रों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिन्हें अग्रिम ऋण देने के लिए वर्ष 1983-84 में वित्तीय संस्थानों से सिफारिश की गई है;

(ख) उन 2.4 लाख ऋण आवेदन-पत्रों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिन्हें 401 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी रखी जा रही है कि निजी रोजगार पैदा करने के लिए ऋणों का उपयोग किया जाए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का संकेत संभवतः केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना की ओर है जिसके अन्तर्गत 31-3-1984 तक 2.42 लाख हिताधिकारियों को 401.54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो अन्य बैंकों के साथ इस योजना पर नजर रखता है, अनुदेश जारी किए हैं कि हिताधिकारियों के चयन, वितपोषित गतिविधियों की किस्मों, मूल्यांकन, निरीक्षण, अनुवर्ती कार्रवाई तथा इस योजना के अधीन दिये गये ऋणों की वसूली के मामले में बैंकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

विवरण

बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या और मंजूर की गई धनराशि

	राज्य का नाम	बैंकों द्वारा मंजूर किए गए आवेदन	राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14781	2936.00
2.	असम	8021	1540.44
3.	बिहार	14230	2278.64
4.	गुजरात	10497	1538.88
5.	हरियाणा	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	449.69

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	1416	287.95
8.	कर्नाटक	12307	1960.00
9.	केरल	13091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	18786	2857.80
11.	महाराष्ट्र	24579	4024.28
12.	मणिपुर	991	119.82
13.	मेघालय	353	75.09
14.	नागालैंड	189	39.25
15.	उड़ीसा	6823	1368.62
16.	पंजाब	9047	1689.60
17.	राजस्थान	15054	2365.30
18.	सिक्किम	15	3.65
19.	तमिलनाडु	21247	3316.00
20.	त्रिपुरा	696	97.33
21.	उत्तर प्रदेश	36857	5382.85
22.	पश्चिम बंगाल	23680	4481.92
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66	15.22
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	6.91
25.	चंडीगढ़	325	56.50
26.	दादर और नगर हवेली	54	10.71
27.	मिजोरम	196	42.61
28.	पांडिचेरी	414	40.00
	जोड़ :	242405	40154.05

स्रोत : उद्योग मंत्रालय

(आंकड़े अनन्तिम)

कपड़ा मशीन निर्माता उद्योग को कम आर्डर प्राप्त होना

4735. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मशीन निर्माता उद्योग को पिछले 12 महीनों में 507 करोड़ रुपये वार्षिक की मशीनें बनाने की स्थापित क्षमता की तुलना में केवल 165 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों ने मशीनों की डिलीवरी स्वीकार करना स्थगित कर दिया है अथवा 35 करोड़ रुपये के आर्डर रद्द कर दिए हैं;

(ग) क्या सरकारी कताई मिलों द्वारा जिन्हें आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुए हैं, देशीय मशीनों की खरीद करने पर प्रतिबन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस उद्योग में वर्तमान क्षमता के बेहतर उपयोग हेतु क्या योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग को गत 12 महीनों में 165 करोड़ रुपये के आर्डर मिले हैं जबकि उसकी मशीन बनाने की स्थापित क्षमता 507 करोड़ रुपये वार्षिक है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम राष्ट्रीयकृत वस्त्र एककों के संबंध में कार्यक्रम तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार अपनी आधुनिकीकरण की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। कुछ मामलों में, जहां परियोजनाओं की स्वीकृति में देरी के कारण कुछ स्थानों के सिवाय, कुल मिलाकर वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं को एन. टी. सी. द्वारा दिये गये आर्डरों में कोई विशेष स्थगन/निरसन नहीं हुआ है।

(ग) इस समय विश्व बैंक से सहकारी कताई मिलों को आधुनिकीकरण के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार ने वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए विभिन्न उपाय किये हैं जिनसे वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग को बेहतर क्षमता उपयोग करने में भी मदद मिल सकती हैं।

लद्दाख में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते में वृद्धि

4736. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वहां तैनात जम्मू और काश्मीर के कर्मचारियों की तुलना में कम भत्ता मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लद्दाख में अत्यधिक ठण्ड पड़ने और वहां विशेष प्रकार की बीमारियां होने के कारण लद्दाख में जीवन यापन महंगा है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वहां दिये जाने वाले भत्ते में देश के अन्य भागों में दिये जाने वाले भत्ते की तुलना में वृद्धि की जायेगी;

(ङ) क्या संचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के कर्मचारी कई वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं;

(च) यदि हां, तो भत्ते में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं; और

(छ) क्या उक्त भत्ते में शीघ्र वृद्धि की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (छ) लद्दाख में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंजूर किये गये विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की दर, राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य इसी प्रकार के भत्ते की तुलना में कम है। जबकि केन्द्र सरवार राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ क्षेत्र के रूप में किये गये क्षेत्रों के वर्गीकरण को अपनाती है किन्तु भत्ते की दरों का निर्धारण देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के क्षेत्रों के लिए निश्चित की गई दरों को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्र रूप से किया जाता है। दरों का निर्धारण करते समय क्षेत्र को दूरस्थता, जलवायु की कठोरता और भौगोलिक स्थितियों तथा इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंजूर किये गये भत्ते की दरों जैसे तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आदि के कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों के आधार पर, स्थिति की 1980-81 में समीक्षा की गई थी और लेह जिले के कुछ क्षेत्रों में शीतकाल के महीनों (अक्तूबर से मार्च) के दौरान भत्ते की दर बढ़ा दी गई थी। फिलहाल इन दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण तथा जमा राशि का अनुपात

4737. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण और उनमें जमा की गई राशि का अनुपात क्या है और अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में वह कितना न्यूनाधिक है; और

(ख) इस आंकड़े को यदि अधिक नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय औसत तक लाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जून, 1983 के अंत में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक) का ऋण

जमा अनुपात 78.5 प्रतिशत था जो इन बैंकों द्वारा प्राप्त 67.4 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर से ऊंचा था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वीकृत किए गए ऋण

4738. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों ने शिक्षित बेरोजगार युवकों को उनके स्वरोजगार के लिए 31 मार्च, 1984 को कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किये;

(ख) उन बेरोजगार शिक्षित युवकों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघशासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 31 मार्च, 1984 तक शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए आवेदनों और मंजूर की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम		बैंकों द्वारा मंजूर किये गए आवेदन	राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14781	2936.00
2.	असम	8021	1540.44
3.	बिहार	14230	2278.64
4.	गुजरात	10497	1538.88
5.	हरियाणा	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	449.69
7.	जम्मू और कश्मीर	1416	287.95
8.	कर्नाटक	12307	1960.00

1	2	3	4
9.	केरल	13091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	18786	2857.80
11.	महाराष्ट्र	24579	4024.28
12.	मणिपुर	991	179.82
13.	मेघालय	353	75.09
14.	नागालैंड	189	39.25
15.	उड़ीसा	6823	1368.62
16.	पंजाब	9047	1689.60
17.	राजस्थान	15054	2365.30
18.	सिक्किम	15	3.65
19.	तमिलनाडु	21247	3316.00
20.	त्रिपुरा	696	97.33
21.	उत्तर प्रदेश	36857	5382.85
22.	पश्चिम बंगाल	23680	4481.92
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66	15.22
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	6.91
25.	चंडीगढ़	325	56.50
26.	दादर और नगर हवेली	54	10.71
27.	मिजोरम	196	24.61
28.	पांडिचेरी	414	40.00
	जोड़ :	242405	40154.05

स्रोत : उद्योग मंत्रालय

(आंकड़े अनन्तिम)

देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

4739. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी; और

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये नई शाखाएं खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31-3-84 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के पास, देश में शाखाएं खोलने के लिए 5566 प्राधिकार पत्र थे। बैंकों से इन प्राधिकार पत्रों का मार्च, 1985 के अन्त से पहले-पहले उपभोग कर लेने के लिए कहा गया है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें 31-3-1984 को लम्बित प्राधिकार पत्रों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार उपलब्ध ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के पास 31-3-1984 को देश में शाखाएं खोलने के लिए लम्बित पड़े प्राधिकार-पत्रों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-3-1984 को लम्बित प्राधिकरण पत्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	352
2.	असम	263
3.	बिहार	400
4.	गुजरात	183
5.	हरियाणा	51
6.	हिमाचल प्रदेश	37
7.	जम्मू और कश्मीर	105

1	2	3
8.	कर्नाटक	239
9.	केरल	81
10.	मध्य प्रदेश	559
11.	महाराष्ट्र	453
12.	मणिपुर	36
13.	मेघालय	30
14.	नागालैंड	6
15.	उड़ीसा	249
16.	पंजाब	140
17.	राजस्थान	305
18.	सिक्किम	2
19.	तमिलनाडु	212
20.	त्रिपुरा	52
21.	उत्तर प्रदेश	1083
22.	पश्चिम बंगाल	632
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	24
25.	चंडीगढ़	6
26.	दादर और नगर हवेली	6
27.	दिल्ली	28
28.	गोवा, दमन व दीव	4
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	23
31.	पांडिचेरी	3
	जोड़ :	5566

चित्तौड़गढ़ जिला (राजस्थान) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

4740. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान इस जिले में इस बैंक की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 23 मार्च, 1984 को कर दी गई थी। इसके अन्तर्गत राजस्थान के बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं।

(ग) बताया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 1984 में पांच शाखाएं और 1985 में 25 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में पड़े प्रत्यक्ष कर के मामलों का निपटान

4741. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने 11 जुलाई, 1984 को कलकत्ता में कलकत्ता वाणिज्य मंडल के समक्ष दिए अपने भाषण में कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में पड़े कर सम्बन्धी 20,000 मामलों में और उच्चतम न्यायालय में पड़े कर के 2000 मामलों को 2000 ई० से पूर्व नहीं निपटाया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो 1000 करोड़ रुपए कर की बकाया राशि को, जैसा कि पश्चिम बंगाल के आयकर आयुक्त ने स्वीकार किया है, किस तरह वसूल करने का विचार है; और

(ग) देश की कुल राष्ट्रीय आय के 40 प्रतिशत भाग का जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार इस समय आंकड़ों की परिधि से बाहर है, हिसाब में लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) यह सही बात है कि इस समय 20,000 से अधिक ऐसे कर सम्बन्धी मामले हैं जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित हैं और 2,000 से अधिक मामले उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं। यह भी सच है कि उनके निपटान में काफी समय लगेगा।

(ख) आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल द्वारा उल्लिखित 10.00 करोड़ रुपयों के करों की बकाया का केवल उपर्युक्त भाग (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों से सम्बन्धित नहीं है।

न्यायालयों द्वारा विशेष रूप से रोके गए बकाया के मामलों को छोड़कर, मांग को कम करने के लिए सतत यत्न किए जा रहे हैं। आयकर अधिनियम में बकाया कर की वसूली और उगाही के लिए अनेक उपायों की व्यवस्था है जैसे अर्थ दण्ड लगाना, चूककर्ता के धन की कुर्की करना, चल संपत्ति को करस्थम् करना, अचल संपत्ति की बिक्री करना, चूककर्ता को सिविल कैद आदि। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आय कर अधिकारियों द्वारा कर बकाया की वसूली के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(ग) देश में कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत आयकर के विषय क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कृषि सम्बन्धी क्षेत्र से सम्बन्धित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के खण्ड (3) में बताया गया है कि खण्ड (1) और (2) के अधीन रहते हुए किसी भी राज्य के विधान-मण्डल को, सप्तम् अनुसूची की सूची (II) में प्रगणित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में ऐसे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति हैं। उक्त सूची में "कृषि सम्बन्धी आय पर कर" से सम्बन्धित प्रविष्ट सं० 46 शामिल है। तदनुसार, यह राज्य सरकार के लिए होगा कि वह उपर्युक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में कानून बनाए।

गैर सरकारी बैंक द्वारा काला धन पैदा करना

4742. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट विश्वविद्यालय, केरल के अर्थशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि 12,000 गैर-सरकारी बैंक, जिन्हें "ब्लेड कम्पनीज" कहा जाता है, अरबों रुपए का काला धन पैदा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन गैर-सरकारी बैंकों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) यह प्रश्न, कालीकट विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के डा० सी० ए० प्रकाश द्वारा लिखित उस एक लेख पर आधारित प्रतीत होता है जो 8 जुलाई, 1984 के एक मलयालम समाचार-पत्र 'मातृभूमि" में प्रकाशित हुआ था। आयकर विभाग मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

इंडियन एयर क्राफ्ट्स टैक्निशयन्श एसोलिएशन, पूर्व क्षेत्र की ओर से अभ्यावेदन

4743. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में इंजीनियरिंग रखरखाव केन्द्र पारस्परिक रूप से बेहतर होने के बावजूद उसके बदले एयरलाइन्स विमानों के रख-रखाव ओवरहाल के कार्य को क्रमिक रूप से बम्बई और दिल्ली अन्तरित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन्हें इंडियन एयरक्राफ्ट टैक्निशिन्स एसोसिएशन पूर्वी क्षेत्र की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की देख-भाल/ओवरहॉल का कार्यभार धीरे-धीरे कलकत्ता से बम्बई और दिल्ली को अंतरित नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

सातवीं योजना के अन्त तक भारत-सोवियत व्यापार लक्ष्य

4744. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अन्त तक भारत-सोवियत व्यापार का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 में कुल भारतीय निर्यात में हुई वृद्धि मुख्यतः सोवियत संघ द्वारा माल उठाए जाने के कारण हुई है;

(ग) दोनों देशों द्वारा किन नई वस्तुओं का आयात और निर्यात करने का विचार है; और

(घ) व्यापार का कितना भाग सीधे निजी क्षेत्र की भारतीय फर्मों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 14 मार्च, 1979 को सम्पन्न किए गए आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम में इस पर सहमति हुई कि 1981-1985 की पिछली 5 वर्ष की अवधि के दौरान कुल व्यापार कारोबार की तुलना में 1986-1990 की अवधि में परस्पर व्यापार की मात्रा 1.5 से लेकर दुगने तक बढ़ाई जानी चाहिए ।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1983 में 4272.53 करोड़ रुपए के कुल भारतीय निर्यातों में से सोवियत संघ को 578.59 करोड़ रुपए के निर्यात हुए ।

(ग) भारत तथा सोवियत संघ का विचार विभिन्न उत्पादों को शामिल करते हुए आयात तथा निर्यात की गई मदों का पता चला है ताकि विपक्षीय व्यापार का विस्तार और विधिवत ढंग से हो सके, तथापि जब 1985 के लिए व्यापार योजना और दीर्घावधि व्यापार योजनायें संपन्न हो जायें, तब आयात की वस्तुओं में आयात व निर्यात की नई मदें शामिल की जायेंगी ।

(घ) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे गए ।

भारत द्वारा जापान और अमेरिका को निर्यात किये गए प्रशीतित झींगा मछली की खेपों का अस्वीकार किया जाना

4745. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से जापान को निर्यात किये गए प्रशीतित झींगा मछली के कुछ खेपों को इस आधार पर आयातकों ने रद्द कर दिया था कि उनमें हैजे के कीटाणु मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रद्द की गई खेपों के कारण कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या अमेरिका और अन्य देशों को किए गए झींगा मछली के निर्यात के मामले में भी ऐसा ही हुआ है; और

(ङ) हैजे के संक्रमण के स्रोत का पता लगाने और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां । मद्रास पत्तन से जापान को भेजी गई 4.8 में टन भारतीय झींगा मछली इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई थी कि उनमें हैजे के कीटाणु मिले हुए थे ।

(ग) से (ङ) चूंकि यह अस्वीकृति केवल एक तकनीकी आधार पर की गई थी अत: हानि की धनराशि का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है और यह मामला एम० पी० ई० डी० ए० द्वारा संगरोधन प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है । तथापि, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया और निर्यात निरीक्षण एजेंसी को, एहतियाती उपायों के तौर पर इस बात के लिए सचेत कर दिया गया है कि वे प्रोसेसिंग संयंत्रों में कड़े स्वास्थ्यकर मानकों का पालन करके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दें । संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा अन्य देशों को झींगा मछली के निर्यातों में अभी हाल ही में हैजे के कीटाणुओं का ऐसा कोई मामला घटित नहीं हुआ है ।

तमिलनाडु को आबंटित किये गए आयातित सीमेंट की मात्रा

4746. **श्री ईरा मोहन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को कितना आयातित सीमेंट आवंटित किया गया और किन-किन देशों को और किन-किन जहाजों से तमिलनाडु में सीमेंट उतारा गया;

(ख) क्या कोरिया से आये सीमेंट को मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा बेच दिये जाने से संबंधित घोटाला सरकार की जानकारी में आया है;

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या आबंटित मात्रा में से कुल मात्रा के उपयोग कर लिए जाने के बारे में कोई प्रमाणपत्र दिया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव

4747. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड बम्बई ने पेंट्स और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए बहुत से देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लि० बंबई ने, फिजी, टोंगा, कतार, डोमीनियन आफ सोलोमान द्वीप समूह तथा नेपाल में पेंट्स, इनामेल तथा वार्निश के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे । फिजी तथा टोंगा में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए क्रमश: 1977 एवं 1981 में अनुमोदन जारी कर दिये गये थे । कतार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया था और डोमीनियन आफ सोलोमान द्वीपसमूह तथा नेपाल के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में कनिष्ठ लेखा अधिकारी

4748. **श्री ए० अरुणाचलम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा, भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा अपने संगठन में ली जाने वाली एस० ए० एस० परीक्षा के समान ही होती है;

(ख) क्या अधिकतर कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जो इस समय महालेखा नियंत्रक के संगठन में कार्यरत हैं, लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के अलग-अलग होने के बाद महानियंत्रक और लेखा परीक्षक संगठन से आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि महानियंत्रक और लेखा परीक्षक संगठन में कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को उच्च वेतनमान दिया गया है और उनके पद को राजपत्रित बनाया

गया है जबकि महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में कनिष्ठ लेखा अधिकारी अराजपत्रित हैं और उनका वेतनमान कम है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी नहीं, महालेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा वही नहीं है जो एस० ए० एस० की परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाती है, भिन्न पाठ्य-क्रम है परंतु अधिकांश रूप से समान है।

(ख) जी हां।

(ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संगठन के सभी कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान तथा राजपत्रित ओहदा नहीं दिया गया है। 1-3-1984 से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग को दो पक्षों में लेखा परीक्षा और लेखा में पुनःसंरचना की गई है। ऐसे कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जिनको लेखा परीक्षा पक्ष में स्थायी रूप से अंतरित कर दिया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षा में कार्य कर रहे हैं; उनको इस आधार पर उच्चतर वेतनमान और राज-पत्रित ओहदा दिया गया है कि वे उच्च कार्य कर रहे हैं जबकि जिनको लेखा पक्ष में स्थानान्तरित किया गया है तथा लेखा संबंधी कार्य में लगे हुए हैं, पुराने वेतनमान में हैं। भारत सरकार में विभागीकृत लेखा स्थापना में कनिष्ठ लेखा अधिकारी वही वेतनमान पा रहे हैं तथा उसी ओहदे में है जो उनके प्रतिभूति लेखा परीक्षा विभाग में लेखा संबंधी कार्य में लगे हुए हैं।

वर्ल्ड फैडरेशन आफ डायमण्ड बारसेस की सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र को वापस लेना

4749. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड फैडरेशन आफ डायमंड बारसेस की सदस्यता के लिए डायमंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के आवेदन-पत्र को वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ल्ड फैडरेशन आफ डायमंड बारसेस के मुख्य कार्य क्या हैं;

(घ) क्या डायमंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इस निर्णय के बारे में सरकार को सूचित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ल्ड फैडरेशन आफ डायमंड बोर्सेज का मुख्य लक्ष्य है विश्व हीरा व्यापार संवर्धन में भाग लेना और डायमंड बोर्सेज की स्थापना को प्रोत्साहित करना जिससे सम्बद्ध संगठनों तथा अलग-अलग सदस्यों के हितों की रक्षा की जा सके और विवाचन द्वारा सम्बद्ध संगठनों के व्यक्तिगत सदस्यों के बीच तथा संबद्ध संगठनों के बीच मतभेदों तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान को प्रोत्साहित करना।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति योजना का विस्तार

4750. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नरम इस्पात मिश्र इस्पात की अधिक मदों को शामिल करने और तकनीकी विकास के महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त निर्यात यूनिटों की अनुपूरक लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना का विस्तार करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और क्या निर्णय लिए गए हैं तथा इससे देश में निर्यात में वृद्धि हेतु किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार ने क्रोम वेनेडियम स्टील, आई० एस०-2062 प्लेटों और आई० एस०-2879 इलैक्ट्रोड्स क्वालिटी की तार-छड़ों को शामिल करने उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना का हाल ही में विस्तार किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत क्रोम वेनेडियम स्टील को शामिल करने के फलस्वरूप हाथ के औजारों की क्वालिटी में सुधार होने की आशा है और इससे इस मद के 25% से 30% तक अतिरिक्त निर्यात होने की आशा है।

इस समय सरकार के पास, तकनीकी विकास महानिदेशक के पास पंजीकृत निर्यातक एककों के संबंध में अनुपूरक आयात लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाने के लिए कोई प्रस्ताव अवलोकनाधीन नहीं है।

लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक की स्थापना

4751. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए एक पृथक् शीर्ष बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधाओं के बारे में प्रो० ए० एम० खुसरो की अध्यक्षता में गठित समिति ग्राम और लघु उद्योगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट देनी है।

बर्मा को निर्यात और वहां से आयात

4752. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान बर्मा को कितने मूल्य का निर्यात किया गया तथा वहां से कितने मूल्य का आयात किया गया;

(ख) क्या बर्मा को किया जाने वाला निर्यात बहुत ही निम्न स्तर पर हो रहा है, तथा उसमें भी समता नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान बर्मा को हुए निर्यातों तथा उससे हुए आयातों की कुल राशि नीचे दिये गये अनुसार है :

(लाख रु० में)

वर्ष	बर्मा को हुए निर्यात	बर्मा से हुए आयात
1980-81	331	748
1981-82	424	501
1989-83	361	1747

(ख) 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान बर्मा को हुए निर्यातों का परिमाण 3 से 4 करोड़ रु० का रहा है।

(ग) भारत तथा बर्मा के बीच नियमित नौवहन सेवाओं की अपर्याप्तता दोनों देशों के बीच व्यापार के निम्न स्तर के कारणों में से एक कारण है।

(घ) वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 1984 में बर्मा का दौरा दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग के संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाने तथा अवरोधों को दूर करने के उपायों पर विचार करने के लिए किया। द्विपक्षीय व्यापार में सुधार लाने के लिए आगे विचार-विमर्श हेतु बर्मा के व्यापार मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है।

अनिवासी भारतीयों का निवेश

4753. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अनिवासी भारतीयों ने कुल कितना निवेश किया और उनमें से प्रत्येक के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान किया गया अनिवासी भारतीयों की वास्तविक निवेश लक्ष्यों से काफी कम रहा; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से कारण इस कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अनिवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत शेयरों तथा ऋण-पत्रों में किये गए पूंजी निवेश तथा बैंकों में जमा की गई राशियों का ब्यौरा दिया गया है। इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए थे।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता/भारतीय मूल के अनिवासियों तथा उनके द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व तक धारित समुद्रपारीय निगमित निकायों को अप्रैल, 1982 से अर्थात् जब से निवेश सुविधाओं को उदार बना दिया गया है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निवेश के लिए दी गई अनुमतियां :

राशि (करोड़ रुपये)

अनुमोदित प्रस्ताव (31-7-1984 की स्थिति के अनुसार)

1. शेयरों/ऋण-पत्रों के प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित प्रत्यक्ष निवेश	
(i) 40 प्रतिशत की योजना के अंतर्गत	117.79
(ii) 74 प्रतिशत की योजना के अंतर्गत	26.59
2. अप्रत्यावर्तन आधार पर प्रत्यक्ष निवेश	26.69

	राशि (करोड़ रुपये)
वास्तविक निवेश (30-6-1984 की स्थिति के अनुसार)	
(i) प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित फोर्टफोलियो निवेश (प्राधिकृत व्यवसाइयों से प्राप्त निवेश विवरण के अनुसार)	40.48
(ii) अप्रत्यावर्तन आधार पर पोर्टफोलियो निवेश (प्राधिकृत व्यवसाइयों से प्राप्त विवरण के अनुसार)	0.2566
बैंक में जमा रकमें (30-6-1984 की स्थिति के अनुसार) शेष राशि	3041.90

खाड़ी के देशों को इलायची के निर्यातों में गिरावट

4754. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों को इलायची के निर्यात में वर्ष 1978-79 में 2500 टन की तुलना में वर्ष 1983-84 में मात्र 10 टन का निर्यात होने की निराशाजनक स्थिति आने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन से पता लगाया गया है कि अरब के लोग गाटेमाला, श्रीलंका और तन्जानिया की तुलना में भारतीय इलायची को अधिमूल्य पर भी खरीदना पसंद करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो खाड़ी तथा अन्य अरब देशों में भारतीय इलायची की गुणवत्ता के बारे में यदि कोई व्यापक प्रचार किया गया हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गिरावट आने के कारण निम्नोक्त प्रकार थे :

(1) गंभीर सूखे की वजह से उत्पादन में तीव्र गिरावट;

(2) ऊंची घरेलू कीमतें;

(3) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतियोगिता ।

(ख) जी हां ।

(ग) बहरीन स्थित विदेश कार्यालय के माध्यम से किया गया प्रचार अभियान निम्नोक्त प्रकार था :

(1) अखबारों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से प्रेस विज्ञापन;

(2) बहरीन टी० वी० के माध्यम से विज्ञापन;

(3) यमन रेडियो के माध्यम से विज्ञापन;

(4) 8 पृष्ठों की नुस्खा लघु पुस्तिका;

(5) पाकेट कलैंडर जिसमें रमजान महीने के दौरान रोजे खोलने के ब्यौरेवार समय सहित भारतीय इलायची का संदेश;

(6) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, जेनेवा ने भी विज्ञापन/संवर्धनात्मक अभियान के लिए 20,000 अमरीकी डालर की राशि रिलीज की थी।

देश में पर्वतीय और मरुस्थल पर्यटन का विकास

4755. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पर्वतीय और मरुस्थल पर्यटन के विकास पर बल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और छठी योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) केन्द्र और राज्य सरकारों के संसाधनों पर सामान्य प्रतिबंध के भीतर, देश में अन्य पर्यटक आकर्षणों के विकास के साथ-साथ पर्वतीय और मरुस्थल पर्यटन के संवर्धन/विकास को पर्यटन संवर्धन कार्यक्रमों में उचित महत्त्व दिया जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

I. **पर्वतीय पर्यटन** :

1. **जम्मू और कश्मीर** :

विभाग द्वारा 1968 में स्थापित "गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना" कार्यालय और "हिम भारती संस्थान सुविधाओं" की व्यवस्था करते हैं। जल स्की के लिए पाठ्यक्रमों, जल स्की और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

2. **हिमाचल प्रदेश** :

हिम भारती, गुलमर्ग नारकंडा में हिम स्की पाठ्यक्रमों का आयोजन करने में राज्य सरकार की सहायता करता रहा। विभाग ने भी मनाली में 11.62 लाख रु० की कुल लागत पर एक क्लब हाउस का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार की सहायता की। छठी योजनावधि के

दौरान 8.62 लाख रु० की एक राशि रिलीज की गई थी। ट्रैकिंग उपस्करों की खरीद करने के लिए 1980-81 के दौरान 4.95 लाख रु० की एक राशि रिलीज की गई थी।

3. **उत्तर प्रदेश :**

हिम भारती, गुलमर्ग औली/जोशीमठ में हिम स्की पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करता रहा है। ट्रैकिंग उपस्कर की खरीद करने के लिए 1981-82 और 1983-84 के दौरान राज्य सरकार को 6.26 लाख रु० की एक राशि रिलीज की गई थी। जोशीमठ में 10 कुटीरों और एक रेस्तरां के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव पर भी विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है।

4. **सिक्किम** :

1978-79 और 1979-80 के दौरान सिक्किम राज्य सरकार को 5.67 लाख रु० के ट्रैकिंग उपस्कर सप्लाई किए गए थे। नामची में 31.49 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक युवा होस्टल निर्माणाधीन है।

5. **पश्चिम बंगाल :**

1982-83 के दौरान राज्य सरकार को 1.51 लाख रु० की लागत से ट्रैकिंग और कैम्पिंग उपस्कर सप्लाई किया गया था। फालतू संदकफू क्षेत्र में 8.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर ट्रैकर्स हट्स का निर्माण करने संबंधी एक प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

II. **मरुस्थल पर्यटन** :

1. **राजस्थान :**

1981-82 के दौरान विभाग ने जैसलमेर में गदीसर टैंक का विकास करने के लिए 3.40 लाख रु० की एक राशि रिलीज की थी। मूमल पर्यटक बंगले में कुटीरों का निर्माण करने के लिए 1982-83 के दौरान 13.00 लाख रु० की अनुमानित लागत में से 4.00 लाख रु० की एक राशि रिलीज की गई। मेले और त्योहारों का संवर्धन करने के लिए 1981-82 के दौरान 50,000 रु० और 1983-84 के दौरान 3.99 लाख रु० की राशि रिलीज की गई।

विभाग पोखरण में 17.20 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 'मिड-वे' सुविधाओं के निर्माण के लिए और जैसलमेर के पास मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में 20.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 8 कुटीरों की व्यवस्था करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत भी हो गया है।

स्व-रोजगार योजना की सफलता

4756. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1984 के बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक के ग्रामीण जीवन और ऋण विभाग के

अधिकारी यह महसूस करते हैं कि अशिक्षित/बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार के लिए अत्यंत अभीष्ट योजना का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बैंकों के दृढ़ समर्थन के बावजूद इसके प्रारम्भ होने के ग्यारह महीने बीत जाने पर भी बहुत कम प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धन व्यापार से वास्तविक आस्तियों के सृजन और कई ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में स्थायी रोजगार उत्पन्न करने के अवसरों का अतिक्रमण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की सफलता के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार सुलभ करवाने की योजना के अधीन कुछ मंजूर किए गए ऋणों को क्षेत्र स्तर पर नमूने के तौर पर जांच के दौरान यह पता चला कि इसी कार्य विशेष के वास्ते क्षेत्र में कार्य की संभावनाओं का मूल्यांकन किए बिना अनेक आवेदनों को मंजूरी दे दी गई थी । इसके परिणामस्वरूप, मार्च, 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें बैंकों को हिताधिकारियों के चयन, वित्त पोषित किए जाने वाले क्रियाकलापों की किस्मों का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण अनुवर्ती कार्रवाई और योजना के अंतर्गत मंजूर किए जाने वाले ऋणों की वसूली के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों के नाम जारी किए जाने वाले ऐसे अनुदेश विभिन्न योजनाओं के वास्ते बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता के कार्यान्वयन पर भारतीय रिजर्व बैंक की समग्र पर्यवेक्षी भूमिका का अभिन्न अंग होते हैं ।

आयातित और स्वदेशी अखबारी कागज के विक्रय मूल्य का एकीकरण करने की योजना

4757. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1984 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आयातित तथा स्वदेशी अखबारी कागज के विक्रय मूल्य का एकीकरण करने हेतु योजना के बारे में ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालयों में परस्पर मतभेद होने के कारण योजना को कम से कम निकट भविष्य में तो आरम्भ किए जाने की संभावना नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) घरेलू तथा आयातित अखबारी कागज के लिए भारित औसत पूल कीमत प्रणाली के लिए परियोजित आयातों की वास्तविक मात्रा, उनकी कीमत, मार्गस्थ सप्लाइयों, अनुमानित/

वास्तविक घरेलू उत्पादन, मांग और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी । इसलिए भारित औसत पूल कीमत को लागू करने के तरीके के ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है ।

'स्ट्रेन्थनिंग दि बेस' शीर्षक से समाचार

4758. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 फरवरी, 1984 के इंडिया टुडे में 'स्ट्रेथिनिंग दि बेस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान जो धनराशि (एक) संदिग्ध ऋण और (दो) अशोध्य ऋण में परिवर्तित हो गयी हो, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समस्या विदेशों में कार्यरत सभी बैंकों में है अथवा केवल कुछ बैंकों तक ही सीमित है;

(घ) स्थिति में सुधार और नियंत्रण करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) क्या संदिग्ध अथवा अशोध्य ऋण वाले ग्राहक अनिवासी भारतीय हैं और इस प्रकार के विनिमय में कितने मामलों में वही व्यक्ति/फर्में अंतर्ग्रस्त हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 15 फरवरी, 1984 के 'इण्डिया ट्रेड' में 'स्ट्रेन्थनिग दि बेस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले दो वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग वातावरण प्रायः प्रतिकूल और कठिन ही रहा है तथा भारतीय बैंकों सहित कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को विभिन्न देशों में दिए गए ऋणों की वसूली के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इन कठिनाइयों में उन कतिपय विकासशील देशों को किए गए निर्यातों के वित्त पोषण से पैदा होने वाली समस्याएं शामिल हैं जिन्हें विदेशी ऋणों का परिशोधन करने में कठिनाई आ रही है और वे बिलों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित नहीं कर पा रहे, यद्यपि स्थानीय तौर पर इन बिलों का भुगतान हो चुका है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में स्वस्थ तरीके से और उनके अपने-अपने प्रधान कार्यालयों की कड़ी निगरानी और भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में काम हो । भारतीय रिजर्व बैंक में भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों की प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए एक कार्यकारी दल का भी गठन किया गया है ।

कालीनों का आयात

4759. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 मई, 1984 के इकानामिक टाइम्स में "जे० एण्ड के० कारपेट इम्पोंट्स टच रूपीज वन करोड़" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो जम्मू तथा कश्मीर और भारत के अन्य भागों में कालीनों का निर्माण किए जाने के बावजूद कालीनों का आयात किन परिस्थितियों में करना पड़ा;

(ग) क्या हमारे देश में गत दो वर्षों के दौरान कालीनों का आयात किया गया है और यदि हां, तो कितने मूल्य के कितने कालीनों का आयात किया गया; और

(घ) क्या सरकार का कालीनों के आयात पर रोक लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां। समाचार का तात्पर्य केवल जम्मू व कश्मीर द्वारा देश के अन्य राज्यों से कालीन आयात करने से है न कि भारत के बाहर से आयात करने से।

(ग) अक्तूबर, 82 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोई कालीन का आयात नहीं किया गया है।

(घ) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार कालीन आदि का आयात पहले ही मदों की प्रतिबन्धित सूची में शामिल हैं।

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स का अकुशल कार्य निष्पादन

4760. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स के अकुशल कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ख) उपरोक्त एकक कब से घाटे में चल रहा है और पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार अलग-अलग उसे कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या इस प्रकार के अकुशल कार्य निष्पादन का हमारी रक्षा सेवाओं की सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ता है;

(घ) इस एकक को लाभकारी बनाने हेतु इसके कार्य-निष्पादन को कुशल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस एकक को दिए गए सरकारी ऋण का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स के कार्य पर कुछ ऐतिहासिक कारणों से, जैसे काफी लागत पर उत्पादन में विविधता लाना, व्यापक रूप से फैले कार्यकलापों, अलाभकारी संविदाओं और श्रमिक अशान्ति का बुरा असर पड़ा है जिससे उसे हानि हुई। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसे घाटा होने और उसकी देयता संबंधी समस्याएं पैदा होने का एक सबसे बड़ा कारण मैसर्स मुगल लाइन्स लि० को दिया गया तीन बड़े-बड़े माल वाहक जलयानों की सप्लाई का आर्डर रहा है। यह मामला इस समय माध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा हुआ है।

कम्पनी के उत्पादन और बिक्री-मूल्य में बराबर वृद्धि होने के बावजूद उसे 1978-79 से लगातार घाटा होता रहा है। पिछले पांच वर्षों से हुआ घाटा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1979-80	6.39
1980-81	7.98
1981-82	12.53
1982-83	18.50
1983-84	11.65 (अनन्तिम)

(ग) कुछ सीमा तक रक्षा सेवाओं की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है लेकिन हाल ही के सुधारात्मक उपायों की वजह से स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है।

(घ) कम्पनी के कार्य में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे हैं—शीर्षस्थ प्रबंध व्यवस्था को सुगठित करना, उपलब्ध सुविधाओं और मिले-जुले उत्पादनों में सुधार करना, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाना, बेहतर बिक्री वाले नये उत्पादों का उत्पादन करना, ब्याज पर वित्तीय राहत और कार्य निष्पादन पर कारगर नजर रखना। कार्य निष्पादन में काफी सुधार पहले ही देखने में आये हैं और यह आशा की जाती है कि यदि वर्तमान गति बनी रही तो अगले दो-तीन वर्षों में कम्पनी घाटे से बच निकलने में समर्थ हो जायेगी।

(ङ) पिछले पांच वर्षों से इस यूनिट के पास सरकारी ऋण की बकाया राशि इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1979-80	26.14
1980-81	37.57
1981-82	44.57
1982-83	54.07
1983-84	64.07

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का ठीक कार्य न करना

4761. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत डायनेमिक्स के ठीक कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस यूनिट को कब से घाटा हो रहा है और गत पांच वर्षों में वर्षवार इसे कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या इसके ठीक काम करने का हमारी रक्षा सेनाओं को रसद की सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ता है;

(घ) इसे लाभकारी यूनिट बनाने हेतु इसके कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) गत पांच वर्षों में इस यूनिट को दिये गए सरकारी ऋणों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) रक्षा सेनाओं के लिए गाइडिड मिसाइल प्रणाली के निर्माण के लिए मैसर्स भारत डायनामिक लिमिटेड (बी० डी० एल०) की स्थापना की गई थी। कंपनी ने पहली पीढ़ी के मिसाइलों का निर्माण जून, 1982 में पूरा कर दिया था और अब वह दूसरी पीढ़ी के मिसाइलों के उत्पादन की सुविधाएं स्थापित कर रही है। आशा है यह जनवरी, 1985 से उत्पादन कार्य आरंभ कर देगी। यहां विशेष कार्यों के लिए सुविधाएं स्थापित की गई हैं और उनका उपयोग सामान्यत: अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार के नए उत्पादन कार्य शुरू करने में काफी समय लग जाने के कारण कंपनी की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होने से उसे निम्नलिखित लाभ/हानि हुई :

(करोड़ रुपये में)

1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
(+)	(—)	(—)	(—)	(—)
0 47	1.44	1.47	3.57	3.51

(ग) जी नहीं। पहली पीढ़ी की मिसाइलों का उत्पादन समाप्त कर दिया गया है और उपयोगकर्त्ता के अनुरोध पर दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

(घ) दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों का उत्पादन शुरू होने और दूसरा सामान बनने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा।

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी को दिए गए सरकारी ऋण के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
0.75	0 60	1.20	3.00	शून्य

निर्यात गृहों के कार्यकरण के बारे में कृतिक बल (टास्क फोर्स) की सिफारिशें

4762. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात गृहों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा निर्यात गृहों के संबंध में कोई कार्यकारी दल गठित किया गया था अथवा कृतिक बल नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसकी प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) किन-किन राज्यों में सरकार ने अब तक निगमों को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता दे दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि निर्यात सदन योजना ने अपने निर्धारित उद्देश्यों को कहां तक पूरा कर लिया है, निर्यात आयुक्त की अध्यक्षता में सितंबर, 1982 के दौरान एक आठ सदस्यीय निर्यात सदन समीक्षा समिति स्थापित की गई थी। इस समिति ने 30 दिसंबर, 1982 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) 1983-84 की आयात तथा निर्यात नीति तैयार करते समय उपरोक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों तथा इन सिफारिशों के आधार पर नीति में किये गए परिवर्तन क्रमशः विवरण 1 तथा 2 में सूचीबद्ध हैं।

(ङ) यह जानकारी विवरण 3 में दी गई है।

विवरण 1

निर्यात सदन समीक्षा समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

(1) निर्यात सदन प्रमाण पत्रों की मंजूरी के लिए अर्हता प्राप्त निर्यातों की सीमा निम्नोक्त रूप में बढ़ाई जा सकती है :—

(क) बड़े पैमाने के एककों के मामले में 2 करोड़ रु०;

(ख) लघु पैमाने के एककों के मामले में 50 लाख रु०; तथा

(ग) लघु पैमाने के एककों के साथ संघ के मामले में 28 लाख रु०।

(2) निर्यात उत्पादों के विविधीकरण पर बल दिया जाना चाहिए।

(3) निर्यात सदनों को कोई अतिरिक्त लाइसेंस नहीं दिये जाएं और अतिरिक्त लाइसेंसों को रहने दिया जाये तो उन्हें अन्य आर० ई० पी० लाइसेंसों की तरह हस्तांतरणीय बना दिया जाना चाहिए।

(4) अतिरिक्त लाइसेंसों के लिए हकदारियां, लघु पैमाने के एककों द्वारा निर्मित चुनिंदा उत्पादों के निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य का 10 प्रतिशत तथा अन्य एककों द्वारा निर्मित चुनिंदा उत्पादों के निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य का 5 प्रतिशत कम कर देना चाहिए। लघु पैमाने विनिर्माण निर्यात सदनों सहित सभी निर्यात सदनों के लिए एक समान की होनी चाहिए।

(5) जबकि एक निर्यात सदन आर० ई० पी० लाभों का दावा करने के संबंध में निर्माताओं को अस्वीकार कर देता है तो वही निर्यात अतिरिक्त लाइसेंस देने के लिए योग्य नहीं होने चाहिए।

(6) विनिर्माता तथा व्यापारी निर्यात सदनों के बीच भेदभाव को दूर करना चाहिए।

(7) वापस ली जा चुकी प्राधिकार पत्र की सुविधा पुनः आरंभ नहीं की जानी चाहिए।

(8) अतिरिक्त लाइसेंस लाभ को वापस लिए जाने के बदले निर्यात सदनों को एम० डी० ए० सुविधाएं तथा और अधिक कर संबंधी रियायतें दी जानी चाहिए।

(9) यह नीति, कि विनिर्माताओं को निर्यात सदन बनाये जाने के लिए अन्य विनिर्माताओं के उत्पादों को निर्यात करना पड़ेगा, हटा देनी चाहिए। इसके बदले में, अन्य निर्माताओं द्वारा विनिर्मित तथा निर्यात सदन द्वारा निर्यातित उत्पादों को महत्त्व देना चाहिए।

(10) निर्यात सदनों द्वारा ओ० जी० एल० आयातों की सुविधा कम कर देनी चाहिए।

(11) यह शर्त होनी चाहिए कि प्रत्येक निर्यात सदन के पास टेलैक्स तथा टेलीफोन सुविधाएं होनी चाहिए।

(12) अगर कोई निर्यात सदन आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय को नियमित रूप से विवरणियां नहीं भेजता है तो निर्यात सदन प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाये।

विवरण 2

निर्यात सदन समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 1983-84 की आयात नीति में किए गए परिवर्तन

(1) निर्यात सदनों की श्रेणियों की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी गई है अर्थात् (1) लघु पैमाने के उद्योगों को छोड़कर अन्य निर्यात सदन; तथा (2) लघु पैमाने के निर्यात सदन। इन दो श्रेणियों के अर्हता योग्य निर्यात की सीमा निम्नोक्त प्रकार है :—

(क) उपरोक्त (1) के लिए चुनिंदा उत्पादों के संबंध में 2 करोड़ रु; तथा

(ख) लघु पैमाने के उद्योगों के निर्यातकों के लिए या तो अलग-अलग अथवा लघु पैमाने के उद्योगों के एककों के साथ संघ के रूप में 50 लाख रु०।

(2) अतिरिक्त लाइसेंसों की हकदारियों का हिसाब लगाने के प्रयोजनार्थ चुनिंदा उत्पादों के निर्यातों का एफ० ओ० बी० मूल्य लघु पैमाने के एककों द्वारा निर्मित उत्पादों के मामले में 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत तथा अन्य एककों द्वारा निर्मित उत्पादों के मामले में 7½ प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया है।

(3) जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, प्राधिकार पत्रधारकों के माध्यम से सदनों को उपलब्ध नहीं है।

(4) जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है "अन्यों" द्वारा निर्यात सदन प्रमाण-पत्र देने के लिए पात्र बनाये जाने हेतु विहित सीमा तक विनिर्मित उत्पादों के निर्यात करने संबंधी शर्तें हटा दी गई।

(5) जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, निर्यात सदनों द्वारा ओ० जी० एल० मदों का आयात प्रतिबंधित करने की दृष्टि से निर्यात सदनों द्वारा अपने-अपने आर० ई० पी० लाइसेंसों के बदले ओ० जी० एल० मदों के आयात की सुविधाओं, ऐसे लाइसेंसों के मूल्य का नाम डाले बिना 1983-84 के दौरान वापस ले ली गई थी।

विवरण 3

निर्यात सदनों के रूप में अभिज्ञात निगम तथा वे राज्य जिनमें वे स्थित हैं

क्रमांक	राज्य निगम का नाम	उस राज्य का नाम जहां पर वह स्थित है
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
2.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड, पटना	पटना (बिहार)
3.	हरियाणा राज्य स्माल इन्डस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़	हरियाणा
4.	जम्मू और काश्मीर हथकरघा (विक्रय तथा निर्यात) निगम, श्रीनगर	जम्मू तथा काश्मीर
5.	केरल राज्य इन्डस्ट्रीज इन्टरप्राइजिज लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम	केरल
6.	दि महाराष्ट्र एग्रो इन्डस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लि०, बम्बई	महाराष्ट्र
7.	दि पंजाब स्टेट सप्लाई एंड मार्केटिंग फैडरेशन लि०, चंडीगढ़	चंडीगढ़ (पंजाब)
8.	तमिलनाडु स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, मद्रास	तमिलनाडु
9.	दि यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	उत्तर प्रदेश
10.	मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल	मध्य प्रदेश
11.	सेन्ट्रल कोटेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	नई दिल्ली
12.	दि हैन्डीक्राफ्ट्स एंड हैन्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	नई दिल्ली
13.	दि नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	नई दिल्ली

1	2	3
14.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	नई दिल्ली
15.	दि दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	नई दिल्ली

जीवन बीमा निगम के उड़ीसा डिवीजन के अंतर्गत नई शाखाएं खोलना

4763. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में जीवन बीमा निगम डिवीजनों के अंतर्गत अधिक शाखाएं खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में खोली गई नई शाखाओं के डिवीजन-वार नाम क्या हैं;

(ग) इन शाखाओं का लाभ कितने क्षेत्र और कितनी जनसंख्या को मिलेगा;

(घ) जीवन बीमा निगम के उड़ीसा डिवीजन के अंतर्गत जीवन बीमा निगम की शाखाओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कुछ नई शाखाएं खोलकर जीवन बीमा निगम की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए उनके मंत्रालय ने यदि कोई कदम उठाए हैं तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्षों से, जीवन बीमा निगम शाखा विस्तार कार्यक्रम चला रहा है ताकि देश-भर में अधिक संख्या में लोगों को जीवन बीमा कवच तथा पर्याप्त सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(ख) और (ग) संभव सीमा तक उपलब्ध सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जीवन बीमा निगम के कटक डिवीजनल कार्यालय के अधीन कार्यरत शाखाएं निम्न-लिखित हैं :—

1. कटक (सी० बी० ओ०)	4. जयपुर
2. कटक (सी० बी० ए०)	5. सम्बलपुर
3. जगतसिंहपुर	6. बारगढ़

7. कटक जिला
8. धेनकनाल
9. भुवनेश्वर
10. नयागढ़
11. पुरी
12. राउरकेला
13. उदित नगर
14. ब्रह्मपुर
15. फूलबनी
16. झारसगुडा
17. बालेश्वर
18. भद्रक
19. बारीपदा
20. केन्दूझार
21. बालनगिर
22. भवानीपटना
23. केन्द्रपारा

(ङ) जीवन बीमा निगम अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम को बनाते समय तथा कार्यान्वित करते समय, पहाड़ी तथा जनजातीय इलाकों समेत, जीवन बीमा सुविधा से वंचित सभी इलाकों के लोगों की जीवन बीमा की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देता रहा हैं।

आयात शुल्क की वापस अदायगी में घोटाला

4764. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातकर्ता आयात किये गए सामान पर "आयात शुल्क" की वापस अदायगी का अनेक बार दावा करते हैं;

(ख) क्या कभी-कभी बाजार में "इन वस्तुओं" के बेचे जाने और वास्तविक क्रेता तथा/अथवा प्रयोक्ता से आयात शुल्क लेने के कई महीनों बाद आयात शुल्क की वापस अदायगी का दावा किया जाता है और भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, हां। यदि आयातकर्ताओं ने आयात किये गए माल पर शुल्क की अधिक अदायगी की हो तो वे उस माल पर शुल्क की वापसी के लिए अवश्य दावे दायर करते हैं। सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 27 के तहत वापसी का दावा शुल्क की अदायगी की तारीख से 6 महीने के अंदर-अंदर अथवा माल पर शुल्क के अनन्तिम निर्धारण की अवस्था में अंतिम निर्धारण की तारीख से 6 महीने के अंदर-अंदर, दाखिल किया जाना अपेक्षित है। शुल्क की वापसी केवल तभी मंजूर की जाती है यदि दावे सांविधिक समय-सीमा के अंदर-अंदर दाखिल किये गए हों, परंतु इसमें कुछ समय तो लगता ही

है। शुल्क की वापसी के बारे में अनुमति देने का संबंध बाजार में माल की बिक्री से बिलकुल नहीं है, क्योंकि शुल्क की वापसी उन्हीं मामलों में की जाती है जिन मामलों में कानून के अधीन विहित दर से अधिक दर पर शुल्क वसूल किया गया हो। बिक्री मूल्य में शुल्क-तत्व का अलग से कोई जिक्र नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

लीजिंग कंपनियां बनाए जाने के परिणामस्वरूप पूंजी बाजार में तेजी

4765. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीजिंग कम्पनियां बनाए जाने से भारतीय पूंजी बाजार में हाल ही में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, इन कंपनियां विशेषकर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कंपनियों द्वारा बनाई गई इस प्रकार की कम्पनियों को पट्टा देने संबंधी वित्तीय गतिविधियों, उनके द्वारा प्राप्त विदेशी धन के उपयोग पर किस प्रकार निगरानी रखी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पहली अप्रैल, 1984 से 31 जुलाई, 1984 के बीच की अवधि के दौरान, छब्बीस कंपनियों को, जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ लीजिंग भी था, पूंजी निगम (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत कुल मिलाकर 44.22 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर तथा ऋणपत्र जारी करने के लिए अनुमोदन दिए गए थे, जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान पैंतीस कंपनियों को 60.56 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर और ऋणपत्र जारी करने के लिए अनुमोदन दिए गए थे।

(ख) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने लीजिंग कम्पनियों द्वारा ली जाने वाली सार्वजनिक जमा राशियों के संबंध में नियम निर्धारित किए हैं। लीजिंग कम्पनियों को बैंकों से वित्त उपलब्ध कराने के बारे में भी भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों को मार्ग निर्देश जारी करने का विचार कर रहा है।

काले धन की वृद्धि रोकने के प्रयास

4766. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में काले धन की वृद्धि रोकने के प्रयासों में असफल रही है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए तैनात आयकर विभाग और अन्य विभाग के छापों के दौरान पकड़े गए काले धन और संबंधित दस्तावेजों का भंडाफोड़ नहीं करते हैं और बाद में काले धन निर्माताओं से सांठगांठ करके मामले को दबा देते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, नहीं।

सी० ओ० डी०, छिओकी, इलाहाबाद में नई डिफेंस कालोनी का निर्माण

4767. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री सी० ओ० डी०, छिओकी इलाहाबाद में नई डिफेंस कालोनी का निर्माण के बारे में 27 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9056 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इलाहाबाद में (स्टेशन के आधार पर) असैनिक रक्षा कर्मियों के लिए विवाहित व्यक्तियों के आवास के निर्माण के लिए फरवरी, 1984 में 57.99 लाख रुपये की अनुमानित लागत की मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) क्या निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फरवरी, 1984 में इलाहाबाद में (स्टेशन के आधार पर) रक्षा सिविलियनों के लिए 57.99 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर परिवार आवास निर्माण का एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

(ख) धन की कमी के कारण परियोजना अभी चालू नहीं हुई है।

चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री/राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा विमानों का प्रयोग

4768. **श्री सतीश अग्रवाल :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या रक्षा मंत्री चुनाव प्रचार के लिए प्रधान मंत्री/राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा विमानों के प्रयोग के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4046 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 दिसम्बर, 1982 और 3 जून, 1983 के बीच प्रधान मंत्री के दल द्वारा गैर-सरकारी यात्राओं के लिए देय 38.41 लाख रुपये की धनराशि का किस आधार पर आंकलन किया गया है तथा इस मामले में प्रयोग की गई "एयरलिफ्ट रिकवरी" सुविधा की प्रति घंटा दर क्या है;

(ख) क्या 263 विमान यात्रियों में से प्रत्येक यात्रा के संबंध में परीक्षण उड़ान/विमान के उतरने के समय का किराया लिया गया है, यदि हां, तो किस दर पर, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मूल अड्डे से प्रधानमंत्री की उड़ान के स्थान तक विमान के जाने में और उड़ान की समाप्ति पर विमान के अपने अड्डे पर वापस जाने में लगे समय का भी शुल्क लिया गया है, यदि हां, तो किस दर पर, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रधानमंत्री के दल की 21-10-82 से 5-6-83 के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वी राज्यों की गैर-सरकारी यात्राओं के दौरान उपलब्ध की गई 263 विमान उड़ानों के संबंध में वसूली-योग्य रकमों का आधार निम्नलिखित है :—

(1) यदि दो स्टेशनों को वाणिज्यिक हवाई सेवा से जोड़ा जाए तो हेलीकाप्टर से भिन्न विमान से की गई इस हवाई यात्रा के लिए इंडियन एयर लाइन्स को दरों पर किराया वसूल किया जाता है। जहां दो स्टेशन वाणिज्यिक विमान सेवा से नहीं जुड़े हों तो वसूली प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 0.49 पैसे की दर से तथा 25% ईंधन खर्च जोड़कर की जाती है।

(2) हेलीकाप्टरों से की गई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर अन्य यात्रियों के मामले में प्रतियात्री प्रति किलोमीटर 6.5 रुपये की दर वसूली की जाती है। प्रधान मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में वसूली प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 0.49 पैसे की दर से तथा 25% ईंधन खर्च जोड़कर वसूली की जाती है।

(3) उपर्युक्त दर के अलावा बाहर के स्टेशनों में अधिक समय तक रुकने पर पहले 48 घंटों के लिए निम्नलिखित दर से वसूली की जाती है :—

(क) एम० आई०-8 हेलीकाप्टर — 1090 रुपये प्रति घंटा।

(ख) बोइंग-737 विमान — 5000 रुपये प्रति घंटा।

(4) उपर्युक्त के अलावा विमान कर्मीदल के लिए प्रति कर्मी प्रतिदिन प्रति 3 घंटे से अधिक समय तक रुकने पर बंबई और कलकत्ता के सिवाए अन्य स्टेशनों पर 48 रुपये की दर से भोजन तथा आवास खर्च लिया जाता है। इसी तरह बंबई और कलकत्ता में रुकने पर भोजन तथा आवास का खर्च प्रति कर्मी प्रतिदिन 60 रुपये लिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त 263 विमान यात्राओं के लिए प्रशिक्षण उड़ान/विमान उतारने में लगे समय के लिए उपर्युक्त पैरा (क)(1) में उल्लिखित दरों पर विमान के मामले में एकतरफा किराया और हेलीकाप्टर के मामले में प्रति किलोमीटर 6.5 रुपये की दर से किराया लिया जाता है।

(ग) जी, हां। इन विमान यात्राओं के लिए प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित दरों पर वसूली की गई है।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर

4769. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल कितने कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस वृद्धि दर को बढ़ाने की कोई योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) पिछले 5 वर्षों में प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जिन कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है उनकी कुल संख्या तथा ऐसे रोजगार की वार्षिक वृद्धि-दर इस प्रकार है :—

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
1978-79	17.03	3.96
1979-80	17.75	4.23
1980-81	18.39	3.61
1981-82	19.39	5.44
1982-83	20.07	3.61

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु, सातवीं योजना के दौरान पूंजी-निवेश में वृद्धि होने से संभवतः रोजगार में भी वृद्धि होगी।

पालम हवाई अड्डा, दिल्ली में एक यात्री से सोने के बिस्कुटों की बरामदगी

4770. **श्री सतीश अग्रवाल :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पालम हवाई अड्डे पर 8 लाख रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट पकड़े गये हैं जो एक यात्री द्वारा तस्करी करके देश लाये जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के पकड़े गये मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पकड़े गये सोने का मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) 24-7-1984 को कानपुर के निवासी एक श्री मोहन लाल, फ्लाइट नं० ए० आई०-860 से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे और अपना असबाब लेने के बाद उन्होंने ग्रीन चैनल द्वारा बाहर जाना चाहा । तथापि, उनके असबाब की अच्छी तरह जांच करने के लिए उन्हें रोक लिया गया । इसके फलस्वरूप 7.6 लाख रुपये के विदेशी मूल के 38 स्वर्ण "बिस्कुट", जिनका वजन 380 तोला था, बरामद किए गए थे । इन स्वर्ण "बिस्कुटों" को दो स्टीम आयरन प्रैसों में छिपाया हुआ था । इसके अतिरिक्त 3,768 रुपये के मूल्य का विविध माल भी बरामद किया गया था । स्वर्ण बिस्कुटों और विविध माल को अभिगृहीत कर लिया गया और श्री मोहन लाल को सीमाशुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

एक अन्य मामले में अव्यवस्थित असबाब से 6 लाख रुपये के मूल्य के विदेशी मार्के के 30 स्वर्ण "बिस्कुट", जिनका वजन 300 तोला था, और 2,597 रुपये का विविध माल 24-7-84 को बरामद किया गया और इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत किया गया ।

(ग) वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान सम्पूर्ण देश में स्वर्ण-अभिग्रहण के ऐसे मामलों, जिनमें प्रत्येक मामले में अभिगृहीत माल का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक था, की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या
1981	38
1982	89
1983	53
1984 (जून तक)	56

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

4771. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के अनेक कार्यकारी अधिकारी बार-बार विदेशों का दौरा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशों का दौरा करने वाले अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके दौरों का उद्देश्य क्या था;

(घ) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ङ) इन दौरों के निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

1982-83

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	किस स्थान और किस तारीख को दौरा किया	व्यवसाय/कार्य किया गया	विदेश भत्ता
1	2	3	4	5
1.	श्री आर० एस० जोली उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-कोपनहोगेन-ओसली-दिल्ली 17-6-82 से 22-6-82	भारतीय खाद्य और सांस्कृतिक मेले के आयोजन से संबंधित प्रारम्भिक प्रबंध करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर	यू० एस० डालर 750 रु० 7,110
2.	श्रीमती दीप्ति भगत महा प्रबंधक (ए०टी० एंड आई०)	दिल्ली-टोकियो-ओसाका-सिआल-हांगकांग-बैंकाक-दिल्ली 16-10-82 से 30-10-82	बौद्ध धर्म के मानने वाले देशों में बौद्ध तीर्थ स्थानों को जाने वाली ट्रेन "दि ग्रेड इंडियन रोवर" का संवर्धन करने के लिए	यू० एस० डालर 1640 रु० 16,036
3.	श्री एम० एस० एन० आय्यंगार प्रधान प्रबंधक (इंजीनियरिंग)	दिल्ली-बम्बई-कुवैत-कोसियो-एथेंस-दुबई-बम्बई-दिल्ली 8-1-83 से 13-1-83	निगम और मैसर्स देलेकेल्लर एसोसिएट्स कार्पोरेशन, एथेंस के बीच एक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए	यू०एस० डालर 300 रु० 2,970

1	2	3	4	5
4.	श्रीमती आर० खन्ना, प्रबंधक नार्केटिंग, (टी० आई० एस०)	दिल्ली-फ्रैंकफर्ट-बर्लिन-फ्रैंकफर्ट-लंदन-दिल्ली 4-3-83 से 27-3-83	आई० टी० बी० मेला बर्लिन में भाग लेने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोप में बिक्री संवर्धन दौरा	यू० एस० डालर 3150 रु० 31,656
5.	श्रीमती कमला सहगल उप प्रधान प्रबन्धक (मार्केटिंग)	दिल्ली-टोरंटो-दिल्ली 24-8-82 से 3-9-82	इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर दि साइन्टिफिक स्टडी आफ मेंटल डेफीसिएन्सी के छठे वर्ल्डकांग्रेस में भाग लेने के लिए	यू० एस० डालर 840 रु० 8,064
6.	श्री संजय मुखर्जी, उप प्रबंधक (कलकत्ता)	दिल्ली-लंदन-दिल्ली 24-4-82 से 5-5-82	बी०ओ०ए०सी० से फ्लाइट केटरिंग में प्रशिक्षण	यू० एस० डालर 960 रु० 8,322
7.	श्री माधव साहा (कलकत्ता)	—वही—	—वही—	—वही—
8.	श्री एल० एस० ढाचा उप मुख्य इंजीनियर (ई० एंड एम०)	दिल्ली-स्वीडन-दिल्ली 30-5-82 से 12-6-82	एशियाड, 82 के लिए किचन उपकरणों के संबंध में मैसर्स इलेक्ट्रेलिक्स वास्केटर ए० बी० से प्रशिक्षण।	यू० एस० डालर 350 रु० 3,307
9.	श्री विनोद मदान सहायक प्रबंधक	—वही—	—वही—	—वही—

1	2	3	4	5
10.	श्री बलबीर पाहवा कार्यपालक इंजीनियर	—वही—	—वही—	—वही—
11.	श्री एम० एल० शर्मा कार्यपालक इंजीनियर	—वही—	—वही—	—वही—
12.	श्री एम० जी० भाटिया कार्यपालक इंजीनियर	दिल्ली-हांगकांग-सिंगापुर-ताइपान-दिल्ली 25-5-82 से 12-6-82	मोसल और डोकन की होटल परियोजनाओं में आंतरिक सज्जा की मदों के विभिन्न नमूनों का चयन करने और अनन्तिम दरें प्राप्त करने की प्रतिनियुक्ति पर	यू०एस० डालर 1200 रु० 11,340
13.	श्री आर० एस० जौली उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-कुवैत-लरनाका-कुवैत-दिल्ली 21-7-82 से 27-7-82	मैसर्स लोटस होटल्स लिमिटेड साइप्रेस के बोर्ड की बैठक में सम्मिलित होने के लिए और संवर्धनात्मक दौरे के लिए	यू० एस० डालर 640 (—) 220 यू० एस० डालर 420 रु० 4,119.00
14.	श्री पी० बी० माथुर प्रधान प्रबंधक	दिल्ली-कुवैत-लखनाका-कुवैत-दिल्ली 11-8-82 से 15 8-82	होटल लोटस अशोक, साइप्रस के कार्य अध्ययन करने के लिए	यू० एस० डालर 250 यू० ए० डालर 250 एफ०एम० लोटस होटल यू० एस० डालर 500 रु० 4,812.00

1	2	3	4	5
15.	श्री एस० सी० कक्कड़ प्रधान प्रबंधक (अशोक यात्री निवास)	दिल्ली-भूटान-दिल्ली 9-7-82 से 12-7-82	होटल परियोजना के प्रबंध और मार्केटिंग की शर्तों पर विचार-विमर्श करने के लिए	यू० एस० डालर 19 रु० 180
16.	श्री एस० के० राय प्रधान प्रबन्धक (इंजीनियरिंग)	दिल्ली-बम्बई-बगदाद-बम्बई 13-9-82 से 21-9-82	मोसूल और डोकन होटल परियोजनाओं के लिए नक्शे तैयार करने की योजना को अन्तिम रूप देने के लिए एस० ओ० एफ० टी/एन० बी० सी० सी० के अधिकारियों के साथ निरीक्षण/विचार-विमर्श के लिए	यू०एस० डालर 1000 रु० 9,700.00
17.	श्री एन० एच० देशपाण्डे उपाध्यक्ष (इंजीनियर)	दिल्ली-बम्बई-कुवैत-लरनाका-दुबई बम्बई-दिल्ली 15-10-82 से 21-10-82	लोटस अशोक परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और स्थानीय वास्तुकार तथा परामर्शदाताओं के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय लेने के लिए	यू० एस० डालर 500 रु० 4,800
18.	श्री आर० भारद्वाज वरिष्ठ बिक्री प्रबंधक	दिल्ली-बम्बई-कुवैत-लरनाका-कुवैत-बम्बई-दिल्ली 15-10-82 से 29-10-82	होटल लोटस अशोक साइप्रस के प्रचार/मार्केटिंग योजना को अन्तिम रूप देने के लिए और संवर्धनात्मक दौरा	यू० एस० डालर 700 रु० 6,846 यू०एस० डालर 500 से लोटस होटल रु० 4,889

1	2	3	4	5
19.	श्री एन० भट्टाचार्य जी वरिष्ठ बिक्री अधिकारी	दिल्ली-बम्बई-कुवैत-लरनाका-कुवैत-बम्बई-दिल्ली 15-10-82 से 24-10-84	होटल लोटस अशोक साइप्रस के प्रचार/मार्केटिंग योजना को अन्तिम रूप देने के लिए और संवर्धनात्मक दौरा	यू० एस० डालर 700 (–)यू० एस० डालर 100 यू० एस० डालर 600 रु० 5,868.00
20.	श्री राजन जेटली प्रबंध निदेशक	दिल्ली-कुवैत-दिल्ली 2-2-83 से 4-2-83	होटल लोटस अशोक, साइप्रस के बोर्ड की बैठक में निदेशक के रूप में सम्मिलित होने के लिए	यू० एस० डालर 450
21.	श्री आर० एस० जौली उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-कुवैत-लरनाका-कुवैत-दिल्ली 9-2-83 से 14-2-83	होटल लोटस अशोक, साइप्रस की उप-समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए	यू० एस० डालर 600 रु० 6,036
		1983-84		
सर्वश्री				
1.	पी० बी० माथुर उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-बम्बई-कुआलालाम्पुर-बैंकाक-बम्बई दिल्ली 2-4-83 से 6-4-83	कुआलालाम्पुर में एक भारतीय खाद्य व सांस्कृतिक मेले का आयोजन	625 यू० एस० डालर 6337.50 रु०

1	2	3	4	5
2.	ब्रिगेडियर जी० एस० साहनी उपाध्यक्ष (एम०एम० एंड डी०)	दिल्ली-बम्बई-सिंगापुर-बम्बई-दुबई-बम्बई-दिल्ली 22-6-83 से 28-6-83	सप्लायरों के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने	975 यू० एस० डालर 9906.71 रु०
3.	ब्रिगेडियर पी० एल० बत्रा प्रधान प्रबंधक (वाणिज्यिक)	—वही—	—वही—	975 यू० एस० डालर 9906.71 रु०
4.	राजन जेटली प्रबन्धक निदेशक (आई० टी० डी० सी०)	दिल्ली-टोकियो-लासएंजेल्स-टोकियो-सिंगापुर-बम्बई-दिल्ली 8-7-83 से 22-7-83	आई० टी० डी० सी० के कार्यालयों को स्थापित किए जाने की संभावना का पता लगाने	2250 यू० एस० डालर 22860.50 रु०
5.	श्रीमती आर० खन्ना प्रधान प्रबन्धक (मार्केटिंग)	दिल्ली-रोम-मिलान-पैरिस-मेडरिड-बारसेलोना-फ्रैंकफर्ट-दिल्ली 13-9-83 से 30-9-83	संवर्धनात्मक व विपणन दौरा	1950 यू० एस० डालर 20046.00 रु०
6.	राजन जेटली प्रबन्धक निदेशक (आई० टी० डी० सी०)	दिल्ली-बैंकाक-दिल्ली 7-10-83 से 11-10-83	रामा टावर्स होटल के प्रबन्ध/परिचालन को हाथ में लेने के लिए बातचीत करने हेतु	575 यू० एस० डालर 5980.00 रु०
7.	आर० एस० जौली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	—वही—	—वही—	375 यू० एस० डालर 3900.00 रु०

1	2	3	4	5
8.	पी० बी० माथुर उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-पैरिस-अल्जिरिया-एथेंस-रोम-दिल्ली 6-11-83 से 12-11-83	एयरपोर्ट होटल, अल्जिरिया के होटल मैनेजमैंट के बारे में मैसर्स ई० एन० ई० एम० ए० को मैनेजमैंट की पेशकश प्रस्तुत करने	900 यू० एस० डालर 9356.00 रु०
9.	एस० के० राय प्रधान प्रबन्धक (इंजीनियरिंग)	—वही—	—वही—	750 यू० एस० डालर 7799.00 रु०
10.	एम० एन० गुप्ता प्रधान प्रबन्धक (होटल सम्राट)	दिल्ली-फ्रैंकफर्ट-होनोवर-लंदन-दिल्ली 13-12-83 से 21-12-83	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के प्रबन्धों के बारे में	960 यू० एस० डालर 10127.00 रु०
11.	एम० बेदी प्रधान प्रबन्धक (होटल जनपथ)	दिल्ली-जेद्दाह-दिल्ली 20-12-83 से 30-12-83	जेद्दाह में मेले स्थल पर स्टाल स्थापित करने के बारे में	1400 यू०एस० डालर 14872.00 रु०
12.	आर० एस० जौली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-त्रिवेन्द्रम-माले-त्रिवेन्द्रम-दिल्ली 12-2-84 से 17-2-84	विदेश मंत्रालय के आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव सरकार द्वारा अपेक्षित सहायता का जायजा लेने	41 यू० एस० डालर 450.00 रु०

1	2	3	4	5
13.	अरुण क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (ए० टी० टी०)	दिल्ली-बम्बई-लंदन-न्यूयार्क-शिकागो-सान फ्रांसिस्को-लास एंजेल्स-न्यूयार्क-दिल्ली 28-1-84 से 20-2-84 (चार दिन की आकस्मिक छुट्टी सहित)	वर्ष 1984 के लिए अशोक ट्रैवल एण्ड टुअर्स की इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान	3225 यू० एस० डालर 34980.50 रु०
14.	श्रीमती दीप्ति भगत प्रधान प्रबन्धक (ए० टी० टी०)	दिल्ली-फ्रैंकफर्ट-अमेस्टर्डम-पैरिस-ज्यूरिच-रोम-मिलान-रोम-दिल्ली 28-2-84 से 17-3-84	संवर्धनात्मक दौरा	2380 यू० एस० डालर 25762.00 रु०
15.	के० बी० काचरू ओ० एस० डी०	दिल्ली-कुवैत-दिल्ली 6-3-84 से 9-3-84	कुवैत में एक होटल का प्रबंध हाथ में लेने के बारे में	480 यू० एस० डालर 5208.00 रु०
16.	आर० के० पुरी उपाध्यक्ष ग)	दिल्ली-फ्रैंकफर्ट-बर्लिन-फ्रैंकफर्ट-दिल्ली 2-3-84 से 11-3-84	आई० टी० बी० बर्लिन में भाग लेने	1725 यू० एस० डालर 18566.25 रु०
17.	श्रीमती आर० खन्ना प्रधान प्रबंधक (मार्केटिंग)	—वही—	—वही—	1260 यू० एस० डालर 13571.00 रु०

1	2	3	4	5
18.	जी० वी० दे उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	दिल्ली-बंबई-सिंगापुर-पर्थ-मेलबोर्न-सिडनी-टोकियो-औसाका-हांगकांग-दिल्ली 12-5-83 से 4-6-83	टी० ए० ए० आई० सम्मेलन में सम्मिलित हुए और संवर्धनात्मक दौरा किया	3125 यू० एस० डालर 31750.00 रु०
19.	के० बी० काचरू महाप्रबधक (अशोक होटल)	दिल्ली-बम्बई सिंगापुर-बम्बई-दिल्ली 12-5-83 से 18-5-83	टी० ए० ए० आई० सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए	875 यू० एस० डालर 8866.00 रु०
20.	ओ० एन० वर्मा उपाध्यक्ष (कार्मिक)	दिल्ली-जनेवा-दिल्ली 4-12-83 से 17-12-83	होटल-रेस्तराओं और ऐसी ही संस्थापनाओं के बारे में तृतीय त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक में सम्मिलित होने	600 यू० एस० डालर 6390.00 रु०
21.	बी० पी० सिंह प्रबंधक (खाद्य व पेय) अशोक होटल	दिल्ली-बम्बई-सिंगातुर-बम्बई-दिल्ली 12-5-83 से 18-5-83	सिंगापुर के भोजन एवं सजावट का अध्ययन करने	700 यू० ए० डालर 7105.00 रु०
22.	एन० सबरवाल निवासी प्रबंधक, अशोक होटल	दिल्ली-काठमांडु-दिल्ली 21-6-83 से 25-6-83	"होटलों का प्रबंध और वित्तीय नियंत्रण" के संबंध में पांच दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए	5885.00 रु०
23.	एस० एस० मनचन्दा, कार्यपालक प्रबंधक, कनिष्क	—वही—	—वही—	5885.00 रु०

1	2	3	4	5
24.	आर० एस० जौली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-न्यूयार्क-इथाका-न्यूयार्क-लंदन-दिल्ली 11-12-83 से 17-12-83	ईडीपी के अंतर्गत होटल प्रबंध में एक सेमिनार का आयोजन करने	900 यू० एस० डालर 9491.00 रु०
25.	राजन जेटली प्रबंध निदेशक	दिल्ली-लंदन-दिल्ली 18-1-84 से 26-1-84	यू० के० और मन्चेस्टर में आयोजित इंडिया हालिडे सेमिनार में भाग लेने	1425 यू० एस० डालर 15532.00 रु०
26.	राजन जेटली प्रबंध निदेशक	दिल्ली-कुवैत-लरकाना-एथेंस-कुवैत-दिल्ली 18-4-83 से 25-4-83	साइप्रस में होटल परियोजना की बैठक के संबंध में	1550 यू० ए० डालर 15655.00 रु०
27.	एन० के० पांडा संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, और आई० टी० डी० सी० का निदेशक	दिल्ली-कुवैत-दिल्ली 18-4-83 से 22-4-83	—वही—	शून्य
28.	ब्रिगेडियर जी० एस० साहनी उपाध्यक्ष (एम० एम० एंड डी०)	दिल्ली-फ्रैंकफर्ट-कोपनहेगन-हमबर्ग-फ्रैंकफर्ट-वीनस-रोम-बगदाद-कुवैत-दिल्ली 10-8-83 से 26-8-83	किचन और लाण्ड्री उपस्करों, आंतरिक सज्जा और होटल डोकन और मोसूल-परियोजनाओं के लिए सामग्री के विभिन्न सप्लायरों के साथ समझौता करना	2300 यू० एस० डालर 23725.00 रु०

1	2	3	4	5
29.	एन० एन० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	—वही—	—वही—	2200 यू० एस० डालर 22718.00 रु०
30.	एस० के० राय प्रधान प्रबंधक (इंजीनियरिंग)	—वही—	—वही—	1840 यू० एस० डालर 18986.00 रु०
31.	पी० बी० माथुर उपाध्यक्ष (ओएन)	—वही—	—वही—	2300 यू० एस० डालर 23725.00 रु०
32.	एन० एन० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	दिल्ली-बम्बई-बहरीन-बम्बई-दिल्ली 30-10-83 से 6-11-83	डोकन और मोसूल परियोजना के संबंध में साख-पत्र खोलने	450 यू० एस० डालर 4702.00 रु०
33.	पी० बी० माथुर उपाध्यक्ष (ओएन)	दिल्ली-रोम-वीनस-रोम-दिल्ली 29-2-84 से 5-3-84	मोसूल और डोकन होटल परियोजनाओं के लिए रसोई उपकरणों का निरीक्षण करने	875 यू० एस० डालर 9501.00 रु०
34.	ए० के० आनन्द सहायक प्रबंधक (इंजीनियरिंग)	—वही—	—वही—	700 यू० एस० डालर 7594.00 रु०
35.	एन० ए० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	दिल्ली-बगदाद-बहरीन-दिल्ली 4-3-84 से 12-3-84	होटल डोकम तथा मोसूल परियोजनाओं की प्रगति का पता लगाने और एन० बी० सी० सी० तथा एस० ओ० एफ० टी० के साथ विभिन्न तकनीकी समस्याओं को हल करने	1050 यू० एस० डालर 11337.00 रु०

1	2	3	4	5
36.	ब्रिगेडियर जी० एस० साहनी उपाध्यक्ष (पी० एण्ड पी०)	—वही—	—वही—	1050 यू० एस० डालर 11337.00 रु०
37.	एम० एस० एन० आयंगर उपाध्यक्ष (इंजीनियरिंग)	—वही—	—वही—	1050 यू० एस० डालर 11337.00 रु०
38.	डी० एन० दुआ सहायक प्रबंधक (ई० एंड एम०)	—वही—	—वही—	840 यू० एस० डालर 9114.00 रु०

राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का रक्षित भंडार

4772. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अगस्त, 1984 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा जारी करने से इंकार करने के फलस्वरूप देश में अखबारी कागज की भारी कमी के कारण राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का रक्षित भंडार समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां। एस० टी० सी० के अखबारी कागज का बफर स्टाक, जो वर्ष 1984-85 के आरंभ में लगभग 4000 एम० टी० के स्तर का था, फिर से जुलाई, 1984 के महीने में 10,000 एम० टी० से अधिक तक पहुंच गया है। एस० टी० सी० का बफर स्टाक शून्य स्तर तक कभी नहीं पहुंचा।

तस्करों को छोड़ा जाना

4773. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1984 के अंतिम सप्ताह में कई तस्करों को जेलों से रिहा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रिहा करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह व्यक्ति तस्करी गतिविधियों के लिए कुख्यात थे;

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उन्हें न्यायालयों की अनुमति के बिना रिहा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन नजरबंद किये गए व्यक्तियों को जुलाई, 1984 के अंतिम सप्ताह में रिहा किये जाने संबंधी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, विदेशी मुद्रा

संरक्षण और तस्करी का निवारण, अधिनियम के उपबंधों के अधीन नजरबंद किये गए 26 व्यक्तियों को जुलाई, 1984 में नजरबंदी से रिहा किया गया था।

(ख) उनकी रिहाई का ब्यौरा और कारण निम्नोक्त हैं:

(i)	नजरबंदी की अवधि के समाप्त हो जाने पर	14
(ii)	विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किये गए आदेशों पर	5
(iii)	सलाहकार बोर्डों की सिफारिश पर	7

(ग) इन 26 व्यक्तियों को तस्करी की गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त होने के कारण नजरबंद किया गया था।

(घ) तस्करी की गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ मामले के तथ्यों और गुण-दोषों के आधार पर विभागीय रूप से और न्यायालय में अभियोजन के मामले चलाकर कड़ी कार्यवाही की जाती है।

(ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

मुद्रास्फीति की दर

4774. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर में कमी के कोई चिह्न नहीं दिखाई दे रहे हैं;

(ख) क्या चालू वर्ष में 7.6 प्रतिशत मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले जून के 8 प्रतिशत की तुलना में कुछ ही कम है;

(ग) क्या मंत्रालय गत दो महीनों से थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि दर से चिंतित है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बहुत अधिक है, जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष की दर से अधिक हो सकती है;

(घ) क्या मुद्रास्फीति के कारणों के संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(च) मुद्रास्फीति और मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) थोक मूल्य सूचक अंक के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 30 जून, 1984 को 8.0 प्रतिशत थी जबकि 1983 के तदनुरूप सप्ताह में यह दर 7.1 प्रतिशत थी। 28 जुलाई, 1984 को समाप्त हुई दो महीने की अवधि में थोक मूल्यों

के सामान्य सूचक अंक में (मासांत के आधार पर) 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1983-84 की तदनुरूप अवधि में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मौसमी दबावों के कारण जून और जुलाई के महीनों में मूल्यों में वृद्धि होना असामान्य बात नहीं है। जैसा कि इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि थोक मूल्य सूचक अंक में 1979-80 की तदनुरूप अवधि में 7.4 प्रतिशत, 1980-81 की तदनुरूप अवधि में 8.0 प्रतिशत, 1981-82 की तदनुरूप अवधि में 3.1 प्रतिशत और 1982-83 की तदनुरूप अवधि में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान मूल्यों में हुई वृद्धि और पूरे वर्ष के दौरान मूल्यों की प्रवृत्तियों का पारस्परिक रूप में कोई निश्चित संबंध नहीं है।

समय-समय पर, सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में कदम उठाए हैं। इनमें और बातों के साथ-साथ, अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, उचित दर की दुकानों के माध्यम से अधिक मात्रा में खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल जारी करना, जब-जब जरूरत हो आवश्यक मदों का आयात करना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और प्रणाली में से अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) को समेटना शामिल है।

वृक्ष लगाने के लिए भूमिहीन और सीमांत किसानों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

4775. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भूमिहीन और सीमांत किसानों को सरकारी भूमि पर निजी उपयोग के लिए वृक्ष लगाने के लिए वित्तीय सहायता देता है;

(ख) यदि हां, वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान बैंक द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मंजूर और वितरित धन का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित मध्य प्रदेश का जिला-वार ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त संत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से पात्र वित्तीय संस्थाओं को (जिनमें छोटे और सीमान्तिक किसान भी शामिल हैं) निजी कृषि भूमि पर पेड़ लगाने के लिए दिए गए ऋणों पर कुछ शर्तों पर पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी पुनर्वित्त सुविधा भूमिहीन लोगों, किसानों अथवा सहकारी समितियों जैसी उनके संगठनों द्वारा लंबी अवधि के लिए पट्टे पर ली गयी अपवर्गीकृत सरकारी जमीन पर पेड़ लगाने के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में वर्ष-वार धन की मंजूरी, लाभान्वितों की संख्या और प्रश्न में पूछे गये ढंग में उनके जिले-वार ब्योरे से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं

है। फिर भी, उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1982-83 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में वानिकी के लिए 90 लाख रुपये की कुल पुनर्वित्त सुविधा दी गयी थी।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या

4776. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा जैसे पिछड़े जिलों में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इन बैंकों से कितने लोगों ने ऋण प्राप्त किया है और वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान उपर्युक्त जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है;

(ग) मध्य प्रदेश के उपर्युक्त जिलों में 31 मार्च, 1984 तक प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा राशि और ऋण संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(घ) 30 जून, 1984 को प्रत्येक जिले के प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे और उनके निपटान में विलंब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मध्य प्रदेश के शिवपुरी और गुना तथा राजगढ़ जिलों के लिए दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं अर्थात् शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय शिवपुरी में है और राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय बिओरा में है। विदिशा जिला अभी तक किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत नहीं आता है।

(ख) और (ग) उक्त ग्रामीण बैंक से संबंधित उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं :

(लाख रुपये)

	शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	निम्नलिखित के अंत की स्थिति के अनुसार			
	दिसं० 82	दिसं० 83	दिसं० 82	दिसं० 83
शाखाओं की संख्या	26	45	—	10
जमा राशि	48.77	190.55	—	15.27
बकाया अग्रिम	13.11	64.00	—	0.78
ऋण खातों की संख्या	847	3745	—	44

(घ) सूचना पद्धति से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लम्बित आवेदन पत्रों के संबंध में आंकड़ों का पता नहीं चलता लेकिन बैंकों द्वारा विशिष्ट शाखाओं में होने वाली असाधारण देरी से संबंधित खास-खास शिकायतों की उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जांच की जाती है।

आर्डनेंस फैक्टरी, मुरादनगर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध अधिकारियों के साथ कथित भेदभाव बरता जाना

4777. **श्री राम लाल राही** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेंस फैक्टरी, मुरादनगर (गाजियाबाद) के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के साथ भेदभाव के बारे में जून, 1984 में अम्बेडकर मैमोरियल इंस्टीच्यूट, उत्तर प्रदेश नवयुवक संघ और उत्तर प्रदेश मजदूर कांग्रेस से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो जांच करने वाली एजेंसी का नाम क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रतिरक्षा विभाग, दानापुर छावनी के असैनिक कर्मचारियों को उनके घरों से निष्कासन की धमकी

4778. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों को उनके घरों से निकाल बाहर करने की कथित धमकी के संबंध में बिहार राज्य प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ दानापुर छावनी से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रिहायशी क्वार्टर आबंटित किये जाने तक इन निष्कासन आदेशों को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) दानापुर में रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को रक्षा पूल के आवास का आबंटन उस समय किया गया जब सेना के पास फालतू आवास उपलब्ध था और ऐसा करते समय यह विशेष शर्त रखी गई थी कि यदि सेना के हकदार कार्मिकों को इसकी आवश्यकता हुई तो यह आवास एक महीने के नोटिस पर खाली करना होगा। दानापुर में एक नई रेजीमेंट खड़ी करने से हकदार

कार्मिकों की आवास की मांग बढ़ गई और इसीलिए रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को उक्त परिसर खाली करने के नोटिस जारी किये गए। इससे प्रभावित हुए कर्मचारियों की ओर से बिहार राज्य रक्षा कर्मचारी यूनियन द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका को भी पटना उच्च न्यायालय ने नवंबर, 1983 में खारिज कर दिया था। फिर भी स्टेशन प्राधिकारियों ने रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को उक्त आवास में मानवीय आधार पर रहने की अनुमति दे दी थी। कानून की विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत ही इन कर्मचारियों को मकानों से हटाया जा रहा है। संबंधित सिविलियन रक्षा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों से एक अंश के रूप में रक्षा पूल के आवास के हकदार नहीं हैं।

विसंगति संबंधी समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

4779. **श्री एच० एन० नंजे गौडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विसंगति संबंधी समिति की रिपोर्ट जिस पर 6 जून, 1984 को विभागीय परिषद की बैठक में विचार-विमर्श हुआ था और उसे अपनाया गया था, को इस बीच स्वीकार कर लिया गया है और कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के कारण हैं और सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों को संभवत: कब लागू किया जायेगा;

(ग) क्या एक मान्यता प्राप्त रक्षा कर्मचारी संघ ने इस विषय को लेकर हड़ताल करने का अपना आह्वान अभी रोक रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या र ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) विसंगति संबंधी समिति की रिपोर्ट 6 जून, 1984 को रक्षा मंत्रालय की विभागीय परिषद् की बैठक में मंजूर की गई थी और मामले पर शीघ्रता से कार्यवाही हो रही है। फैडरेशन के साथ हुए विचार-विमर्श के परिणामत: प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई थी।

सेवा में समुदाय के आधार पर भर्ती

4780. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में रिक्रूटमेंट इन आर्मी ओन दी बेसिस आफ कम्यूनिटी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की भर्ती को रोकने और इसकी जांच कराने का कोई प्रस्ताव है कि यह भर्ती किस तरह और किसके द्वारा की गई थी; और

(ग) दोषी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार की नीति भरती का आधार व्यापक बनाने की रही है। सभी नई यूनिटें सभी वर्गों के लोगों को भरती करके बनाई जा रही हैं।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सीमा शुल्क से छूट

4781. **श्री ए० के० बालन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति-महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को सीमा-शुल्क का भुगतान करने से छूट मिली हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि तक; और

(ग) ऐसे अति-महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के विवरण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति तथा राज्यपालों द्वारा आयातित निम्नलिखित माल को संपूर्ण सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है—

(क) उनके निजी इस्तेमाल, पहनावे अथवा खपत अथवा उनके परिवारों के सदस्यों के लिए वस्तुएं;

(ख) उनके परिवारों अथवा उनके मेहमानों, भले ही वे मेहमान सरकारी हों अथवा सरकारी नहीं हों, की खपत के लिए भोज्य-सामग्री, पेय-पदार्थ तथा तम्बाकू।

(ग) उनके सरकारी आवासों को सुसज्जित करने की वस्तुएं।

(घ) उनके इस्तेमाल के लिए दी गई मोटर कारें।

नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी सरकार से प्राप्त किसी भी कीमत की उपहार की वस्तुओं को, जिन्हें असबाब के एक हिस्से के रूप में आयात किया गया हो, भी सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है। यह छूट इस शर्त के अध्यधीन है कि इनके विवरणों की घोषणा सीमा-शुल्क अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति द्वारा की जाए।

अनुसूची

1. केन्द्र किसी राज्य अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री।

2. ऐसे व्यक्ति, जो किसी सरकारी सेवा में नियुक्त हों, अथवा केन्द्र या किसी राज्य के कार्यों के संबंध में पदधारी हों. परंतु ऐसे व्यक्ति नहीं, जो किसी कानून द्वारा अथवा कानून

के तहत स्थापित किसी निगम में नियुक्त हों अथवा जो सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी निगम में नियुक्त हों।

गुजरात में संगठित कपड़ा क्षेत्र के लिए राहत

4782. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1984 के "इकानामिक टाइम्स" की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि गुजरात सरकार ने केन्द्र से कहा है कि हजारों अनुषंगी यूनिटों को निश्चित विनाश से बचाने के लिए संगठित कपड़ा क्षेत्रों को एकमुश्त सहायता दी जाये;

(ख) क्या यह भी बताया गया है कि यदि बंद पड़ी तथा रुग्ण कपड़ा मिलों की समीक्षा के लिए युद्ध स्तर पर कदम नहीं उठाये गये तो कपड़ा मिलों पर निर्भर रहने वाले लघु क्षेत्र के कई यूनिट भी रुग्ण हो जाएंगे अथवा बंद कर देने पड़ेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने वस्त्र उद्योग की सहायता करने के लिए विभिन्न वित्तीय तथा प्रशासनिक उपाय किये हैं ।

कुछ प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद आवेदकों को विद्युत चालित करघों का आबंटन

4783. **श्री भीखा भाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद आवेदकों को कोई विद्युत चालित करघे नहीं दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रक्रिया जटिल है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब वर्गों को लाइसेंस जारी किये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) विद्युत करघा क्षेत्र के विस्तार पर इस समय साधारण प्रतिबंध है। तथापि, छठी योजनावधि के दौरान इस क्षेत्र में क्षमता के विस्तार की अनुमति केवल हथकरघा सहकारी समितियों को है। वैयक्तिक रूप से लाइसेंस नहीं दिये जाते।

निरीक्षण महानिदेशालय में असैनिक अधिकारियों का स्थानान्तरण

4784. **श्री सी० चिन्नास्वामी :**
श्री अजय विश्वास :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालल नामक संगठन में विशेषकर महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों वाले अधिकारियों के मामले में बारी-बारी से स्थानान्तरण करने की नीति है;

(ख) क्या निरीक्षण महानिदेशालय में केवल वरिष्ठतम ब्रिगेडियर को ही तकनीकी निदेशक के रूप में तैनात किया जा सकता है; और

(ग) इस स्थानान्तरण नीति के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (ग) से (ग) निरीक्षण महानिदेशालय में, इस बात पर ध्यान दिये बिना कि अफसर किस काम पर नियुक्त हैं, एक विशेष स्थान पर पांच वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात् उन्हें सामान्यतः स्थानान्तरित कर दिया जाता है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण महानिदेशालय में तकनीकी निदेशकों के पदों पर संबंधित संगठन के वरिष्ठतम अफसरों को नियुक्त किया जाता है। काम की अनिवार्यता के कारण लोकहित में कभी-कभी इस परिपाटी में ढील दी जाती है।

पंजाब में तस्करी गतिविधियों के पीछे छः परिवारों का हाथ

4785. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 जून, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने यह कहा है कि वे उन छः परिवारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो पंजाब में सभी किस्म की तस्करी गतिविधियों से संबद्ध हैं और वे चंडीगढ़ दिल्ली में रहते हैं तथा उनमें से एक परिवार एक सिनेमाघर का मालिक है तथा अन्य परिवार ऐसी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां चलाते हैं, जिनके वाहनों की संख्या बहुत अधिक है तथा जब तक इन तस्कर गिरोहों का सफाया नहीं किया जाता तब तक अवैध व्यापार जारी रहेगा;

(ख) इन छ: परिवारों के विवरण क्या हैं तथा क्या उनके सदस्यों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में किए गए प्रभावशाली उपायों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकार ने इस खबर को देखा है परंतु पंजाब सीमा पर तस्करी की गतिविधियों में छ: परिवारों के अंतर्ग्रस्त होने तथा उनकी परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों के बारे में महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा किसी प्रकार का विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने जो कुछ बताया था, वह यह था कि तस्करी का यह समस्त कार्य मुट्ठी-भर व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया था।

(ग) भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सीमा-शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क बने रहते हैं। इस क्षेत्र में सीमा-शुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तन्त्र को, कर्मचारियों और उपकरणों के संदर्भ में, और मजबूत बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके तस्करी-निवारण के उचित उपाय किये जाते हैं। उचित कार्यवाही हेतु इस विषय की सतत् समीक्षा की जाती रहती है।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि

4786. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के उपबंधों के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के विकास तथा आदिवासियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए धनराशि की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि की सिफारिश की गई है; और संबंधित राज्यों को कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) क्या यह राशि भारत की संचित निधि से दी जाएगी अथवा सरकार की बजट निधि से दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आठवें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों के अनुसार आयोग को उन सिद्धांतों की सिफारिश करनी थी, जिनके आधार पर भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व के सहायता-अनुदान दिए जाने चाहिएं और इसके अलावा उन राज्यों को दी जाने वाली राशियों की सिफारिश करनी थी, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उसके खंड (1) के परंतुको में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के

लिए उनके राजस्व के सहायता-अनुदानों के रूप में सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद 275 के परंतुकों में वर्णित प्रयोजनों के लिए अपने 1984-85 के बजट में मांग संख्या 55 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं :—

(घ)2(1)—संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुकों के अंतर्गत अनुदान ।

(घ)2(1)(1)—संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुकों के अंतर्गत योजनाएं (भारित) 20 करोड़ रुपये ।

जनजातीय उप-आयोजना के अंतर्गत योजनाएं—(भारित) 125.50 करोड़ रुपये ।

(घ)1(1)(1)—संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परन्तुक के खण्ड (क) के अंतर्गत आसाम सरकार को अनुदान (भारित 13.33 लाख रुपये ।

वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275(2) के अंतर्गत जनजातीय प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुदानों की व्यवस्था की है। आयोग ने 1984-85 से 1988-89 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्यों में जनजातीय प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुल 97.19 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की थी। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को पहली अप्रैल, 1985 से शुरू होने वाले चार वर्षों के लिए स्वीकार किया है। इस अवधि से संबंधित अनुदान की राशि 93.51 करोड़ रुपये की होगी।

(ग) उपर्युक्त राशि भारत की समेकित निधि पर भारित होगी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 'मार्जिन' राशि के आबंटन हेतु अपनाया गया मानदण्ड

4787. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए 'मार्जिन' राशि के आबंटन में क्या मानदंड अपनाया है;

(ख) क्या अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी को उक्त मानदंड में शामिल नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मानदंड के अनुसार धनराशि का राज्यवार कितना आबंटन किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आठवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए सीमांत राशि (मार्जिन मनी) 1982-83 को समाप्त हुए पांच वर्षों के औसत आयोजना-भिन्न व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की है। इस प्रकार परिकल्पित की गई सीमांत राशि को सातवें आयोग द्वारा निर्धारित सीमांत राशि के तीन गुना तक सीमित रखा गया है और इस राशि को

अगले 25 लाख रुपये की राशि तक पूर्णांकित किया गया है । कुछ राज्यों के संबंध में जहां आठवें वित्त आयोग द्वारा 5 वर्ष के औसत के आधार पर परिकलित सीमांत राशि सातवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि से भी कम बैठती थी, आठवें वित्त आयोग ने सातवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि जितनी राशि की व्यवस्था की है । इस प्रकार निर्धारित की गई सीमांत राशि के आधे भाग को राज्यों के राजस्व के पूर्वानुमानों का पुर्ननिर्धारण करते हुए हिसाब से लिया गया है और शेष आधी राशि केन्द्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता अनुदानों के रूप में दी जाएगी ।

(ख) अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की सीमांत राशि में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह सामान्यत: आयोजना-व्यय में शामिल होती है । इस संबंध में आठवां वित्त आयोग सातवें वित्त आयोग के विचारों से सहमत था, जो इस प्रकार है :—

> "हमने जिस मार्जिन की व्यवस्था की है उसमें किसी वर्ष में अधिक किये गए व्यय के लिए'''राज्य सरकार को अपनी आयोजना से अधिकांशत: सूखे के प्रभाव का निराकरण करने के हेतु राहत संबंधी रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अपनी आयोजना से अंशदान देना चाहिए ।'''इस संबंध में हम समझते हैं कि नई पंचवर्षीय आयोजना में सूखे की संभावना से ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रमों और अन्य विकास कार्यक्रमों तथा साथ ही न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे सड़कों, पेयजल आदि के लिए काफी अधिक परिव्यय की संभावना है और इसमें से राहत संबंधी रोजगार के प्रयोजनों के लिए राशि ली जा सकती है । हम आशा करते हैं कि योजना आयोग और राज्य सरकारें भी विपदा के समाप्त हो जाने के बाद राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किये गए निर्माण कार्यों की सम्पन्नता को आयोजना में महत्त्व देंगी !"

उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, सातवें वित्त आयोग का यह मत था किसीमांत राशि में राहत-रोजगार संबंधी व्यय को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है । आठवेंवित्त आयोग ने सातवें वित्त आयोग के विचारों से सहमति प्रकट की थी ।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित की गई वार्षिक सीमांत राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	24.50
2. आसाम	7.25
3. बिहार	33.75
4. गुजरात	28.75
5. हरियाणा	4.50
6. हिमाचल प्रदेश	1.75
7. जम्मू और कश्मीर	1.50

1	2
8. कर्नाटक	6.00
9. केरल	5.00
10. मध्य प्रदेश	4.75
11. महाराष्ट्र	7.25
12. मणिपुर	0.25
13. मेघालय	0.25
14. नागालैण्ड	0.25
15. उड़ीसा	26.25
16. पंजाब	5.00
17. राजस्थान	16.75
18. सिक्किम	0.25
19. तमिलनाडु	8.75
20. त्रिपुरा	0.75
21. उत्तर प्रदेश	32.50
22. पश्चिम बंगाल	23.75
जोड़	240.75

तमिलनाडु के मंदिरों द्वारा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत, घोषित सोना

4788. **श्री ईरा मोहन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के मंदिरों द्वारा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कितने सोने और सोने के आभूषणों की घोषणा की गई है और उनका मूल्य कितना है;

(ख) क्या तमिलनाडु में विभिन्न मंदिरों में सोने की मात्रा की नियमित जांच के लिए कोई तंत्र है; और

(ग) यदि हां, तो क्या चोरी की किसी घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 की धारा 16 के अंतर्गत किसी धार्मिक संस्था को केवल उसके स्वामित्व में सोने की मात्रा, स्वर्ण निर्मितियां तथा आभूषणों को उस स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी को बताना होता है जिसके

अधिकार-क्षेत्र में संस्था आती हो। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सहित तमिलनाडु की धार्मिक संस्थाओं द्वारा 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार सभी रूपों में सोने की मात्रा 3144 कि० ग्रा० घोषित की गई थी।

(ख) तथा (ग). घोषित किया गया सोना मंदिरों की सम्पत्ति है। तमिलनाडु के मंदिर तमिलनाडु राज्य सरकार के हिंदु धार्मिक तथा पूर्त धर्मादा बोर्ड के नियंत्रण में हैं। मंदिरों से सम्बद्ध सम्पत्ति (स्वर्ण सहित) का सत्यापन आदि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। चोरियों, उठाईगिरी आदि के खिलाफ उपर्युक्त कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

कड़ी स्थित नवज्योति कपड़ा मिल का पुनः चालू किया जाना

4789. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कड़ी स्थित नवज्योति कपड़ा मिल को कब तक पुनः चालू कर देने का विचार है और सरकार ने इस मिल को पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(ख) सरकार ने उक्त मिल की मशीनों, भवन और भूमि की बिक्री को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गुजरात की बंद/रुग्ण मिलों की समस्याओं का अध्ययन करने और उन एककों के, जो सक्षम हो सकते हैं, पुनरुत्थान के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने हेतु अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया है। मैसर्स नवज्योति टैक्सटाइल्स के प्रबंधकों से इस दल को पुनरुत्थान प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ख) फैक्टरियों का मुख्य नियंत्रक, गुजरात सरकार ने मिलों की सम्पत्ति का निपटान करने में मिलों के प्रबंधकों पर रोक लगाने हेतु दीवानी न्यायालय, कादी से स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

विदेशों में तैनात एयर इंडिया के कर्मचारियों को विदेशों में एयर इंडिया के स्थानीय कार्यालयों में अपने बेटों और बेटियों को रोजगार दिलाने से रोकने वाली आचार संहिता

4790. **श्री दिगंबर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अथवा एयर इंडिया ने विदेशों में भारतीय मिशनों में तैनात अधिकारियों को अपने बेटे-बेटियों को जो उनके साथ सरकारी खर्च पर यात्रा करते हैं, वहां दूतावास में स्थानीय तौर पर रोजगार देने से वंचित करने के संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसरण में तत्संबंधी कोई आचार संहिता निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मानवचालित रोलर प्रिंटिंग मशीनों पर उत्पाद शुल्क की वसूली

4791. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन जिलों में ड्राइंग और प्रिंटिंग के लघु उद्योग मानव-चालित रोलर प्रिंटिंग मशीनों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) उपर्युक्त रोलर प्रिंटिंग मशीनों पर कितना उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है;

(ग) उपर्युक्त प्रिंटिंग मशीनों पर वसूल किये गए उत्पाद शुल्क से केन्द्रीय सरकार को जिला-वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या उत्पाद शुल्क लगाये जाने के कारण रोलर प्रिंटिंग मशीनों का उपयोग लगभग समाप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त मानव-चालित प्रिंटिंग मशीनों पर से उत्पाद शुल्क हटाने को तैयार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, देश में जिलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला-वार आंकड़े एकत्र करने में अनुपात की दृष्टि से अधिक समय और श्रम लगेगा । यदि माननीय सदस्य किसी क्षेत्र-विशेष, जिसके विषय में जानकारी अपेक्षित हो, का उल्लेख करें, तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(ख) रोलर प्रिंटिंग मशीनें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अधीन "अन्यत्र अविनिर्दिष्ट अन्य सभी माल" के रूप में वर्गीकरण योग्य हैं तथा 10% की दर से शुल्क्य हैं ।

(ग) राजस्व के आंकड़े विभाग द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय-वार तथा प्रभाग-वार रखे जाते हैं, न कि राजस्व जिला-वार । टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाली अलग-अलग वस्तुओं से राजस्व की वसूली के आंकड़े भी नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

4792. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए सहमत हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका योजना और परियोजना-वार क्या ब्यौरा है तथा कितनी सहायता देने के लिए सहमति हुई है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार को परियोजना-वार सहायता राशि दे दी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो उस राज्य ने इन परियोजनाओं के लिए किस तरह धनराशि की व्यवस्था की है और यदि धनराशि देते समय कोई प्राथमिकता दी गई है तो क्या; और

(ङ) क्या विश्व बैंक ऋण-1397 आई० एन० (1983-84) के अन्तर्गत आने वाली बद्धानाला मझोली सिचाई परियोजना को कम प्राथमिकता दी गयी यद्यपि 1983-84 और 1984-85 में उनके मंत्रालय द्वारा सहायता दी गयी है लेकिन उस राज्य द्वारा दी गयी धनराशि अत्यन्त कम थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) छठी आयोजना की अवधि के दौरान, उड़ीसा में स्थापित जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मंजूर की गई है, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक सहायता भारत सरकार द्वारा केवल प्रतिपूर्ति के रूप में ली जाती है। संबंधित राज्य सरकार को पहले अपनी आयोजना के अन्तर्गत परियोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था करनी होती है। इस राशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

(ङ) बद्धानाला मध्यम सिंचाई परियोजना, उड़ीसा सिंचाई द्वितीय चरण परियोजना (1397-आई० एन०) के अन्तर्गत आने वाली 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। चूंकि बद्धानाला परियोजना उपर्युक्त विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को कम प्राथमिकता देने का निर्णय किया है।

विवरण

उड़ीसा में स्थापित उन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए छठी आयोजना की अवधि के दौरान विश्व बैंक सहायता प्राप्त की गई है

लाख अमेरिकी डालर

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सहायता की राशि		करार की तारीख
		अ० पु० वि० बैंक	अ० वि० सं०	
1.	काजू परियोजना* (ऋण संख्या 1012-आई० एन०)	—	220	18-6-1980
2.	महानदी बराज परियोजना (ऋण संख्या 1078-आई० एन०)	—	830	5-12-1980
3.	सुवर्णरेखा सिंचाई (बिहार और उड़ीसा) (ऋण संख्या 1289-आई० एन०)	—	1270	9-11-1982
4.	उड़ीसा सिंचाई—द्वितीय (ऋण संख्या 1397-आई० एन०)	—	1050	16-9-1983
5.	ऊपरी इन्द्रावती पन बिजली परियोजना (ऋण संख्या 1356-आई० एन०, उधार संख्या 2278-आई० एन०)	1564	1700	8-6-1983

*यह एक बहुराज्यीय परियोजना है जिसमें उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक भागीदार राज्य हैं। सहायता की दर्शायी गई राशि कुल परियोजना के लिए है।

अ० पु० वि० बैंक : अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक।

अ० वि० सं० : अन्तर्राज्यीय विकास संघ।

बैंक रहित ब्लाक मुख्यालयों में बैंकों की शाखाएं खोलना

4793. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पता किए गए 675 बैंक रहित ब्लाक मुख्यालयों में से केवल 292 मुख्यालयों में बैंकों की शाखाएं खोली गयी हैं; और

(ख) बैंक रहित सभी ब्लाक मुख्यालयों में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1978 में जिन 675 बैंक रहित खण्ड मुख्यालयों का पता लगाया गया था, उनमें 616 मुख्यालयों में या उनके निकटवर्ती स्थानों पर वाणिज्यिक बैंकों अथवा क्षेत्रीय बैंकों के कार्यालय खोले जा चुके हैं। बाकी बैंक रहित 59 खण्ड मुख्यालयों में कार्यालय खोलने में जो मुख्य कठिनाइयां आ रही हैं, वे हैं—कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान और बारहमासी सम्पर्क सड़कों जैसी आधारभूत सुविधाओं आदि का उपलब्ध न होना। इन खण्ड मुख्यालयों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा बैंकों और सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए विकास योजनाएं

4794. डा० **वसंत कुमार पंडित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिये योजनाएं तैयार करने हेतु केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है और आज तक इस दिशा में कितनी उपलब्धि हुई है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये क्या कार्य-क्रम तैयार किये गये हैं;

(ग) नगरीय ग्रामीण आयोजन संगठन द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्य किया गया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी धनराशि दी है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उपयुक्त प्रचार साहित्य, वृत्त-चित्रों, श्रव्य-दृश्यों के निर्माण, मेले और त्यौहारों के संवर्धन द्वारा मध्य प्रदेश के या भारत के किसी अन्य भाग के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का प्रोजेक्शन करना एक सतत प्रक्रिया है। इन केन्द्रों की परिचायक यात्राओं पर यात्रा अभिकर्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके इनमें से कुछ केन्द्रों को विदेशों में प्रोजेक्ट भी किया जाता है जो वापस लौट कर अपने लेखों, फोटोग्राफों के प्रकाशन तथा वृत-चित्रों के निर्माण द्वारा इनका प्रचार करते हैं।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में विभाग ने केन्द्र, राज्य तथा प्राइवेट सैक्टरों के मिले-जुले संसाधनों से अवस्थानुसार विकास करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके 3 यात्रा परिपथों के 26 केन्द्रों को अभिनिर्धारित किया है।

(घ) छठी योजनावधि में विभाग द्वारा परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई धनराशियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं।

1981-82

कान्हा में वन गृह के निर्माण के लिए 20.20 लाख रुपये।

1982-83

(i) कान्हा में वन गृह के निर्माण के लिए 16.01 लाख रुपये।

(इस स्कीम पर कुल 49.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी। वह गृह नवम्बर, 1982 में चालू हुआ था)।

(ii) कान्हा में एक मिनी बस तथा हाथियों की व्यवस्था करने के लिए 3.60 लाख रुपये।

(iii) भोपाल झील में नौकाओं की व्यवस्था करने के लिए 3.51 लाख रुपये।

(iv) मेले और त्यौहारों का संवर्धन करने के लिए 0.50 लाख रुपये।

(v) शिवपुरी में एक मिनी बस की व्यवस्था करने के लिए 0.50 लाख रुपये।

(vi) शिवपुरी में पर्यटक गांव का निर्माण करने के लिए 10.00 लाख रुपये।

1983-84

शिवपुरी में पर्यटक गांव का निर्माण करने के लिए 10.00 लाख रुपये।

(इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 34.04 लाख रुपये है)

1984-85

बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में 8 कुटीरों तथा एक डोरमीटरी का निर्माण करने संबंधी एक प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। ग्वालियर किले पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था करने संबंधी एक प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है।

एयर इंडिया द्वारा स्थित जनरल सेल्स एजेन्ट को प्रोत्साहन कमीशन

4795. **श्री सूरज भान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** 16 दिसम्बर, 1983 को अतारांकित प्रश्न सं० 4034 और 30 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5763 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने लंदन स्थित जनरल सेल्स एजेन्ट को दिये गये 12 प्रतिशत सामान्य कमीशन के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन कमीशन के रूप में 85 लाख रुपये उच्च संबंधित अधिकारियों की अनुमति लिये बिना केवल स्थानीय मैनेजर द्वारा किये गये पहले के प्रोत्साहन को निरस्त करने के लिये दिये;

(ख) क्या वाणिज्य विभाग ने (उसके छः महीने बाद) बम्बई और लन्दन में इस भारी अदायगी को भूतलक्षी प्रभाव से नियमित करने के लिये बैठकें बुलाई थीं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी मैनेजर को वापिस बुलाने के अलावा और क्या जुर्माना किया गया;

(घ) उक्त लाभार्थी जनरल सेल्स एजेन्ट का ब्योरा क्या है और उसकी एयर इंडिया और अन्य एयरलाइन्स से संबंधित पूर्व पृष्ठभूमि क्या है; और

(ङ) वाणिज्य विभाग के उस प्रमुख अधिकारी का ब्यौरा क्या है जिसने भारी अदायगी को नियमित किया था और उक्त बैंठक में उपस्थित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (ङ) इनकी जांच की जा रही है ।

(ग) इस प्रबन्धक को भारत वापस बुला लिया गया उसे देय पदोन्नति से वंचित कर दिया गया ।

(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैवल सर्विस ने जून, 1973 से लन्दन में एयर इंडिया के सामान्य विक्रय एजेन्ट के रूप में कार्य किया है । इसके मालिक का नाम श्री जोगिन्द्र सैंगर है । यह सामान्य विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्त होने से पहले लन्दन में एक एजेंट था तथा इसने ब्रिटेन और भारत के बीच प्रचालित देशीय चार्टरों पर एयर इंडिया को काफी यातायात उपलब्ध कराया था ।

ऊटी का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए योजना

4796. **श्री आर० प्रभु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऊटी का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिये कोई व्यापक योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की कुल लागत कितनी है और 5 लाख रुपयों से अधिक की प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित व्यापक योजना कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) केन्द्रीय सरकार के समक्ष ऐसा कोई व्यापक प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

निगमित कर की वसूली और सरकारी कम्पनियों का अंश शेयर

4797. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगमित कर के रूप में कुल कितने राजस्व की वसूली हुई और इसमें सरकारी कम्पनियों और उपक्रमों का कितना अंश था;

(ख) क्या निगमित राजस्व में सरकारी कम्पनियों के अंश के प्रतिशत में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है; और

(ग) सरकार का विचार गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख)

वित्तीय वर्ष	निगम कर की उगाही	सरकारी कंपनियों और उपक्रमों से उगाही	स्तम्भ (3) से (2) का प्रतिशत अनुपात
			(करोड़ रुपयों में)
1981-82	1969-96	921.21	46.76
1982-83	2184.51	947.59	43.37
1983-84	2489.09	सूचना उपलब्ध नहीं है	

(ग) निजी निगमित क्षेत्र से राजस्व में वृद्धि करने के लिये आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, संसदीय समितियों आदि द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में जो भी विधायी उपाय किये जा सकेंगे उनके अतिरिक्त, सतत समीक्षा के बाद समय-समय पर सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं जिनमें प्रशासनिक और संस्थागत उपाय भी शामिल हैं।

सरकारी कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ

4798. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी कम्पनियों ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी कम्पनियों ने लाभ अर्जित किया; और

(ग) किन-किन कम्पनियों ने पांच करोड़ रुपये से अधिक लाभ अर्जित किया और उनमें से प्रत्येक ने कितना लाभ अर्जित किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) गत 5 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों द्वारा ब्याज एवं कर पश्चात अर्जित समग्र निवल लाभ अथवा हानि का ब्यौरा तथा इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाली कम्पनियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	हानि उठाने वाले उद्यमों द्वारा उठाई गई हानि का समायोजन करने के पश्चात समग्र निवल लाभ अथवा हानि (करोड़ रु० में)	लाभकारी उद्यमों की संख्या
1978-79	(—) 40.09	90
1979-80	(—) 74.29	101
1980-81	(—) 202.97	94
1981-82	445.92	104
1982-83	617.85	109

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान 5 करोड़ रुपये से अधिक निवल लाभ कमाने वाली कम्पनियों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1982-83 में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक (ब्याज और कर पश्चात्) लाभ कमाने वाली कम्पनियों का ब्यौर

(करोड़ रुपयों में)

1	2
	1982-83
1. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	14.52
2. नेवेली लिग्नाइट कारपो० लि०	47.44
3. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	40.52
4. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	14.16
5. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	7.68

1	2
6. बोंगाईगांव रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०	6.38
7. भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	13.95
8. कोचीन रिफायनरीज लि०	7.01
9. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	18.30
10. भारतीय तेल निगम लि०	116.85
11. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	692.87
12. आयात इण्डिया लि०	60.41
13. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	34.29
14. भारतीय सीमेंट निगम लि०	24.87
15. इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपो० लि०	50.88
16. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	7.51
17. राष्ट्रीय केमिल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	22.47
18. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	30.64
19. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	10.21
20. हिन्दुस्तान केबल्स लि०	5.01
21. एच० एम० टी० लि०	27.08
22. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	15.65
23. भारत अर्थ मूवर्स लि०	16.17
24. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	23.47
25. माझगांव डाक लि०	9.99
26. ने० टे० का० (प० बंगाल, बिहार, असम एवं उड़ीसा) लि०	6.38
27. केन्द्रीय भाण्डागार निगन	10.90
28. भारतीय पटसन निगम लि०	7.20
29. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०	17.15
30. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	22.51
31. एयर इण्डिया	38.04
32. इण्डियन एयरलाइन्स	17.92

1	2
33. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	12.47
34. इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०	8.16
35. इंजीनियर्स इण्डिया लि०	6.00
36. आवास एवं नगर विकास निगम लि०	17.88
37. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	11.00
38. इण्डियन डेरी कारपोरेशन	12.78

चुंगी वापसी की दरों (ड्राबैक रेट्स) के कारण आर्डरों का रद्द किया जाना

4799. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च सोवियत रूस से ही 70 करोड़ रुपये मूल्य के आर्डरों सहित लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात आर्डरों को चुंगी वापसी की दरों (ड्रोबैंक डेट्स) संबंधी सरकारी नीति के कारण रद्द किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग को बचाने हेतु ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार से आर्डर को संशोधित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से पांच लाख श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) चूंकि ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने कतिपय ऊनीउत्पादों पर शुल्क वापसी की दरों में गिरावट के खिलाफ अभ्यावेदन दिया है अत: ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि शुल्क वापसी की दरों में गिरावट के परिणामस्वरूप निर्यात आर्डर रद्द कर दिये गए हैं ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने उच्च दरों के लिए अपने दावे के प्रमाण में समर्थन आंकड़े प्रस्तुत किये, जिन पर विचार किये जाने के बाद ऊनी निटवियर पर शुल्क वापसी की संशोधित दरों की घोषणा की जा रही है ।

मध्य प्रदेश के गुना और राजगढ़ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

4800. डा० **वसंत कुमार पंडित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के गुना और राजगढ़ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या वे सभी नई शाखाएं खोल दी गई हैं जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 1984 तक लाइसेंस दे दिये थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1-4-80 से 31-3-84 तक "20 राष्ट्रीयकृत बैंक" ने मध्य प्रदेश के गुना और राजगढ़ जिलों में 12 शाखाएं खोलीं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिला	केन्द्र का नाम	बैंक का नाम
गुना	1. तुपन	पंजाब नेशनल बैंक
	2. गुना	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
	3. पिपरई	यूनियन बैंक आफ इंडिया
	4. अशोक नगर	—तदेव—
	5. पैंछी	—तदेव—
	6. सिरई	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	7. मलहारगढ़	—तदेव—
राजगढ़	8. कर्णवास	बैंक आफ इंडिया
	9. भोजपुरिया	—तदेव—
	10. कारेरदी	—तदेव—
	11. कोसिर	केनरा बैंक
	12. मालावार	पंजाब नेशनल बैंक

(ख) यद्यपि गुना जिले में शाखा खोले जाने के वास्ते "20 राष्ट्रीयकृत बैंकों" में से किसी बैंक के पास कोई लाइसेंस लम्बित नहीं पड़ा था, लेकिन राजगढ़ जिले में सुलाडिया में शाखा खोलने के लिए 31-3-1984 को बैंक आफ इंडिया के पास एक लाइसेंस था ।

बैंकों में जालसाजी और गबन

4801. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बैंकों के परक्राम्य पत्रों अर्थात् लाभांश पत्रों की जालसाजी और गबन (जाली पत्रों की फोटो प्रतियों सहित) फौजदारी मामला डिब्रूगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निदेशानुसार 30 जून, 1984 को डिब्रूगढ़ थाने (आसाम) में दर्ज किया गया था; और

(ख) इस मामले में अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक के जरिये डिब्रूगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार 30 जून, 1984 को डिब्रूगढ़ थाने में धोखाधड़ी/फौजदारी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

(ख) यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

उज्जैन में स्व-नियोजन योजनाओं के अंतर्गत
बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण

4802. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्व-नियोजन योजना के अंतर्गत ऋण दिया गया है;

(ख) उन्हें कितनी धनराशि का ऋण स्वीकृत किया गया है और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों के क्या नाम हैं; और

(ग) उन्हें किन उद्योगों अथवा व्यापार के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) लघु उद्योग विकास आयुक्त के कार्यालय ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 31 मार्च, 1984 तक क्षितिज बेरोजगार युवकों के वास्ते स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 880 मामलों में 129.83 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये गए थे ।

(ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों के वास्ते स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना में शिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्योग में विभिन्न उत्पाद उद्यमों की स्थापना, सेवाएं और व्यवसायों की परिकल्पना की गयी है

बोइंग 707 को भूमि पर उतारने के लिए दण्ड

4803. **श्री भीखा भाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 28 फरवरी, 1982 को दो बोइंग 707 को भूमि पर उतारने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पर्याप्त रूप से दण्डित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विमान को भूमि पर उतारने में पांच लाख रुपये का खर्च हुआ; और

(ग) क्या सरकार मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारी दंड देने पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) संगत सेवा विनियमों के उपबंधों के अधीन एयर इंडिया तथा भारतीय तेल निगम के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

(ख) इस पर हुआ व्यय लगभग 4,92,293 रुपये था।

(ग) संबंधित दोषी कर्मचारियों को पहले से दिया गया दंड पर्याप्त समझा जाता है।

बैंक आफ कोचीन के कार्यकरण की जांच

4804. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ कोचीन के कार्यकरण की जांच कराई है और गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ख) क्या बैंक अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं को उनके दावों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 23.51 करोड़ रुपए के पुराने समय से चले आ रहे अग्रिमों को वसूल न किये जा सकने वाले माना है;

(घ) क्या आस्तियों के मूल्यों में 81.06 करोड़ रुपये का ह्रास हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ कोचीन के जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) बैंक आफ कोचीन लि०, गैर-सरकारी क्षेत्र का एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और बैंकिंग संबंधी इसकी गतिविधियों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा प्रदत्त सांविधिक शक्तियों के अंतर्गत नजर रखी जाती है। उक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक का निरीक्षण किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक आफ कोचीन लि० के कार्यों पर ध्यानपूर्वक नजर रख रहा है। बैंक के प्रबंध को मजबूत बनाने के लिए एक सेवा-निवृत बैंकर और भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को बैंक आफ कोचीन लि० के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के एक सेवा-निवृत वरिष्ठ अधिकारी को तब तक अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है जब तक कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर दी जाती।

न्यू रोहतक रोड, दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर में डकैती

4805. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू रोहतक रोड, दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा में 4 जून, 1984 को डकैतों द्वारा डाका डाला गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन डकैतों ने उक्त बैंक से 5 लाख रुपए नकद लूट लिए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या बैंक में सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का प्रबंध नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने 5 जून, 1984 को उक्त बैंक का दौरा किया था और बैंक में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कतिपय उपाय करने का सुझाव दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के उपायों का सुझाव दिया गया है और क्या उपाय किये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 4 जून, 1984 को पांच व्यक्तियों ने, जो पिस्तौलों और रिवाल्वरों से लैस थे, उक्त शाखा में नकदी और चार पार्सल लूट लिए। परंतु पुलिस के घटना-स्थल पर पहुंचते ही वे भाग गये और अपने पीछे नकदी तथा एक पार्सल छोड़ गये।

(ग) घटना के समय, इस शाखा में एक चौकीदार था। लेकिन, परिसर में जो अलार्म प्रणाली थी, उसे काट दिया गया था क्योंकि बैंक में जो पुराने काउंटर थे, उनके स्थान पर नये काउंटर लगाए जा रहे थे, अब यह अलार्म-पद्धति चालू हो गई है।

(घ) उप मंत्री (वित्त) ने 5 जून, 1984 को इस शाखा का दौरा किया था।

(ङ) सभी बैंकों को, जिसमें बीकानेर एंड जयपुर भी शामिल है, अपनी सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि वे देखें कि शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त, संचालन की दृष्टि से कारगर और विश्वसनीय है।

राज्य व्यापार निगम के चैयरमैन की विदेश यात्रायें

4806. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के चैयरमैन ने, सितम्बर, 1983 में राज्य व्यापार निगम में अपनी नियुक्ति के बाद से अब तक कितनी विदेश यात्राएं की हैं;

(ख) उनकी विदेश यात्राओं पर कुल कितना खर्चा हुआ तथा विभिन्न देशों में उनके रुकने की अवधि का ब्यौरा क्या है और उनकी यात्राओं का क्या प्रयोजन था तथा उपलब्धियां क्या रही;

(ग) चेयरमैन को उनकी विदेश यात्राओं के लिये यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते की कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) क्या चेयरमैन वाउचरों के बिना अपना यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आदि प्राप्त करते रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एस० टी० सी० के अध्यक्ष द्वारा एस० टी० सी० की ओर से 5 दौरे तथा सरकार के प्रतिनिधि होने की वजह से दो दौरे किये गये।

(ख) एस० टी० सी० के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किये गये लगभग 62071 रु० की विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा 2,52,488.00 रु० का व्यय किया गया। दौरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) एस० टी० सी० के विदेशी कार्यालयों की समीक्षा व्यापार सदनों तथा भारतीय दूतावासों के साथ बिचार-विमर्श एवं निर्यात संवर्धन आदि के संबंध में लन्दन, पैरिस तथा फ्रैंकफर्ट में 8 दिन।

(2) सिंगापुर में एस० टी० सी० कार्यालय की समीक्षा, उच्चायुक्त, सरकारी अभिकरणों व्यापार सदनों के साथ विचार-विमर्श तथा निर्यात संवर्धन आदि के संबंध में सिंगापुर तथा मलयेशिया में 5 दिन।

(3) एस० टी० सी० के विदेशी कार्यालयों की समीक्षा, दूतावासों, सरकारी अभिकरणों, व्यापार सदनों के साथ विचार-विमर्श तथा निर्यात संवर्धन आदि के संबंध में कुवैत, सऊदी अरब तथा डुबई में 9 दिन ।

(4) शाखा कार्यालयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा व्यापार सदनों के साथ विचार-विमर्श के संबंध में फ्रैंकफर्ट, पैरिस तथा लन्दन में 8 दिन ।

(5) आस्ट्रेलियाई सरकार तथा वाणिज्य मंडलों, भारतीय राजदूतों के साथ बैठक, शाखा कार्यालयों की समीक्षा, ब्रुशेल्स में सेमिनारों को सम्बोधित करने, व्यापार सदनों के साथ बैठक आदि करने के संबंध में आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड, लन्दन तथा ब्रुशेल्स में 13 दिन ।

(6) जनेवा में वाणिज्यिक प्रतिनिधिमण्डल के अधिवेशन में भाग लेने तथा एस० टी० सी० शाखा कार्यालयों का दौरा करने के लिये पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में 8 दिन ।

(7) व्यापार समीक्षा वार्ताओं के लिये सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में ढाका में 3 दिन ।

जिन उद्देश्यों के लिये दौरे किये गये उन्हें पूरा कर लिया गया ।

(ग) इन दौरों के दौरान टी० ए०/डी० ए० के रूप में विदेशी मुद्रा में उन्हें 88,248.00 रु० भुगतान किये गये ।

(घ) अध्यक्ष को भारतीय रिजर्व बैंक नियमों के अनुसार टी० ए०/डी० ए० दिया गया ।

रामगढ़ छावनी हजारीबाग से भागे हुए सिख सिपाहियों द्वारा दुकानों, पेट्रोल पम्पों आदि का लूटा सोना

4806 क. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगढ़ छावनी, हजारी बाग से भागे सिख सिपाहियों ने रास्ते में दुकानों, पेट्रोल पम्पों और होटलों को जबरन लूट लिया और बसों और ट्रकों को पंजाब भगा ले गए;

(ख) क्या रामगढ़ झुमरी तलैया और हजारीबाग की कुछ बड़ी कम्पनियों और ट्रांसपोर्टरों ने भी, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है भागने में इन भगोड़ों की वित्तीय सहायता की ओर उन्हें बैंक ड्राफ्ट भेजे; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) इन घटनाओं की जांच करने के लिए जांच अदालत गठित करने के आदेश दिये गए हैं और जांच कार्य चल रहा है । आगे की कार्रवाई जांच अदालत के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी ।

12.00 म० प०

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में एक नोटिस दिया है। हम जननमत प्राप्त करने की विधि के बारे में जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)** सरकार ने कहा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर हम पब्लिक ओपीनियन कायम कर रहे हैं···व्हाट इन दी मौडेलिटी आफ पब्लिक ओपीनियन···**(व्यवधान)**···इस हाउस में उस पर कई बार डिस्कशन करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ···**(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह लोक सभा का अन्तिम सत्र है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है···**(व्यवधान)** उस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ है···

श्री ए० नीललोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : पिछले चार वर्षों से मंडल आयोग की रिपोर्ट खटाई में पड़ी है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम कुछ सदस्यों ने एक संयुक्त पत्र लिख कर आपका ध्यान मण्डल आयोग की रिपोर्ट की ओर दिलाया था। **(व्यवधान)** कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। 3½ वर्ष पूर्व यह रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की गई थी। आपने तीन बार इस विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति दी। दो मंत्रियों ने सदन में ठोस आश्वासन दिये कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। सातवीं लोक सभा की अवधि पूरी हो रही है। एक प्रश्न के उत्तर में और कुछ दिन पूर्व गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, जिसमें श्री अटल बिहारी, श्री चित्त बसु और कुछ अन्य सदस्य उपस्थित थे, सरकार ने···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप लिख कर दे दीजिये, आई विल फारवर्ड टू हिम···हां मैंने कल भेज दिया है। आई हैव आलरेडी डन···मोडैलिटी की बात है, वह मैंने कल भेज दिया है। हम यह कार्य पहले ही कर चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम जानना चाहते हैं कि जनमत कैसे तैयार किया जा रहा है चूंकि सरकार ने कहा है कि वे जनमत प्राप्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को इस विषय में पहले ही सूचित कर चुका हूं। आपसे प्राप्त सूचना को मैं गृह मंत्री को भेज चुका हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें इस विषय में किए गए उपायों की जानकारी देनी चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, सरकार ने पहले ही मण्डल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई निर्णय न करके बहुत बड़ा अन्याय किया है···**(व्यवधान)**

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : दिल्ली में कल की वर्षा से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस बारे में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए। स्थिति क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कहा, यह कोई थोड़े ही हुई।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजबाद) : इंफार्मेशन एण्ड ब्रौडकास्टिंग मिनिस्टर साहब ने राज्य सभा में यह कहा कि···**(व्यवधान)** मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट देने नहीं जा रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप राज्य सभा का हवाला नहीं दे सकते।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : संसद कहो···

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं सरकार पर कोई चार्ज लगाने नहीं जा रहा हूं, सरकार ने संसद में यह घोषणा की है कि हमारे यहां फौरेन बेस्ड न्यूज एजेन्सियों पर किसी तरह का सैंसर लागू नहीं है, लेकिन मान्यवर; एन० टी० रामाराव के डिमान्सट्रेशन से सम्बन्धित जो कैसेटस बाहर जा रहे थे, उनको बदल कर···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दीजिए···

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, उनको रास्ते ही में बदल दिया गया, इससे क्या बात जाहिर होती है···**(व्यवधान)**···

श्री राजेश कुमार सिंह : श्री एन० टी० रामाराव के कैसेटस फौरेन के देशों में जारहे थे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दीजिए···ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुनी-सुनाई बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा। पता करवाता हूं।

श्री राम विलास पासवान : सर, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का मामला बहुत समय से पैंडिग है, आप कुछ करवाइए न···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया, आप मुझे लिख कर दे दीजिए बार-बार आप उसी को क्यों उठाना चाहते हैं···**(व्यवधान)** मेरा बिल्कुल ध्यान है···

(व्यवधान)

12.04 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल से भिन्न कर्मचारी तथा विमान इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी) सेवा (संसोधन) विनियम 1984

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अंतर्गत; इंडियन एयरलाइन्स उड़ान (कर्मीदल से भिन्न कर्मचारी तथा विमान इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, जो 25 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए० वी० 18012/2/82—ए० सी० में प्रकाशित हुए थे। 1984 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटलपर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 8663/84]

काफी (संशोधन) नियम, 1984 तथा भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा समय पर पत्रों को सभा-पटल पर न रखने सम्बन्धी विवरण

वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 के अंतर्गत, कॉफी (संशोधन)नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 जून, 1984 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 8664/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम समिति, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम समिति का वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं० एल० टी० 8665/84]

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8666/84]

केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन.

(3) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8667/84]

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन आप इस तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आपके पास कुछ नोटिस लंबित पड़े हैं। एक बहुत बड़ी और अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रम, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची 17,000 कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले सप्ताह से बंद है। सरकार को इस बारे में कुछ कहन चाहिए। समझौता कराने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं ?

लोक ऋण अधिनियम (राष्ट्रीय निक्षेप प्राप्ति) नियम, 1984, भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1984, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० मद्रास और जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया, बम्बई के वर्ष 1983 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट, आदि

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत, लोक ऋण (राष्ट्रीय निक्षेप प्राप्ति) नियम, 1984, जो 24 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 849 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 8668/84]

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8669/84]

(3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8670/84]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) (क) यूनाइटेड इंडिया, इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1983 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(ख) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1983 संबंधी

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8671/84]

(दो) (क) जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया, बम्बई, के वर्ष 1983 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(ख) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, बम्बई के, वर्ष 1983 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी 8672/84]

(तीन) (क) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(ख) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-सम्बन्धी महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 8673/84]

(5) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) सुबांसिरी गांवलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर (असम) का 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(2) हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर 1982 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(3) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षित का प्रतिवेदन ।

(4) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाण) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(5) गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्द (पश्चिमी बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(6) भोजपुर रोहनास ग्रामीण बैंक द्वारा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(7) संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(8) जम्मू रूरल बैंक, जम्मू (जम्मू और काश्मीर) का 31 दिसम्वर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(9) गुढ़गांव ग्रामीण बैंक गुड़गांव (हरियाणा) का 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(10) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्वर 1983 को समाप्त का हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(11) फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखबाद (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए एर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(12) मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पश्चिमी बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(13) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्मम (आंध्र प्रदेश) का 31 दसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(14) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडुपाह (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(15) श्री विसाख ग्रामीण बैंक, श्रीकांकुलम (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(16) शेखावाटी ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(17) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(18) मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(19) कोरापूट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपोर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(20) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल) का 31 दिन दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(21) रोवा-सिधी ग्रामीण बैंक, रीवा (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(22) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिमा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(23) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुज्जफरपुर (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(24) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़, (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(25) संस्थान परगना ग्रामीण बैंक, दुमका (बिहार) का 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(26) कच्छ ग्रामीण बैंक भुज (गुजरात) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(27) जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात) का 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(28) मरधार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरु (राजस्थान) का 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(29) नालंदा ग्रामीण बैंक बिहार शरीफ (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(30) मधुवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(31) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथाा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(32) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) का 31 दिसम्बर, 1983 का प्रतिवेदन, लेखे तथा समाप्त हुए वर्ष का तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(33) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(34) श्रीवास्ती ग्रामीण बैंक, बहराइंच (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिहेंदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(35) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(36) पालामऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(37) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(38) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(39) वेतरणी ग्राम्य बैंक, बड़ीपदा (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(40) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(41) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(42) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(43) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार) का 31 दिसम्वर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(44) मणिपुर रूरल बैंक इम्फाल (मणिपुर राज्य) का 31 दिसम्बर, 1983 कोस माप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(45) कमराज रूरल बैंक, सोपोर (जम्मू और काश्मीर) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखपरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(46) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(47) ढेंकानल ग्राम्य बैंक, ढेंकानल (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(48) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समाईमाधोपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(49) लंगोई देहगी रूरल बैंक, जिला करबी, आंगलोंग (असम) के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(50) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(51) पंचमहल ग्रामीण बैंक, गोदरा (गुजरात) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(52) सुबांश्री गावलिमा बैंक, उत्तर लखीमपुर (असम) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(53) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूब नगर (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(54) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(55) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्‌ (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(56) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(57) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(58) सोमाण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगोन (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(59) हदोती क्षेत्रीत ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(60) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(61) मेवाड आंचलिक ग्राम्य बैंक, उदयपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर; 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(62) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(63) चैतन्य ग्रामीण बैंक, टुमकुर का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(64) श्री सत्यवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(65) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय विकास ग्रामीण बैंक, गुरदासपुर (पंजाब) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(66) शिवालिक ग्रामीण बैंक, होशियारपुर (पंजाब) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(67) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(68) रतलाम मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(69) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(70) जमुना ग्रामीण डैंक, आगरा (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(71) नोदिया ग्रामीण बैंक, कृष्णनगर (पश्चिमी बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(72) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8674/84]

इलायची (संशोधन) नियम, 1984

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1984, जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2155 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्मरण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 5675/84]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, बनारस में काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 36 भाषाएं बगैर किसी मान्यता के चला रखी हैं और वहां पर काफी लूट हो रही है। वहां के वाइसचांसलर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सैन्टर के अधीन है या स्टेट के अधीन है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का मामला है। छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहा है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, आप कृपया मेरे नोटिस की ओर ध्यान दें जो एक अत्यन्त गम्भीर मामले के बारे में है। ब्रिटिश कोलम्बिया कनाडा में एक राज्य है। वहां खालिस्तान को सरकारी तौर पर मान्यता दी गई है। इसी दौरान एक विमान का अपहरण हो गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह मामला विदेश मन्त्रालय को भेज चुका हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैंने केरल में हुए सीमेंट घोटाले के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी बात को बीच में न काटा जाए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने सीमेंट घोटाले के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इसकी बहुत चर्चा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में लिख चुका हूं। उन्होंने इस विषय में कार्यवाही शुरू कर दी है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैंने गृहमन्त्री को भी इस मामले में लिखा है।

प्रो० के० के० तिवारी :**...

श्री चन्द्रजीत यादव :**...

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री यादव को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, उतरी बिहार भारत सरकार की निगाह से उपेक्षित रहा है। उसको लेकर परसों से वोट क्लब पर लोग धरना दे रहे हैं। समस्तीपुर से दरभंगा तक जो रेलवे लाइन है उसके कन्वर्जन का काम शुरू हो गया था, उसको बन्द कर दिया गया है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : श्रीलंका की स्थिति पर चर्चा का क्या हुआ ? इसे पुनः स्थगित कर दिया गया है—

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं।

(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : इसकी जिम्मेदारी आप पर है। मैं आपकी इच्छानुसार इस चर्चा को स्थगित करता रहा हूं।

श्री ए० जीलालोहितादासन नाडार :**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं सैंट्रल गवर्नमेंट के मतालिक एक मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। आयकर की चोरी के मुखबिर,

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाऊ तो कर दिया है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय महोदय, मैंने आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन किया है कि आपको एलाऊ कर दिया गया है, आप उस पर बोल लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया आपको, आप मुझसे रजिस्ट्री करवा लीजिए ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप इसे 377 में दे दें या टैक्सेशन लॉ पर आज बहस हो रही है, उसमें कह दें ।

अध्यक्ष महोदय : उसमें भी कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : प्रो० कुरियन ने केरल में हुए सीमेंट घोटाले के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है । आप इसकी अनुमति कब देंगे ? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है ? आप जानबूझकर इस मामले को क्यों खींच रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्टेट गवर्नमेंट को लिख दिया है कि वह एक्शन ले ।

श्री ए० के० बालन : इस पर आपकी क्या टिप्पणी है ? आप इस मामले को जानबूझकर क्यों खींच रहे हो ? आप इसकी अनुमति कब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट को लिख दिया है और उस पर एक्शन शुरू हो गया है । इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है और न ही गवर्नमेंट को एतराज है । लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, संसद की याचिका समिति ने इन्दौर से बम्बई के बीच में रेल चलाने की सिफारिश एक साल पहले की थी । लेकिन अभी तक उस सिफारिश पर अमल नहीं किया गया है । उसको तुरन्त शुरू कर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हाईजेकिंग के बारे में मन्त्री महोदय कितने बजे वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब उनके पास फैक्ट्स आ जाएंगे। हाउस के एजार्न होने से पहले वह स्टेटमेंट देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप 6 बजे का समय तय कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : 6 बजे कर देंगे। सवा छः बजे हमारा फंक्शन है। क्यों न इसको बीच में करवा दें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 3 बजे करवा दीजिए। एक समय तय कर दीजिए। अगर कोई कठिनाई हो, तो 6 बजे करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : 6 बजे ठीक है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह अच्छी बात है कि मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश में विमानों को अपहरण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कल इस विषय पर चर्चा हो। आप विमान में यात्रा करते है। एक दिन आपके विमान का भी अपहरण हो सकता है जो हम नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ बात कर लें। जो उत्तम होगा, वही करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ठीक है, कल चर्चा होगी। आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ बात कर लें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कल हमने लैंड एक्वीजीशन बिल पास करना है, जिसमें आप सब इन्ट्रेस्टिड हैं। उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। टाइम निकालना होगा। यह आपको तय करना है। मुझे कोई एतराज नहीं है। आई विल बि गाइडिड बाई यू।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बहुत अच्छा ! आपने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर चर्चा होगी। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा वही करता हूं जो आप कहते हैं।

श्री प्रतापभानु शर्मा (विदिशा) : मैंने वैज्ञानिकों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आपने फैसला करना है। जो आपको मर्जी है, वह कर लीजिएगा।

श्री प्रतापभानु शर्मा : मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के वैज्ञानिकोंऔर प्रौद्योगिकी विदों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य दिया है। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर सभा में चर्चा करने का अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुमत प्रक्रिया नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको कभी भी अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप 377 के इस प्रश्न को दोबारा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको और मौका नहीं दूंगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं।

12.12½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

77वीं तथा 81वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की 77वीं से 81वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.13 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महा सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है—

(एक) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 की धाराओं के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 22 अगस्त 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 13 अगस्त 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 की धाराओं के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 1984 को पारित आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1984 से, बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई है!

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 13 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये :—

कि यह सभा लोक सभा की उस सिफारिशों से सहमत हुई है, जिसमें कहा गया था

कि लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से कुमारी सरोज खापर्डे द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान के समिति के क्षेत्र कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोग करने हेतु राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उस समिति में कार्य करने के लिए सभापति द्वारा बताये गये तरीके से चुने ।"

12.14 म० प०

राज्य सभा के सदस्य श्री के० एल० एन० प्रसाद का सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए चुनाव

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के सदस्य श्री के० एल० एन० प्रसाद उक्त समिति के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं"

12.14½ म० प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 16वें प्रतिवेदन में सिफारिस की है कि निम्न लिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने लिखी अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए :—

1. श्री एस० मुरूगैयन 23 जुलाई से 24 अगस्त, 1984 तक (15वां सत्र)
2. श्री सी० चिन्नास्वामी 23 जुलाई में 10 अगस्त, 1984 तक (15वां सत्र)

क्या सभा की राय है कि समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

12.15 म० प०

लोक लेखा समिति

225वां, 227वां तथा 231वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) संघ उत्पाद-शुल्क सम्बन्धित व्यक्ति, के बारे में समिति के 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 225वां प्रतिवेदन ।

(दो) विक्रय कर—सर्वेक्षण, पंजीकरण तथा घोषणा प्रपत्रों के बारे में 227वां प्रतिवेदन ।

(तीन) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट के वित्तीय समीक्षा एवं वाणिज्यिक लेखाओं के बारे में 231वां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति

87वां और 89वां प्रतिवेदन एवं कार्यवाही सारांश

श्री बंशी लाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) निर्माण और आवास मंत्रालय—दिल्ली विकास प्राधिकरण सम्बन्धी 87वां प्रतिवेदन—भाग दो तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड संबंधी 89वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-नारांश ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

27वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

22वां प्रतिवेदन

श्री दीनबन्धु वर्मा (उदयपुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

22वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री दीनबन्धु वर्मा (उदयपुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के 22वें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

12.16 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का विकास

श्री केशव राव पारधी (भंडारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय प्रस्तुत करता हूं :

विदर्भ में रेलवे कोच की फैक्ट्री लगाने वास्ते काफी दिनों से मांग है । इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी मांग की है और सिफारिश की है और रेलवे मंत्री अभी जब नागपुर आये थे, तो कई प्रतिनिधिमण्डल भी मिले । महाराष्ट्र में विदर्भ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है । कांच फैक्ट्री विदर्भ में होते । गोंदिया जबलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के वास्ते सर्वे हो चुका है । 1980 में बजट भाषण में उस समय के रेलवे मंत्री ने यह रेलवे लाइन ब्राडगेज करने के वास्ते कहा भी था । बाद में भी इस लाइन को ब्राडगेज करने के वास्ते आश्वासन दिये गये । लेकिन इसका काम नहीं लिया गया । यह लाइन ब्राडगेज करने से ट्रांसिट में जो रेलवे का नुकसान व समय नष्ट होता है वह तो बचेगा ही, यह लाइन पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र से जाती है । मैंगनीज की ट्रांसपोर्ट इसी लाइन से होती है । मलहज खण्ड तांबे की खदानें इसी लाइन पर हैं तथा चन्द्रपुर गोंदिया जबलपुर पुरी लाइन ब्राडगेज हो जाने

से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए नागपुर के अलावा दूसरी लाइन का काम भी होता है और दूरी भी कम होती है। इसलिए इस लाइन को ब्राडगेज तुरन्त करना जरूरी है। भण्डारा रोड से कवडसी(जवाहर नगर)तक रेलवे लाइन गई है। इस लाइन पर पैसेन्जर ट्रेन चलाने वास्ते काफी वर्षों से मांग है। कहा जाता है कि इस रास्ते पर बसेज चलती हैं। लेकिन बसों में लोगों को पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है और सरकार जैसा समझती है उतनी बसें भी नहीं चलती हैं। भण्डारा रोड से कवडसी तक पैसेंजर ट्रेन चलाने से डिफेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को तथा बीच में भण्डारा यह बड़ा शहर पड़ता है। वहां जाने के लिए लोगों को बहुत सुविधा होगी। इसलिए इन लाइनों पर पैसेंजर ट्रेन चलाई जावे। उसी तरह महाराष्ट्र एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस जो कि नागपुर से है वह गोंदिया से शुरू करने केवास्ते वहां के सभी लोगों की काफी दिनों से मांग है। इसके वास्ते पहले भी मैंने कई बार कहा है। यह लोगों की मांग पूरी की जावे।

सरकार से मेरा निवेदन है कि उपरोक्त कामों पर रेल मंत्रालय द्वारा तुरन्त निर्णय करके पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाई जावे।

12.18 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दो) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए और अधिक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उड़ीसा में लगभग 53 लाख आदिवासी जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हैं। ये पांच जिलों और अन्य जिलों के कुछ भागों में रहते हैं। उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है और आदिवासियों के मामले में तो अत्यन्त सोचनीय है। अधिकांश जनजातियों में केवल 10 प्रतिशत साक्षरता है। नवीनतम सूचना के अमुसार उड़ीसा में जनजातियों में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या 94.5 प्रतिशत है। कुछ एक विद्यार्थी जो कालेज तक अथवा मैट्रिक के आगे की कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, वे गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, क्योंकि उनमें से बहुत से विद्यार्थियों को खानपान और रहने की सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों बढ़ाई जाएं और मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के छात्रावास भवनों की संख्या शीघ्र ही ज्यादा की जायें, ताकि ये आदिवासी बच्चे स्कूल न छोड़ें और उड़ीसा में, विशेषकर कोरापुर जिले में हम आदिवासी क्षेत्रों में हाल ही में शुरू किये गए कुछ एक कालेजों में अपना अध्ययन जारी रखें।

(तीन) सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनीय परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनीय परियोजना बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य के लोगों की बहुत पुरानी मांग है, जिसके न होने के कारण हर वर्ष

लाखों लोग बाढ़, सिंचाई सुविधाओं के अभाव, ऊर्जा की कमी, आदि से पीड़ित रहते हैं। वर्षों के प्रयास के बाद आठ सौ करोड़ रुपये की यह स्वर्ण रेखा बहु-प्रयोजनीय परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा पहल और मध्यस्थता करने पर इन तीन राज्यों के बीच सहमति से चल रही है। इस पर कुल व्यय का 49 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में देने के लिए सहमत हो गया है और शेष 51 प्रतिशत खर्च इन तीन राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण ये तीनों राज्य इस परियोजना पर धनराशि लगाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। यदि यह परियोजना शीघ्र ही शुरू करके पूरी नहीं की जाती है तो इससे इन तीन राज्यों के लाखों लोगों को हानि होगी। अतः इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि भारत सरकार उनकी रक्षा के लिए आगे आए।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस परियोजना पर धनराशि लगाने के लिए सहमत हो, ताकि इस परियोजना के क्रियान्वयन में गतिरोध न आए, क्योंकि इसके पूरा हो जाने पर लाखों लोगों के कष्ट दूर हो जायेंगे।

(चार) **चोरी छिपे दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाले भारतीय कलाकारों/खिलाड़ियों के पासपोर्ट जब्त करना**

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : समय-समय पर, भारत के अनेक संगीतज्ञ, कलाकार, खिलाड़ी और अन्य लोग प्रच्छन्न रूप से दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा करते आ रहे हैं। ऐसी सूचना मिली है कि कुछ दिन पहले दो भारतीय कलाकारों ने दक्षिण अफ्रीका का भ्रमण किया··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिसका अनुमोदन हुआ है कृपया आप उसे पढ़ें···

(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ऐसा इसके बावजूद हो रहा है जबकि भारत ने इस जातिभेद सरकार के साथ आर्थिक, राजनयिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा खेलकूद का बहिष्कार किया हुआ है और तथ्य यह है कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने के लिए भारतीय पासपोर्ट जारी नहीं किये जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि भारत सरकार को ऐसे सभी व्यक्तियों के पासपोर्ट जब्त कर लेने चाहिए। इस संसद को भी स्पष्ट रूप से अपनी रंगभेद विरोधी नीति पर जोर देना चाहिए और उन लोगों के प्रयासों को दृढ़तापूर्वक अस्वीकृत कर देना चाहिए जो चाहते हैं कि हम दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार के प्रति नरम रुख अपनाएं।

(पांच) **बंगलौर में प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग फैक्ट्री की स्थापना**

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : बंगलौर स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग एक

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहुत ही सफल उद्योग है। भारतीय टेलीफोन उद्योग ने कर्नाटक सरकार के पूर्ण सहयोग के साथ अपना कार्य शुरू किया है और अब भारत के अन्य भागों में फैल गया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग की बंगलौर यूनिट में मुख्यतया टेलीफोन एक्सचेंजों और क्रासबार टेलीफोन एक्सचेजों के उपकरणों का निर्माण होता है। परन्तु प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण, अब परम्परागत टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल इलैक्ट्रोनिक स्वीचिंग उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा है। बंगलौर काम्पलैक्स में परम्परागत एक्सचेंजों के उपकरणों के निर्माण में लगे लगभग 5,000 व्यक्ति इस प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण दो वर्षों में बेरोजगार हो जाएंगे अथवा उनकी छंटनी कर दी जाएगी।

कुशल कामगारों की छंटनी की समस्या हल करने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग के प्रबन्धकों ने प्रस्ताव दिया है कि बंगलौर के निकट किसी स्थान पर एक इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्वीचिंग फैक्ट्री की स्थापना की जाए ताकि बंगलौर काम्पलैक्स में जो कर्मचारी फालतू हो जाते हैं। उन्हें नए कारखाने में पुनः रोजगार दिया जा सके। भारतीय टेलीफोन उद्योग के प्रबन्धकों ने राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि देने और पानी और बिजली की सप्लाई करने का आश्वासन देने का अनुरोध किया है। उपयुक्त भूमि का आबंटन कर दिया गया था तथा पानी और बिजली की सप्लाई के लिए भी पूर्ण आश्वासन दिया गया है। परियोजना के फ्रांसीसी सहयोगकर्ताओं ने उस भूमि को देखा तथा उस जगह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। संचार मंत्रालय ने बंगलौर के निकट स्थान के लिए सिफारिश की तथा भारत सरकार ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तथापि इस पर वास्तवित पूंजी निवेश अभी किया जाना है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि बंगलौर में इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्वीचिंग फैक्ट्री की स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

(छः) तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में पैट्रोलियम उत्पादों की लागत निर्धारित करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन को मूल्य-निर्धारण स्थान घोषित करने के लिए शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता

श्री एन० सुन्दरराजन (शिवकाशी) : यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि तमिलनाडु के दक्षिण जिलों के लिए पैट्रोलियम उत्पादों की लागत निर्धारित करने हेतु तूतीकोरिन पतन को मूल्य निर्धारण स्थान घोषित किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को कुछ कम दर से पैट्रोलियम उत्पाद मिल सके। इस समय मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनलवेली, तथा कन्याकुमारी जिलों में बेचे जा रहे पैट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण स्थान कोचीन माना जाता है और इन जिलों के उपभोक्ताओं को परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है। तटीय परिवहन से बड़ी मात्रा में पैट्रोलियम उत्पाद ले जाया जा सकेगा तथा बड़ी मात्रा में माल के परिवहन से भी उत्पादों की लागत में कमी आएगी। इससे बन्दरगाह पर तेल घाट का अधिक उपयोग करने में भी सहायता मिलेगी जिसका अभी पूरी क्षमता के साथ उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में शीघ्र निर्णय ले ताकि उपरोक्त जिलों के उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

(सात) बैंक अधिकारियों की पदोन्नति में गत्यावरोध दूर करने तथा बैंकों में ग्राहक सेवाओं को सुधारने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

****श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** (तिरुनेलवेली) : इस समय देश में बैंकों की शाखाएं 60,000 से अधिक हो गई हैं, यदि इनकी तुलना वर्ष 1969 की संख्या से की जाए तो यह पता चलेगा कि बैंकिंग उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आई० आर० डी० तथा 20 सूत्री कार्यक्रम से बैंकिंग उद्योग में अतिरिक्त ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। ग्राहकों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि के कारण ग्राहकों की सेवाओं में पहले ही जो गिरावट आ रही थी उसमें और गिरावट आने के चिह्न दिखाई देने लगे हैं। इस स्थिति के निराकरण के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूं—

(1) बैंकों ने महानगरों तथा अन्य नगरों के अपने कुछ कार्यकलापों में विशेषकर प्रशासनिक कामों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है। ग्रामों तथा छोटे नगरों में जहां ग्राहक अधिकतर ग्रामीण दस्तकार तथा कृषक होते हैं और जिनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, वहां के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं असन्तोषजनक हो जाती हैं। अतएव बैंकों में उचित संख्या में कर्मचारी रखने के लिए मापदण्ड निर्धारित करने हेतु बैंकों का कार्यभार तथा उनकी लाभप्रदता का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

(2) इसके अतिरिक्त, मध्यम स्तर पर, बैंक अखिल भारतीय सेवा के लिए अधिकारियों का चयन करके उन्हें देश के विभिन्न केन्द्रों पर नियुक्त करते हैं। जब वे वेतनमान दो, तीन और चार पर पहुंचते हैं तो उनकी पदोन्नति रुक जाती है। उसी बैंक में रिक्त स्थान न होने के कारण सभी कुशल तथा अनुभवी अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे अधिकारी निराश होकर अकुशल हो जाते हैं। इससे ग्राहक सेवा प्रभावित होती है। इस स्थिति के निराकरण के लिए एक नई सेवा अन्तर-बैंक सेवा शुरू की जाए, जिसमें अधिकारियों को अतिरिक्त धन सम्बन्धी प्रोत्साहन देकर उनके लिए देश के किसी भी भाग में किसी भी बैंक में नियुक्ति लाजिमी बनाया जा सकता है। अतः उक्त वेतनमानों पर रुके रहने की समस्या किसी सीमा तक हल की जा सकती है।

(आठ) कन्नानूर तथा एर्नाकुलम के बीच हाल ही में चलाई गई सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के नये स्टाप बनाने की आवश्यकता

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : रेलवे प्रशासन ने 15 जुलाई 1984 से कन्नानूर और एर्नाकुलम के बीच सीमित स्टापों पर रुकने वाली सुपर फास्ट गाड़ियां आरम्भ की हैं। जबकि इन गाड़ियों को चलाये जाने की प्रशंसा की गई है और इससे काफी लम्बी अवधि से चली आ रही आवश्यकता पूरी हो गई है परन्तु बाडगरा तथा कुलेंडी ताल्लुकों के लोगों तथा गुरुवयूर नगर के प्रसिद्ध मन्दिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ भारी अन्याय किया गया है क्योंकि बाडगरा, कुलेंडी

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

तथा कुट्टीपुरम को इस रेलगाड़ी के स्टापों में शामिल नहीं किया गया है। इस रेलगाड़ी से कन्नानूर कालीकट तथा मल्लापुरम जिलों के लोग उच्च न्यायालय के काम के समय पर एर्नाकुलम पहुंच जाते हैं तथा इससे इन जिलों से बहुत अधिक संख्या में तीर्थयात्री गुरुवयूर जा सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश, दक्षिण रेलवे ने रेलगाड़ी की द्रुत गति बनाए रखने के नाम से बाडगरा तथा कुलेंडी स्टापों को छोड़ दिया है। बाडगरा एक महत्वपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र है और ताल्लुक मुख्यालय है। इसी तरह कुलैंडी भी ताल्लुक मुख्यालय है। यह दोनों स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भीतरी प्रदेशों के लोगों की एर्नाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम आने जाने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसी प्रकार मतलापुरम जिले में गुरुवयूर मन्दिर जाने के लिए उतरने हेतु कुट्टीपुरम एक स्टेशन है।

जबकि सुपर फास्ट गाड़ी का चलाया जाना स्वागत योग्य है, परन्तु इसे यात्रियों की मांगों को आवश्यक रूप से पूरा करना चाहिए और इसे गति बनाए रखने के लिए ही न चलाया जाये।

अतएव मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान क्षेत्र की ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह हाल में केरल में शुरू की गई सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को इन नए स्टापों पर रोकने के लिए रेलवे प्रशासन को निदेश दें।

(नौ) कारगिल में बादल फट जाने से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : कारगिल तथा लेह जिलों में हाल में बादल फटने की जो अभूतपूर्व घटना हुई उससे दो बच्चों सहित 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसके कारण अनेक लोग बेघरबार हो गए तथा सैंक्ड़ों एकड़ कृषि तथा चारा योग्य जमीन तथा खड़ी फसलें मलबे के अन्दर दब गई। बादल फट जाने से लाखों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गई है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा तथ सहायता प्रदास की जाए ताकि वे शीत ऋतु आने से पूर्व वैकल्पिक प्रबन्ध कर सकें।

12.31 म० प०

कराधान विधि (संशोधन विधेयक)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से प्रस्तुत करता हूं :—

"आय-कर अधिनियम 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, अनिवार्य निक्षेप स्कीम

(आय-कर दाता) अधिनियम, 1974, और ब्याज कर अधिनियम, 1974, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, इस विधेयक में जो प्रस्ताव है उनका मुख्य उद्देश्य बेहतर कार्य प्रबंध के हित में प्रक्रियाओं को चुस्त बनाना, करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को समाप्त करना, मुकदमेबाजी कम करना, इन अधिनियमों के कुछ उपन्धों में कुछ विसंगतियों को समाप्त करना और उनको युक्ति-युक्त बनाना है तथा कर न देने तथा कर अपवंचन की प्रवृत्ति को रोकना है ।

इस विधेयक में 70 प्रस्ताव दिए गए हैं । एक अधिक व्यापक विधेयक को तैयार करने में अधिक समय लगता है तथा यदि इसे इस माननीय सदन की प्रवर समिति के समक्ष विस्तृत रूप से विचार करने के लिए भेजा गया तो इसमें और अधिक विलम्ब होगा ।

अतः मैंने मध्यम मार्ग अपना कर व्यवहारिक नीति अपनाई । मैंने कुछ महत्वपूर्ण, सरल तथा गैर-विवादास्पद उपाय दिए हैं ताकि विधेयक पर विचार करके इस चालू सत्र के दौरान पारित कर दिया जाए । अतः ऐसे प्रस्ताव जिन पर अधिक विस्तृत रूप से विचार विमर्श की आवश्यकता है और अतएव जिन प्रस्तावों पर संसद द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा तथा विचार करने की आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त समय पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है ।

महोदय, इस विधेयक में सम्पदा शुल्क अधिनियम का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव अन्तर्विष्ट नहीं है, हालांकि इसके उपबन्धों का सरलीकरण तथा युयितयुक्त करने की तुरन्त आवश्यकता है किन्तु, इस सदन में सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक केवल राज्य विधानमण्डलों द्वारा इन संशोधनों से सम्बन्धित प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 552(1)के अन्तर्गत आवश्यक संकल्प पारित करने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है । चूंकि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, अतएव, इस विधेयक में सम्पदा शुल्क अधिनियम के संशोधनों सम्बन्धी किन्हीं प्रस्तावों को शामिल करना सम्भव नहीं हुआ होगा ।

किन्तु, संसद ने हाल ही में कृषि भूमि को केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क से मुक्त रखने के लिए सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया है । विभिन्न राज्यों द्वारा उस विधेयक में किए गए इन संशोधनों को स्वीकृति देने के बाद संविधान के अनुच्छेद 252 (1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन लाना सम्भव नहीं होगा । अतएव, सम्पदा शुल्क से सम्बन्धित कानून में व्यापक संशोधन करना आवश्यक रूप से स्थगित किया जाना है ।

अब मैं विधेयक के कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा ।

अग्रिम कर के रूप में थोड़ी धनराशि का भुगतान करने से न केवल कर दाताओं को हीं असुविधा होती है बल्कि आयकर कार्यालयों में भी काम की मात्रा बढ़ जाती है । अतएव, मेरा विचार यह है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि वित्तीय वर्ष 1985-86 से व्यक्तियों, अविभाजित

हिन्दू परिवारों, व्यक्तियों के संघों आदि के मामले में, यदि उनके द्वारा भुगतान की गई धनराशि 1500 रुपए से अधिक न हो, अग्रिम कर का भुगतान वैकल्पिक होगा।

प्रतिवर्ष 18,000 रुपए तक का नकद पारिश्रमिक पाने वाले वेतन भोगी करदाताओं को, यदि इस बारे में आयकर अधिनियम में निर्धारित कतिपय शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, आयकर की स्वैच्छिक विवरणी भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा विचार है कि यह रियायत प्रतिवर्ष 24,000 रुपए तक का नकद पारिश्रमिक पाने वाले व्यक्तियों को भी दी जाए।

इस प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत आयकर अधिकारियों को एकतरफा कर निर्धारण को रद्द करके नए सिरे से कर निर्धारण करने की शक्तियां दी गई हैं, को लागू करने से कार्यवाही में अनावश्यक पुनरावृत्ति तथा विलम्ब होगा और करदाताओं को असुविधा होगी। अतएव, मेरा विचार है कि 30 सितम्बर, 1984 के बाद किए गए एकतरफा कर-निर्धारण के मामलों में पुनः कर-निर्धारण करने सम्बन्धी उपबन्धों को समाप्त किया जाए।

आयकर अधिकारी से ऐसे मामलों में, जिनमें विवरणियों में बताई गई आय की तुलना में प्रस्तावित अन्तर की कुल धनराशि 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, करदाता को आयकर आकलन का प्रारूप भेजने की अपेक्षा की जाती है। करदाता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को आयकर अधिकारी को उपयुक्त निर्देश देने के लिए निरीक्षण सहायक आयुक्त के पास भेज दिया गया है।

इस सम्बन्ध के फलस्वरूप कार्यवाही की पुनरावृत्ति हुई है, कर-निर्धारण में विलम्ब हुआ है तथा जिम्मेदारी बंटी है। अतएव, मेरा विचार है कि उन मामलों, जिनमें विवरणियों में बताई गई आय में किसी प्रकार का अन्तर, आयकर अधिकारी द्वारा 30 सितम्बर, 1984 के बाद किए जाने का प्रस्ताव है, के सम्बन्ध में इस उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाए।

विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष, जिसमें मांग की गई थी, की समाप्ति के एक वर्ष समाप्त हो जाने के बाद वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। मेरा विचार है कि वसूली सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि अधिकांश मामलों से अंतिम मांग की राशि प्रथम तथा दूसरी अपीलों, संशोधन के दावों को निपटाने तथा पहले भुगतान किए गए करों के समायोजन के बाद बढ़ाए गए समय के अन्दर स्पष्ट रूप से पता चल जायेगी इसके परिणामस्वरूप वसूली सर्टिफिकेटों की संख्या काफी कम हो जाएगी और उनमें कर-निर्धारितियों की ओर से वस्तुतः देय मांग की राशि का इस समय की अपेक्षा और सही पता चल जायेगा।

निपटारा आयोग को ऐसे मामलों, जिनमें आयकर प्राधिकारियों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि आयकर को छुपाया गया है अथवा कर की चोरी की गई है अथवा किए जाने की संभावना है, को निपटान सम्बन्धी आवेदन पत्र गृहीत करने से रोक दिया गया है। ऐसे करदाता जिनकी अघोषित परिसम्पत्तियों, जाली लेखा बहियों तथा प्रलेखों को आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों

के दौरान जब्त किया जाता है, कर प्राधिकारियों द्वारा जब्त किए गए माल की जांच पूरी करने से पहले निपटारा आयोग के पास जाकर इस उपबन्ध से बचने का प्रयास करते हैं । अतएव, मेरा विचार यह व्यवस्था करने का है कि उन मामलों, जिनमें छापों के दौरान कोई परिसम्पत्तियां अथवा लेखा-बहियां अथवा प्रलेख जब्त किए गए हैं, में करदाता को ऐसी जब्ती की तारीख से 120 दिन समाप्त होने से पहले निपटारा आयोग को निपटारे के लिए आवेदन करने से वंचित किया जाएगा ।

मेरा विचार यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वह निपटारे के लिए अपने आवेदन में अपनी अघोषित आय की पूरी तथा सही घोषणा करे । आवेदक से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय आयकर की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करे ।

केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वे कतिपय मामलों जैसे वापस की जाने वाली राशियों की स्वीकृति देने में विलम्ब तथा करदाताओं द्वारा अग्रिम कर के अधिक भुगतान के मामलों, में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करें । करदाताओं से कर के भुगतान में देरी किए जाने पर अथवा अग्रिम कर भुगतान न करने पर इसी प्रकार ब्याज वसूल किया जाता है । मेरा विचार कि सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले तथा करदाताओं से वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर 2 अक्तूबर, 1984 से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी जाए ।

जबकि करदाताओं से आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अंतर्गत वसूल किया जाने वाला ब्याज कतिपय परिस्थितियों में कम अथवा समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कर का भुगतान करने में विलम्ब के लिए वसूल किए जाने वाले ब्याज को किसी भी परिस्थितियों में न तो कम किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है । चूंकि ऐसे ब्याज को कम करना तथा समाप्त करना कठिनाई को कम करने के लिए आवश्यक बन सकता है, अतएव, मेरा विचार है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आयुक्त की सिफारिश पर ऐसे ब्याज को कम करने अथवा समाप्त करने की शक्तियां दी जाएं । इस विधेयक में मुकद्दमेबाजी को कम करने के लिए भी अनेक प्रस्ताव अन्तर्विष्ट हैं ।

जब आयकर अधिकारी तथा करदाता के बीच कई वर्षों के लिए करदाता के मामले में उत्पन्न कानून के किसी प्रश्न पर कोई मतभेद होता है, तो करदाता को प्रत्येक वर्ष के लिए कानूनी मुद्दे को चुनौती देनी पड़ती है । इसके फलस्वरूप उसी करदाता के मामले में समान कानूनी मुद्दों पर अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अपीलों तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष संदर्भ आवेदनों का अनावश्यक जमाव हो जाता है ।

इस प्रकार की आवर्ती अपीलों तथा संदर्भ आवेदनों से बचने के लिए मेरा विचार है कि एक ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए जिसमें यह सुरक्षा प्रदान की जाएगी कि किसी करदाता के बाद के वर्षों के कर-निर्धारणों में किसी पूर्व के वर्ष के लिए उसके मामले में कानूनी मुद्दे पर

इस बात की आवश्यकता समझे बिना कि वह बाद के वर्षों की कार्यवाही में उस मामले पर विवाद खड़ा करे, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुरूप संशोधन किया जाता है।

मेरे विचार में कर के मामलों में मुकद्दमेबाजी को काफी हद तक कम किया जाएगा, बशर्ते कि विधायी आशय को स्पष्ट करने वाले उपयुक्त संशोधन शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं और उच्च न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा भी किसी उपबन्ध के बारे में की गई व्याख्या अन्तर्निहित आशय के अनुरूप न हो। अतः मैंने कुछ उपबन्धों से कतिपय संशोधन करने के प्रस्ताव रखे हैं जिनसे विधायी आशय स्पष्ट हो सके ताकि इन उपबन्धों के सही आशय तथा उद्देश्य के बारे में आगे विवाद तथा मुकद्दमेबाजी से बचा जा सके।

अब मैं विधेयक में अन्तर्विष्ट कुछ उन उपबन्धों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा जो कानून के उपबन्धों को युक्तिसंगत बनाने के लिए हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 5430 में ऐसे मामलों में पूंजीगत लाभों के लिए छूट की व्यवस्था की गई है जिनमें किसी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त विकल लाभ की 6 मास के भीतर विनिर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों में पुनर्निवेश किया जाता है। तथापि 6 मास की समय सीमा अनिवार्य अर्जन के ऐसे कुछ मामलों में पर्याप्त न हो जिनमें स्वामी को तत्काल सम्पूर्ण मुआवजा या उसका कोई भाग प्राप्त न हुआ हो। ऐसे मामलों में कठिनाई न होने देने की दृष्टि से मेरा यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि मुआवजे की ऐसी राशि के सम्बन्ध में जिसका सरकार द्वारा अनिवार्य अर्जन के समय भुगतान न किया गया हो विनिर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों में पुर्निवेश के लिए 6 मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को कर-दाता ने मुआवजा प्राप्त किया हो।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा में सदस्य कल मौजूद थे, तो आज क्यों नहीं हैं।

सभा में गणपूर्ति नहीं है। उन्हें सभा में आना चाहिए। उन्हें कम से कम एक बार तो सभा में उपस्थिति होने के लिए तो कहा जाए। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या श्री रामलाल ने त्यागपत्र दे दिया है ?

श्री एम० एम० कृष्ण : श्री रामलाल का गणपूर्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : प्रश्न गणपूर्ति का है। इसे अब उठाया गया है। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मेहता, क्या आप अपनी बात मनवा रहे हैं ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, वे यह चाहते हैं कि उनके सदस्य आने चाहिए। गणपूर्ति की घंटी बजाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है। मंत्री जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री एस० एम० कृष्ण : कई बार कोई व्यक्ति अत्यावश्यक व्यक्तिगत या पारिवारिक दायित्वों के कारण अपने आवासीय गृह को बेचने के लिए बाध्य हो सकता है। जैसाकि इस प्रकार के मामलों में आवासीय गृह को बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर कराधान लगाने के परिणामस्वरूप कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपना दूसरा आवासीय गृह न हो तथा बिक्री से आय 2 लाख से अधिक न हो तो, आवासीय गृह की बिक्री से प्राप्त पूंजी लाभ पर कर में छूट दी जानी चाहिए। उन मामलों में जहां बिक्री से आय 2 लाख से अधिक है वहां पूंजी लाभ पर अनुपाततः छूट दी जाएगी।

धनकर अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अधीन भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को जो भारत इस अभिप्रायः से लौट रहे हैं कि वे यहां स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, भारत लौटने से पहले उनके द्वारा विदेश में की गई बचत पर 7 वर्ष तक धन कर में छूट दी गई है। मैं सम्बद्ध उपबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि भारतीय नागरिक भी इसके हकदार हों।

अन्त में मैं करों के अपवंचन तथा कर अदायगी से बचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विधेयक में दिये गए कुछ प्रस्तावों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

जब तलाशी के दौरान बेहिसाबी परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती हैं तो कई बार करदाता दण्डनीय परिणामों से बचने के लिए इस तर्क का सहारा लेने की कोशिश करता है कि यह परिसम्पत्ति उसने वर्तमान आय से अर्जित की है। इस प्रकार के प्रयासों के निष्फल करने के विचार से मैं इस व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रकार के तर्क पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक आय या इस प्रकार की आय के परिणामस्वरूप लेन देन का करदाता द्वारा उनके लेखा खातों में हिसाब नहीं रखा जाता है या इस प्रकार की आय तलाशी लेने की तिथि से पूर्व आयुक्त को बता दी गई है।

जो सहयोग नहीं करते हैं उन मामलों में कानून के उपबन्धों को कड़ा करते हुए मेरा विचार है कि उन व्यक्तियों के मामले में जो तलाशी के पश्चात तुरन्त अपनी अप्रकट आय का पूर्ण और

सही ब्यौरा बताते हैं, सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। अतः मैं इस बात की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि जब कोई करदाता तलाशी के 15 दिन के भीतर आयुक्त के सामने अपनी अप्रकट आय का पूर्ण और सही ब्यौरा बताता है तो आयकर अधिकारी द्वारा इसका पता लगने से पहले करदाता द्वारा अप्रकट आय के प्रकटीकरण को स्वैच्छिक तथा विश्वास के रूप में माना जाए आयुक्त के सामने इस प्रकार का प्रकटीकरण करने से आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन आयुक्त उसके दण्ड में कमी कर सकता है या दण्ड को समाप्त कर सकता है।

मैं इस आशय से पूंजीगत लाभ पर लगाये गए कराधानों से सम्बद्ध उपबन्धों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि कानून में कतिपय वर्तमान खामियों को दूर किया जाए जिसका कर अदायगी से बचाव के उद्देश्य से लाभ उठाया जा रहा है।

श्रीमान जी, मैंने विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में बताया है। ये प्रस्ताव विधेयक के साथ संलग्न खण्डों के सम्बन्ध में टिप्पणियों में भी इसे स्पष्ट किया गया है। यह देखा जा सकता है कि विधेयक में प्रस्तावित अनेक उपाय साधारण और गैर-विवादास्पद है तथा उनका उद्देश्य चुने हुए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कर कानूनों तथा उनको लागू करने में उल्लेखनीय करना है। अतः मैं विश्वास करता हूं कि इस विधेयक को सभा का सर्वसम्मति से समर्थन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि आय-कर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, अनिवार्य निवेश स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 और ब्याज-कर अधिनियम 1974 में और संशोधन करने वाले (विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में अनेक खण्ड हैं तथा इस प्रकार के विधेयक को सभा के साधारण सदस्यों को जो मंत्री महोदय की तरह हमारे कराधान कानूनों से अच्छी तरह से अवगत नहीं है खण्डों सम्बन्धित टिप्पणियों में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसमें क्या बुराइयां हैं जिन्हें विभिन्न उपबंधों के द्वारा दूर किया जा सकता है। दुर्भाग्य से न तो विधेयक के पृष्ठ 31 में दिए गए उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विवरण में और न ही पृष्ठ 32 से 66 में दिए गए खण्डों संबंधित टिप्पणियों में वास्तविक रूप में इसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि विभिन्न उपबंधों का क्या महत्व है, इनमें क्या बुराइयां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए और क्या रियायतें हैं जोकि करदाताओं को दी जानी चाहिए तथा कौन से लोग इससे प्रभावित हैं या प्रक्रिया में किन सुधारों की आवश्यकता है और ये सुधार क्यों किए जाने चाहिए। ऐसा उचित ढंग से कुछ भी सपष्ट नहीं किया गया है।

उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विवरण में एक अजीब विवरण दिया गया है जिसे हम घिसापिटा विवरण कह सकते हैं। मैं इसे उद्धृत करता हूं :—

> "आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, प्रत्यक्ष कर कानून समिति, लोक लेखा समिति तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारशों के आधार पर इन अधिनियमों के संशोधन से संबंधित अनेक प्रस्तावों को तैयार किया गया है"

चार निकायों का यहां उल्लेख किया गया है ये सभी निकाय अधिक महत्व वाले हैं। लेकिन कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से निकाय से कौन-सी सिफारिशें की जा रही हैं तथा कौन-से खंडों में इनको सम्मिलित किया गया है।

मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल दो साल तक लोक लेखा समिति के सभापति रहे थे और उन्होंने अपनी अवधि के दौरान कराधान कानूनों में सुधार के संबंध में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हों। वर्तमान लोक लेखा समिति से भी दूसरे मामलों के संबंध में कुछ सिफारिशें आई हैं। वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने बजट भाषण में कराधान कानून में तथा प्रक्रिया के मामले में सुधारने का सुझाव देने में लोक लेखा समिति द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकार किया था। लेकिन यह एक विलक्षण बात है कि कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि कौन-सी सिफारिशें आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा की गई हैं, कौन-सी सिफारिशें लोक लेखा समिति द्वारा की गई हैं तथा कौन-सी सिफारिशें स्वयं विभाग द्वारा उनके अपने हित के लिए या सुचारू रूप से कार्य करने के लिए की गई हैं। इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए।

यदि आप खण्डों संबंधित टिप्पणियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये टिप्पणियां किसी प्रकार से सहायक नहीं हैं। उनमें केवल यही बताया गया है कि पिछले उपबन्ध क्या थे और अब क्या किया जाना है, इनमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। लेकिन इस विधेयक में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि यथार्थ रूप में उसमें क्या बुराई थी, पिछले उपबन्धों में कौन-सी खामियां थीं तथा वे कौन लोग थे जो पिछले उपबंधों का अनुचित लाभ उठा रहे थे जिसके कारण इन उपबन्धों के कुछ शब्दावली में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि भविष्य में जब इस प्रकार के जटिल कानूनों को संसद के समक्ष रखा जाए तो इन सब बातों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा यदि मैंने कर विशेषज्ञ से परामर्श लिया होता तो वह भी यह बताने में समर्थ नहीं होता। इसमें अनेक अधिनियमों के अनेक खंड सम्मिलित हैं। यहां एक विधेयक के माध्यम से चार या पांच भिन्न अधिनियमों में संशोधन किया जाना दिखाया गया है तथा अनेक धाराओं में संशोधन किया जाना है। जब तक यह नहीं बताया जाता कि क्या कठिनाई अनुभव की गई हैं तब तक हम रचनात्मक सुझाव कैसे दे सकते हैं या यह कह सकते हैं कि यह एक अच्छा और उपयोगी संशोधन है या क्या यह एक अनावश्यक संशोधन है? हम फिर भी इसके बारे में वह सब कुछ नहीं कह सकते हैं। अतः हमें सामान्यता के नाम पर बोलने पर बाध्य होना पड़ता है और हम स्थिति की विशिष्टता का

अध्ययन नहीं कर सकते हैं जिसके आधार पर सरकार को एक विशेष समय में एक विशेष संशोधन को लाने पर मजबूर कर दिया है।

आप सभी जानते हैं कि यह संसद इस सत्र के पश्चात समाप्त होने जा रही है, कम से कम हमें ऐसी जानकारी मिली है।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रारंभिक भाषण में स्वयं ही यह कहा है कि कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनका सुझाव दिया गया है तथा जिनको प्रत्यक्ष कराधान जांच समिति को भेजा जाना है तथा इस विधेयक के माध्यम से जिन पर आज हम विचार-विमर्श कर रहे हैं उन संशोधनों को यहां नहीं लाया गया है। इन संशोधनों को पारित कराने की क्या आवश्यकता है?

मंत्री महोदय का कहना है कि जिन संशोधनों को उन्होंने प्रस्तुत किया है वह गैर विवादास्पद है, वे गैर-विवादास्पद हो सकते हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि उनमें से कुछ संशोधन गैर-विवादास्पद हैं। शेष विवादास्पद हैं। वे चलचित्रदर्शी, शूटिंग आदि से संबंधित हैं।

लेकिन कुछ उपबन्धों को देखते हुए जो दो, तीन, चार और पांच वर्षों से पूर्व प्रभावी हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे किसी औद्योगिक या अन्य विशेष समूह या व्यक्ति को कुछ लाभ प्रदान किया जाना है। अन्यथा इस प्रकार के उपबन्ध को लाने की क्या जल्दी है? यदि आज इसे तीन वर्षों से पिछली तिथि से प्रभावी माना है तो अब से 6 महीने पहले इस विधेयक को लाया जाना चाहिए था, तब इस उपबन्ध को 4 वर्षों से पिछली तिथि से प्रभावी होना चाहिए।

लेकिन किसी को तत्काल सन्तुष्ट किया जाना है। आप चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है।

लेकिन कोई भी उन खंडों को ला सकता है जिसके द्वारा कुछ रियायतें देकर लोगों को सन्तुष्ट किया जाएगा अतः इसमें कुछ और खण्डों को जोड़ा गया ताकि यह सीदासाधा सा लगे।

इस विधेयक को अब लाने का वास्तविक कारण यह है कि पहले किए गए कुछ निर्धारणों को समाप्त किया जाना है, जो इस अधिनियम पिछली तिथि को प्रभावी करने के कारण समाप्त हो जायेंगे।

मैं खंड 5 तथा खंड 4 (ग) की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसमें कहा गया है कि यह 1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी होगा। खंड 4 (ख) में कहा गया है कि यह 1 अप्रैल, 1978 से प्रभावी होगा। इसका संबंध इस देश में गैर-आवासियों में लिए सिनेमा पिक्चर की शूटिंग से होने वाली आय से है। मैं नहीं जानता कि इस धारा से कौन से विशेष गैर-आवासियों को, व्यक्तियों को या समूह या फर्म को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्पष्टतः इसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है यह संभव नहीं है कि इन संशोधनों के द्वारा इतने थोड़े समय और कम स्पष्टीकरणों से इन दोषों को दूर किया जा सके।

मैं इन विशेष उपबन्धों के विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन जब कोई आयकर या कराधान विधि संशोधन विधेयक संसद के सामने आता है तो इसके बारे में बहुत-सी बातें कही जानी होती हैं।

हमें आय कर को आज के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखना है हम देखते हैं कि व्यक्तियों पर लगाया गया आय कर, निगम द्वारा लगाये गए कर से भिन्न है और इसकी धनराशि बहुत कम बैठती है।

1.00 म० प०

सारे प्रत्यक्ष कर मिलाकर कराधान का केवल 4,000 करोड़ रुपए बनते हैं, जबकि उत्पाद शुल्क से लगभग 16,000 करोड़ रुपये मिलते हैं, हालांकि सरकार का कुल राजस्व करीब 30,000 करोड़ रुपए बनता है। 4,000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष करों की इस रकम में से—मैं ये आंकड़े मोटे रूप में दे रहा हूं, ये विस्तृत आंकड़े नहीं हैं—आयकर 1500 करोड़ रुपए है, बल्कि यूं कहें कि 1982-83 में आयकर केवल 1500 करोड़ रुपए बना और निगम कर 2200 करोड़ रुपए बना। वास्तविक रूप से कर योग्य लोगों को होने वाली आय की तुलना में आयकर की 1500 करोड़ रुपए की यह राशि कुछ भी नहीं है। कराधान की अनुमानित राशि, जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों के जरिये आंकी जानी चाहिए, आज प्राप्त हो रही राशि का कम से कम दुगुना होनी चाहिए। यदि सरकार को प्रत्यक्ष करों से 4000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो अन्य 5000 करोड़ रुपये की चोरी हो रही है और इस चोरी को रोकने के लिए सरकार जानबूझ कर आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इस चोरी को न रोकने में उनका निहित स्वार्थ है। इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा।

पारस्परिक रूप से आयकर के दो उद्देश्य माने गए हैं। एक उद्देश्य है सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करना। हम देखते हैं कि राजस्व बहुत थोड़ा आ रहा है। यह राजस्व केन्द्रीय सरकार के लगभग 30,000 करोड़ रुपए के कुल राजस्व और पूंजीगत बजट में से केवल लगभग 1500 करोड़ रुपए हैं। अतः, यह केवल 5 प्रतिशत बनता है। निगम कर भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं रहा है। न तो आयकर और न ही निगम कर ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हुई वृद्धि के अनुरूप रहा है। यह सब हो रही चोरी के कारण है, जो सरकार जानबूझ कर करने देती है और कर, आदि का भारी बकाया जमा हो गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न समितियों, जिनमें लोक लेखा समिति भी शामिल है, द्वारा बार-बार सिफारिश किए जाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है।

सरकारी व्यय वहन करने के उद्देश्य से राजस्व इकट्ठा करने के अलावा आयकर का दूसरा उद्देश्य है किसी प्रकार की समानता लाना। हम आयकर लगाकर समाजवाद नहीं ला सकते, लेकिन अमीर लोगों से धन लेकर उसे गरीब लोगों में बांटकर आयकर के इस तंत्र के जरिए निर्धन वर्गों को हम एक प्रकार का वितरण सम्बन्धी न्याय देने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। आयकर लगाने का परम्परागत एक उद्देश्य यह रहा है। अब देखिए, आयकर के जरिए कितनी

राशि हस्तांतरित हो रही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत भी आयकर के जरिए पुनर्वितरित नहीं हो रहा है। यह स्थिति है।

हालांकि, आयकर के जरिए इकट्ठी की जानी वाली रकम बिल्कुल नाममात्र ही रह गयी है, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं कि आयकर की दर बहुत ज्यादा है। इस बारे में नियमित रूप से सेमीनार आयोजित किए जा रहे हैं। निःसन्देह ये सेमिनार कुछ एक कम्पनियों आदि के खर्चे पर किये जाते हैं, जिससे उनका कर का बोझ भी कम हो जाता है। एक विशेष प्रकार की पत्रिकाओं में और आर्थिक प्रश्नों से सम्बन्धित समाचार-पत्रों आदि में उबाऊ नियमितता से लेख छपते रहते हैं कि कर-दर बहुत अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिए। देखा गया है कि सरकार ने आयकर की दर कम कर दी है। यह 78 प्रतिशत की अधिकतम दर तक पहुंच गया था और मेरा विचार है कि इसे घटाकर 67.5 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन, आयकर में कटौती किए जाने के पक्षधर लोगों का कहना है कि कर की दर कम होने से लोगों में करों की चोरी करने की इच्छा कम होगी। ज्यादा लोग अपनी आए का विवरण भेजेंगे और कर देंगे, जिससे आयकर में वृद्धि होगी। लेकिन, इन लोगों की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई है और आयकर की दर में कटौती करने से राजस्व भी कम हो गया। अतः, इनमें कोई सम्बन्ध नहीं है अथवा कम से कम भारत में यह बात सिद्ध नहीं हो सकी है कि कर की दर में कटौती करने से आप अपना राजस्व बढ़ा सकते हैं अथवा आप करों का भुगतान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। एक विशेष आय वर्ग के लोग निश्चित आय वाले लोग, कुछ एक व्यावसायिक लोग, जिन्हें बड़ी मेहनत करनी होती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अधिक आय वाले लोग वास्तव में ऐसे लोग हैं, जिन्हें पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। इसे अनार्जित आय कहते हैं। जहां तक आयकर का सम्बन्ध है, एक दूसरा पहलू भी है, जहां भारत में वितरण सम्बन्धी न्याय विफल हो गया है। इसका अर्थ है कि अनार्जित आय पर लाभ मिलता है। किसी व्यक्ति को 15000 रुपए की सीमा तक की आय पर आयकर देने में छूट है। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और उसे अतिरिक्त समय में काम करके अथवा समयोपरि पर कार्य करके कुछ अतिरिक्त आमदनी होती है तो जैसे ही उसकी आमदनी 15000 से ज्यादा हो जाती है, तो उसकी अतिरिक्त आय इसे करयोग्य बना देती है। लेकिन, यदि कोई धनी व्यक्ति 15000 रुपए कमा रहा है और उसकी रकम बैंक में, कम्पनी शेयरों में और यूनिट न्यासों में जमा है तो इसका अर्थ है कि वह रकम बचा सकता है और उस पूंजी का निवेश कर सकता है तथा और 10000 कर-युक्त रकम इकठ्ठी कर सकता है। इस प्रकार यह सीमा 15000 रुपए से बढ़कर 25000 रुपए हो जाती है और यदि उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी है और अपने काले धन को धारक बांडों में, अथवा जैसा कि उन्हें काला धन बांड कहा जाना चाहिए, लगाता है तो उसके लिए आयकर में छूट की कोई सीमा नहीं है। वह किसी भी सीमा तक आयकर से छूट ले सकता है। अतएव, अनर्जित आय पर लाभ होता है। दूसरी ओर, उन देशों में भी जिनकी आर्थिक प्रणाली का यह देश अनुसरण करता है, जैसे कि यू० के० और यू० एस० ए० तथा वे पश्चिमी देश जहां पूंजीवाद पूरे जोरों पर है, कर्मकार को उसकी अर्जित आय में छूट देकर उसका सम्मान करते हैं। इन देशों में अर्जित आय भत्ता मिलता है, जो मेरे पिछली बार पूछने पर कुल आय का 2/9 था। वेतन अथवा कार्य से ऐसे वेतन प्राप्तकर्ता को जो कुछ भी मिलता है, उसकी आय के 2/9 की कटौती की जाती है। इसे अर्जित आय कटौती कहा जाता है। यहां कटौती अनर्जित

आमदनी पर दी जाती है। जैसाकि मैंने कहा, यदि किसी व्यक्ति की किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके पास काला धन बांड है तो उसे आयकर में असीमित छूट मिल सकती है। आज भारत में यही स्थिति है। आयकर के सम्बन्ध में, वितरण संबंधी न्याय की यही स्थिति है।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में आयकर तंत्र बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि ऐसा आभास दिया जा रहा है कि यहां पर बड़े आयकर तंत्र के कारण ही लोग कर दे रहे है अथवा सरकार आयकर इकट्ठा कर पा रही है।

महोदय, वर्ष 1981,82 के आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है और सरकार को इस बात की जानकारी है कि आय के 45 लाख निर्धारित किए गए थे। यह लक्ष्य कर्मचारियों में काफी वृद्धि किए जाने पर ही प्राप्त किया जा सका। आयकर निर्धारण वर्ष 1976-77 से शागे कम होते गये। आयकर निर्धारणों की संख्या बढ़ाये जाने के उद्देश्य से ही कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि की गयी। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दिये जाने के बाद भी मूल्यांकन अधिकतम संख्या से कम हैं। वर्ष 1981-82 में केवल 45 लाख निर्धारण किये गये। यह लक्ष्य निर्धारणों का 76 प्रतिशत संक्षिप्त तरीके से करके प्राप्त किया गया। आयकर के बकाया 24 प्रतिशत निर्धारणों के लिए आयकर अधिकारियों को और उनसे ऊपर के सभी लोगों को विस्तृत कार्रवाई करनी पड़ी। आयकर के ये निर्धारण करने के बाद भी हमें कितनी रकम मिली? कुल कर प्राप्ति का केवल 9 प्रतिशत। शेष 91 प्रतिशत सरकारी खजाने में स्रोत पर कर में कटौती और अग्रि कर और स्व-निर्धारण के आधार पर देय कर द्वारा आता है। पूरा कराधान तंत्र 24 प्रतिशत निर्धारणों से केवल 9 प्रतिशत कर इकट्ठा कर पाता। भारत में आज यही स्थिति है। यदि तंत्र है तो वह कर इकट्ठा नहीं कर पाता। लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद, ये लोग आयकर विभाग के सर्वेक्षण स्कन्ध में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सके ताकि नये निर्धारक आयकर के दायरे में लाये जा सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं—अनेक लोग हैं—जिन्हें करयोग्य आमदनी होती है, लेकिन जो छूट की सीमा से काफी ऊपर है और उन्हें कराधान दायरे में नहीं लाया जाता। इसका कारण यह है कि आयकर विभाग ने इस बारे में अपना दायित्व नहीं समझा है। संसदीय समिति द्वारा ऐसा किये जाने के लिए कहे जाने के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, बहुत से ऐसे लोग कर नहीं दे रहे हैं, जिन्हें कर देना चाहिए। यह बहुत अजीब बात है। लेकिन लेखा समिति की दो रिपोर्टें फिल्म कलाकारों और फिल्म निर्माताओं जैसे बहुत अधिक आमदनी वाले लोगों द्वारा कर के दायरे से बचने के सम्बन्ध में हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म जगत में बड़े-बड़े लोगों में से किसी पर भी कर नहीं लगाया जा रहा है। वे अपनी विवरणियों में हानि दिखाते हैं। यह बात मंत्री जी और सम्बन्धित विभाग भी जानता है। लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है और एक समिति का गठन करने के लिए कहा था, जिसमें चार्टर्ड अकाउटैंट, कर विशेषज्ञ लेखापरीक्षक और सुप्रसिद्ध गैर-सरकारी लोग हों। लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन वर्ष के पश्चात् भी इस प्रकार की समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज भी यही स्थिति है। बम्बई, मद्रास अथवा अन्य किसी स्थान का कोई भी बड़ा कलाकार आयकर नहीं दे रहा है। वे सभी विवरणियों में हानि दिखा रहे है। मालूम नहीं भारत में पिक्चरों की शूटिंग कर रहे गैर-आवासीय लोगों को रियायत देने के लिए यह

विशेष संशोधन क्यों लाया गया है । यह मांग की जा रही है कि यह रियायत अब उन लोगों को दी जाये जो इस बीच गैर-आवासी बन गए । गैर-आकाशी बन जाने पर अब उन्हें यह रियायत मिल जायेगी । अतः महोदय, वास्तविकता यह है कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजुद उन्होंने इन बड़े-बड़े कलाकारों और अन्य लोगों के कराधान की स्थिति की जांच कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है ।

तीसरे, आज जो लोग कर अदा नहीं कर रहे हैं, उनमें बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी शामिल हैं। सरकार को मालूम है कि सर्वोच्च स्तर की 101 कम्पनियों में से 1979-80 में केवल 25 कंपनियों ने कर दिया था । इस बात का उल्लेख लोक लेखा समिति के 143वें प्रतिवेदन में है। महोदय, उदाहरणार्थ, 1979-80 और 1980-81 में टेल्को को क्रमशः 16 करोड़ और 26 करोड़ रुपये का लाभ हुआ । दोनों वर्ष उन्होंने 6.05 करोड़ रुपये लाभांश दिया, जबकि एक भी वर्ष कर के रूप में एक नया पैसा भी नहीं दिया । जे० एण्ड के० सिन्थेटिक्स, रिलाएंस टैक्सटाइल्ज, केल्वो आदि की भी यही स्थिति है । संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 1981-82 में सर्वाधिक लाभ कमाने वाली 76 कम्पनिय में से 42 कम्पनियों ने बिल्कुल कोई कर नहीं दिया ।

महोदय, इस वर्ष के बजट में ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है कि कम्पनियां कर देने से पूर्णतः बच नहीं सकतीं । लेकिन, यह वास्तविकता है कि ये कम्पनियां कर नहीं देती रही हैं और सरकार को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की । अब, इन्होंने कटौती पर 75 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लगा दी है ।

महोदय, सरकार एक के बाद एक रियायत देती रही । जब भी कोई वाणिज्य मंडल किसी मंत्री महोदय को विशेष रूप से वित्त मंत्री महोदय को आमंत्रित करता है, तो वे लोग कर में रियायत आदि के रूप में कुछ-न-कुछ मांगें अवश्य रखते हैं ।

चूंकि यह सरकार ऐसे लोगों पर बहुत अधिक निर्भर करती है जो इन चैम्बरों के सदस्त होते हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें उनको संतुष्ट करना पड़ता है । वे उनसे अलग नहीं रह सकते । इसलिए वे उन्हें आश्वासन देते हैं जो अन्यतोगत्वा विभिन्न रियायतों के रूप में बदल जाते हैं । चूंकि पर्याप्त मात्रा में रियायतें दी गई हैं, लोक लेखा समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी रियायतों की जांच की जानी चाहिए । आप प्रत्येक रियायत की जांच करें और यह देखें कि उसका क्या प्रभाव है । महोदय, अब यद्यपि करु छूट एक नए उद्योग की स्थापना करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है फिर भी यह देखा जाता है कि क्या ये सभी वास्तविक उद्योग हैं अथवा वही लोग दूसरे नाम से व्यापार कर रहे हैं अर्थात, पहले एक कम्पनी को बन्द करते हैं और उसके बाद दूसरी कम्पनी चालू करते हैं । यदि यह सब हो रहा है तो इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है ।

महोदय, सरकार को विभिन्न रियायतों के प्रभाव पर निगरानी रखनी है । यह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सरकार ने इन मामलों के बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं जिन पर लोक लेखा समिति द्वारा बार-बार जोर दिया गया है । एक और विलक्षण बात यह है कि ये सभी बड़ी कंपनियां

स्वयं कर का भुगतान नहीं कर रही हैं। पुनः उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से एक उद्धरण देता हूं। प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि सारा भाई समूह की काफी बड़ी परिसम्पत्ति 200 करोड़ रुपये अथवा इससे भी अधिक है। अब इसे 25 व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन व्यक्तियों ने अपने लाभ के लिए 1600 न्यासों का सृजन कर रखा है। इसलिए इन 25 व्यक्तियों को 1600 न्यासों से लाभ प्राप्त होता है और वे कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार को इस बात की गहराई से जांच करनी है और यह देखना है कि ये बड़ी कम्पनियां कैसे इन तरीकों से अधिनियम में कर से बचने का प्रावधान होने से कोई कर नहीं देती हैं। जो लोग इन बड़ी कम्पनियों के नियंत्रण में हैं वे कर नहीं देते हैं लेकिन कौन कर का भुगतान करेगा? केवल छोटी आय पाने वाले कर का भुगतान करेंगे। लिपिकीय कर्मचारी जो कठिन परिश्रम करके अपनी आय कमाते हैं जो मुद्रा स्फीति की परिस्थितियों के दौरान मुश्किल से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं वे ही आज भारत में कर का भुगतान कर रहे हैं और व्यापारिक लोग इस का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

महोदय, अधिक आय पाने वाले लोगों की संख्या तेजी घट रही है। इस देश में मुद्रा स्फीति की प्रचण्डता के कारण कोई भी व्यक्ति यह आशा कर सकता है कि अधिक आय वाले समूह के लोगों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मुद्रा स्फीति से उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है जो व्यापार में लगे हैं। इसलिए बड़े व्यापारिक लोगों की आय बढ़ जाती है और नुकसान निश्चित आय समूह के लोगों को होता है। मुद्रा-स्फीति के दौरान सारा लाभ निश्चित आय वाले समूह से हटाकर बड़े व्यापारिक लोगों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था का सामान्य सिद्धान्त यह बताता है कि मुद्रा स्फीति के दौरान बड़े व्यापारिक लोगों की आय बढ़ जानी चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ है? जहां तक आयकर का सम्बन्ध है। यहां इसके विपरीत होता है। 5 लाख रुपये और उसके अधिक आय की विवरणियां करने वाले व्यक्तियों की संख्या 900 से घट कर 600 हो गई है।

मैं समझता हूं कि एक वर्ष में यह परिवर्तन हो गया है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में भी बताया गया है। अब उन 300 व्यक्तियों का क्या हुआ जिन्होंने 5 लाख रुपये से अधिक के आय की विवरणी को पहले से ही दाखिल किया हुआ है। वे लोग कहां चले गये जो पहले से ही 5 लाख रुपये की आय सीमा में आते थे? ये कुछ बातें हैं जिनकी छानबीन की जानी चाहिए। लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद भी उन्होंने इसकी छानबीन क्यों नहीं की? इस तरह से आयकर विभाग का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को परेशान करना प्रतीत होता है जिनकी कम आय है। जिन लोगों के पास आवासीय गृह हैं और जिन्होंने अपने गृहों को किराए पर नहीं दिया हुआ है, को आय-कर विभाग में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण के मामले में तंग किया जाता है। आयकर के उद्देश्य से निर्धारण के लिए कुछ नियम और पद्धति है, धनकर के उद्देश्य से निर्धारण के लिए कुछ अन्य नियम हैं। जब सम्पत्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो इसे निर्धारण के उद्देश्य से आयकर विभाग के दूसरे स्कंध को भेज दिया जाता है। उसी सम्पत्ति का केन्द्र सरकार

तथा विभिन्न कराधान प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण की भिन्न-भिन्न पद्धतियों को लागू करते हुए निर्धारण किया जाता है। यह करदाता को तंग करने का ढंग है। विशेष रूप से उस छोटे करदाता को, जो विभाग के साथ लड़ नहीं सकता। बड़े करदाता वकीलों को रख सकते हैं और जब तक लड़ा जा सकता है लड़ते हैं। उनके पास देने को कुछ नहीं होता है और वे करों की पूरी राशि के भुगतान से बच जाते हैं।

इस विषय में लोक लेखा समिति ने क्या सुझाव दिया है? राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार को निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए और वह निर्धारण प्राधिकरण उस अचल सम्पत्ति का निर्धारण करेगा जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी प्रकार के कराधान के प्रयोजन के लिए आवश्यक होगा। यह एक साधारण उपाय है लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई भी सरकार के इस प्रकार के साधारण उपाय में रुचि नहीं रखता क्योंकि यह अधिक जटिल है। यह सरकार के लिए या विभागीय कर्मचारियों के लिए ठीक हो सकती है। आयकर विभाग ने भ्रष्टाचार के अड्डे के रूप में स्पष्टतया नाम कमाया है।

बड़े मामलों के लिए लोक लेखा समिति ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आंकड़ों पर आधारित एक सैल की स्थापना करने की सिफारिश की थी। यदि आंकड़ों पर आधारित एक सैल की स्थापना की जाती है तो यह सरकार के सभी विभागों से बड़े करदाताओं के बारे में सूचना और आसूचना इकट्ठी करेगा। और एक हजार करदाताओं के सम्बन्ध में सभी विभागों से सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है। वे सभी उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों से बच रहे हैं और वस्तुत: वे सभी प्रकार के करों से बच रहे हैं। सरकारी कोष से धन लेने वाले लोग भी, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले लोग उसे अपने खाते में नहीं दिखाते अथवा यदि वे अपने खाते में दिखाते हैं तो वे किसी और रूप में उसे निकाल लेते हैं। वे यह नहीं दिखाते कि वे कोई ऐसा उत्पादन कर रहे हैं जिससे कुछ आय प्राप्त हो। जब तक सरकार के कराधान विभाग तथा अन्य विभागों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच इस जानकारी का आदान-प्रदान नहीं होता और बड़े बड़े करदाताओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र नहीं की जाती, उनके द्वारा कर अपवंचन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि क्या लोक लेखा समिति की इस सिफारिश पर उन्होंने कुछ कार्यवाही की है। लोक लेखा समिति की 143वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है। यह यथाशीघ्र किया जाना चाहिए परन्तु मुझे संशय है कि यदि हमारे सुझाव का कोई महत्व होता तो लोक लेखा समिति की सिफारिशों को अनसुना नहीं किया जाता। तत्पश्चात् उन लोगों, विशेषकर माल जब्त करने के बाद जिन्हें दोषी ठहराया जाता है, के मामलों को निपटान हेतु कोई पद्धति शुरू की गई है। भुगतान पद्धति कुछ वर्ष पहले शुरू की गई एक बहुत नवीन पद्धति है। मैं नहीं जानता, कि यहां यह पद्धति क्यों है तथा सरकार को इस पद्धति से क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। निपटान पद्धति का अभिप्राय है कि लोगों के पास अधिक अनुभव तथा सक्षमता होगी तथा वे न्यायालय से बाहर अथवा मुकदमेबाजी के बिना मामलों का निपटान कर लेंगे और सरकार को इससे लाभ होगा। मैं आपको इस पद्धति द्वारा निपटाए गए मामलों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देता हूं। 1981-82 में 1492 मामले निपटाने के लिए थे तथा उस वर्ष में केवल 245 मामलों का ही निपटान हुआ था जो कि कुल मामलों का पांचवा हिस्सा था।

निपटाये गए 245 मामलों में से, 108 मामलों को रद्द किया गया, उन्हें निपटाया नहीं गया बल्कि रद्द कर दिया गया। इसलिए निपटाए गए मामलों की संख्या केवल 137 थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उनका निपटान सरकार द्वारा किया गया था या न्यायालय द्वारा ?

श्री अमल दत्त : उनका निपटान निपटान आयुक्त ने किया था। इन 137 मामलों में आयकर तथा सम्पत्ति कर दोनों के ही मामले हैं और इनमें से केवल 89 मामले आयकर के हैं। कुल कितनी राशि की वसूली हुई थी ? आयकर के मामलों में कुल 256 लाख रुपये के करों की वसूली हुई और 4 लाख रु० जुर्माने के रूप में है। इस प्रकार कुल राशि 260 लाख रुपये अर्थात 2.6 करोड़ रुपये है। विभाग के लिए यह अतिरिक्त उपबंध कर दिए जाने से मेरे विचार से और अधिक राशि वसूल की जा सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : 2.56 करोड़ रुपये की वसूली करने में कितना खर्चा हुआ ? क्या इसका लेखा जोखा आपके पास है ? मैं समझता हूं कि इस राशि की वसूली पर अपेक्षाकृत अधिक राशि खर्च हुई होगी।

श्री अमल दत्त : इस प्रकार के कार्यों में लगाए गए लोगों को पूरा वेतन नहीं मिलता है। वे सेवा निवृत्त अधिकारी होते हैं। किसी सेवा निवृत अधिकारी को निपटान आयुक्त का कार्य सौंपा जाता है। और उसे जो वेतन मिलता है वह उसके वेतन में से पेंशन की राशि कम करके मिलता है। इसलिए इस पर व्यय अधिक नहीं होगा, लेकिन इस उपबंध का दुरुपयोग अधिक होता है। अतः इस प्रक्रिया को ही क्यों रहने दिया जाये, जब करों की वसूली केवल 2.5 करोड़ रुपये की है और केवल 137 मामले हैं जिसमें से आयकर के केवल 89 मामले हैं और शेष सम्पत्ति कर के मामले हैं।

सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया है कि लोग किस स्तर तक करों का भुगतान करना चाहेंगे और किस स्तर पर वे कर वंचन करेंगे। छठे दशक के मध्य में केवल एक बार ही इस विषय पर मि० काल्डोर द्वारा व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया था (यद्यपि यह अध्ययन केवल प्रत्यक्ष करों के बारे में था)। उसके बाद कोई अध्ययन नहीं किया गया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह व्यवस्थिति ढंग से अध्ययन किया जाए। सरकार इसे प्रवर समिति के पास भेजने के बारे में भी कहती रही है। मंत्री महोदय ने संकेत दिया है कि जब कर कानूनों में संशोधन करने हेतु व्यापक विधेयक आयेगा तो केवल प्रवर समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद ही आयेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन प्रवर समिति द्वारा जांच किए जाने से पहले सरकार द्वारा लगाए गए करों के बारे में उचित तथा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। हो सकता है, आप उत्पाद शुल्क कम कर आयकर की वसूली बढ़ा दें और यह बेहतर होगा क्योंकि उत्पाद शुल्क का प्रभाव सभी स्तर के लोगों पर समान होता है। इस प्रकार धनी लोगों की अपेक्षा गरीब लोगों पर अप्रत्यक्ष कराधान का अपेक्षाकृत अधिक भार पड़ता है। यदि सरकार ऐसा कदम उठाती है और अप्रत्यक्ष करों को कम करती है तो हम इसका स्वागत

करेंगे क्योंकि इससे सभी वर्गों के प्रति न्याय होगा और सरकार को राजस्व की हानि भी नहीं होगी।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। महोदय, कानून को सरल बनाने की दृष्टि से लोगों की मांग पर यह विधेयक तैयार किया गया था। इसको सरल बनाने का तात्पर्य है इसमें दो कठिनाइयां। एक तो यह है कि कानून ऐसी भाषा में लिखा जाए जो बहुत अधिक तकनीकी न हो ताकि साधारण व्यक्ति, निर्धारिती जो अपना कर-निर्धारण स्वयं करता है, वह अधिनियम को पढ़ कर यह समझ जाए कि वह कितना कर भुगतान करता है और वह कितनी छूट का हकदार है।

लेकिन उस पहलू का बिल्कुल नजरअन्दाज कर दिया गया है। हमारे सामने जो विधेयक आया है उससे निर्धारणों, सम्पत्ति, आय, वेतन और अन्य बहुत से पहलुओं की संकल्पना में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए हैं। इन पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। कुछ अन्य बातें जो पहले बहुत स्पष्ट नहीं थीं उन्हें अब बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बहुत सी बातों पर विचार किया है और इस विधेयक में काफी कार्य किया गया है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता।

लेकिन यह कुछ विशेषज्ञों द्वारा किया गया तकनीकी अध्ययन है जिसमें कुछ बातों को ध्यान में रखा गया है। मेरे से पहले वक्ता ने कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया। लेकिन मैं यह कहूंगा कि दुर्भाग्य से यह विधेयक हमारे सामने ऐसे समय में आया है जब सदन बहुत व्यस्त है। विशेषज्ञ की राय जानना एक बात है, संसदीय लोकतंत्र आम व्यक्ति के नियम को मानकर चलता है, क्योंकि संसद सदस्य का किसी चीज का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। वह आम आदमी आम व्यापारी और उद्योगपति का प्रतिनिधित्व करता है, और नियमों को उसी नजरिये से आंका जाना चाहिये। बेहतर होता यदि इस उपाय पर प्रवर समिति या संसद सदस्यों की किसी अन्य समिति में विचार किया जाता।

यह विधेयक ऐसे सत्र में पेश किया गया है जब हम सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं और हमारे पास इस विधेयक को पढ़ने और इसे पिछले अधिनियम और पिछले संशोधन सहित पढ़ने का भी समय नहीं है। वित्त मंत्रालय ने इन संशोधनों वाले अधिनियम के उपबन्धों को पुनः उद्धृत करने और इसे समेकित अधिनियमों के रूप में पेश करने का कष्ट नहीं उठाया है। तब हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकते थे। मैं यह कहूंगा कि कम से कम उसे यह करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इसे कठोर बनाया है। निर्धारितियों को कुछ रियायतें की गई हैं। कतिपय संशोधनों द्वारा कुछ कठिनाइयां दूर की गई हैं।

मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करूंगा कि 'वेतन', 'परिश्रमिक', 'वेतन के बदले लाभ' आदि शब्दों की परिभाषा के बारे में उन्होंने कुछ बातें स्पष्ट कर दी हैं अर्थात उन्हें किस अर्थ में लिया जाना है। उन्होंने उपबन्ध किया है कि यदि कुछ मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाता है

तो इसे लाभ में से नहीं काटा जायेगा। विशेषकर पूंजीगत लाभों संबंधी उपबन्ध को बहुत ही स्पष्ट बनाया गया है और निर्धारितियों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। पूंजीगत लाभ कर निर्धारित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक विवेक-पूर्ण तरीका निकाला गया है।

आयुक्तों के क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट किया गया है। हमने विशेष रूप से कहा है कि जब कोई मामला किसी न्यायालय में लम्बित है, चाहे वह उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय में है, और आयकर प्राधिकारी यह प्रमाणित कर देते हैं कि लम्बित मामले में भी वही मुद्दा है तो आयकर प्राधिकारियों के पास विचाराधीन मामले में भी न्यायालय में विचाराधीन मामले पर दिया गया निर्णय ही लागू होगा।

ये कुछ ऐसी बातें है जिन्हें इस विधेयक में लिया गया है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि संसद सदस्य के रूप में, मैं इस मामले में उतना न्याय कर पाया हूं जितना मुझे करना चाहिए था। वर्तमान परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है और ऐसी ही आशा की गई थी। हमारा विचार था कि यह विधेयक बहुत ही स्पष्ट भापा में पेश किया जायेगा। मेरा प्रभारी मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे दो अधिनियम नहीं रख सकते लेकिन वे कम-से-कम निर्धारितियों के लाभ के लिए कुछ अनुदेश जारी कर सकते हैं ताकि इसे सरल भाषा में पुन: लिखा जा सके कि ये विभिन्न कर क्या हैं और इनसे क्या-क्या लाभ दिये गये हैं। और निर्धारितियों के लाभ के लिए कुछ पुस्तिकाएं भी जारी की जानी चाहिए अन्यथा स्वतः निर्धारण का लक्ष्य पूरा नहीं हो जायेगा। रियायतें तो आपने दी हैं। आपने मेहनत भी की है। आयकर निर्धारणकर्त्ता प्राधिकारियों के लिए कर निर्धारण के लिए शेष पड़े लम्बित मामलों में भी कमी आई है। जब तक आप इस विधेयक को सरल भाषा में तैयार करने के लिए नहीं कहते यह सभी निरर्थक होगा और यही बात महत्वपूर्ण है, इसी बात की जरूरत है। परामर्शदात्री समिति की बैठकों, संसद में भी और कुछ अन्य मंचों पर भी इस शिकायत पर कई बार विचार किया गया है।

आपने उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को छूट दी हैं। 3,000 रुपए और 5,000 रुपए के बीच की आय वाले व्यक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वे तब भी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे जब वे वित्त मंत्री थे, श्री वेंकटरमन द्वारा पहली छूट दी गई थी और तभी से इस स्तर वाले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं; और सचिव जैसे सरकारी कर्मचारी तथा अन्य अधिकारी भी इससे प्रभावित हैं। इसलिए, इस कार्य के लिए यह समय उचित नहीं है लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब भी सरकार को मौका मिले, वह इस स्लैब को ध्यान में रखें और उन कर्मचारियों को भी वे छूट दी जानी चाहिए जो उच्च आय वाले लोग और निम्न आय वाले लोग ले रहे हैं। इन दिनों महंगाई के कारण वेतनभोगी वर्ग के लोग बहुत प्रभावित हैं और उनकी अवहेलना करना समाज के महत्वपूर्ण वर्ग के साथ अन्याय करना है।

मैं इस विधयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें काफी कुछ किया गया है, काफी रियायतें दी गई हैं। लेकिन इसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस, बात का पता तब चलेगा जब यह विधेयक लागू हो जायेगा। जब तक सब बातें सरकारी तौर पर स्पष्ट नहीं

कर दी जातीं तब तक यह वकीलों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि वे विभिन्न प्राधिकारियों के पास जाकर तर्क करेंगे और अंततः ये सब मुद्दे उच्चतम न्यायालय में जायेंगे। यदि कोई सरकारी स्पष्टीकरण है तो सम्भवतः अधिकांश निर्धारिती इसका पालन करेंगे और उन्हें वकीलों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन दिनों सभा कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर बहस कर रही है। इस विधेयक विशेष में 84 खंड हैं। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, धन कर अधिनियम, 1958, करदाताओं की अनिवार्य जमा योजना और ब्याजकर अधिनियम, 1974 तथा सम्पदा शुल्क निधि के कुछ उपबन्धों में भी संशोधन करने के लिए लाया गया है। मैं आशा कर रहा था कि एक विस्तृत विधेयक लाया जाएगा, जैसाकि इस देश में कर ढांचे को सरल और युक्तियुक्त बनाने के लिए कुछ समय पहले सरकार ने वायदा किया था। वह विधेयक विशेष सभा के समक्ष लाने के बजाय, यह विधेयक लाया गया है और यह विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री जी ने कुछ कारण भी बताए हैं।

मैंने कई बार सदन और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि हमारा कर ढांचा और कराधान नीति न्यायसंगत नहीं है। हमें अपनी कराधान नीति और कर ढांचे पर फिर से विचार करना होगा। यह सही है कि यह कर प्रणाली पिछले वर्षों में हमारे सरकारी खजाने में काफी राशि इकठ्ठी कर सकी है। लेकिन यह प्रणाली विभिन्न कर नियमों में निर्धारित किये गये अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। चाहे यह पुनरावृत्ति ही क्यों न हो, मैं एक बार फिर कहूंगा कि यदि आप प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित विभिन्न विधेयकों में यथासमाविष्ट उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस बात पर बल दिया गया था कि इन कराधान उपायों का उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना करना, आर्थिक विषमताएं कम करना, कुछ एक हाथों में धन के एकत्रीकरण को रोकना और सामाजिक न्याय दिलाना है। दुर्भाग्यवश, पिछले तीन दशकों में, जहां तक राजस्व के एक स्रोत के रूप में इन करों का सम्बन्ध है, इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। किन्तु, जहां तक अन्य प्रशंसनीय सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इन करों से अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, इस समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान का हमारा अनुपात लगभग 20 : 80 है। वर्ष 1984-85 में 23186 करोड़ रुपए के कुल सकल कर राजस्व में से प्रत्यक्ष कर 4630 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, अर्थात् प्रत्यक्ष कर की राशि भारत सरकार के कुल कर राजस्व का 20 प्रतिशत होगी। वर्ष 1970-71 में यह 27 प्रतिशत थी। वर्ष 1970-71 में भारत सरकार का कुल कर राजस्व 3207 करोड़ रुपए था, जिसमें प्रत्यक्ष कर का अंशदान 869 करोड़ रुपए था अर्थात यह कुल राजस्व का 27 प्रतिशत था, अब यह अनुपात 20 प्रतिशत रह गया है। यदि आप पूरे भारत के आंकड़े देखें तो वर्ष 1960-61 में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 29.8 प्रतिशत था। वर्ष 1970-71 में यह हिस्सा घटकर 21.2 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1983-84 में यह हिस्सा और घटकर 15 प्रतिशत रह गया। पूरे भारत को देखते हुए अप्रत्यक्ष कराधान का अंशदान 85 प्रतिशत है, जबकि केन्द्रीय स्तर पर 80 प्रतिशत है। अतएव, किसी प्रगतिशील समाज़ में, सभ्य और सांस्कृतिक समाज में या किसी विकासशील देश में

विकास का एक विशेष प्रतीक यह है कि राज्य अप्रत्यक्ष कराधान की तुलना में प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को ज्यादा अपनाता है। निःसन्देह, भारत एक विकासशील देश है। लेकिन, हमारा दावा है कि हम उस स्थिति विशेष से निकल आये हैं जिसमें हम 20 वर्ष पूर्व थे।

हमारा देश जितना अधिक विकसित होता जायेगा, यह अनिवार्य होता जाता है कि हम इस प्रवृति को बदलें। प्रत्यक्ष करों से ज्यादा राशि इकट्ठी की जानी चाहिए। जहां तक हमारे कर इकट्ठा किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यक्ष करों का योगदान अधिक होना चाहिए। औद्योगिक रूप से बहुत अधिक विकसित देशों में प्रत्यक्ष करों से उपलब्ध राशि का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। प्रायः यह दलील दी जाती है कि भारत एक निर्धन देश है, विकासशील देश है, हमें अपने विकास के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत है और इसलिए स्वाभाविक है कि सरकार को किसी न किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष कराधान करना पड़ता है। लेकिन, धीरे-धीरे प्रत्यक्ष करों से उपलब्ध राशि का अप्रत्यक्ष करों की राशि से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। यह बात सही है कि हमें ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता है और यह सरकार अप्रत्यक्ष कराधान के इस तरीके के जरिये ज्यादा संसाधन जुटा रही है, क्योंकि काफी लोग या अधिकांश जनसंख्या उत्पादन शुल्क देती है, किन्तु अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों में धीरे-धीरे वृद्धि करने से ज्यादा सघन, न्यायपूर्ण और समाजोन्मुखी प्रणाली बन सकेगी। मन्त्री महोदय इस निष्कर्ष या दर्शन का खण्डन नहीं कर सकते। अतः इस दिशा में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए।

जहां तक इन उपायों का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना कहूंगा कि इस विधेयक के जरिये जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें से कुछ उपाय स्वागत योग्य हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि संसद की लोक लेखा समिति, जिसका 1981 से 1983 तक अध्यक्ष रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, द्वारा की गयी सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों का इस उपाय विशेष के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह भी एक अच्छी शुरूआत है कि आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों में से कुछ को इस उपाय के जरिये लागू किया जा रहा है। सर्वप्रथम, खंडों संबंधी टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी जानी चाहिए थी कि कौन-कौन से संशोधन विशेष लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर लाये जा रहे हैं और कौन-कौन से संशोधन विशेष आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर लाये जा रहे हैं। इससे, इस सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना सुगम हो जाता, किन्तु विशेष रूप से इस बात का इन नोटों में उल्लेख नहीं किया है। बहरहाल, यह एक छोटी-सी बात है। अब, जहां तक कतिपय राहतों या प्रक्रिया सम्बन्धी कतिपय संशोधनों का सम्बन्ध है, जो इस विधेयक में किये गये हैं, निःसंदेह ये स्वागतयोग्य हैं। मुझे इस बारे में खुशी है और यहां तक तो मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं, लेकिन यदि पूरे कर ढांचे का विवेचत करने वाला एक विस्तृत विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती।

मन्त्री महोदय ने सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। मेरे माननीय मित्र श्री दत्ता ने मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया है। मैंने भी यह प्रश्न कई बार उठाया है। परामर्श समिति में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। वित्त मंत्री जी से भी मैंने इस बारे में बात की थी। कई बातों के सम्बन्ध में तो वह मेरे साथ सहमत थे, लेकिन यह कहते हुए मुझे दुःख है कि उन

महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सम्पत्ति के मूल्यांकन का भिन्न-भिन्न अधिकारियों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाने का क्या औचित्य है। मैं धन कर अदा कर रहा हूं। यदि सम्पत्ति के मूल्यांकन का मापदण्ड अलग-अलग है तो सम्पदा कर नियम के बारे में क्या होगा। लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया है कि अखिल भारतीय स्तर का एक मानक संगठन होना चाहिए, जिसे अखिल भारतीय मूल्यांकन प्राधिकरण कहा जाना चाहिए। इस प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। इस प्राधिकरण द्वारा, जिसकी शाखाएं पूरे देश में होनी चाहिए, जारी किये गये सम्पत्ति के मूल्यांकन प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नगरपालिका प्राधिकारियों और इस देश में सम्पत्ति कर से संबंधित प्रत्येक प्राधिकरण को मान्य होने चाहिए। सरकार ने अभी तक इस सिफारिश विशेष को क्रियान्वित नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप, आज क्या हो रहा है? सम्पत्ति के मूल्याकन का मापदण्ड नगरपालिका नियमों के अन्तर्गत अलग-अलग है, धन कर नियम के अन्तर्गत अलग है और सम्पदा कर नियमों के अन्तर्गत यह मापदण्ड अलग है। इससे परेशानी आ रही है और इसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार फैल रहा है, क्योंकि विभिन्न नियमों से अन्तर्गत सम्पत्ति के मूल्यांकन का मापदण्ड अलग-अलग है। लोक लेखा समिति की यह बहुत ही प्रशंसनीय सिफारिश थी, जो समुचित विचार-विमर्श के बाद की गई थी, क्योंकि उस समय मैं लोक लेखा समिति का अध्यक्ष था और मुझे मालूम है कि हमने इस पर कितना परिश्रम किया था। सरकार ने इस सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया है परन्तु वह इसे क्रियान्वित नहीं कर रही है। यही समस्या है। अतः, मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि एक अखिल भारतीय मूल्यांकन प्राधिकरण होना चाहिए, जिसका सम्पत्ति संबंधी मूल्यांकन सभी केन्द्रीय नियमों, राज्य नियमों और यहां तक कि नगरपालिका नियमों के अन्तर्गत मान्य होना चाहिए। जहां तक सम्पत्ति के मूल्यांकन का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वह विभिन्न मूल्यांकन प्राधिकारियों के पास जाये। इससे सम्पत्ति के मूल्यांकन के मापदण्डों में समरूपता आयेगी···(**व्यवधान**)। यदि संसद सदस्य आय-कर देने लगें तो यह समस्या हल हो जायेगी। मेरा विचार है कि संसद सदस्यों पर आय-कर लगा देना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। अब इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि करदाताओं को कैसे परेशान किया जा रहा है। इन्हें इस बात से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि कर ढांचा या कर नीति किस प्रकार विसंगति उत्पन्न कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोक लेखा समिति में वह सिफारिश कर सकते थे।

श्री सतीश अग्रवाल : उसमें लेखा परीक्षा का कोई पैराग्राफ नहीं था। इसलिए मैं इस पर विचार नहीं कर सका। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि संसद सदस्य को इतना वेतन दिया जाना चाहिए जिससे वह आय-कर निर्धारिती बन सके ताकि वह भी समस्त कर ढांचे की कठिनाइयों को महसूस कर सके। अब उसको उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अब उसे दैनिक मंत्रों तथा अन्य मंत्रों के रूप में काफी अधिक राशि मिलती है जिस पर कर नहीं लगता। मेरी यह राय है कि उसका वेतन इतना होना चाहिये जिससे कि प्रत्येक संसद सदस्य को आय-कर निर्धारिती बनाया जा सके। केवल तभी वह यह समझ सकेगा कि आय-कर प्रशासन किस-किस प्रकार की सख्तियां बरतता

है। यदि आपको आय-कर कार्यालय में जाना पड़े और विभिन्न पूछताछों तथा प्रश्नों का सामना करना पड़े तब आप समझेंगे कि आय-कर कानून की क्या समस्याएं हैं।

1.57 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

अब मैं सम्पदा शुल्क के बारे में बात करता हूं। केन्द्रीय स्तर पर हमारी कुल इकट्ठी की गई धनराशि लगभग 23,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से प्रत्यक्ष कर के रूप में इकट्ठी की गई धनराशि 4,630 करोड़ रुपये है। 23,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कुल इकट्ठी की गई धनराशि में धन कर, सम्पदा शुल्क तथा दान-कर के अन्तर्गत इकट्ठी की गई धनराशि मुश्किल से 130 करोड़ रुपये है। धन-कर 100 करोड़ रुपये से कम है, सम्पदा शुल्क 20 करोड़ रुपये से कम है और दान कर 10 करोड़ रुपये से कम है जो कुल 130 करोड़ रुपये बैठती है। ये सभी तीन कानून इस संसद द्वारा प्रो० काल्दर द्वारा की गई एकमुश्त सिफारिश के एक भाग के रूप में तैयार किये तथा लागू किये गये थे कि इस देश में एक समन्वित कर-ढांचा होना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जो व्यक्ति कमाता है उसे आयकर देना चाहिये, जो व्यक्ति खर्च करता है उसे खर्च-कर देना चाहिए, जो आदमी बचत करता है उसे धन-कर देना चाहिए, जो व्यक्ति दान देता है उसे दान-कर देना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति इन सब करों का भुगतान किए बगैर मर जाता है तो उसके बच्चों को सम्पदा शुल्क देना चाहिए। वह समन्वित प्रणाली टूट

2.00 म० प०

गई है। खर्च कर को सरकार द्वारा बहुत पहले समाप्त कर दिया गया था। बाद में धन कर सरकारी लिमिटेड कम्पनियों पर 1957 में लगाया गया था और तब इसे 1960 में निलम्बित किया गया था। इसलिए कम्पनियों पर कोई धन-कर नहीं लगाया गया है। इसे आंशिक रूप से कम भी कर दिया गया था। जहां तक दान-कर के रूप में इकट्ठी की गई धनराशि का सम्बन्ध है, यह धनराशि 30 साल से भी ज्यादा समय से 10 करोड़ रुपए से भी कम है। जहां तक सम्पदा शुल्क का संबंध है, यह 30 साल से भी ज्यादा समय से 20 करोड़ रुपये से भी कम है और धन-कर के रूप में इकट्ठी की गई धनराशि 30 साल से भी ज्यादा समय से 100 करोड़ रुपए है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां तक धन-कर निर्धारितियों का संबंध है, धन-कर निर्धारितियों में से 95 प्रतिशत व्यक्ति वे हैं जिनका धन 10 लाख से कम है और जिन व्यक्तियों का धन 10 लाख से ज्यादा है वे केवल 5 प्रतिशत हैं। अब, धन क्या है ? यह मकान है, यह जमीन है, अन्य सम्पत्ति जवाहारात, सोना, चांदी की छड़ें, बर्तन आदि हैं। और उन व्यक्तियों के बारे में कल्पना कीजिए जिनका कुल धन 10 लाख से भी ज्यादा है और धन-कर निर्धारितियों के रूप में उनकी कुल संख्या केवल 5 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, इस देश में ऐसे लोगों की कुल संख्या 15,000 है जिनका धन 10 लाख से भी ज्यादा है। क्या कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर सकता है ? इन सब सम्पत्तियों तथा धन के साथ जो कि 10 लाख से भी ज्यादा है, देश में धन-कर निर्धारितियों की कुल संख्या मात्र 15 से 16 हजार है। महोदय,

दक्षिणी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता अथवा मद्रास में एक भी मकान ऐसा नहीं है जो 10 लाख रुपए से कम हो। वस्तुतः दक्षिणी दिल्ली के सभी मकान 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत के होंगे। यह बात केवल एक मकान के बारे में है। इसके बाद अन्य सम्पत्तियां जैसे सोना, वगैरा वगैराहैं। अतएव, यह बात कैसे है कि समग्र देश में ऐसे लोगों की कुल संख्या 16,000 है। आपको 16,000 व्यक्ति केवल एक महानगर में मिल सकते हैं। आरे प्रशासन की यह हालत है। हमारा मूल्यवान प्रकोष्ठ (सेल) क्या कर रहा है? हसारा विशेष प्रकोष्ठ (सेल) क्या कर रहा है? हम इस संख्या पर काफी परेशान हैं।

अब, आप कर-अपवंचन के बारे में बात कर रहे थे। महोदय, कर अपवंचन तथा कर से बचने के बीच अन्तर है। कर से बचना कानूनी है। किसी भी व्यक्ति से कर देने की अपेक्षा नहीं की जाती है जिन्हें वह बचा सकता है। टालने का मतलब है कानूनी रूप से टालना। वह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। आप उन मामलों में कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है जिनमें आय कर कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध रियायतों का लाभ उठाकर करों को टाल सकते हैं। लेकिन कर अपवंचन इससे भिन्न है। और मेरे मत के अनुसार कर अपवंचन वस्तुतः सौ प्रतिशत है। अब, यह कारण है जिससे काला धन उत्पन्न होता है और यह कारण है जिसकी वजह से मूल्य बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति के अन्य कारक भी हैं लेकिन काला धन सबसे बड़ा कारण है और कर अपवंचन काले धन का सबसे बड़ा कारण है। युक्तिहीन कर ढांचे तथा भ्रष्ट कर प्रशासन होने के फलस्वरूप काला धन पैदा होता है।

महोदय, इस सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसी समय 1970-71 में यूं कहिए 10 साल पहले, काले धन की मात्रा इस देश के कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 16 प्रतिशत था; और 1982-83 में किए गए अधुनातन आकलन के अनुसार यह कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 52 प्रतिशत हो गई है। वस्तुतः इस देश में सफेद धन की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था में काले धन की भी है। काले धन पर कोई नियंत्रण नहीं है, विशिष्ट तथा विलासमय उपयोग पर कोई रोक नहीं है। हम सभी समाजवाद की बात कर रहे हैं। मैं यहां एक प्रश्न उठाना चाहूंगा। इस सभा ने एक कानून बनाया था जिसके द्वारा होटल कर लगाया गया था। अब ऐरे होटल भी हैं जिनमें एक कमरे (सूट) का किराया रोजाना 5,000 रुपये हैं। ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्ष में 3 महीने होटल में रहते हैं और प्रतिदिन के लिए 2,000 रु० दे रहे हैं और अतिरिक्त भोजन तथा मनोरंजन का खर्च तो अलग है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है जो प्रायः होटलों में रह रहे हैं, जिन्होंने होटलों में स्थायी रूप से कमरे बुक कर रखे हैं? वे उन पर कितना धन खर्च कर रहे हैं और उनकी आय का क्या स्रोत है? क्या सरकार ने उस बारे से सर्वेक्षण किया है। सरकार ने होटल कर को समाप्त कर दिया। वह भोग विलास सम्बन्धी कर था। लेकिन सरकार ने इस सभा के समक्ष कहा कि हम इस विशिष्ट उपभोग, विलासमय उपभोग पर कर नहीं लगाएंगे। लेकिन यह होटल कर समाप्त कर दिया गया था। इसे निलम्बित कर दिया गया है। अब कोई होटल कर नहीं है। इस देश में किसी एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो भी है जो लगभग 150 डालर है जो लगभग 1500 रुपए बैठती है—एक आम आदमी जितना रुपया एक वर्ष में कमाता है ये विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति उतना रुपया होटल में एक दिन में खर्च कर देते हैं और इससे भी

अधिक । और हमने उनके ऊपर कोई कर नहीं लगाया है । क्या यह समाजवाद है ? हम इस देश में जिस समतावादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं क्या यह वही समतावादी समाज है ? प्रत्येक व्यक्तिप्र तिदिन समाजवाद की कसम खाता है । इससे इस देश में समाजवाद नहीं पनप पाएगा । आर्थिक असमानताओं का तो कहना ही क्या है ? महोदय, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े औद्योगिक घराने जो आज सबसे अधिक धनी हैं, जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा उस समय उनका धन 25 करोड़ रुपए था और आज उनका धन 2500 करोड़ रुपए है, और उनमें से अनेक ऐसे हैं जो कोई आयकर नहीं दे रहे हैं, जो कोई धन-कर नहीं दे रहे हैं और यदि वे मर जाते हैं तो उनके बच्चों को सम्पदा-शुल्क नहीं देना होगा क्योंकि वे कोई धनकर नहीं दे रहे हैं, तो सम्पदा-शुल्क देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और आयकर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । क्या ये कानून समान हैं ? क्या आपने इन पहलुओं का कभी कोई अध्ययन किया है ? आपके विशेष प्रकोष्ठ (सेल) के अपने अध्ययन से ये स्पष्ट तथ्य सामने आए हैं कि बड़े औद्योगिक घरानों के व्यक्ति सदस्यों का धन इन वर्षों में कम हुआ है । क्या यह बात विश्वास करने योग्य है ? लेकिन यह आपके विभाग की रिपोर्ट है जो लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जब मैं उसका सभापति था और उसका हमारे द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था और इसलिए सरकार ने कुछ कदम उठाए थे । लेकिन आप इन मामलों की गहराई से जांच क्यों नहीं करते ? और जब तक हम इन मामलों की गहराई से जांच नहीं करेंगे तब तक मेरे विचार से इसका हल सम्भव नहीं होगा । इसलिए कर अपवंचन की समस्या बहुत बड़ी है । अब सरकार ने यह सुझाव दिया है कि हम तलाशियों और जब्तियों का अभियान चला रहे हैं । जहां तक तलाशियों तथा जब्तियों का सम्बन्ध है, मैं इस माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सरकारी रिकार्ड से कतिपय आंकड़ों का उल्लेख करूंगा ।

वर्ष 1981-82 के वर्ष में तलाशियों की संख्या 4282 थी तथा जब्त की गई परिसम्पतियां 30.66 करोड़ रुपये मूल्य की थीं जिन्हें गणना में नहीं लिया गया था। वर्ष 1982-83 में ली गई तलाशियों की संख्या 4291 थी और जब्त की गई परिसम्पतियां 27.96 करोड़ रुपए मूल्य की थीं जिन्हें गणना में नहीं लिया गया था । वर्ष 1983-84 में ली गई तलाशियों की संख्या 4332 थी तथा जब्त की गई परिसम्पतियां 27.99 करोड़ रुपए की थीं । (**व्यवधान**) । ये वे जब्त की गई परिसम्पतियां थीं जिनकी गणना नहीं की गई थी, लेकिन आप हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि हमारे खजाने में कितना और धन जोड़ा गया है, इन तलाशियों तथा जब्तियों से कितना कर वसूल किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : मामले निलम्बित पड़े हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मामले कई वर्षों से निलम्बित पड़े हैं । प्रत्येक वर्ष इन सब मामलों की संख्या 4,000 होती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान 13,000 से लेकर 14,000 तक तलाशियां ली गई थीं और उनमें :00 करोड़ रुपए से भी ज्यादा धन अन्तर्विष्ट था और सरकार किसी भी विशेष वर्ष के आंकड़ों के बारे में इस सदन को सूचित करने की स्थिति में नहीं है । माननीय मंत्री महोदय को कोई विशेष वर्ष चुनने दीजिए। आपके पास 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के वर्ष हैं । हमें आपतकाल के दौरान की गई तलाशियों तथा जब्तियों की संख्या

बताइए, तलाशियों तथा जब्तियों की कुल संख्या कितनी थी, उनमें कितनी धनराशि अन्तर्विष्ट थी और इन तलाशियों तथा जब्तियों के फलस्वरूप कितना अतिरिक्त कर वसूल किया गया था। यदि वह स्थिति हमारे लिए उपलब्ध नहीं है तो इसके पीछे यही विचार था कि इन तलाशियों तथा जब्तियों के माध्यम से शीघ्र धन लेने के लिए लोगों को परेशान किया जाए, जनता को परेशान किया जाए, घटिया प्रचार किया जाए और धन कमाया जाए। अन्यथा मैं तब तक तलाशियों और जब्तियों के हक में नहीं हूं जब तक और अन्यथा उनसे सरकारी कोष में अधिक धन जमा न हो और जहां तक इन मामलों का सम्बन्ध है इनसे बाधा ही होती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कर की व्यवस्था राशि के बारे में क्या स्थिति है? अब कर इकट्ठा करना तथा करों का बकाया रहना एक बड़ी भारी समस्या है और मैं यह नहीं जानता कि वे इससे कैसे निपटेंगे।

मैं बकाया कर तथा उत्पन्न मांग के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दूंगा लेकिन ये वर्ष के अन्त में देय नहीं है :

वर्ष	वर्ष के अन्त में बकाया कर
1980-81	635.54 करोड़ रुपये
1981-82	700.75 ,, ,,
1982-83	844.93 ,, ,,

1983-84 में भिन्न हो सकता है।

यह स्थिति है। हम इन सभी समस्याओं से कैसे निबटें? इतना अधिक बकाया कर! न्यायालयों में कितने ही मामले निपटाने के लिए पड़े हुए हैं। हम कभी-कभी अन्तरांष्ट्रीय मुद्राकोष के पास जाते हैं हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से उधार ले रहे हैं। हम इस पर देश में भी बाजार ऋण दे रहे हैं। राज्यों को जो कर दिए जाने हैं उनके बारे में स्थिति क्या है? जहां तक इस विशेष धनराशि का संबंध है, किसी कारगर प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए जिससे ये कर बकाया न रहें।

मैं नम्रतापूर्वक मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जहां तक तलाशी और जब्ती का संबंध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इनसे कुछ हद तक कर न देने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। लेकिन जब तक उनको अधिक प्रभावी नहीं बनाया जाता है और जब तक पथभ्रष्ट अधिकारियों, जिन्होंने तलाशी और जब्ती को पूर्ण रूप से विफल कर दिया है, के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, परेशान करने की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी

निश्चित बात का पता चलता है और वह सूचना 100 फीसदी सुनिश्चित है तो उन निर्धारणों को जितनी जल्द हो सके अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए ।

दुर्भाग्य से सरकार ने संक्षिप्त निर्धारण की योजना आरम्भ की है । संक्षिप्त निर्धारण का अर्थ है कि इसमें अधिक छान-बीन नहीं की जाएगी । संक्षिप्त निर्धारण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक मामले निपटान के लिए पड़े हुए हैं । इस संक्षिप्त निर्धारण को बनाए रखने की क्या तुक है ? यदि निर्धारण का बकाया इतना अधिक है कि आप मामलों को निपटाने में असमर्थ हैं, तो इनको बनाए रखने में कौन-सा तुक है ।

धनकर के अधीन बकाया राशि 165 करोड़ रु० थी, जबकि आपने केवल 27 करोड़ रु० की वसूली की । सम्पदा शुल्क का बकाया 30 करोड़ रु० था, जबकि आपने केवल 8 करोड़ रु० की वसूली की है । दानकर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया राशि 20 करोड़ रु० थी, जबकि आपने केवल 2.5 करोड़ रु० की वसूली की । आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यह राशि 1255 करोड़ रु० थी और इसमें से आपने केवल 350 करोड़ रु० की वसूली की । जहां तक निर्धारणों को अन्तिम रूप देने का संबंध है, दावों की वसूली के विषय में यह अत्यन्त असन्तोषजनक स्थिति है ।

कम्पनी निर्धारण की छानबीन के सम्बन्ध में यह दिखाने के लिए कि विभाग में कुछ इतनी अधिक शिथिलता आ गई है जैसे कि वह गतिहीन हो गया हो । मेरे पास आंकड़े हैं, आपको सारे विभाग को क्रियाशील बनाना होगा । यह देखा जाए कि कार्य योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा आयुक्त सम्मेलन में की गई सिफारशों को अविलम्ब लागू कर दिया गया है और यदि यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो किसी को यह कार्य सुपुर्द कर दिया जाए ।

इस देश में हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं हैं । हम पांच वर्षों में 1,80,000 करोड़ रु० खर्च करते हैं । हम साधनों की स्थिति को भी जानते हैं--कि इस योजना के वित्त प्रबन्ध में इतनी धनराशि की आवश्यकता होगी--इतनी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा इतनी धनराशि वसूल की गई तथा इतनी राशि राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाएगी, इतनी कमी और घाटा होगा, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से इतना उधार लिया जाएगा, इतना हमें स्वदेशी बाजार से मिल जाएगा और इस प्रकार यह पूर्ण योजना की स्थिति होगी । हम पांच वर्षों के अपने योजना व्यय को जानते हैं ।

हम अगले पांच वर्षों के लिए अपने साधनों की स्थिति से अवगत हैं तथा क्या इस प्रकार हम उस संदर्भ में एक स्थायी कर ढांचे को प्राप्त नहीं कर सकते ?

श्री भेरावदन के० गधावी (बनासकांठा) : क्या आप पांच वर्ष में होने वाली वृद्धि को जानते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : आपके पास सूचक प्रणाली है । आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का मेरे पास तैयार उत्तर है ।

आपके पास सूचक प्रणाली है और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष जो अनुमान लगाया जाता है, उसके बारे में जाना जा सकता है। यह आने वाला बजट है। मैं नहीं जानता कि किन मदों में वृद्धि होगी—इतना किया जाने वाला अनुमान, कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा सट्टेबाजी समाप्त हो जाएगी। हमारे संपूर्ण कर ढांचे में स्थायित्व आ जाएगा। तब इस प्रकार हम पांच वर्ष के लिए योजना बना सकते हैं। हमें पांच वर्ष के लिए अपने व्यय का पता है। हमें पांच वर्ष के लिए अपने संसाधनों का पता है, हम जानते हैं कि अगले पांच वर्षों के दौरान हमें कितना जुटाना है। हम देश में एक स्थायी कर ढांचे को क्यों नहीं ला सकते हैं जिसके द्वारा योजना के प्रथम वर्ष में लगाए गए करों को अगले 5 वर्षों के लिए सिवाय मामूली परिवर्तन के, जोकि हम अपने योजना व्यय में भी करते हैं, प्रचलन में जारी रखा जाएगा। सरकार को इस सुझाव पर गम्भीरता से सोचना चाहिए और इस सुझाव की जांच की जानी चाहिए कि क्या इस देश में 5 वर्ष कर प्रणाली को आरम्भ करना सम्भव तथा व्यवहार्य है।

इन शब्दों में साथ मैं कुछ अंश तक कार्यवाही का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं बहुत दुःखी तथा निराश हूं क्योंकि इस देश में सम्पूर्ण कर ढांचे और कराधान का सरलीकरण करने के लिए कोई व्यापक विधेयक नहीं लाया गया है। अतः इस विशेष विधेयक के बारे में कुछ टिप्पणी, प्रशंसा तथा इसका स्वागत करते हुए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय जो कम से कम 3 या 4 माह के लिए इस पद पर हैं, सम्पूर्ण कर प्रशासन को चुस्त और कारगर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे और हमारे कर ढांचे में जो असंगतियां, विकृतियां तथा न्यूनताएं हैं, उन्हें दूर करने के सम्बन्ध में ठोस नीति निर्णय लेंगे ताकि हम इस देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए एक न्याय-संगत कर ढांचे का निर्माण करने में समर्थ हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, कल के एजेंडे में था कि लैंड एक्विजिशन बिल आएगा। आज हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि लैंड एक्विजिशन बिल-विल बी टेकन-अप, लेकिन आज मालूम हुआ कि टैक्सेशन लॉ पर विचार किया जाएगा। यदि मुझे यह मालूम होता कि आज इस पर विचार किया जाएगा तो मैं अपनी सारी कोटेशन लेकर आता···

सभापति महोदय : इसका मतलब आप तैयार होकर नहीं आए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, मैं इनके लिए तैयार हूं। आज यह 70 क्लाजेज का बिल सदन में तीन-सवा तीन घण्टे में पास हो जाएगा। उधर हमने संविधान बनाया है कि हम इस देश के अन्दर समाज के अन्दर व्याप्त आर्थिक विषमताओं को कम करें। रक्षा मन्त्री जी आ गए हैं, जो पहले योजना मंत्री थे, इनका बड़ा मोटिव था कि देश में आर्थिक विषमताओं को कम करना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ऐसा समय आ सकता है जब विस्फोटक स्थिति देश में आ सकती है। समाज के अन्दर जहां ज्यादा दल-दल हो जाएगा, तो बड़े-बड़े हाथी उसमें फंस जाएंगे। यह बात सोची गई थी कि देश में गरीब ऊपर आएगा और धनवान जो कुतुब मीनार पर बैठा हुआ

है, उसको नीचे लाना होगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, पर गरीब और गरीब होता गया और अमीर और धनवान होता गया। वांचू कमेटी की रिपोर्ट को बड़े-बड़े लोग आंक रहे हैं। हिन्दुस्तान से 70 करोड़ लोग कहते हैं कि देश में काला धन है, यह तो मंत्री जी ही बता सकते हैं कि देश में कितना काला धन है। आज जगह-जगह पर लोग यह मानते हैं कि अन-एकाउन्टेड मनी फैली हुई है। ऐसा क्यों है ? आप सब से पहला काम तो यह करें कि जितने बड़े-बड़े ईमानदार-आफिसर्ज हैं उनके घरों की सर्चेज करवाएं। मैं यह नहीं कहता कि तमाम इकनम टैक्स आफिसर्ज ईमानदार नहीं हैं, उनमें भी हरिश्चन्द्र हो सकते हैं, उनमें बहुत से अच्छे भी होंगे, लेकिन यह बात सच है कि आज सारे इनकम टैक्स आफिसर्ज, डिस-आनेस्ट आफिसर्ज, डिस-आनेस्ट बिजनेसमैन और करप्ट पोलीटिशियन्ज का एलाइन्स है। एक वकील कोर्ट में एपिअर होता है, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन कितनी ब्लैक मनी लेता है, कितना इनकम टैक्स देता है ? क्या कभी आपने उनकी जांच करवाई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील कितना कमाता है और कितना इनकम टैक्स देता है। कितने डाक्टर्स हैं— जो कितना कमाते है और कितना इन्कम टैक्स देते हैं ? जो बड़े-बड़े राजनैतिक नेता हैं उनकी भी जांच करवाइए। मेरा सुझाव है एक बार देश में क्रान्ति लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए— हर आदमी जिसके पास सम्पत्ति है, अपनी सम्पत्ति का डिक्लेरेशन गजट में दे और उसके बाद पब्लिक को मौका मिले—यह कहने का कि उसके पास डिक्लेअर्ड सम्पत्ति से ज्यादा सम्पत्ति है। जो आदमी अपनी सम्पत्ति को डिक्लेअर करेगा, उसके बाद अगर वह गलत पाई जाती है तो उसको सजा दीजिए, सींखचे में बन्द कीजिए···

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : चौराहे पर खड़ा कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : पहले इतना तो कीजिए। कम से कम मालूम तो हो कि कितने आदमी डिक्लेरेशन देते हैं। आज भ्रष्टाचार जीवन का अंग बन चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में वह छा गया है। अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने, जो इस विषय के बड़े एक्सपर्ट हैं, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया, बहुत सी फिगर्स उन्होंने कोट कीं। मैं भी यह कहना चाहता हूं—इतनी सर्चेज हुई लेकिन नतीजा क्या निकला ? उनके फैसले कब होंगे ? आपने कोफेपोसा का कानून बना दिया उसके तहत कितनी प्रापर्टीज आपने लीं ? श्री सी० सुब्रह्मण्यम साहब एक बिल लाये थे कि जो प्रापर्टी बेची जाएगी, अगर कम वैल्यू में बेची जाएगी तो सरकार उसको ले लेगी। मुझे बतलाइए आज तक कितनी ऐसी प्रापर्टी सरकार ने जब्त कीं ? आप मुझे चार सालों की फिगर्स बतला दीजिए। प्रापर्टी दो लाख की है कि बिक्री दिखाई जाती है—40 हजार रुपए की। मुझे आंकड़े बतलाइए—ऐसी कितनी प्रापर्टी जब्त की गई ?

आपने इनकम टैक्स आफिसर्ज के लिए ऐसा रूल बना दिया है कि जो आदमी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता है वह तो इन्कम टैक्स कमिश्नर थोड़े समय में बन जाता है लेकिन जो 23 सालों से इनकम टैक्स आफिसर के रूप में चला आ रहा है, वह इनकम टैक्स आफिसर ही बना रहता है। इससे आपके अफसरों में बहुत डिसकन्टेंटमेंट फैल गया है और उन्होंने समझ लिया है कि जब सरकार हमारी नहीं सुनती है कि उनकी जिस जिम्मेदारी की पोस्ट है उस पर उनको ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो वे भी चुप बैठे हैं और गाड़ी को ऐसे ही चलने देते हैं। आज डायरेक्ट

रिक्रूट वाले कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन जो बहुत सालों से उस जगह पर काम कर रहे हैं वे कहीं भी नहीं पहुंच पाए हैं। यह गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दे दिए कि जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सर्विस करते हैं, उन्हें 50 पर सैन्ट दे दो और इस तरह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को भी मौका दो। इस कारण इन सर्विसेज में बड़ा डिसकन्टेन्टमेंट है। कमेटी आन सबोर्डीनेट लैजिसलेशन में मैं जब था, तो मैंने कहा कि इन रूल्स को बदलो और मैंने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है और इस बात को अनुभव किया है कि इन लोगों में डिसकन्टेटमेंट है। मैं बराबर टैक्स केसेज में एपियर होता था और तब मुझे मालूम होता था कि किस प्रकार एक आदमी का हैरेसमेंट होता है और किस प्रकार उसे गुनाहगार माना जाता है। इतना बड़ा फार्म उसको भरना पड़ता है और कितना उसमें टाइम लगता है और जिसको टैक्स देना चाहिए, वह टैक्स देता नहीं है। आज एक अच्छा होटल चलाने वाला है और बड़ी भारी दौलत कमाता है लेकिन वह टैक्स देने से फ्री है लेकिन नौकरी करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। इसलिए इन्होंने समझ लिया कि नौकरी के पैसे तो हमारी डिग्री के पैसे हैं, और तरीकों से पैसा कमाओ। सबने समझ लिया है कि तनख्वाह तो हमारी डिग्री की है, और तरीकों से पैसा कमाओ। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा इन्कलाब आएगा। आज नहीं आएगा, तो कुछ दिनों बाद आएगा क्योंकि आज एक गरीब यह देखता है कि उसके पास कुछ नहीं है और एक-एक शादी में 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडीचर हो रहा है। नाच हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं और वहां बड़े-बड़े नेता लोग उपस्थित हैं और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी नई दिल्ली के स्टेशन पर एक कोने में पड़ा हुआ सो रहा है। लोग अपनी कारों में घूम रहे हैं और उसके पास न खाने को है और न रहने को है। जब देश के अन्दर ऐसी हालत है, तो इन्कलाब आएगा। आज गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग हैं और इनकी पैनी नजरों से हम बच नहीं सकते चाहे पार्लियामेंट के लोग हों या दूसरे लोग हों। हम आज वह आदर और सम्मान दुनिया की नजरों में नहीं रख पाए हैं, जो रखना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि आज आप इनकम टैक्स से, डायरेक्ट टैक्ससेशन से इतना रुपया ले सकते हैं कि आपको और दूसरे टैक्स बन्द करने पड़ेंगे लेकिन आज जो बड़े हाऊसेज हैं, उन्होंने ऐसे तरीके चुन लिए हैं कि उनको टैक्स कम देना पड़ता है।...(**व्यवधान**) आप घंटी बजाइए। एक इन्कलाब आएगा और इसको आप रोक नहीं सकते। यह मेरी जुबान से नहीं आएगा, यह अपने आप आएगा।

मंत्री जी ने यह कहा है कि वे एक काम्प्रीहेंसिव बिल बाद में लाएंगे और यह बिल जल्दी में लाए हैं ताकि लोगों को राहत मिल जाए। आप इस बिल के द्वारा लोगों को राहत देना चाहते हैं लेकिन आपकी जो काम करने वाली मशीनरी है, क्या वह राहत लोगों को देगी। सवाल आपकी मशीनरी का है। आप राहत देना चाहते हैं लेकिन राहत कौन देगा। आज इतना वेस्टफुल एक्सपैंडीचर हो रहा है लोगों के द्वारा लेकिन आपने एक्सपेंडीचर टैक्स नहीं लगाया है। एक आदमी चार लाख रुपया शादी में खर्च करता है और डाउवरी देता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो यह जो टैक्स का इवेजन है, इसको आप नहीं रोक पाए हैं। जो समझदार हैं और जो अच्छे हिसाब-किताब पेश कर देते हैं और जो कम्पनी वाले हैं, वे आपको टैक्स ठीक तरह से नहीं देते हैं। और देता ही नहीं है। जो सीधे-सादे लोग होते हैं वे पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर आप उनको छोड़ देते हैं। अखबार में आ जाता है कि इतने आपने छापे मारे, इतना बड़ा काम किया।

जब पांच साल बाद आपसे उनका रिजल्ट पूछा जाता है कि कितना सोना और कितना रुपया गवर्नमेंट को मिल गया तो पता चलता है कि कुछ नहीं ।

श्रीमन्, एक कम्प्रीहैंसिव बिल आप लेकर आयें । अगर उसको आप लाते तो एक पालिया-मेंटरी कमेटी में उसकी जांच होती । मैं आज यहां कहना चाहता हूं कि चाहे उधर के बैठने वाले हों, चाहे इधर के बैठने वाले हों, उनकी एक कमेटी में बजट फारमेशन के बारे में इंक्वायरी हो । अगर अलग-अलग डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके, उसके एक्सपेंडीचर की पूरी जांच की जाए तो हमारे प्रशासन में सुधार आ सकता है ।

आपके इस बिल के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इसमें कुछ क्लाजिज ऐसे हैं जिनके जरिए से लोगों को राहत मिल सकती है । आपने एक समरी असैसमेंट की बात कही है । समरी असेसमेंट क्या होता है ? समरी असेसमेंट करने के बाद भी इनकम टैक्स आफिसर अपना हिसाब पहले ही ले लेता है । इस प्रकार का जो समरी असेसमेंट होता है उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है ।

हिन्दुस्तान का जो हमारा आधार है, उसमें जो टैक्सेशन होता है उसमें इतना इवेजन होता है, इतना भारी इवेजन होता है कि हमारे यहां काला धन बढ़ता जा रहा है । इस काले धन के बढ़ने का क्या कारण है ? इस अनकाऊंटेबल मनी के लिए कौन अकाऊंटेबल है ? गवर्नमेंट है । गवर्नमेंट कभी कोई स्कीम निकालती है, कभी कोई स्कीम निकालती है और लोगों को कहती है कि अपना काला धन जमा करा दो । आप सबसे डिक्लेरेशन मांगिए कि उनके पास कितना धन और प्रापर्टी है । फिर आप उनको पेपर्स में शाया कीजिए । उसके बाद गरीब लोग छान-बीन करेंगे कि किसके पास कितना धन है । उसके बाद आप उसकी जांच करिए । इससे गरीब ऊपर आएगा और अमीर नीचे आएगा । तब यह नहीं होगा कि एक आदमी भूख से मर रहा है और एक आदमी दवाई खाकर सो रहा है ।

यह इनकम टैक्स ऐसी चीज है कि जब बजट आता है तभी बढ़ जाता है । इनकम टैक्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कल को इनकम टैक्स कितना बढ़ जाएगा । यह तो बदलता ही रहता है । इसकी वजह से कोई आदमी इनका एक्सपर्ट नहीं बन सकता । अब आपने क्या किया है कि चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट रखने के लिए कहा है । 40 लाख की असेसमेंट वालों को चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट रखना मुकर्रर कर दिया है । अब चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट क्या करते हैं ? ये लोग कितने ईमानदार हैं ? उनको आप तीन-चार हजार रुपया दे दो और और अकाऊन्ट ठीक करवा लो । इनकम टैक्स आफिसर के घर को वे पहले जानते हैं ।

इसलिए श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी कानून बनाइए, उसका इम्पलीमेंटेशन अगर ठीक नहीं होगा तो वह कानून किताबों में ही रहेगा । कानून मकड़ी का जाल है जिसमें गरीब फंसता है और धनवान छूट जाते हैं । होशियार वकील वही माना जाता है जो इनकम टैक्स में छूट दिलवा देता है । उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है । सभापति महोदय, आप तो वेशभूषा से समाजवादी हैं और विचारों से भी समाजवादी हैं, आप इसको देखिए । इनकम टैक्स इसलिए लगाया

गया था कि काला धन नहीं बढ़ेगा । लेकिन यह बढ़ता ही जा रहा है । बीमारी बढ़ती ही जा रही है । आफिसर्स इतने लगा दिए हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है । इसलिए जो कुछ कानून में बताया गया है उसको निष्ठा से पालन कराएं । इसके बाद अमेंडमेंट जब पेश होंगे, दो चार सुझाव उस वक्त भी दूंगा । कानूनों का सही तरीके से पालन होना चाहिए । आजकल कानूनों का पालन नहीं हो रहा है । जो आब्जेक्ट्स बताए गए हैं, वे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, क्या श्री रामलाल जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है । काफी रयूमर चल रही है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : रयूमर चल रही है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : लोग जानने के इच्छुक हैं । सरकार कन्फर्म करे ।

श्री मनीराम बागड़ी : महत्वपूर्ण सवाल है । सारा देश बंद होने जा रहा है इस सवाल को लेकर । यह कोई मामूली बात नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यद्यपि सभा द्वारा मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था परन्तु श्री रामलाल ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

श्री बनारसी दास (बुलन्दशहर) : अधिष्ठाता महोदय, इस बिल को देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बिल को गवर्नमेंट रश-थ्रू कर रही है । इससे सिंप्लीफिकेशन होगा या कानूनों का और जंगल बनाया जाएगा । आखिर टेक्सेशन अमेंडमेंट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है । इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पब्लिक एक्सचैकर में जो लोग टैक्स दे सकते हैं और जिनकी इस देश की सेना, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की पुलिस रक्षा करती है, जिनके परिवार की रक्षा करती है, वे अपनी रक्षा के लिए कितना टैक्स पब्लिक एक्सचेकर को अदा करते हैं । मैं दोहराना नहीं चाहता । श्री अग्रवाल ने विस्तार से बता दिया है । जिस तरीके से आज हवाई जहाज हाई-जैक हो रहे हैं, कुछ दिन पहले श्रीनगर से हुआ, आज चंडीगढ़ से हुआ, लगता है गवर्नमेंट पेरालाइज्ड है । इसी तरीके से इस देश की इकानमी को मौजूदा गवर्नमेंट के तत्वावधान में बुरी तरीके से हाई-जैक कर दिया है । इसका पहला लक्ष्य होना चाहिए था कि किस तरह से ब्लैक मनी को कम किया जाए । आज हम देखते हैं कि काला धन क्या है, वह तो कामधेनु है जिससे सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है । हमें यह सोचना चाहिए कि एक-एक चुनाव में 50-50 लाख रुपया खर्च करते हैं, वह कहां से आता है । जब हमारे यहां मोनोपोलीज कमीशन बना था···**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपके पास कहां से आता है...

श्री बनारसी दास : जी, हां । यहां बैठकर हमारे पास आता है । हम लोग जब तक उत्तर प्रदेश में थे, और जब तक इस सरकार का पतन नहीं हुआ था, मैं वहां कांग्रेस पार्टी का जनरल सैक्रेटरी था और किसी ने चैक से 5 हजार रुपए से ज्यादा कभी नहीं दिया । मैं 1967 तक की बात करता हूं, हमने किसी एम० पी० को एक पैसा तक नहीं दिया । लेकिन जब से यह

अनैतिकता हुई है, तब से आपको इसकी जरूरत है। जिन लोगों का सम्बन्ध जनता के साथ है, उनको पूंजीपतियों की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन्, हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि यहां फाइव स्टार कल्चर है। आपका कहना है कि हमारी एवरेज इनकम 1200 रुपये के करीब है और एक आदमी इतना पैसा खर्च करता है। लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आज आप दिल्ली होटल में चले जाइए, एक आदमी वहां चार-पांच हजार रुपया खर्च कर देता है। जितने दिल्ली में पूंजीपतियों के गैस्ट हाउसेज हैं, एक पूंजीपति या इंडस्ट्रियलिस्ट का होल्डिंग शेयर मुश्किल से 10 परसेंट है और उसका जो बच्चा एक साल का भी नहीं है, उसके नाम एक इम्पोर्टिड कार है। उसके कारण आज ब्लैकमनी का विस्तार होता जा रहा है। डेफिसिट फाइनैंसिंग के कारण इन्फलेशन होता है। पब्लिक सैक्टर में हमारा 31 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है और स्टील अथारिटी को ही यदि आप देखें तो एक साल में उसमें 4100 करोड़ रुपए का लॉस होता है। जबकि उसको बनाने के पीछे मंशा यही थी कि पब्लिक सैक्टर के जरिए से हमारी इकानामी जैनरेट हो, उसमें निरन्तर तरक्की हो। उसके बदले आज हम देखते हैं कि स्टील के ही दामों में पिछले दिनों चार-पांच दफा कीमतें बढ़ाई गई। जब 1980 में यहां जनता गवर्नमेंट थी, उस समय लोहे के दाम 2 हजार रुपए टन के करीब थे, लेकिन आज पांच हजार रुपए टन हैं। पीछे लोहे को नीलाम कर दिया और उसके बाद लोगों को मुनाफा कमाने के लिए 25 परसेंट कीमतों में इजाफा कर दिया। इसके कारण टाटा तथा दूसरी स्टील कम्पनियों को विन्डफाल मिल गया।

आज ब्लैकमनी कैसे जनरेट होता है, जब अपने सूबे में मैंने इसकी जांच करने की कोशिश की तो मैं आपके नजदीक उत्तर प्रदेश में मेरठ डिवीजन की बात बताता हूं, जहां खाण्डसारी के डिप्टी कमिश्नर का हर यूनिट से एक साल में एक हजार रुपया बंधा हुआ है, उसी तरह उसके नीचे खाण्डसारी आफिसर का लगभग 500 रुपया बंधा हुआ है। यदि आप अंदाजा लगायें तो एक खाण्डसारी के डिप्टी कमिश्नर की एक साल के अंदर, यदि वहां 100 यूनिट्स भी हुए तो ब्लैक इनकम लगभग एक लाख रुपये हो गई। वैसे हमारे देश में कई तरह के कानून बने हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि इस देश में ब्लैकमनी का क्या कारण है। उसका कारण है हमारे इनकम टैक्स आई० टीज०···(**व्यवधान**)···हमारे यहां जितने कारखाने है···

श्री गिरधारी लाल व्यास :···(**व्यवधान**)···

श्री बनारसी दास : मैं जानता यहां हूं, इंदिरा जी नहीं बैठी हैं···आपकी वफादारी की रिपोर्ट हम जानते हैं···(**व्यवधान**)···

यह देखिये इनको* आप···(**व्यवधान**)···मैं जानता हूं, यह पार्लियामेंट का स्टेट्स है··· प्रधान मंत्री जी के इस तरह के* जिनका कोई···(**व्यवधान**) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस पार्टी का डिसिप्लिन है···

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय, यह कैसे बोल रहे हैं। बिल्कुल इर्रेलीवेंट बात कर रहे हैं। क्या ताल्लुक है इसका इस बिल से ?

श्री बनारसी दास : यह बीच में टोकाटाकी क्या उचित है ? कल परसों तक* किया और यहां टोका टाकी कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप दोनों बुजुर्ग हैं, कृपया शांत रहिए।

श्री बनारसी दास : मैं यह कह रहा था कि इस बिल का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए था कि किस तरह ऐक्सचेकर की इनकम बढ़े, इनफ्लेशन रुके और साथ साथ इवेजन रुके और ब्लैक मनी का जेनरेशन कम हो। ब्लेकमनी कोई स्टेबिल नहीं है। आज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति चाहे बिजली विभाग में जाए, चाहे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाए जो मनी जाएगा वह ब्लैक हो जाएगा और जब सिनेमाघर, रेस्तरां या फाइव स्टार होटल में जाएगा तो व्हाइट हो जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि इनफ्लेशन को रोका जाए, डेफिसिट फाइनेंसिंग को किस तरह से रोका जाए।

आज जरूरत इस बात की है कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाए जो कारखानों में इस बात को देखे कि आज जो इन्वेन्टरी है, रा-मैटिरियल है इसकी खरीद के अन्दर कितना किकवैक है और फिनिश्ड गुड्स में कितना कन्सीलमेंट है। अगर इसकी जांच करें तो 20 परसेंट इन्वेन्टरी में और 20 परसेंट फिनिश्ड गुड्स के अन्दर, चाहे प्राईवेट सैक्टर हो या पब्लिक सैक्टर हो, कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर सरकार एक कमीशन मुकर्रर करे तो बड़ी आसानी से पता लगाने के बाद 20 परसेंट कीमतों को कम किया जा सकता है।

आज दिल्ली में जमीन की कीमत 5,000, 10,000 रु० प्रति स्क्वायर मीटर है। हिसाब लगाया जाए नई दिल्ली के अन्दर जो बड़े मकानों में रहते हैं उन जमीनों की क्या कीमत है और उस जमीन से कितनी इन्कम हो सकती है। आज इस बात की आवश्यकता है, जबकि दिल्ली जैसी नगरी में जो देश की राजधानी है, एक तरफ तो यहां आलीशान इमारतें हैं और दूसरी तरफ आसमान के साये के नीचे लोग सोते हैं। तो क्या कानून नहीं बनाया जा सकता है कि जमीन किसी के पास 300 गज से ज्यादा नहीं होगी ? और चाहे मिनिस्टर हो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सब छोटे मकानों के अन्दर रहेंगे ? 1957 में मैंने ए० आई० सी० सी० में प्रस्ताव रखा था जवाहर लाल नेहरू जी तीन मूर्ति भवन छोड़ कर छोटे मकान में रहें, मिनिस्टर छोटे मकान में रहें। मेरा प्रस्ताव, उस समय कांग्रेस एक जानदार जमात थी, 8 वोट से गिर गया। हो-ची-मिन्न दो कमरे के मकान में रहते थे। आज सर्वे किया जाए कितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने गैस्ट हाउस किराये पर लिए हैं ? अगर आप साउथ दिल्ली में देखें, मैं जानता हूं एक-एक पूंजीपति ने किराये के मकान के अन्दर एक, एक करोड़ रु० खर्च किया है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया।

हो क्या रहा है ? बड़ी-बड़ी कम्पनियां होल्डिंग कम्पनियां हैं, उन्होंने लोन ले रखा है करोड़ों रुपये। वह लौस रन कर रही हैं और उससे दूसरी कम्पनियां रन की जा रही हैं। मूंदड़ा पर यही इल्जाम था जब दास कमीशन बनाया गया था और मूंदड़ा को सजा दी गई थी। आज क्या है ? आज जितने पूंजीपतियों की कम्पनियां हैं वह इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्ज से सस्ते ब्याज पर रुपया लेती हैं। आज हर जगह कम्पनियों में फिक्स्ड डिपोजिट हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो गरीब लोगों का रुपया डिपाजिट करती हैं और लोगों को इन्टरेस्ट नहीं मिलता है। लोगों का पैसा वापिस करने में उनसे रसीद ज्यादा लिखाकर उनको रुपया अदा किया जा रहा है।

मैं निवेदन करूंगा कि एक उच्चस्तरीय कमीशन नियुक्त किया जाये और जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उन सबकी जांच की जाये कि सालों में उनकी किस तरह से ग्रोथ हुई है और किस तरह से उन्होंने एस्टेट ड्यूटी और वैल्थ टैक्स से बचने की कोशिश की है। साथ ही इस बात को भी सोचना चाहिए कि जो गरीब लोग इन्फलेशन की वजह से आज वैल्थ टैक्स में आते हैं, उनको उससे मुक्त करना चाहिए।

आज इस बात की आवश्यकता है कि जो लोग बियांड देयर मीन्स रह रहे हैं, जाहिर है कि उनकी इनकम ज्यादा है, और वह इनकम उनकी ब्लैक मनी ही हो सकती है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जब वांचू कमीशन बैठा था तो उसने ब्लैक मनी और पैरेलल इकनामी की बात कही थी, उसके बाद एल० के० झा कमेटी बैठी थी और उसके बाद दूसरा कमीशन बैठा। कमीशन बैठते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है।

मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल सिम्पलीफिकेशन के लिए नहीं है, बेहतर होगा कि इस बिल के विचार को पोस्टपोन किया जाए और विस्तार के साथ इस पर सब दलों से विचार-विमर्श के बाद फिर एक बिल लाया जाये जो कि हमारे इस आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन कर सकें, रि-स्ट्रक्चर कर सके।

श्री सतीश अग्रवाल ने सुझाव दिया है कि आज जो सालाना बजट है, वह बे-मायने हो गया है। प्लानिंग कमीशन स्टेट्स को और सब जगह उनकी क्लीयरेंस करता है। अभी 8वें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आई, इसमें एक साल का स्टेट्स को पैसा न देने का कोई औचित्य नहीं है। कई स्टेट्स ने इसके बारे में आपत्ति की है। फैडरल स्ट्रक्चर में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि जो स्टेटुअरी कमीशन है, जिनको संविधान के अनुसार ताकत दी गई है, उनकी रिपोर्टों को पूरे तरीके से कार्यान्वित किया जाये। तो वह एक साल का रुपया हर स्टेट को दिया जाना चाहिए, फाइनेन्स कमीशन की रिकमेंडेशन 4 साल के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए हो।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक हाई कमीशन मुकर्रर किया जाये जो यह देखे कि किस तरह से मोनोपली घटी है, बढ़ी है और कितने और लोग मोनोपलिस्ट बने हैं और किस तरह से आज कानून का इवेजन करके ये लोग पब्लिक मनी को कम्पनीज के खर्च के नाम पर अपने एशोआराम और दौलत बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तभी इसकी उपयोगिता होगी।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

मुझसे पूर्व माननीय श्री सतीश अग्रवाल ने अपने भाषण में निश्चित तौर से यह सही कहा है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने बार-बार वित्त मन्त्रालय को और भारत सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि हमारे टैक्सेशन लाज का साधारणीकरण हो। उसका तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से टैक्सेशन लाज वह देश में लागू करते हैं, उस उद्देश्य की हमको प्राप्ति हो।

मात्र उद्देश्य यह है कि जिनके पास सम्पत्ति है, एस्सेटस हैं और जो टैक्स के नैट में आते हैं, उन लोगों के बारे में हमारे वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय और कर निर्धारण करने वाली संस्था को अधिकारीगण को यह सही ज्ञान हो सके कि वास्तव में इस देश में कौन ऐसे लोग हैं जो वैल्थ टैक्स में आते हैं।

इस बात की भी ठीक व्यवस्था नहीं है कि कर की वसूली जल्द हो और एक निश्चित मापदंड के अनुसार हो।

हमारी कर-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि जिन व्यक्तियों के बारे में आम आदमी भी जानता है कि उनकी आय इतनी है कि उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, उनके बारे में कर निर्धारित करने वाली और कर वसूल करने वाली संस्था को ज्ञान नहीं है। इसके अलावा हमारे देश में ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिन पर वैल्थ टैक्स लागू होना चाहिए। अगर मंत्री महोदय उनके पिछले पांच वर्ष के एसेसमेंट आर्डर मंगा कर देखें, तो उन्हें मालूम होगा कि ऐसी करोड़पति कंपनियां एक पैसा टैक्स भी नहीं देती हैं, हालांकि माननीय सदस्य सोचते होंगे कि वे करोड़ों रुपए टैक्स में देती होंगी। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसी कंपनियां कोई टैक्स नहीं देती हैं।

यदि ऐसी अवस्था हो और वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय कुछ न कर सकें, तो इसका अर्थ यह है कि या तो कानून में कोई कमजोरी है या कर-निर्धारण करने वाली संस्था की कार्य-प्रणाली में कोई त्रुटि है। इस बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि इस बारे में किस तरह से सुधार किया जा सकता है।

सभापति महोदय, आपको विशेष ज्ञान होगा कि आज जो इनकम टैक्स वसूल हो रहा है, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज केवल सरकारी कर्मचारियों से वसूल होता है और वह अपने आप वसूल होता है, क्योंकि सैलेरी के पेमेंट के साथ इनकम टैक्स का डीलक्शन हो जाता है। इस थोड़े से पैसे को वसूल करने के लिए इतनी बड़ी एजेंसी रखी हुई है। इनकम टैक्स आफिसर्ज, असिस्टेंट इनकम टैक्स आफिसर्ज, इंस्पैक्टर्ज, रिविजन और अपील आदि एस्टब्लिशमेंट के खर्चे और इनकम टैक्स की एक्चुअल रीकवरी में कोई बहुत बड़ा अन्तर अन्तर नहीं है। कुछ थोड़ा सा रुपया वसूल करने के लिए इतना अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है।

वर्तमान नियमों के अनुसार 15,000 रुपए पर इनकम टैक्स लिया जाता है। लेकिन जो आदमी दिल्ली या जयपुर में साधारण जीवन व्यतीत करता है और जिसके परिवार में पांच सदस्य हैं, उसका खर्चा दो हजार रुपए प्रति-मास से नहीं हो सकता। सरकार को इनकम टैक्स का निर्धारण करते हुए जीवन की वास्तविकता को देखना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है, वकील और इनकम टैक्स एक्सपर्ट ऐसी सलाह देते हैं, जिससे इनकम टैक्स का इवेजन होता है। यदि सरकार चाहती है कि लोग सही रिटर्न फाइल करें और टैक्स का इवेजन न हो, तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहिए और बेश को 15,000 रुपए से बढ़ाना चाहिए। और परिवार पर जो खर्चा होता है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बारे में निश्चय करे,

3.00 म० प०

उसी पर आप इनकम टैक्स का स्लैब कायम करेंगे। इसके साथ-साथ इनकम टैक्स के थोड़े से रुपए की वसूली के लिए जितना समय आपके आफिसर देते हैं वह आपके आफिसर्स और उनका सारा कुछ उन कुछ असेसीज के बारे में जाता है जिनकी इनकम एक लाख रुपए साल से कम है। ऐसे असेसीज के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा आफिसर्स को लगाया हुआ है और ज्यादा समय लगा रहे हैं। जो बहुत बड़े असेसीज हैं उनके केसेज आपके यहां पैंडिग में चले जाते हैं। उनका एक्युमुलेशन होता रहता है। वह अपील में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहते हैं। इसलिए आपको देखना यह है कि यहां आप ने 25 हजार से 50 हजार रुपये की आमदनी तक के समरी असैसमेंट किए हुए हैं क्यों नहीं उसको 50 हजार से 1 लाख रुपए तक की सीमा तक ले आते हैं और उनका समरी असेसमेंट क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से आपने यहां देखा है कि 25 हजार से 50 हजार तक की इनकम का असेसमेंट सही आ रहा है, आपकी इनकम में कोई कमी नहीं आई है, वसूली में कमी नहीं आई है इसी तरह से आप यह भी प्रयोग करके देखिए, 50 हजार से एक लाख तक की आमदनी का जो असेसमेंट है उसको समरी असेसमेंट के अन्दर ले आइए।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने बार-बार इस बात को कहा है कि टैक्स स्लैब जितना साधारण होगा उतना ही उसका अधिक से अधिक लाभ आपको मिलेगा। आपने इसमें कुछ प्रयत्न किया है कि उसका कुछ लाभ मिले। कोई-कोई जो प्रावधान आपने किया है उसमें आपकी नीयत यह भी रही है। जिस तरह से गवर्नमेंट एम्पलाई सरकार से मकान बनाने के लिए कर्जा लेता है और सरकार को जो ब्याज देता है वह आम तौर पर बैंक के रेट से कम होता है, सरकार अपने एम्पलाईज को एक कंसेशन देती है, इसी तरह से दूसरे जो कारपोरेशन या कम्पनीज के एम्पलाईज हैं उनको भी कम्पनी या कारपोरेशन रिड्यूस्ड रेट पर कर्जा देता है तो आपने उस रेट को एनहैंस करके उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात जो सोची है और एम्पलायर की आमदनी में, रेट आफ इंटरेस्ट जो बैंक का होता है उसी रेट में कैलकुलेट करके, जोड़ते हैं इससे वह इंसेटिव जो एम्पलायर को है अपने एम्पलाई को कंसेशनल रेट पर मकान बनानें के लिए कर्जा देने का, वह एंसेटिव उसको नहीं मिलेगा और एम्पलाईज को मकान बनाने के लिए कम ब्याज पर कर्जा नहीं मिल सकेगा। इस बात की जानकारी आप कर सकते हैं कि एम्पलायर ने उसे जो रुपया दिया वह फेक तरीके से तो नहीं दिया, कोई फ्राड तो नहीं किया, लेकिन अगर

बोनाफाइडी तरीके से कारपोरेशन या कम्पनी अपने एम्पलाई को मकान बनाने के लिए रुपया देती है तो उस रेट का आफ इंटरेस्ट जो 6 परसेंट है और आज आपका बैंक रेट 19 परसेंट है, तो आप 13 परसेंट और उस एम्पलायर से उसकी आमदनी में जोड़ कर लेना चाहते हैं, इससे उसको कोई इंसेन्टिव नहीं रह जाएगा। इसलिए यह जो प्रावधान करने जा रहे हैं इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि देश के अन्दर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है और जो हमारी पार्टी ने स्लोगन दिया है कि रोटी कपड़ा और मकान आम आदमी को हम देना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत वह एम्पलायर अपने एम्पलाई को मकान के लिए कर्जा देना चाहता है और वह कम प्रतिशत ब्याज पर देना चाहता है, उसके बारे में टैक्स के माध्यम से एम्पलायर में आप और वसूल करेंगे तो इसमें कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे।

वैल्थ टैक्स के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने मार्च में जो बजट पेश किया था उसमें ट्रस्ट्स के बारे में और इस तरह की संस्थाओं के बारे में जिनसे कि आम तौर से टैक्स को बचाया जाता था, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचा था। लेकिन आपने इसमें ऐसे जो फ़िल्म शूटिंग के लिए काम करने वाले नान-रेजीडेंट इंडियन्स को यहां पर एलाऊ करके उनको जो छूट देने का काम किया है इसमें क्या तात्पर्य है और इससे आम गरीब आदमी को क्या फायदा हो रहा है ? फिल्मों में काम करने वाले फिल्म प्रोड्यूसर्स या फिल्म एक्टर्स वही आदमी होते हैं जो लाखों करोड़ों में बातें करते हैं। ऐसे आदमियों को सुविधा देने से मैं समझता हूं आम आदमियों को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए आपने इसमें यह जो अपवाद किया है कि ऐसी कंपनियां जो यहां पर रजिस्टर्ड हैं जिनके मालिक विदेशों में रहते हैं, यहां के सिटिजेन नहीं हैं या सिटिजेन हैं तो यहां नहीं रहते हैं, नान-रेजीडेंट्स हैं उनकी अर्निंग्स के लिए आप जो उनको लाभ दे रहे हैं उससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी।

इसके साथ ही आपका एस्टेट ड्यूटी टैक्स इस देश के अंदर सबसे अधिक परेशानी और पेचीदगी पैदा करने वाला है। और इसके प्रावधानों को लागू करते समय आम तौर पर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसके बारे में भी आप कोई तजवीज सोचें जब आदमी जीवित हो, आप उसकी प्रापर्टी का मूल्यांकन करवा दीजिए जिससे कि उसके मरने के बाद यह नौबत ही न आए कि अर्थी को निकालने से पहले तलाशी होने लगे कि कहीं जेवर तो नहीं छिपा दिए हैं या कोई दूसरे वैल्युएबल असेट्स तो नहीं छिपा दिए हैं। मेरा सुझाव है कि एस्टेट ड्यूटी टैक्स से संबंधित जो ऐक्ट है उस पर आप गम्भीरता के साथ विचार करें। पी० ए० सी० ने भी अपनी सिफारिश में कहा है कि एस्टेट ड्यूटी टैक्स से आमदनी बहुत कम है और आम आदमी को जो परेशानी इसके कारण उठानी पड़ती है, वह बहुत ज्यादा होती है। जो कर निर्धारण करने वाली एजेंसीज हैं वह ऐसे आदमियों को भी नोटिस दे सकती हैं, जो कि इसके नेट में नहीं आते, और इस तरह से उनकी नींद भी हराम कर सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि संबंधित व्यक्ति की लाइफ टाइम में ही उसकी प्रापर्टी की असेसमेंट हो जाए या फिर आप 50 या 55 साल की कोई उम्र फिक्स कर दीजिए कि उसके बाद प्रापर्टी का असेसमेंट कर लिया जाएगा और उसके बाद अगर कोई एक्रीशन होता है तो उसको भी उसमें जोड़ दिया जाएगा अन्यथा वही रहेगा—इस प्रकार का कोई अमेन्डमेंट मंत्री जी को लाना चाहिए। मैं

समझता हूं जो टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं व भूतपूर्व तथा मौजूदा वित्त मंत्री ने भी समय-समय पर इस बात का जिक्र किया है कि टैक्सेशन लाज को और अधिक सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। यदि एस्टेट ड्यूटी के संबंध में आप इस तरस का अमेंडमेंट लायेंगे तो समाज का प्रत्येक वर्ग, जो कि इससे प्रभावित हो रहा है, उसका स्वागत करेगा।

टैक्स के बारे में जहां आप छूट दे रहे हैं, उसके साथ-साथ पाबंदियां भी हैं, कुछ रिगरस प्राविजन्स भी लागू कर रहे हैं, यह भी कहा जाता है कि ब्लैक-मनी बढ़ रहा है लेकिन ब्लैक-मनी के बारे में आपको सोचना है कि ब्लैक-मनी का अर्जन क्यों होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। जब तक ब्लैक-मनी के एक्रेशन को आप उसी लेबल पर नहीं रोकेंगे तब तक आगे चल कर उसको रोकना मुश्किल होगा। इसलिए जो हमारी संबंधित एजेंसीज हैं, जिनको इसे रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है क्या उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है जिससे कि ब्लैक-मनी के अर्जन को रोका जा सके ? हमारे भूतपूर्व वित्त-मंत्री ने वेयरर वाण्ड स्कीम चालू की थी जिसके सम्बन्ध में उस समय विरोधी सदस्यों ने बहुत-सी शंकाएं व्यक्त की थीं लेकिन बाद में वह निर्मूल सिद्ध हुई। हजारों करोड़ का ब्लैक-मनी जो था, जो कि पैरेलल एकोनामी बन रहा था, और जो इंफ्लेशन लाने के लिए भी जिम्मेदार था, उसको कन्ट्रोल करने में उस स्कीम से बड़ी सहायता मिली थी। बेयरर बाण्ड स्कीम केवल इसी देश में नहीं चली, कम्युनिस्ट कंट्री चाइना में भी इस स्कीम को चालू किया गया था। अत: ब्लैक-मनी को कन्ट्रोल करने और चैनलाइज करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है, इस प्रकार की वालंटरी स्कीम्स चलानी होंगी, समय-समय पर रिगरस लाज के साथ-साथ ब्लैक-मनी को रेग्युलर चैनल में लाकर कन्ट्रोल करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इसके बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचेंगे और कोई साहसिक कदम उठायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो कि सदन में पेश किया गया है और वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल के वाद-विवाद के अवसर को मैं केवल इस मुद्दे के साथ अपने को सीमित रखूंगा, जो काले धन के नाम विख्यात हैं।

श्रीमन्, यों कहने के लिए पूंजीपतियों, स्मगलर्स और दूसरे लोगों के नाम लिए जाते हैं कि यह काला धन पैदा करने वाली मशीनें हैं। काले धन के समानान्तर आर्थिक व्यवस्था इस देश में चलाने में इसका बड़ा हाथ है। परन्तु मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा हाथ आज हमारी चुनाव प्रणाली का है, इस काले धन को बढ़ाने में। वह ऐसे है कि 1969 से पहले चुनाव हम लोगों ने भी लड़े, लेकिन उसके बाद पैसे का रोल चुनाव में बढ़ गया। पहले एक एम० एल० ए० को जीप भी नहीं मिला करती थी, लेकिन आज 10-20 जीपें लेकर एम० एल० ए० चुनाव में निकलता है। खाने पीने और उसके साथ-साथ पैसे का भरपूर प्रयोग किया जाता है। पार्लियामेंट के चुनाव में अगर कोई विशेष व्यक्ति हो तो एक करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया जाता है। पता नहीं चुनाव के अन्दर जो इतने अरब रुपए खर्च हुआ होगा, वह कहां से आएगा—यह सोचने

की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि 1969 में प्रधान मंत्री जी के आने के बाद से इसकी दिशा ही बदल गई है। अब चुनाव प्रतिष्ठा से नहीं जीता जाता है, पैसे से जीता जाता है, जिसकी वजह से ब्लैकमनी बराबर बढ़ती जा रही है और उस पर हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठान हमको पैसा देते हैं, हमसे मेरा रूलिंग पार्टी से है, उनकी चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, इस प्रकार उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। मैं श्रीमन्, यदि इसको और ज्यादा खींचूंगा तो लोगों को कष्ट होने लगेगा, इसलिए इसको इतने तक ही सीमित रखता हूं।···**(व्यवधान)**······ मुझे ऐसे युवाओं से बड़ी परेशानी होती है, जो हर एक को बोलते हैं···**(व्यवधान)**···मैं चाहता हूं कि चुनाव का सारा खर्चा चुनाव कमीशन तय करे, वहन करे और उसका खर्च कराए। पार्लियामेंट में इस प्रकार का कानून आना चाहिए कि किसी को एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। इलैक्शन कमीशन के जरिए से उसको खर्च कराएगी। तब ही कुछ कन्ट्रोल हो सकता है अन्यथा यह चोर-बाजारी और काला धन बढ़ता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है।

3.14 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा काले धन पर छापा मारने के लिए प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति काले धन की सूचना देगा, उसको इनाम दिया जाएगा। ढाई प्रतिशत उसको शुरू में मिलेगा और बाकी साढ़े-सात प्रतिशत बाद में मिलेगा, ऐसा प्रावधान आपने किया है। यह ठीक है और इस तरह का इंसेंटिव जरूर दिया जाना चाहिए ताकि अधिक लोग मुखबिरी करें और वह पैसा उजागर हो सके जो काले धन के नाम से दबा हुआ है। लेकिन यदि आप उनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे तो वे हतोत्साहित हो जायेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पायेंगे, देश के प्रति जो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, करोड़ों और अरबों रुपये के काले धन का पता लगा कर दे रहे हैं, आपके इस तरह के व्यवहार से उनका दिल टूट जाएगा और वे आगे पता नहीं लगायेंगे।

वास्तव में क्या हो रहा है? एम० बलराज और रामलक्ष्मण गोयल आयकर विभाग के दो बहुत बड़े मुखबिर हैं, मद्रास और बम्बई के सैकड़ों केस इन्होंने पकड़वाए हैं लेकिन उन्हें आपने इनाम का पैसा नहीं दिया और वे 14 अगस्त, 1984 से बोट क्लब पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगें क्या हैं?

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : आपने जरूर भड़काया होगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : भड़का तो आपको भी दूंगा। आप हमको न भड़कायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

इन्होंने प्रेस कान्फरेंस की और बाकायदा वक्तव्य दिया है कि इनका लाखों रुपये का

पुरस्कार निकलता है जो इसलिए इनको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आयकर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के आगे घुटने नहीं टेके तथा उनकी चमचागीरी नहीं की, उल्टे उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया है। आज मजबूर होकर वे दोनों व्यक्ति 13-8-1984 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बोट क्लब पर बैठे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब वे आय कर विभाग को किसी केस की सूचना देते हैं तो उनको [illegible] की तरफ से कोई रसीद नहीं दी जाती है। उस इंफर्मेशन के आधार पर जो उनके द्वारा दी गई है, उनसे फार्म तो भरवा लिया जाता है लेकिन उस सूचना के दिए जाने की कोई रसीद उनको नहीं दी जाती। उस सूचना के आधार पर छापा मारने के बाद इनाम किसको दिया जाय, उसके बारे में अधिकारी तय करते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है—

"आयकर विभाग वाले सूचना प्राप्ति की कोई रसीद नहीं देते हैं, इस प्रकार आगे चल कर पुरस्कार सही व्यक्ति को न देकर अपने किसी चहेते को देने का जुगाड़ लगा लेते हैं। मामलों को गोपनीय रखा जाता है, मुखबिरों को मामलों की प्रगति का ज्ञान नहीं रहता, आकलन, कर निर्धारण दण्ड दिया जाता है जिसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इस प्रकार कई मामलों में करोड़ों के मामले लाखों और लाखों के मामले हजारों के आंकड़े दर्शाते हैं।"

28-5-1984 को यू० एन० आई० द्वारा आय-कर विभाग की ओर से यह समाचार दिया था कि मुखबिरों को पहले की भांति करों की वसूली तक (जिसमें वर्षों लग जाते हैं) का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। मुखबिरों को ढाई प्रतिशत पुरस्कार छापे मारे जाने के तुरन्त बाद दे दिया जाएगा और बाकी साढ़े सात प्रतिशत पुरस्कार अगर निरीक्षक निदेशक चाहे तो वह भी दे सकता है। यह समाचार मात्र प्रलोभन सिद्ध हुआ, बल्कि मुखबिरों को बेवकूफ बनाने के लिए यह समाचार दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, काले धन को बाहर निकालने के काम में जो लोग लगे हैं वे अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम करते हैं। उनको अपनी जान की सुरक्षा का डर रहता है। ऐसी सूरत में उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे 27 केसेज हैं जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगर सभी मामले असफल पाये गये या मामलों को रफा-दफा कर दिया गया या किसी बोगस एजेन्ट द्वारा पुरस्कार हड़प कर लिया गया तो उसकी जांच की जाए। अगर ये मामले असफल पास गए, तो मुखबिर पर धारा 182 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। पुरस्कार इसलिए हड़प लिया जाता है क्योंकि सूचना की पावती की रसीद नहीं दी गई। मेरा निवेदन है कि यह रसीद दी जाए।

श्रीमन्, मंत्रीजी कहते हैं कि स्पेसीफिक केसेज दीजिए, तो हम जांच कर लेंगे। तो मैं कुछ स्पेसीफिक केसेज दे देता हूं और उसके बाद समाप्त कर देता हूं। इन केसेज की आप जांच करा लें।

श्री लक्ष्मण दास लक्ष्मी चंद, बम्बई

1. आई० एन० एल०/165/एन० द्वारा 30-11-67 को दिया गया।

2. मैसर्स भोजराज हसन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, दिनांक 30-11-67 (जी० ए०/आई० एन० एफ०/49/एन०)

3. श्री वेनसीमल काला चन्द, बम्बई, दिनांक 30-11-67.

4. बी० एच० लाउनगानी (सात भागीदार) बम्बई-67 दिनांक 29-5-69, 26-6-69 तथा 29-11-69 से ए० डी० आई० (आई० एन० एफ०/213/सी० एस०)

5. टीकमदास एण्ड कम्पनी (सेठ किशनदास वधूमल) दिनांक 17-2-66 (आई० एन० एफ०/276/एन०) 70.

6. कनैय्या लाख वासुमल ब्रदर्स दिनांक 17-2-66 (आई० एन० एफ०/277/के०)।

7. जयन्दमल (प्रो० दीपक होटल, दादर) दिनांक 14-7-66 (आई० एन० एफ०/160)

8. जी० आर० मोनानी (पीकाक पैलेस) अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला दिनांक 2-1-1966 (ई० वी० पी०/22/एम) (केन्द्रीय)

9. चौकसी किर्तीलाल जय सिंह लाल, ज्वैलर्स, दिनांक 2-1-66.

10. मैसर्स हेमचन्द मोहन लाल एण्ड कम्पनी दिनांक 2-1-66.

11. मैसर्स चन्द्र कुमार उमीचन्द, ज्वैलर्स दिनांक 2-1-66.

12. मैसर्स चौकसी किर्तीलाल जयसिंह लाल ज्वैलर्स, दिनांक 2-1-66.

13. मैसर्स हेमचन्द भाटिया, डायमण्ड मर्चेण्ट्स, दिनांक 23-12-66 (आई० एन० एफ०/269/(एन०)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है जिसे आप पढ़ रहे हैं ? इसको पढ़ने की बजाय आप मंत्री जी को पत्र लिख सकते हैं या इस विवरण को मंत्री जी को दे दी दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अधिकारियों को पहले ही यह विवरण दिया जा चुका है लेकिन उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को लिख सकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं यह विवरण उन्हें भेज दूंगा। ये 27 मामले हैं।

मैसर्स सनचेती फाइनेन्स कारपोरेशन (ग्रुप) मद्रास पर एम० बलराज की सूचना पर 22-2-82 को छापा मार कर 10.5 लाख रुपया, 23 लाख रुपए के बैंक खाते तथा 35 लाख रुपए की बोनस कम्पनियों को पकड़ा गया। इसमें भी उनको उचित राशि इनाम की नहीं दी

गई। इसी तरीके से मद्रास में मैसर्स भगवान दास राम चन्द्र बजाज (फाइनेन्सर) पर छापा मार कर लगभग 60-70 लाख रुपए के काले धन को पकड़ा गया था लेकिन इसमें भी कोई इनाम मुखबिर को नहीं दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे मसले हैं। उनका कहना है कि हमारी दी गई सूचनाओं की सूची के अनुसार जितने मामले निपटाये जा चुके हैं, उनके पुरस्कारों का भुगतान तुरन्त किया जाए; हमें पुरस्कारों की पूरी ईमानदारी के साथ न्यूनतम नियमानुसार भुगतान किया जाए, मुखबिरों को पंजीकृत किया जाए तथा उनकी सुरक्षा हेतु प्रमाण व परिचय पत्र जारी किए जायें और जिन अधिकारियों पर मुखबिरों द्वारा भ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, उसकी तुरन्त जांच की जाए और दोषी पाये जाने पर तुरन्त सजा दी जाए। इंफार्मर का तरीका क्या होता है? वह वही होता है जैसाकि डकैतों की इंफार्मेशन देने वालों का होता है। डकैतों की इन्फार्मेशन देने वाले की अगर सुरक्षा न की जाए तो डकैत लोग उसे जान से मार दें। जो लोग चोरी का धंधा करते हैं, जिनके पास पैसा है, वे सभी कुछ कर सकते हैं। उनके पास बदमाश भी होते हैं। अगर चोर-बाजारी करने वालों, काला धंधा करने वालों के बारे में इन्फर्मेशन देने वालों की सुरक्षा नहीं होगी तो उनके बारे में इंफर्मेशन देने के लिए कोई भी आगे नहीं आयेगा। ये काला धंधा करने वाले क्या करते हैं? एक करोड़ रुपये का माल निकाला तो उसे बीस लाख या दस लाख का ही दिखाया।

इसलिए मेरा सुझाव है कि एक तो आप चुनावों में इन लोगों से पैसा खर्चे कराना बंद कर दें। चुनावों में इलेक्सन कमिश्नर के जरिए से पैसा खर्च कराइए। दूसरे जो काले धन को निकालने के लिए इंफर्मेशन देने वाले, मुखबिर लोग हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। उनकी और भी जो मांगें हैं वे भी बहुत आवश्यक हैं। इनका आप प्रबंध करिये।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : नागर विमानन के मंत्री महोदय विमान अपहरण के सम्बन्ध में कब वक्तव्य देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों जल्दी में हैं? आप यहां पर 6.30 बजे तक बैठे हुए हैं।

डा० कर्ण सिंह : लेकिन क्या इस घोषणा के लिए कोई समय है?

उपाध्यक्ष महोदय : 6 बजे वह वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, हमें इस बात की सूचना नहीं मिली है कि क्या श्री रामलाल ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके अनावश्यक और बाहरी बातों को यहां न लायें। मैं इन बातों से सम्बन्धित नहीं हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वे कहते हैं उसे कृपया रिकार्ड न किया जाये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय के बारे में जानना चाहता हूं जो कि सुबह 11 बजे रिकार्ड किया गया था जब अपहरण का प्रश्न उठाया गया था। मन्त्री महोदय ने अनौपचारिक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि वह सायं को इसका ब्यौरा देंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई नतीजा निकलता है तो वह इस विषय में सभा को सूचित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस विषय से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं हूं। वह 6 बजे इस विषय में वक्तव्य देने जा रहे हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड न किया जाए। वे जो कुछ कहते हैं, उसे रिकार्ड न किया जाए। यह कोई तरीका नहीं है। हमें सभा में इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर कृष्ण...

3.30 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

81वां प्रतिवेदन

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 22 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के बिधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 81वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 22 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 81वें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.31 म० प०

विधेयक

(एक) **विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

(दो) **दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक**
(धारा 129 में संशोधन आदि)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(तीन) **कनिष्ठ कलाकार (नियोजन का विनियमन) विधेयक**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र उद्योग में कनिष्ठ कलाकारों के नियोजन का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र उद्योग में कनिष्ठ कलाकारों के नियोजन का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) **संविधान (संशोधन) विधेयक**
(नए अनुच्छेद 15-क का अन्तःस्थापन)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(पांच) **संविधान (संशोधन) विधेयक**
(नए भाग ग्यारह-क का अन्तःस्थापन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 म० प०

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री हरीश रावत द्वारा 10 अगस्त, 1984 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :—

"कि इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायपीठ की बरेली में स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हरीश रावत अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं पिछली बार यह निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की विशालता को देखते हुए इलाहाबाद और लखनऊ की बैंच जनता की न्याय संबंधी आवश्यकता को पूरी करने और सामयिक न्याय दिलाने में असमर्थ हैं। इस कारण वहां की जनता, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन लोगों के लिए न्याय न केवल महंगा है बल्कि समय पर उनको न्याय नहीं मिलता। इस कारण उन क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के मन में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है। सरकार ने जसवंत सिंह कमीशन इसके लिए नियुक्त किया है। उस कमीशन ने अभी तक मात्र कुछ औपचारिकताएं ही पूरी की हैं, इसी दौरान सरकार ने एक नोटीफिकेशन के जरिये इस आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है और समयावधि भी बढ़ा दी है। इससे उत्तर प्रदेश के लोग जो मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किसी केन्द्रीय स्थान में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना होनी चाहिए, उनमें बड़ा फ्रस्टेशन है। इस परिस्थिति का कुछ राजनीतिक दल लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के विभाजन के नाम पर इस प्रश्न को उसके साथ जोड़ करके राजनीति लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इससे पहले कि वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, लोग आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करें, परिस्थितियां बिगड़ें, स्थिति खराब हो, उससे पहले ही जसवन्त सिंह आयोग को कहा जाना चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। जब तक उसकी रिपोर्ट पेश नहीं होती है, इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर या सरकार स्वयं यह सुनिश्चित करे कि वहां के लोगों को न्याय पाने में क्या दिक्कत पेश आ रही हैं, बरेली में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच स्थापित की जाए। जिससे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत में गरीब लोगों को नजदीक न्याय मिल सके और उनकी न्यायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बिल को लाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही बरेली नामक स्थान पर हाई कोर्ट की एक बैंच स्थापित की जाए, बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि जितने दूसरे बड़े-बड़े राज्य हैं, जहां लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए काफी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सब राज्यों में भी जसवन्त सिंह आयोग की ही तरह अपना एक आयोग गठित किया जाए जो वहां के लोगों की न्यायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक आयोग स्थापित करने से ही काम नहीं चल सकता। यदि ऐसे आयोग की रिपोर्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक काल में नहीं आती है तो निश्चय ही वहां के लोगों को अगले पांच सालों तक प्रतीक्षा करनी होगी और इस दौरान उनकी कठिनाइयां और परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक ओर हमारी सरकार और हमारे दल की यह नीति भी है कि गरीब जनता को सस्ता और सुगम न्याय सुलभ हो। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी यही लक्ष्य है, उसके अनुरूप मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार इस बिल को पास करे और चूंकि यह एक प्राइवेट बिल है, संभव है, उसमें बहुत-सी त्रुटियां हों, उनको हमारा विधि मंत्रालय दूर करे।

चूंकि हमारे विधि और न्याय मंत्री जी इस सदन में आ गए हैं, उससे पहले वे यहां नहीं

थे, मैं उनको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं…

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : आपकी मैंने सारी स्पीच पढ़ ली है ।

श्री हरीश रावत : मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस बिल की रिप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ सकारात्मक उत्तर प्राप्त होगा ताकि उत्तर प्रदेश की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके, उनकी इच्छा की पूर्ति हो और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन के समक्ष विचार तथा पारित करने के लिए अपना विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन रख रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : जी हां ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर एक नवम्बर, 1984, पर राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाए ।"

मैं इस पर बोलना भी चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा ।

अब श्री हरिकेश बहादुर आएंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री हरीश रावत जी ने जो बिल इस सदन में उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । उसका कारण यह है कि ये मेरे मित्र हैं और उनके बिल का समर्थन करने से मुझे प्रसन्नता होती है । परंतु ये जिस गलत जगह पर बैठे हैं, मैं उनकी हर बात का समर्थन नहीं कर सकता । इन्होंने जो विधेयक पेश किया है, वह काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आजादी मिलने के बाद, आज तक गरीबों के सामने न्याय प्राप्त करने के लिए यह समस्या उपस्थित होती रहती है और उसके समाधान के लिए आज तक कोई ठोस कदम या कारगर कदम नहीं उठाये गए । हमने अपने देश में जो न्यायिक व्यवस्था स्वीकार की है, हम देखते हैं कि लोगों को न्याय पाने के लिए बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है । उसके बहुत से कारण हैं । एक कारण तो यह है कि हर जिले में न्यायपालिकाओं तक भी हमारे लोगों को पहुंचने में कठिनाई उपस्थित होती है । दूसरा कारण यह है कि—सर्वोच्च न्यायालय देश के दूसरे हिस्सों से काफी दूरी पर स्थित हैं, और फिर प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थित हैं, जो कि गांवों से बहुत दूर पड़ते हैं । इस कारण हमारे तमाम गरीब लोग उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते और इस कारण न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं और मजबूर होकर कभी-कभी यह महसूस करते हुए कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है वह न्याय

प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाते हैं। इस विधेयक का मैं समर्थन इसलिए करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है और आबादी 11 करोड़ है, वहां का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है और खासतौर से पश्चिमी और पहाड़ी जिलों के लोगों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाहाबाद तक आने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है और काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। आने-जाने की सुविधायें नहीं हैं। पहाड़ी इलाके से इलाहाबाद तक पहुंचने में 3-3 दिन लग जाते हैं। अगर कोई थाना से चले जो कि तिब्बत से मिला हुआ गांव है तो एक दिन तो उसे पैदल या घोड़े पर चल कर आना पड़ता है, फिर बस से आना पड़ता है और तब कहीं जाकर उसको ट्रेन मिलती है और अक्सर ट्रेन कनेक्शन समय पर नहीं मिलता है। इस तरह पहाड़ी जिले के लोगों को इलाहाबाद पहुंचने के लिए तीन दिन लगाने पड़ते हैं। उसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को जाने में काफी परेशानी होती है। जब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है तो जिस प्रकार उसकी एक बैंच लखनऊ में है उसी प्रकार पश्चिमी जिलों में से किसी एक जिले में, जैसे मेरठ, बरेली या आगरा, जहां भी आप उचित समझें, हाई कोर्ट की एक बैंच कायम कर सकते हैं ताकि पहाड़ी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का काम हो सके। और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच गोरखपुर में भी कायम होनी चाहिए ताकि लोगों की समस्या दूर हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उच्च न्यायालय की एक और न्यायपीठ की अपेक्षा उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की मांग क्यों नहीं करते ?

श्री हरिकेश बहादुर : हमारे यहां विभिन्न राज्यों में उच्चतम न्यायालय की अनेक न्याय-पीठ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बैंच कम से कम दो जगह पर और बनाई जाये। एक गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पहाड़ी जिलों के लिए मेरठ, बरेली या आगरा में बैंच बनाई जाये। अगर हम सचमुच में रुचि रखते हैं कि गरीबों को सस्ता न्याय मिले तो उन्हें यह सुविधा तुरंत देने की व्यवस्था करनी चाहिए कि वह हाई कोर्ट में नजदीक की दूरी पर जा सकें।

इसके अतिरिक्त न्यायालय के बारे में कुछ और बात कहना चाहता हूं। सस्ता न्याय दिलाने के लिए और भी क्या कदम उठा सकते हैं इस पर भी शासन को विचार करना चाहिए। अभी जो एक आयोग बना था और उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बैंच को जगह-जगह बनाने के लिए उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश नहीं की। जिस समय यह आयोग बना था उसी समय निर्देश दिया जाना चाहिए था कि अधिक से अधिक 1 महीने के अंदर वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन काफी लम्बा समय बीत गया है अभी तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। मेरे ख्याल से कम से कम 6 महीने बीत गये होंगे।

श्री मूल चन्द डागा : जब सरकारी संस्था द्वारा जांच की जा रही है, तो वह यहां क्यों आए हैं ? तथापि यह बता रहे हैं कि एक आयोग की स्थापना की जा रही है। अब, वह यहां पुनः आ रहे हैं। आयोग का कार्य पूरा होने दें।

श्री हरिकेश बहादुर : यद्यपि, मैं यह कहूंगा कि किसी आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रशासनिक निर्णय के आधार पर यह किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब उन्होंने अपने उपयुक्त विचार दे दिए हैं, तो आयोग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कह रहा था कि न्याय को और अधिक सस्ता बनाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि सरकार गरीब लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था करे। जब गरीब आदमी न्यायालय में जाता है, जिस प्रकार से वहां उसका शोषण होता है, मैं समझता हूं कि उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी तो स्वय एक वरिष्ठ वकील भी रह चुके है और न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और उन्हें दोनों प्रकार से मालूम है कि किस तरह से गरीब का शोषण वहां होता है। इसलिए सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीबों को सस्ता न्याय मिल सके।

जहां तक आज की न्यायपालिका का सवाल है, तरह-तरह के दोष उसमें आ गये हैं। लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें न तो न्याय जल्दी मिल पाता है, न सस्ता मिल पाता है और साथ ही कभी-कभी तो यह भी महसूस किया जाता है कि वास्तविक न्याय भी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की स्थिति जब हमारे न्यायालयों की बनती जा रही है तो इसी एक व्यापक सुधार की आवश्यकता है और उसके बारे में सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए।

तमाम तरह के संवैधानिक परिवर्तन की बात की जाती है, यहां भी संविधान में तरह-तरह के संशोधन किये जाते हैं लेकिन सभी संशोधन केवल इसीलिए किये जाते हैं कि हमारी सत्ता कैसे बनी रहे, सत्ता की कुर्सी पर हम कैसे बैठे रहें। इस बात पर बहुत कम विचार किया जाता है कि संविधान में ऐसे भी संशोधन किये जायें जिससे आम जनता को लाभ हो। इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी संशोधनों का उद्देश्य केवल यही है।

श्री हरिकेश बहादुर : अधिकतर संशोधन केवल सत्ता (शक्ति) बनाए रखने के लिए ही हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ संशोधन सामान्य लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किये जाने चाहिए, जिसे सरकार बिल्कुल नहीं चाहती।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद ने इस बारे में क्या मत प्रकट किया है।

श्री हरिकेश बहादुर : हम सभी संशोधनों के लिए सहमत नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं जब यहां सरकार के पास बुलडोजर जैसा बहुमत (अत्यधिक पूर्ण) प्राप्त हो।

इसलिए अगर आप किसी अवसर पर कोई आवश्यकता समझें कि संविधान में संशोधन करके हम गरीबों को सस्ता और सही न्याय दिला सकते हैं तो उसके संबंध में भी आपको कदम उठाना चाहिए। कम-से-कम इस बात पर तो माननीय मंत्री जी को विचार करने में अधिक समय लेना ही नहीं चाहिए और जो इस विधेयक में हाई कोर्ट की बेंच बनाने की बात कही गई है, उसको तत्काल कार्यान्वित कर देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो यह नहीं कहेंगे कि सरकार की तरफ से इसके संबंध में कोई और विधेयक लाया जायेगा, बल्कि यह कहेंगे कि इस विधेयक को हम स्वीकार करते हैं और अति शीघ्र इस विधेयक की मंशा को कार्यान्वित करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री हरीश रावत के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल अच्छी सभ्यता चली है कि पुण्य की आड़ में पाप किया जा सकता है और धर्म की आड़ में अधर्म किया जा सकता है और गरीबों के नाम पर धनवान लाभ उठा सकते हैं।

कहीं बेचारे गरीब आदमी को क्या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत होती है? आज हाई कोर्ट में गरीब कहां जाता है, वहां तो बड़े-बड़े वकीलों की लड़ाई होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको फीड कर दिया कि वहां कहो कि बैंच बनाया जाये, एक मेरठ में मांग कर रहे हैं और दूसरे गोरखपुर में मांग कर रहे हैं।

गरीब तो सैशन कोर्ट और सिविल कोर्ट तक ही जाता है। हाई कोर्ट तो लॉ के मामले में देखता है, हर बात को लेकर हाई कोर्ट में नहीं जाया जाता। क्या हर जगह हाई कोर्ट खोल देने से लोगों को फायदा हो जायेगा?

आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसने कहा है कि इस प्रकार से हाई कोर्ट नहीं खोलने चाहिए। अगर यह कोर्ट खोले गये तो न्याय तो गड़बड़ में गया ही। आपको इस पर सोचना चाहिए।

> "यह कहा गया है कि आज के भारत में न्याय को मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति के नजदीक ले जाया जाना चाहिए और इसलिए मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय जाने के लिए इतनी लंबी दूरी चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।"

> "अपील की सुनवाई के समय मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति का होना वास्तव में आवश्यक नहीं है। उसे साक्ष्य देने के लिए अथवा अपनी उपस्थिति से किसी भी प्रकार न्यायालय को मदद देने के लिए नहीं बुलाया जाता है।"

माननीय सदस्य हाई कोर्ट की बैंच की मांग करते हुए गरीबों का नाम क्यों लेते हैं। वे दौलतमंद वकीलों का नाम क्यों नहीं लेते हैं ? वकील ऐसा चाहते हैं और माननीय सदस्य यहां पर उसके लिए लड़ रहे हैं। इन वकीलों ने माननीय सदस्यों को लड़ा दिया है।

लॉ कमीशन ने इस बारे में कहा है :

"हमारी यह राय है इस प्रश्न पर कि क्या सम्पूर्ण उच्च न्यायालय एक स्थान पर ही अपना कार्य करें अथवा विभिन्न स्थानों पर पीठों के रूप में बैठे, न्याय देने के दृष्टिकोण से एकाकी रूप से विचार किया जाना है--- सभी राजनीतिक तथा संवेदनात्मक विचारों को, जहां तक सम्भव हो, अलग रखना है। हमारी दृढ़ राय है कि न्याय देने के उच्चतम स्तरों को बनाए रखने तथा उच्च न्यायालयों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्य के स्वरूप तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय को समग्र रूप से तथा राज्य में केवल एक ही स्थान पर कार्य करना चाहिए।"

हमने अपनी स्टेट में देखा है कि जोधपुर और जयपुर की बैंचें अलग-अलग फैसले देती हैं। (**व्यवधान**) इस संकल्प को मूव करने वाले माननीय सदस्य तो बाहर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी सीरियसनैस महसूस नहीं की, लेकिन ये दूसरे वकील खड़े हो गए हैं।

अगर हाई कोर्ट की बैंचिज जगह-जगह पर होंगी, तो लीगल लुमिनरीज, अच्छे वकील, हर जगह नहीं मिलेंगे। ये तो वकीलों के तरीके हैं। हाई कोर्ट में केसिज कौन लड़ता है ? नाम गरीबों का लिया जा रहा है, ताकि लॉ मिनिस्टर को यह बात अपील करे कि गरीबों की रक्षा के लिए अलग-अलग बैंचिज की मांग की जा रही है। गरीबों के लिए लीगल एण्ड टु दि पुअर की योजना पहले ही लागू कर दी गई है। माननीय सदस्य अपनी स्टेट्स में कहें कि कोर्ट फीस माफ कर दी जाए। यह एक स्टेट सबजेक्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी, तो केन्द्रीय सरकार मना नहीं करेगी। अगर कोर्ट फीस न ली जाए, तो न्याय अपने-आप सस्ता हो जाएगा। सैंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार कहा है कि स्टेट्स को कोर्ट फीस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट फीस नहीं होगी, तो स्टेट्स का खर्च भी नहीं चलेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : स्टेट्स को काम्पेन्सेट करना चाहिए। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की सिन्सेरिटी का पता चलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : "दो परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए गए हैं। एक वक्तव्य यह दिया गया है कि न्यायालयों की फीस की छूट दी जानी चाहिए। दूसरा वक्तव्य यह है कि इसकी केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।"

माननीय सदस्य अगर सस्ता न्याय चाहते हैं, तो उन्हें राज्य सरकारों से कहना चाहिए। हाई कोर्ट को एक जगह रखने का एक बहुत बड़ा परपज यह है कि अच्छे जजमेंट मिलेंगे। लीगल

ल्यूमिनरीज, जो बड़े-बड़े वकील हैं वह एक जगह रहेंगे, नहीं तो न्याय प्रणाली में और गिरावट आएगी। आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग ब्रांचेज कर दीजिए··· (**व्यवधान**)···यह खुला दरबार है, यहां कहने को मना कौन करेगा ?··· (**व्यवधान**)···खूब कहिए, जोरों से कहिए, कौन मना करता है। कहिए कि एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, एक नार्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में होनी चाहिए, बड़ा अच्छा है, कहिए और डंके की चोट पर कहिए। आपका अधिकार है कहने का। लेकिन हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक रहनी चाहिए और एक स्टेट में हाई कोर्ट एक रहनी चाहिए। उससे ज्यादा लाभ होता है। मैंने लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आपको बतायी। उन्होंने भी कहा है कि एक जगह कोर्ट रहने से फायदा होता है।

> "यदि उच्च न्यायालय पीठों में कार्य करता है तो मुख्य न्यायाधीश के लिए पीठों के कार्यकरण तथा अपने साथियों, जो पीठों का गठन करेंगे, के कार्यों पर उपयुक्त प्रशासनिक नियंत्रण रखना, यदि असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य होगा।"

> "उच्च न्यायालय बार उनके न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होकर, महत्वपूर्ण मामलों में बहस करके तथा उच्चतम स्तर पर कानून के बारे में अंतिम रूप से निर्माण लेने में न्यायालय की सहायता करके उचित प्रतिष्ठा ग्रहण करती है।"

मैंने इसमें अमेंडमेंट क्या दिया है ? मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि जनता की राय जान लीजिए। जनता से आप यह पूछिए। यह बहुत लम्बा-चौड़ा प्रदेश है यू० पी० का। एक हिस्सा मेरठ में होगा, एक बरेली में होगा एक और कहीं होगा तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। हाई कोर्ट की बैंच जगह-जगह नहीं होनी चाहिए। यह अच्छा नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि हाई कोर्ट्स जितने हैं उनमें जजेज की संख्या बढ़ा दीजिए। जजेज ज्यादा होने चाहिए। और जजेज का अप्वाइंटमेंट कीजिए, उनकी तनख्वाह में वृद्धि कीजिए ताकि वहां लोग जल्दी न्याय पा सकें। यह काम होना चाहिए। लेकिन जगह-जगह हाई कोर्ट की बैंचेज खोलना चाहते हैं तो यू० पी० जैसे प्रदेश के अन्दर इसको सर्कलेट कीजिए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए। जो आप गरीबों का नाम ले रहे हैं, गरीबी की आड़ में शिकार खेल रहे हैं, तो उन गरीबों से पूछ लीजिए। मेरा तो कहना है कि आप ऐसा केस बनाइए कि फैक्ट्स के ऊपर केसेज हाई कोर्ट में बिलकुल न जाएं और भी छोटी-छोटी बातों के लिए हाई कोर्ट में केसेज नहीं जाने चाहिए। सेशन कोर्ट से ही उनका फैसला हो जाना चाहिए। केवल लॉ प्वाइंट्स पर ही केस हाई कोर्ट में जाना चाहिए। यह मेरी राय है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हरीश रावत जी का यह जो बिल है—बिल टु प्रोवाइड फार दि एस्टैब्लिशमेंट आफ ए परमानेंट बैंच आफ दि हाई कोर्ट ऐट इलाहाबाद, एट बरेली—उसका मैं समर्थन करता हूं। डागा जी को जानकारी प्राप्त करने में शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है। आपकी और सदन की जानकारी में लाने के लिए मैं बताना

चाहूंगा कि 25 वर्ष से निरन्तर यह मांग उत्तर प्रदेश में होती रही है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में उच्च न्यायालय के एक खण्ड पीठ की स्थापना हो। माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार ने प्रस्ताव पास किया और केन्द्र सरकार के समक्ष भेजा। लेकिन केन्द्र सरकार निर्णय देने में उस समय भी अक्षम रही। यह नहीं, माननीय नारायण दत्त तिवारी जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उनकी सरकार ने भी ऐसी एक सिफारिश की कि यह न्यायोचित है और इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। बाबू राम नरेश यादव की सरकार में यह बात आई और जो हमारे तत्कालीन लॉ मिनिस्टर थे केन्द्र में श्री शान्ति भूषण जी, उन्होंने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में राय मांगी।

4.00 म० प०

और राज्य सरकार की राय भी आई। जब बनारसी दास जी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश भेजी थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मंत्री थे तब —डागा जी जरा सुन लें —सम्पूर्ण विधान सभा ने एकमत होकर प्रस्ताव पास करके भेजा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जाए।

इसकी स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है और क्यों होनी चाहिए —इस सम्बन्ध में मैं कुछ तर्क उपस्थित करना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि इधर के जो 20-21 जिले हैं इनकी आबादी भी बहुत है और यदि दूरी के हिसाब से देखें तो कहीं से भी इलाहाबाद तक की दूरी 500 किलोमीटर से कम नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आगरे से चल के 600 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद पहुंचता है तो वहां पर वह ऐसे आदमियों के हाथ में पड़ता है जिनकी उसे कोई जानकारी नहीं है, वहां के लोग ही उसको बताते हैं कि यहां के यह बड़े वकील हैं। एक तरफ तो आप सस्ते और सुलभ न्याय की बात करते हैं। पहले पंचायतों में ही बहुत से झगड़े तय कर लिए जाया करते थे।

एक बात और भी है। हम लोग रोजाना डकैतों की बात सुनते रहते हैं। उनके डकैत बनने के पीछे भी एक विशेष कारण होता है। उनको सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलता है। वे कोई बड़े आदमी होते नहीं हैं। अगर जमीन के झगड़े पर मर्डर हो गया या किसी बड़े आदमी ने उनको किसी केस में फंसा दिया तो इलाहाबाद तक पहुंच पाना उनके लिए सम्भव नहीं होता है क्योंकि बीस, तीस हजार वह खर्च कर नहीं सकते हैं इसलिए ऐसे लोग राइफल उठाकर अपने को बागी घोषित कर देते हैं। सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है लेकिन मलखान सिंह और पुतली बाई जैसे रोज ही पैदा होते रहते हैं। यदि आप देखें तो इनमें से पहले कोई भी चोर नहीं था, जमीन पानी के झगड़ों ने ही इनको बागी बना दिया। सेशन कोर्ट तक तो पहुंच सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट तक नहीं जा पाते, इसलिए वे अपने-आप निर्णय कर लेते हैं।

एक प्रश्न यह भी है कि न्याय का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साइज और आबादी को देखते हुए तो वहां पर न्याय का विकेन्द्रीयकरण और भी आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ की आबादी है जो दुनिया में सातवें मुल्क के नम्बर पर आ सकता है। आप राजस्थान की बात कर सकते हैं, वहां भी जोधपुर में हाई कोर्ट है और जयपुर में बेंच है—डागा जी ने उल्टा कह दिया था। उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ लखनऊ में है।···(व्यवधान)···हमारे यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 लाख 33 हजार से अधिक मुकदमे चल रहे हैं—यह अप्रैल की फीगर्स हैं और अब अगस्त का महीना समाप्त होने वाला है। एक न्यायाधीश के पास प्रति वर्ष 1300 मुकदमे आते हैं उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में, लेकिन अन्य प्रदेशों में देखें तो 650 से अधिक मुकदमे उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के पास नहीं जाते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दुगुने मुकदमे एक न्यायाधीश के पास आते हैं। नतीजा यह होता है कि बरसों गुजर जाते हैं किसी केस का निर्णय नहीं हो पाता है। मेरे खयाल से इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 52 हजार मुकदमे आगरा मण्डल के ही पेंडिंग पड़े होंगे। आगरा, अलीगढ़, ऐटा, मैनपुरी—आप कहेंगे कि यह तो अपराधी क्षेत्र हैं। ऐसे क्षत्रों में अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है, तो वहां न्यायालय बनाने की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन सम्पन्न लोगों के लिए अदालत बनाने की बात सोची जा रही है। मैं जानता हूं आज की स्थिति में न्याय गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके पीछे इन्टरैस्ट किन लोगों का है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। इलाहाबाद में सम्पन्न वकील हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन यह कहना जहां वकील उपलब्ध नहीं होंगे, वहां मुश्किल हो जाएगी, यह बात उचित नहीं है। वहां का 'बार' जिसका केन्द्रीय राजनीति पर प्रभाव होता है, उनकी बात मानने के लिए केन्द्र मजबूर हो जाता है। वहां विधान सभा के सदस्य मांग करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जाए, लेकिन इसके विरुद्ध "बार" में एक प्रस्ताव पास किया जाता है। जस्टिस चन्द्रशेखर ने अपने निर्णय में यह राय दी है कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। आपने कहा कि विधि आयोग की बात महत्वहीन होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्वत पर रहने वाले लोग, जहां अपराध ज्यादा होते हैं, जहां मुश्किल से इन्सान रह पाता है, उन क्षेत्रों में न्याय कैसे प्राप्त होगा।

मान्यवर, खण्डपीठ की स्थापना करना कोई नई बात नहीं है। गोवा में बम्बई हाई कोर्ट की खण्डपीठ है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इन्दौर और जबलपुर की उच्च न्यायालय की खण्डपीठ है। इसी प्रकार राजस्थान में जयपुर में जोधपुर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ है। केरल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अपने उच्च न्यायालय हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लखनऊ में जब मुख्य न्यायालय था तो अवध के लोगों को न्याय मिलता था, लेकिन जब वह उच्च न्यायालय के साथ आया तो खण्डपीठ की स्थापना की गई।

मैं आपको खण्डपीठ की स्थापना के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। गढ़वाल, मुरादाबाद डिवीजन में ऐसा स्थान जहां पर सारी सुविधायें उपलब्ध हों और वह स्थान मेरी दृष्टि में आगरा है, इसलिए आगरा में खण्डपीठ की स्थापना की जानी चाहिए। यह बात ठीक है कि आप आयोग

की सिफारिशों पर विचार करेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि गढ़वाल, मुरादाबाद डिवीजन में वह स्थान जहां पर सब सुविधायें हों, सारे लोगों को सहूलियतें प्राप्त हों, ऐसी जगह पर खण्ड-पीठ की स्थापना होनी चाहिए। मैं आप पर यह दबाव नहीं डालता हूं कि आप आगरे में खोलें, क्योंकि मैं आगरे से आता हूं। आगरे की बात में वजन है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी वहां मुख्य न्यायालय था। यदि आगरा में हो जाये तो यह कोई नई बात नहीं होगी, इसलिये कि आगरा हर दृष्टि से उपयुक्त और सही स्थान है।

अब मैं कुछ शब्द आयोग के बारे में कहना चाहूंगा। जसवंत सिंह आयोग को जुलाई, 1983 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। यह आयोग सभी क्षेत्रों का दौरा करके आया था और अखबारों में ऐसी चर्चा भी आई थी कि वह अपनी रिपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन उसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई। ऐसा क्यों किया गया ? इसके पीछे एक राजनीतिक मुद्दा था—कांग्रेस सरकार चाहती थी कि चुनावों के नजदीक ऐसी घोषणा हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ होने जा रहा है। श्री इन्दिरा गांधी की सरकार यह चाहती है कि उस समय हम ऐसा आश्वासन दें कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना करने जा रहे हैं। लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि चुनाव हो जाने के बाद मामला टल जायेगा। 1977 और 1980 के इनके चुनाव घोषणा पत्रों को पढ़ लीजिये। मैं श्री मूल चन्द जी डागा से कहूंगा कि वह उन चुनाव घोषणा पत्रों को पढ़ें उनमें इस बात का उल्लेख है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना की जायेगी। मैं पुनः जोरदार शब्दों में इस बात को कहना चाहूंगा—आप एक बहुत बड़ी आबादी से, 21 जिलों के लोगों की भावनाओं से, खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इसको चुनावी मुद्दा न बनायें। यह आज की मांग नहीं है बहुत पुरानी मांग है। आपने वक्त के साथ अनेक संविधान-संशोधन किये हैं, हो सकता है उस वक्त इसकी जरूरत न दिखाई दी हो, लेकिन आज इसकी जरूरत है कि वहां खंडपीठ की स्थापना की जाये।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं—उत्तर प्रदेश में एक के बजाय यदि दो खंडपीठों की स्थापना की जाये तो वह अनुचित नहीं होगा, क्योंकि जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका लक्ष्य है वह यह है कि सब लोगों को समानता के हिसाब से सही अवसर पर, सही समय पर, घर के नजदीक न्याय उपलब्ध हो। मैं ज्यादा कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाऊंगा। चटर्जी साहब कानून के पंडित हैं और वे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच बनायें जाने जाने के संबंध में अपनी राय देने को उत्सुक हैं। मैं जानता हूं यह बिल जरूर गिरेगा, लेकिन मैं रावत जी के इस बिल का जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुए कहूंगा कि आगरा में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की जाये।

***श्री ए० जी० सुब्बुरमण (मदुरै)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री हरीश

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

रावत के बरेली में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करने की मांग से संबंधित विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

मद्रास उच्च न्यायालय मद्रास में स्थित है जो कि राज्य के एक कोने में है। कन्याकुमारी की जनता यदि न्याय प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें लगभग 500 मील की यात्रा करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्हें भारी व्यय भी वहन करना पड़ता है। हमारी सरकार का उद्देश्य गरीब आदमियों को उनके घर के नजदीक न्याय सुलभ कराना है जिसमें उनका खर्च कम हो। यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करना है तो यह बहुत ही जरूरी है कि मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए। दक्षिणी जिलों के अधिकांश विख्यात न्यायविद मद्रास में वकालत करते हैं। हाल ही में जसवन्त आयोग ने मदुरै, तिरुनेलवेल्ली, कन्याकुमारी, कोदाईकनाल, तिरुचिरापल्ली तथा कोयम्बतूर का दौरा किया था। इन सभी स्थानों में उन्होंने स्थानीय लोगों का साक्ष्य लिया। तमिलनाडु की 5 करोड़ जनता में से लगभग 2.5 करोड़ जनता चार दक्षिणी जिलों में रहती है। उनके प्रतिनिधियों, स्थानीय विधायकों तथा संसतसदस्यों ने जसवन्त सिंह आयोग के समक्ष अपना साक्ष्य दिया। मुझे आयोग के समक्ष उपस्थित होने का अवसर मिला था। मुझे आशा है कि इस आयोग ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किये जाने की अनिवार्यता का अनुमान लगाया होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जसवन्त आयोग शीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तब भी इस प्रतिवेदन का इंतजार किए बिना विधि मंत्री को मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के आदेश दे देने चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय की इस पीठ को एक महीने के अंदर मदुरै में कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। न्याय में देरी न्याय से इंकार है। हम सामान्य आदमी को मुफ्त कानूनी सहायता की बात कर रहे हैं। इसके लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। समस्त राष्ट्र को मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के अंतर्गत लाने में एक लंबा समय लगेगा। लेकिन सरकार उच्च न्यायालय में मामलों को शीघ्र निपटान को सुनिश्चित कर सकती है। न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों के जमाव को भी कम किया जाना चाहिए। यह सब लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया जाए। राज्यों के दूसरे भागों में भी उच्च न्यायालयों की पीठ होनी चाहिए। मैं मुदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता को दोहराऊंगा।

महोदय, मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि दक्षिणी राज्यों के वकील तथा न्यायविद् नई दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर रहे हैं। मुझे दक्षिणी राज्यों के लोगों द्वारा तय की जाने वाली दूरी का विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें काफी समय तथा काफी धन खर्च करना पड़ता है। उन्हें जलवायु की चरम-सीमाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें दिल्ली में भाषा की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। पुनः मुझे यह कहना है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होने से देश की सामान्य जनता के लिए न्याय महंगा हो जाता है तथा न्याय में देरी होती है। मुझे यह मांग करने का अवसर मिला है कि उच्चतम न्यायालय की एक पीठ मद्रास में स्थापित की जानी चाहिए जिससे दक्षिणी राज्यों की जनता के लिए न्याय की शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी। जैसा कि हमारी माननीय

प्रधानमंत्री ने स्वयं देश के सामान्य आदमी की आशाओं तथा आकांक्षाओं को आत्मसात् किया है और जैसा कि हमारी सरकार जन कल्याण के लिए वचनबद्ध है, मैं यह मांग करता हूं कि मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ शीघ्र स्थापित की जाए और उच्चतम न्यायालय की एक पीठ मद्रास में स्थापित की जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में न्यायपीठ की स्थापना से संबंधित है। परंतु मैं अपने मित्र को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इससे न्यायपीठों की स्थापना के सिद्धांतों पर विचार-विमर्श का सुअवसर मिलेगा।

महोदय, हमारे जैसे विशाल देश में, निस्सन्देह तथा दुर्भाग्यवश, अधिकतर लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जब उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायपीठों की मांग की जाती है तो यह केवल अतिराष्ट्रीयता अथवा क्षेत्रीयता का प्रश्न नहीं होता। महोदय, उच्च न्यायालय के न्यायपीठ की मांग अथवा उच्च न्यायालय में एक से अधिक न्यायपीठ होने चाहिए अथवा नहीं। इसके निर्णय का क्या सिद्धांत होना चाहिए ? इसके लिए कोई सिद्धांत होने चाहिए। यह केवल ऐतिहासिक भौगोलिक अथवा तदर्थ नहीं हो सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के 37 वर्षों बाद, यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के इन चार दशकों में सामान्य लोगों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए बहुत से कानून नहीं बनाए गए, अपितु वह अधिकार जो छीने नहीं गए उन अधिकारों को देने का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। जब हम सस्ते न्याय की बात कहते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि न्याय सस्ता है। इसका अर्थ यह है कि न्याय प्राप्त करने के लिए किसी को धन न लगाना पड़े जो कि वह नहीं लगा सकता। अब, आप किन मापदंडों के अनुसार कम खर्च करके वह राहत प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है ? परंतु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आपको सही स्थान पर पहुंचना है।

महोदय, मैं मंत्रालय से संबंधित परामर्शदात्री समिति का सदस्य होने के नाते, जिसकी अध्यक्षता चंडीगढ़ से हमारे माननीय मित्र कर रहे हैं, इस प्रश्न को वचनबद्धता के मामले के रूप में उठाता रहा हूं; मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। यह कहना तो अच्छा लगता है कि हमने दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के लिए एक बहुत अच्छा भवन, जो कि अब अपर्याप्त साबित हो रहा है अच्छे-अच्छे बाग, बगीचे, मूर्तियां आदि सजाकर प्रदान किया। यहां वकीलों के कक्ष, वातानुकूलित कमरे आदि हैं। परंतु मद्रास से अथवा मेरे राज्य से, केरल अथवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि से आने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए। यह कोई चर्चा शुरू करके उसका श्रेय प्राप्त करने के प्रयास का प्रश्न नहीं है। जिन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्या किसी व्यक्ति को उनमें संशय है। चंडीगढ़ के अवकाश प्राप्त माननीय सदस्य उस समय के अपने अमीर मुवक्किलों के बारे में सोच सकते हैं, जब वह अदालत में थे, परंतु सभी वादकारी धनी नहीं होते। कृपया मद्रास से दिल्ली आने वाले अपने निर्वाचक के बारे में सोचिए। वह कहां ठहरेगा ? रेलवे खर्च के अतिरिक्त, आप उसे अपने यहां रहने को स्थान नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अपने निवास स्थान पर ठहरने के लिए कहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परंतु आप उन्हें असीमित स्थान नहीं प्रदान कर सकते । प्रश्न यह है : कि जब वह दिल्ली आएंगे तो वकील के खर्चे, कागज पत्र तैयार करने आदि के खर्चों के अतिरिक्त, वह रहेंगे कहां ? प्रो० रंगा, क्या उन्हें पेश आने वाली इन कठिनाइयों को बताने और महसूस करने के लिए किसी भाषण की आवश्यकता है ?

मेरे पास विशेषाधिकार है—और मैं समाज के कमजोर वर्गों, उपेक्षित लोगों और श्रमिकों के लिए सामने आने को विशेषाधिकार समझता हूं । वह हमारे पास आते हैं, मैं कोई श्रेय लेने का प्रयास नहीं कर रहा, परंतु अनेक अवसरों पर हमें उनके रेल के किराये, रहने के स्थान आदि का भी प्रबंध करना पड़ता है । हममें ऐसे लोग हैं, जो इन सबमें योगदान देते हैं । परंतु क्या न्याय प्राप्त करने का यह तरीका है, क्योंकि संयोग से उनकी किसी विशेष वकील अथवा किसी अन्य व्यक्ति से जान-पहचान है जो दिल्ली आने पर उन्हें कुछ सहायता दे सकता है ? यह न सोचें कि वह मुकदमा शुरू के लिए दिल्ली आते हैं । अनेक अवसरों पर, उन्हें अपने विरुद्ध मामलों में प्रतिवाद करना पड़ता है; उन्हें यहां लाया जाता है । मैं नहीं जानता कि माननीय विधि मंत्री जी के पास इस बारे में कोई आंकड़े हैं कि न्यायाधिकरणों के कितने पंचाट अथवा कर्मचारियों के बारे में श्रम अदालतों के निर्णय के कितने मामलों को चुनौती दी गई है और वह उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े हैं । उन्हें इन मामलों में घसीटा जाता है, यदि यहां वह जीत जाते हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाता है । धारा 136 है; यहां बहुत-सी और कार्यविधियां हैं । यह केवल ठहरने अथवा खर्चे का ही प्रश्न नहीं है, यह उन लोगों के प्रति न्याय करने का प्रयास करने का प्रश्न है, जिन्हें न्याय की अधिक आवश्यकता है ।

जब हम स्वतंत्र हुए, तो राज्य बनाए गए । मैं नहीं जानता कि हमारे राज्यों की सीमाओं में क्या विशेष आकर्षण है । कम से कम न्याय के काम के बंटवारे के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय की व्यवहार्य सीमाएं क्यों नहीं बनाई जा सकतीं ? यहां किसी प्रकार की समस्या अथवा विचार-विमर्श का प्रश्न नहीं है; मैं ऐसी कोई समस्या नहीं उठाना चाहता । इस मामले में राज्य पुनर्गठन आयोग को लाने की आवश्यकता नहीं है ? केरल राज्य में 14 जिले हैं । इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश में 58 जिले हैं । जबकि उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय तथा एक न्यायपीठ है, केरल में भी एक उच्च न्यायालय है । इसका क्या आधार है ? क्या यह जनसंख्या के आधार पर है ? क्या यह क्षेत्र के आधार पर है ? आपने किस प्रकार यह निर्णय लिया ?

मैं सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए । जब हम उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रण न्यायपीठ के बारे में कहते हैं तो हमारा उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की महत्ता को कम करना नहीं होता, यह गलत है । विधि आयोग की सिफारिशें भी हैं । कृपया देखें, कि जब भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, तो पहले इसका विरोध किसने किया । अदालत में अभ्यास (कार्य) करने वाले वकील इसका विरोध करते हैं और दुर्भाग्यवश न्यायाधीश भी इसका विरोध करते हैं । क्यों ? मुझे यह बहुत खेद से कहना पड़ता है, इसका स्पष्ट कारण है—वकीलों के निहित स्वार्थ हैं स्वाभाविक रूप से, यदि दूसरी अदालत बनेगी, तो काम बंट जाएगा और उस न्यायपीठ में दूसरे वकील आएंगे । इसलिए, कोई भी

वकील अपने उच्च न्यायालय में, जहां वह काम करता है, काम में कमी करने के लिए नहीं कहेगा। यहां केवल निहित स्वार्थ हैं और निहित स्वार्थों के आधार पर, वह हमेशा इसका विरोध करते हैं। महोदय, आपको अवश्य याद होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा परीक्षण के तौर पर एक प्रस्ताव किया गया था। मैं जानता हूं कि मैं लोकप्रिय नहीं रहूंगा, तथापि बाहर कुछ भी नहीं बताया गया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह केवल निहित स्वार्थों के लिए नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया कि बहुत ही छोटे-छोटे मामलों पर खुले अदालत में तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, उन पर न्यायाधीश कक्ष में निर्णय किया जा सकता है, तो इसका काफी विरोध किया गया तथा इस पर जबरदस्त आपत्ति की गई। अदालत ने इस निर्णय को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास किया कि इससे वादकारियों तथा वकीलों के अधिकार छिन्न हो जाते हैं। कड़े शब्दों में यह रुपये पैसे का प्रश्न है क्योंकि इससे वकीलों की संख्या, उपस्थिति फीस आदि में कमी आ जाएगी। परंतु महोदय, मैं नहीं समझता कि माननीय न्यायाधीशों ने अदालतों का स्थान बदलने का विरोध क्यों किया। जहां भी वे जाएंगे, उन्हें जहां तक संभव हो अपना कार्य सच्चाई तथा ईमानदारी से करना है। यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कलकत्ता अथवा बंगलौर अदालत में जाए, तो क्या वह सोचता है कि उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी आ रही है। मैं नहीं जानता। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही रहता है।

महोदय, आप यहां सुंदर बंगले देते हैं। जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा कि अगरतला तथा त्रिपुरा में कोई नहीं जाना चाहता, वहां कोई अच्छी आवासीय सुविधा नहीं है। अगरतला में केवल तीन कमरों का बंगला है। मुझे खेद है। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। यह कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश का न्यायाधीशों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। क्या न्यायाधीश नियंत्रित घोड़ों के समान हैं कि मुख्य न्यायाधीश को लगाम कसी रखनी पड़ती है ?

मुझे ऐसा एक भी कारण नहीं मिला जो ठीक लगे अथवा जो लोगों के विचारों का दमन करे, जो कि अदालत में न्याय प्राप्ति के लिए जाते हैं। महोदय, इसमें विकल्प होना चाहिए। क्या अदालतें वादकारियों के लिए हैं अथवा वादकारी अदालतों के लिए हैं ? हमें यह सोचना है। एक न एक दिन इसका निर्णय करना होगा। यदि अदालत वादकारियों की सेवा के लिए है, तो मुख्य रूप से वादकारियों को सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि अदालतें वादकारियों के लिए हैं तो कम से कम स्थान के अनुसार आपको अदालतों को अधिक सुगम्य बनाना होगा। हमारी न्याय प्रणाली में बहुत कमियां हैं। पर्याप्त कानून नहीं है और प्रक्रिया ऐसी है कि विलंब होता है और मामलों के निपटान में विलंब में महत्त्वपूर्ण योगदान वकीलों का है। कुशल न्यायाधीश यहां हमेशा नहीं होते। यहां ऐसे कानून हैं जो लाभकारी हैं परंतु ऐसे भी अनेक कानून हैं जो अधिकारों को सीमित करते हैं। यहां अधिकतम सामाजिक तनाव है। इस देश में मुट्ठी भर लोग जो आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, अदालत में जा सकते हैं। यही कारण है कि भारत के वित्त मंत्री

का अनुमान है कि 5000 करोड़ रुपये के कर अदालत की निषेधाज्ञा के कारण रुके हुए हैं। हमारे राज्य के वित्त मंत्री भी कहते हैं कि निषेधाज्ञा के कारण लगभग 50 करोड़ रुपये रुके हुए हैं। अब, आप इस मुकदमेबाजी को रोकने में असमर्थ हैं।

दुर्भाग्य से इस प्रणाली की खामी का धनी व्यक्तियों तथा समाज के समृद्ध वर्गों द्वारा लाभ उठाया जाता है। एक धनी व्यक्ति मदों का भुगतान बंद करने या तिथि बढ़वाने के लिए जाता है और एक गरीब व्यक्ति अपनी नौकरी को बचाने के लिए या रोटी कमाने के लिए वहां जाता है। दोनों के दृष्टिकोण में यही उत्तर है। अतः न्यायालय इन दोनों में से किसके लिए है? बिड़ला समान एक धनी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 20 वकीलों को नियुक्त कर सकता है जो कलकत्ता या बंबई से विमान द्वारा लाये जा सकते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति यहां एक भी वकील नहीं कर सकता है। मैंने एक व्यवसाय चुना है और मैं अब भी उसी व्यवसाय में हूं। मैंने करीबन तीन दशक इस व्यवसाय में व्यतीत किये हैं यह एक व्यवसाय है। दुर्भाग्य से हम वकीलों की अपेक्षा ज्यादा व्यावसायिक हैं। यही हमारी कठिनाई है। इस प्रणाली में यही सबसे बड़ी त्रुटि है जो प्रकट हो गई है। यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण सदैव प्रस्तुत किया जाता रहा तो इन बातों का समाधान नहीं होगा।

मैं विधि मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मांग के महत्त्व, वास्तविकता तथा औचित्य पर विचार किया जाए। मैं जानता हूं कि एक स्पष्ट उत्तर यह है : "वित्त मंत्री महोदय के पास जाइये और मेरे लिए कुछ पैसा लाइये। अन्यथा मैं यह कार्य कैसे कर सकता हूं? मुझे न्यायाधीशों, भवनों आदि की संख्या बढ़ानी है।" आप एक वर्ष में दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए 68 करोड़ रु० व्यय कर रहे हैं ताकि आप अपने तथा अपने नेताओं के विचार प्रस्तुत कर सकें। प्रतिदिन यह किया जाता है। आज जो दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है वह 101वां या 102वां केन्द्र है। मंत्री महोदय उनका उद्घाटन करने के लिए वहां जा रहे हैं। दूरदर्शन पर बहुत-सी अच्छी फिल्में आ रही हैं। मैं नहीं जानता कि क्या प्रो० रंगा को इनमें से किसी अवसर पर निमंत्रित किया गया था या नहीं।

इसलिए आपको अपनी प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय करना है, और यही हम कर रहे हैं। आप पीने के पानी को उपलब्ध नहीं करा सकते लेकिन आप धनी लोगों को राज सहायता दे सकते हैं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : स्वस्थ मनोरंजन देना तो समाजवादी कार्यक्रम है, उसका आपको समर्थन करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मनोरंजन के बारे में आपका विचार मेरे विचार से भिन्न है। आपका विचार तो किसी स्त्री के चित्र को देखने का है परंतु मेरा विचार ऐसा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : स्वस्थ मनोरंजन के लिए मंत्रियों को कहिए कि यहां पर भाषण करें, टेलीविजन की क्या जरूरत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । उस क्षेत्र के कुछ निर्धन लोगों के लिए जहां इन न्यायालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है अर्थात् जहां इस न्यायपीठ की स्थापना करने की आवश्यकता है वहां यह सुविधा मिलनी चाहिए । पश्चिम बंगाल में हम यही कहते आ रहे हैं : उत्तर बंगाल में न्यायपीठ के लिए मांग की गई है । हम चाहते हैं कि कम से कम पूर्वी भारत के लिए उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना की जानी चाहिए । यह क्षेत्रीय आधार पर होनी चाहिए। इससे न्यायिक प्रणाली का विघटन नहीं होगा । दूसरी तरफ लोगों का न्यायिक प्रणाली में अधिक विश्वास होगा क्योंकि वे जानते हैं कि बहुत से लोग जो न्याय पाने के दिल्ली नहीं आ सकते या उस स्थान पर जहां वर्तमान उच्च न्यायालय नहीं हैं जा सकते, वे वहां जा सकेंगे । इससे न्यायिक प्रणाली में अधिक विश्वास उत्पन्न होगा । इसमें निर्धन व्यक्तियों का योगदान होगा तथा वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग होंगे क्योंकि वे अपने अधिकारों के बारे में बलपूर्वक कहने तथा उनको प्रयोग में लाने में समर्थ होंगे । अतः सिद्धांत रूप में इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंडीगढ़ से माननीय सदस्य चंडीगढ़ से प्रतिनिधित्व करते रहेंगे और यदि वह मंत्रिमंडल में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और वह वहां हैं तो मैं उनसे आशा करूंगा कि वे इस मामले में गंभीरता से विचार करें ताकि इस महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मांग को पूरा किया जा सके ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरीश रावत ने जो विधेयक इस सदन में उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । पहले हमारे राजस्थान में जोधपुर में हाई कोर्ट था, लेकिन बाद में जयपुर की जनता और वहां के प्रतिनिधि के द्वारा मांग करने पर, वहां के एक बैंच स्थापित कर दी गई । जोधपुर की जनता और हम सबने इस बात को सपोर्ट किया कि हाई कोर्ट, जोधपुर में ही रहना चाहिए और उसकी बैंच जयपुर में न स्थापित की जाए । परन्तु परिस्थितिवश हमें झुकना पड़ा और जयपुर में बैंच कायम हो गई ।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश तो पहले ही देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रान्त है, जहां लगभग 11-12 करोड़ जनसंख्या रहती है, जबकि हमारे राजस्थान प्रान्त की जनसंख्या केवल साढ़े तीन करोड़ ही है, यदि हमारे यहां जयपुर में हाई कोई कोर्ट की एक बैंच स्थापित हो सकती है तो यू० पी० जैसे विशाल प्रान्त में अवश्य होनी चाहिए । बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आवश्यकता को वह देखते हुए यदि दो या तीन बैंच स्थाप्ति करने की आवश्यकता हो, तो वह भी स्थापित की जानी चाहिएं ।

अभी हमारे डागा साहब कह रहे थे कि इस बिल के विषय में जनता की राय मांगी जाए । हमारे राजस्थान में भी पहले जनता की राय ली गई थी और उसी राय के आधार पर ही जयपुर में बैंच की स्थापना की गई । हर स्थान पर जनता तो यही चाहती है कि उसको सुविधा मिले और वह नजदीक पहुंच कर न्याय प्राप्त कर सके । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में 1982 में जसवन्त सिंह जी की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया है और उसमें वे ही

केवल मात्र सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रस्तुत होनी चाहिए। हमारे राजस्थान में भी इसी तरह विलम्ब हुआ था, जिसके कारण सरकार को जोधपुर, जयपुर, अलवर और उदयपुर की जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि आयोग की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रस्तुत हो और ऐसे मामलों का फैसला शीघ्र किया जाए।

मैं यह भी समझता हूं कि जब हमने सिद्धांत रूप में मान लिया है कि हर स्थान पर हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जाए तो फिर हमें आयोग की रिकमैन्डेशन में जाने की जरूरत नहीं है। गोआ का उदाहरण हमारे सामने है, महाराष्ट्र में बम्बई में हाई कोर्ट है और उसके बाद नागपुर में स्थापना की बात मान ली गई है। जब हमारी सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने इस सिद्धांत को मान लिया है कि हाई कोर्ट्स की बैंच स्थापित की जाएं तो फिर हमारे सामने प्रश्न केवल यही रह जाता है कि उनकी स्थापना किस स्थान पर हो—बरेली, मेरठ, आगरा, गोरखपुर आदि किस जगह बैंच बने, सिर्फ यही देखने की चीज है। उसके लिए हमारे सामने यह दृष्टिकोण रहना चाहिए कि कहां ज्यादा सुविधा मिल सकती है और अधिक जनता किस स्थान पर बैंच की स्थापना चाहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले लिया जाना चाहिए। साथ ही जसवन्त सिंह कमीशन को भी सरकार की तरफ से डायरैक्शन जानी चाहिए कि वह अपना टर्म एक्सटैंड न करके, जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि जनता संतुष्ट हो सके।

अब प्रश्न यह उठता है कि जनता को सस्ता न्याय कैसे मिले? यह बात सत्य है कि गरीब व्यक्ति हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। कोई भी किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट की शरण में नहीं जा सकता। वह स्थिति हमारे देश में अभी तक नहीं आई है। इन हाई कोर्ट्स तक केवल मध्यम श्रेणी का व्यक्ति ही पहुंच सकता है अथवा जो रईस हो, वह पहुंच सकता है। किसी गरीब आदमी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 39(ए) में गरीब आदमी के लिये फ्री लीगल एड का प्रावधान भी किया है। मगर कोई गरीब आदमी फ्री लीगल एड के लिये कोशिश भी करे तो उसको मिलती नहीं है। आर्टिकल 39(ए) 1977 में जोड़ा गया था :

> "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

लीगल एड के बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में काम करना शुरू किया है, परन्तु प्रगति बहुत धीमी है। अभी गरीब आदमी को फ्री लीगल एड का लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। गरीब आदमी रिट पिटीशन करना चाहता है तो इसके लिये कोई भी वकील फ्री लीगल एड

के लिये तैयार नहीं होता है और 5,000 या 2,000 रु० अपनी फीस मांगता है। इसीलिये यह जरूरी है कि फ्री लीगल एड का लाभ गरीब आदमी को जरूर देना चाहिये। हां, सरकार पहले जांच कर ले कि वह इस लीगल एड का अधिकारी है कि नहीं। यदि सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह गरीब आदमी है तो उस गरीब आदमी के सिविल राइट्स की रक्षा करने के लिये हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। क्रिमिनल्स के लिए तो केस फाइट करने के लिए प्रावधान है, परन्तु सिविल राइट्स के लिए नहीं है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट की बैंच प्रान्त में जगह-जगह स्थापित होनी चाहिये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बैंच देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करने के मैं पक्ष में नहीं हूं क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होने से राष्ट्रीय एकता कायम करने में यह सहायक है। दूसरे अगर सुप्रीम कोर्ट की बैंचेज के डिफरेंट जजमेंट्स हो गये तो वह फाइनल जजमेंट होगा और उससे कनफ्लिक्ट पैदा हो जायेगा। इसलिये सुप्रीम कोर्ट की बैंचेज स्थापित करने के मैं पक्ष में नहीं हूं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा है और केन्द्र सरकार या प्रान्तीय सरकार जब मदद करें अधिकारियों के बारे में वही आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यदि किसी के मूलभूत अधिकारों पर आघात होता है तो उसकी रक्षा होनी चाहिये और वह तभी हो सकता है जब हम उन व्यक्तियों को, वह कितना भी गरीब क्यों न हो, उनकी मदद करें। इस प्रकार अन्याय का मुकाबला कर सकेंगे। उसे भी मान होगा कि हमारे अधिकार का हनन किया गया है, मुझ पर अन्याय हुआ है परन्तु हमारी राज्य सरकार और सैंट्रल सरकार ने मदद की है।

कम्युनिस्ट कंट्रीज में इस प्रकार की स्थिति है कि आज वहां गरीब आदमी के अधिकार पर यदि कोई हनन किया जाता है तो वह स्टेट उसे फाइट करती है, उनके सिविल राइट्स को फाइट करती है। अगर यह स्थिति आज हम स्थापित नहीं कर सकते हैं तो कम-से-कम उनको लीगल एड तो दी जानी चाहिये।

यदि स्टेट गवर्नमैंट का केस हो तो स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट का केस हो तो सैंट्रल गवर्नमैंट उनके अधिकारों के लिये एड दे और इस तरह से उनको पूरी तरह सहयोग देना चाहिये।

हमने पंचायत के स्तर पर न्याय का प्रयास किया है। वहां मुन्सिफ कोर्ट्स के मुकाबले न्याय पंचायतों ने अच्छे और न्यायप्रद फैसले दिये हैं। अगर आज वास्तव में गरीब को न्याय दिलाना है तो न्याय-कोर्ट स्थापित किये जाने चाहियें। इस प्रकार का कानून सैंट्रल गवर्नमेंट में बनायें जो कि सारे देश में लागू हो और न्याय पंचायत का फार्मेशन हो और वह न्याय कर सकें, क्योंकि डैमोक्रेसी में जनता के प्रतिनिधियों पर विश्वास करना चाहिये और पंचायतों पर विश्वास करना चाहिये। अगर पंचायत में न्याय सही नहीं दिया जाता है तो वह लोग पंच मुकर्रर नहीं किये जा सकते हैं, उनको जनता उखाड़ देती है। मेरा दृढ़ मत है कि हाई कोर्ट के बैंचेच स्थापित किये जाने चाहियें और इसके लिये जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिये।

इस दृष्टिकोण से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्किट बैंचों की संख्या, खंड पीठों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये, मैं इस विचार को उचित मानता हूं, और इस दृष्टिकोण से श्री रावत ने जो विधेयक रखा है जिसके अनुसार वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ बरेली में स्थापित करना चाहते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

यह ठीक ही कहा गया है नजदीक-नजदीक खंड पीठ होने से आम लोगों को, जो या तो मुकदमे में फंसा दिये जाते हैं या स्वयं मुकदमे में फंस जाते हैं, उनको आने-जाने में सहूलियत होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि हर जिले में खंडपीठ बन जाये । बीच-बीच में इस तरह से खंडपीठ बननी चाहिये कि हमारे देश में अधिकांश लोग गरीब हैं, उनको जितनी भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, कराई जानी चाहिये । इनमें एक सुविधा खंड-पीठ की स्थापना करना भी है । उत्तर प्रदेश 12 करोड़ की आबादी वाला राज्य है । जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य बिहार है, जिसकी जनसंख्या 8 करोड़ है । बिहार में एक ही खंड-पीठ रांची में है । वहां पर यह खंड-पीठ बना कर उचित ही किया गया है, क्योंकि उस इलाके में ज्यादातर आदिवासियों की आबादी है । लेकिन उत्तर बिहार में कोई खंड-पीठ नहीं है । अगर उत्तर बिहार के लोग अपनी सहूलियत के लिये खंड-पीठ की मांग करते हैं, तो कोई अनुचित नहीं है । वह खंड-पीठ मुजफ्फरपुर या किसी दूसरे जिले में हो सकता है ।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : छपरा में ।

श्री रामावतार शास्त्री : छपरा में खंड-पीठ बहुत अलग-थलग पड़ जाएगा । वहां नहीं हो सकता । किसी केन्द्रीय स्थान में होना चाहिए ।

उत्तर बिहार की आबादी बहुत अधिक है और हाई कोर्ट पटना में तथा खंड-पीठ रांची में है । खंड-पीठ के नजदीक होने की दृष्टि से मैं इस विचार का समर्थन करता हूं ।

गरीबों को न्याय मिलने में बहुत विलम्ब होता है । वे इतने साधन संपन्न नहीं होते कि वे अच्छे वकील कर सकें । मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट फीस और वकील की फीस देना उनकी शक्ति के बाहर होता है । उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने बल पर हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ सकें । इसलिए उनकी मदद के लिए कोई कारगर तरीका अपनाना चाहिए । कहा जाता है कि गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए जगह-जगह कमेटियां बनी हुई हैं । लेकिन इस बात का जायजा लेना चाहिये कि वे कमेटियां गरीबों की कितनी मदद कर पाती हैं । वास्तव में अभी तक ज्यादातर कागज पर ही हैं । इस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि गरीबों को ठीक से न्याय मिल सके और उनके दिल में यह मलाल न रहे कि हमने अच्छा वकील नहीं किया । राज्य का यह काम होना चाहिए कि वह उनको अच्छे वकील दे और मुकदमे में खर्च होने वाली तमाम राशि दे । तभी गरीबों की मदद की जा सकती है ।

मंत्री महोदय बिहार से अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि वह उस सूबे के राज्यपाल रहे हैं। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज भी जजों की कमी है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : आपके हाई कोर्ट में कोई कमी नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जेनरल बात कह रहा हूं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं माननीय सदस्य को बता रहा हूं कि पटना में जजों की तादाद मुकम्मल हो गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : 21 अगस्त, 1984 को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि देश के उच्च न्यायालयों में 1977 में 351 जज थे, जो कि 1984 में 423 हो गए हैं। लेकिन मैं उनको पर्याप्त नहीं मानता। उनकी संख्या में और वृद्धि होनी चाहिए। भले ही पटना उच्च न्यायालय में कोई जगह खाली न हो, लेकिन उसके जजों की वृद्धि तो की जा सकती है। जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि मुकदमे लम्बित न रहें।

सरकार के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में एक साल से कम वाले मुकदमों की संख्या 18,885, एक साल से दो साल तक के मुकदमे 9,647, दो साल से तीन साल तक के मुकदमे 6,941, तीन साल से चार साल तक के मुकदमे 5,713, चार साल से पांच साल तक वाले मुकदमे 3,922, पांच साल से छ: साल वाले मुकदमे 3,052, छ: साल से सात साल वाले मुकदमे 1,801, सात साल से आठ साल वाले मुकदमे 1400, आठ साल से नौ साल वाले मुकदमे 685, नौ साल से दस साल वाले मुकदमे 537 और दस साल से ज्यादा वाले मुकदमे 1,999 यानी दो हजार के लगभग हैं। तो यह स्थिति इसीलिए है कि जजों की कमी है। अगर जज अधिक और पर्याप्त संख्या में रहें तो जाहिर बात है कि यह मुकदमे लम्बित नहीं रहेंगे। कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिज डिनाइड। तो मेरा निवेदन है कि इनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। जहां भी कमी हो, या जहां पर जगहें खाली पड़ी हों उनकी भर्ती वहां की जानी चाहिए।

आखरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जज कैसे होने चाहिए? मैं तो वकील नहीं हूं सोमनाथ चटर्जी की तरह या आप लोगों में से बहुतों की तरह लेकिन एक ले-मैन की हैसियत से कहता हूं कि जजों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिए क्योंकि हम समाज में आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और जनतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं तो जो इन विचारधाराओं में आस्था रखने वाले लोग हैं उन्हीं को जज बनाया जाना चाहिए। जो समाज की गतिविधियों को ठीक से समझ सकें और समाज को किधर हमें ले जाना है उसको समझ सकें उस तरह के विचार वाले जज को इस उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि समय की पहचान उन्हें रहे। वरना, आज तो बहुत से दकियानूसी विचार वाले और पुरानी परम्पराओं, पुरानी समस्याओं से उलझे रहने वाले जज हैं। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए।

साथ-साथ उनको निर्भीक तो होना ही चाहिए, पक्षपात-रहित भी होना चाहिए। आजकल इन दिनों इन बातों की कमी होती जा रही है। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भ्रष्टाचार भी प्रवेश पा रहा है। इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। पैरवी पर जजमेंट हो रहे हैं। गुण के आधार पर, वस्तुस्थिति के आधार पर फैसले न होकर पैरवी के आधार पर हो रहे हैं। मुझे इसका खुद अनुभव है। तो यह बात नहीं होनी चाहिए। जज को बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए। प्रगतिशील तो होना ही चाहिए लेकिन निष्पक्ष जरूर होना चाहिए। सरकार का पक्षधर नहीं होना चाहिए, उनको आम लोगों का, गरीबों का पक्षधर होना चाहिए।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : सरकार ही आम लोगों की हो तब ?

श्री रामावतार शास्त्री : सरकार आम लोगों की है या नहीं यह तो विवाद का विषय है। छोड़िए इस बात को। तीन-चार दिनों में कैसे-कैसे बिल पास किए हैं यह आप जानते हैं।

मैं यह कह रहा था कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न्याय ठीक से हो सके और गरीबों तक न्याय पहुंच सके। झोपड़ियों तक न्याय अभी नहीं है। हमें झोपड़ियों तक न्याय भी ले जाना है, राहत भी ले जानी है और हर तरह की सुविधाएं भी ले जानी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं रावत जी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ऐट इलाहाबाद (एस्टैब्लिशमेंट आफ ए परमानेंट बैंच ऐट बरेली) बिल, 1984 का मैं समर्थन करता हूं। यह जो हाई कोर्ट की बैंच के संबंध में रावत जी ने बिल रखा है वह निश्चित तौर से स्वागत योग्य कदम है क्योंकि एक हाई कोर्ट या एक बैंच होने से इतने बड़े एरिया को हाई कोर्ट कवर नहीं कर सकता और वहां के लोगों को न्याय मिलने में भी देरी होती है। हर प्रकार की असुविधाएं लोगों को होती हैं।

जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा गया, राजस्थान में भी इस तरह का झगड़ा था। पहले जोधपुर में एक हाई कोर्ट था। उसके बाद में जयपुर के लोगों ने एजीटेट किया कि हमारे यहां पर

500 म० प्र०

भी एक बैंच होनी चाहिए। और वह एजिटेशन कम से कम दस साल तक चला, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि पूर्वी क्षेत्र के लिए बैंच स्थापित की जाए जिससे कि वहां के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। यह एक अच्छा स्वागत योग्य निर्णय था। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है। 22 स्टेट्स को मिलाकर राजस्थान बना है। पहले 22 स्टेट्स में अलग-अलग हाई कोर्ट्स स्थापित थीं। राजस्थान एक लंबा-चौड़ा प्रदेश है। आबादी हालांकि यू० पी० से कम है लेकिन क्षेत्रफल में यू० पी० से दुगुना होगा। अभी राजस्थान में एक

हाई कोर्ट और एक उसकी बेंच है। इसीलिए मांग उठ रही है कि अन्य स्थानों पर जहां पहले हाई कोर्ट स्थापित थीं, जहां पर लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाता है उसे देखते हुए दूसरे क्षेत्र में भी बेंच की स्थापना की जाए। आज हर किसी को या तो जोधपुर जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है। वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें खर्चा भी बहुत होता है और न्याय भी समय पर नहीं मिलता है। अभी शास्त्री जी ने बताया है कि पटना हाई कोर्ट में कितने केसेज पेंडिंग हैं। उसी प्रकार से राजस्थान की हाई कोर्ट में भी हजारों की तादाद में केसेज पेंडिंग हैं। दस-दस साल से केसेज के फैसले नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जजेज की कमी है। आपने बताया है कि जजेज की पूर्ति आपने कर दी है लेकिन राजस्थान में अभी पूर्ति नहीं हो पाई है और पूर्ति होने के बाद भी जो वहां पर जजेज की संख्या है वह बहुत कम है। इसलिए और ज्यादा जजेज बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि वर्षों से पेंडिंग केसेज के फैसले हो सकें और लोगों को न्याय प्राप्त हो सके।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में बहुत अर्से से एक बेंच की मांग की जा रही है जिसके संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि उदयपुर में भी एक बेंच की स्थापना की जाए। उस क्षेत्र के बहुत सारे केसेज जोधपुर में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। यदि वहां पर भी आप बेंच स्थापित कर देते हैं तो वहां के लोगों को न्याय मिल सकेगा।

इसी के साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस देश के 70 करोड़ लोगों के लिए केवल एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। वहां पर भी पूरे जजेज नहीं रहते हैं। वहां पर भी तमाम वर्षों से पता नहीं कितने केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि पेंडिंग केसेज का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। मेरा सुझाव है कि भारतवर्ष के हर रीजन में—उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में—सुप्रीम कोर्ट की एक-एक बेंच स्थापित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों में से एक न्यायपीठ राजस्थान में है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान के लिए तो मैंने हाई कोर्ट की बेंच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज रीजनवाइज अलग-अलग पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को हजारों मील का सफर तय करके दिल्ली न आना पड़े और न्याय मिलने में देरी भी न हो। अंग्रेजी में कहावत है डिले डिफीट्स जस्टिस। इसलिए मेरा निवेदन है आप इस तरह की व्यवस्था करें और जजेज भी ज्यादा संख्या में नियुक्त करें। यदि आप रीजन-वाइज सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज कायम कर दें तो जनता को न्याय ठीक प्रकार से उपलब्ध हो सकेगा। अभी श्री वृद्धिचन्द्र जी ने ठीक कहा कि इससे नेशनल इंटिग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो वे लोग नाराज होते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। न्याय जल्दी मिलेगा तो नेशनल इंटिग्रेशन में किसी प्रकार की बाधा नहीं

आएगी । एक बात यह भी कही गई कि सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बैंच स्थापित करने से अलग-अलग कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट कोर्ट कर देगी, इस सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पर फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा किये गए निर्णय से एक नजीर कायम हो जाती है । इसके लिए यदि आप यह व्यवस्था करेंगे कि एक प्रकार के केसेज का निर्णय एक प्रकार से करना है तो निश्चित तरीके से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा । कन्फिलिक्टिंग जजमेंट का प्रश्न भी पैदा नहीं होगा । इसलिए इसके लिए आपको निश्चित तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए ।

नियुक्तियों के संबंध में शास्त्री जी ने ठीक कहा है । माननीय लॉ मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी का राज आया तो उसने हमारे यहां पर राजस्थान में सारे आर० एस० एस० के लोगों को जज बना दिया । इस प्रकार के लोग अगर जज बन जाते हैं तो···

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : क्या अभी भी हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : अभी भी हैं । ऐसे लोग जब जज बन जाते हैं तो निश्चित तरीके से अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल सकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यास जी आर० एस० एस० का मतलब है—रेलवे सिक्योरिटी सर्विस ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : नहीं, इसका मतलब है—राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ । ऐसे लोग जब जज बन जाते हैं, तो उनका दृष्टिकोण एक ही तरह का होगा और देश में जो डैमोक्रेसी कायम करने की बात है, वह पूरी नहीं हो पाएगी । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे जजेज की नियुक्ति होनी चाहिये जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निर्णय लें और प्रोग्रेसिव विचारधारा उन लोगों की हो और एक अच्छी व्यवस्था कायम हो सके ।

मंत्री जी आप द्वारा लिये गये निर्णय कि चीफ जस्टिस को एक जगह से दूसरी जगह तबदील किया जायेगा, यह निर्णय स्वागत योग्य है । मेरे कहने का मतलब है कि एक आदमी दस साल यदि एक स्थान पर रहेगा तो उसका वैस्टैड इन्टरैस्ट कायम हो जाता है । इसलिये आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं । लेकिन इसके साथ इसमें थोड़ी एडिशन होनी चाहिये कि जजेज को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाना चाहिये । यदि एक जज भी एक स्थान पर बीस साल तक काम करेगा तो उसका वैस्टैंड इन्टैरेस्ट कायम हो जाता है । ऐसे लोग न्याय नहीं कर पायेंगे । इसलिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जजेज को ट्रांसफर किया जाये । इसके लिये चाहे आप उनकी तनख्वाह चार या पांच हजार देते हैं, दो हजार और बढ़ा दीजिये, उनको फैसिलिटी दीजिये, मगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदील किया जाना चाहिये ।

सस्ते न्याय के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं । यह ठीक है कि आपने सुविधा प्रदान की है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है । आपकी तरफ से जो फ्री लीगल ऐड की

सुविधा है, वह टटपूंजिया वकील हैं, उसको दस-बीस रुपया की सरकार से मुश्किल से मिलता है, तो केस को वह कैसे निकाल सकता है। वहां पर कम से कम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि अच्छी फीस दी जाये, तो वह पैरवी अच्छी करेगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा। यदि आप गरीब आदमी की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको उनको पूरा पैसा देना चाहिये। यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था करने से निश्चित तरीके से अच्छी व्यवस्था बैठ जायेगी।

बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आते हैं, जहां गरीब और अन्य लोगों से सुओमोटो जुरिसडिक्शन ले लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो पार्टी स्प्रीट से जुरिसडिक्शन ले लेते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं तो न्याय की दृष्टि से लेते हैं। न्याय की दृष्टि से लें तो इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन यदि पार्टीजन स्प्रिट से, पोलिटीकल वेस्टेड इन्टरेस्ट से सुओमोटो कोई एक्सेप्ट कर लें और उस पर रिट पिटीशन की तरह से विचार करें, यह उचित नहीं है। इसलिये इसके बारे में कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि किस तरह के केसेज को सुओमोटो ले सकते हैं और इस सम्बन्ध में आपको कोई रूल्ज-रैगुलेशन्ज बनाने चाहिये, जिससे इन लोगों के पास ऐसा अधिकार न हो कि जिसको फेवर करना चाहें उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें और दूसरी तरफ चाहे कितनी ही सही बात हो, उसकी सुनवाई न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि लॉ मिनिस्टर साहब इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है। अभी लगभग 6 और सदस्य हैं जिन्होंने भाषण देना है। क्या सभा का तात्पर्य यह है कि सभा की कार्यवाही को एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : इस स्थिति में दूसरे विधेयक के बारे में विचार करने का समय नहीं मिलेगा। आप क्यों ज्यादा तर्क-वितर्क करना चाहते हैं? दूसरे विधेयक भी इसी विषय पर न्यूनाधिक आधारित हैं। दूसरे बिधेयक पर भी कुछ इसी प्रकार का भाषण दिया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, श्री राठौर का विधेयक भी पिछड़े क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए हमें संक्षिप्त में भाषण देना चाहिए ताकि उन्हें अपने विधेयक के बारे में विचार करने का अवसर मिले। अन्यथा यह विधेयक आठवीं लोक सभा के लिए चला जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः मैं आधे घंटे का समय 5.45 बजे तक बढ़ा रहा हूं। वस्तुतः प्रस्ताव पेश करने वाला सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट का समय दूंगा।

श्री रामविलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही छोटा-सा बिल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव बिल है। इसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो जस्टिस की बुनियाद है, हालांकि इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के लिए कहा है, लेकिन चूंकि न्याय का मामला है, इसलिए यह समस्या पूरे देश की है। इस बिल पर जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, सबने अपने-अपने प्रान्त की बात इसमें रखी है, लेकिन न्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह यह है कि या तो मुफ्त न्याय दें, यदि यह सम्भव न हो तो सस्ता न्याय दें। जो न्याय मिले वह जल्दबाजी में मिले···

प्रो० मधु दण्डवते : जल्दबाजी नहीं, जल्दी मिले।

श्री राम विलास पासवान : जल्दी मिले, जस्टिस डिले नहीं होनी चाहिए, डिले होने से जस्टिस डिनाइड हो जाती है। दुर्भाग्य से भारत ही एक ऐसा देश है, आप इसकी तुलना बार्डर की स्टेट्स से कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा डवेलप्ड देश नहीं मिलेगा जहां मुफ्त न्याय तो नहीं, लेकिन सस्ता न्याय और जल्दी न्याय न मिलता हो। लेकिन यहां पर दोनों चीजें नहीं हैं।

22-2-1984 के प्रश्न और 21-3-1984 के प्रश्न के जवाब में, जैसा व्यास जी अभी बतला रहे थे, मंत्री महोदय ने कहा था कि हमने जजेज के स्थान पूरे कर लिए हैं···

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने पटना के बारे में कहा था और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था, अन्य जगहों के लिए नहीं कहा था।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक तो 75 जजेज के स्थान रिक्त हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : लैटेस्ट इन्फार्मेशन यह है कि जजेज के खाली स्थान 41 रह गये हैं।

श्री राम विलास पासवान : इतनी मेहनत करने के बावजूद और कौशल साहब के बार-बार आश्वासन देने के बावजूद अभी भी 41 जगहें खाली हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं हैं। 18 हाई कोर्ट हैं और अगर एक हाई कोर्ट में दो-दो और कहीं तीन स्थान भी खाली रहें, तो 40, 42 ऐसे ही हो जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मेरी समझ में तो 41 एक्सट्रा जजेज होने चाहिए। आज हाई कोर्टों में कितने केसेज पेन्डिंग हैं और यह सरकार का जवाब है। 21-2-84 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1,73,586 केसेज पैंडिंग थे, आंध्र प्रदेश में 60,901 केसेज पेन्डिंग थे, बम्बई में 83,331 केसेज पेन्डिंग थे, कलकत्ता में 1,03,427 केसेज पेन्डिंग थे, दिल्ली में 46,709 केसेज पेन्डिंग थे और पटना में 49,347 केसेज पेडिंग थे और इस तरह से कुल केसैज 9,76,781

पेंडिंग थे और पटना में जो ये केसेज पेंडिंग थे, ये मैन केसेज हैं।···(**व्यवधान**)···तो मैं यह कह रहा हूं कि एक तरफ जजों के स्थान खाली हैं और दूसरी तरफ इतने सारे केसेज पेंडिंग हैं। नतीजा यह हो रहा है कि जस्टिस में डिले हो रही है और डिले भी इतनी हो रही है कि एक-एक कैदी 38-38 साल के बाद जेल से छूटता है। उसका असली मुकदमा उसके खिलाफ होगा, तो मुश्किल से पांच साल की सजा होगी लेकिन वह जेल में बचपन से बुढ़ापा गवां देता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आवश्यकता इस बात की है कि जितनी जल्दी जितने अधिक हाई कोर्टों की ब्रान्चेज आप खोल सकें, सुप्रीम कोर्ट की ब्रान्चेज खोल सकें, खोलें। सुप्रीम की एडीशनल ब्रान्च खोलने से देश में कहीं इनटेगरिटी या डिसइंटेगरिटी का मामला नहीं आता है। यह जस्टिस का मामला है। देश में यदि एकात्मता रहती है, तो पालीटीकल विल के ऊपर रहेगी। देश में यदि एकता रहेगी, तो उसको बांधने के लिए कांस्टीट्यूशन है। जस्टिस सस्ता मिले, न्याय सस्ता मिले, इसके लिए आप देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ब्रान्चेज़ खोलिये। इससे देश के टूटने का कोई खतरा नहीं होता है। आप केन्द्रीकरण में विश्वास मत कीजिए बल्कि आप डीसेन्ट्रलाइजेशन में विश्वास कीजिए। हाई कोर्ट की ब्रान्चेज ज्यादा खोलिए, सुप्रीम कोर्ट की ब्रान्चेज खोलिए और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट को लोगों के पास न्याय देने के लिए जाना चाहिए न कि लोगों को कोर्ट के पास न्याय के लिए दौड़ना चाहिए। माननीय सदस्य श्री रावत जी ने जो इस बिल को मूव किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि न्याय पाने के लिए हम दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। एक बात तो मैं यह कहना चाहता था।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथियों ने जजेज के ट्रान्सफर के बारे में कहा। मेरी नजर में भी जजेज का ट्रान्सफर होना चाहिए क्योंकि जब एक जज एक स्थान पर बहुत समय के लिए बैठ जाता है, तो जातिवाद, भाई-भतीजावाद और प्रोविंसवाद करना शुरू कर देता है। इसलिए निश्चित रूप से जजों का ट्रांसफर होना चाहिए लेकिन इमर्जेन्सी के समान ट्रांसफर नहीं होना चाहिए कि किसी ने विरोध किया, तो उसको दूर जगह पर फैंक दिया। ट्रांसफर हो, तो उसके लिए आप ऐसी आथेरिटी बनाइए जो निष्पक्ष रहे और जो पालिटिक्स से दूर रहे और यह जजेज का ट्रांसफर करे। मेरी समझ में जजेज का ट्रांसफर निश्चित रूप से होना चाहिए।

शास्त्री जी ने जो कहा है, मैं उसकी ताईद करता हूं कि कुछ जजेज का दिमाग फ्यूडल रहता है। वे जिस घराने से आते हैं, वे गरीबों के दुःख तकलीफ को नहीं समझ पाते हैं। 'जिसके पांव न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।' वह उनके दुःखों को समझ नहीं पाता है। उसका लेविल हमेशा ऊंचा रहता है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण जजेज को अपनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे जज हैं, जिनका व्यवहारिक दृष्टिकोण है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि 36 साल की आजादी के बावजूद मुझे दुःख है कि जो शेड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिलता है और उनके अपने जज भी कोर्ट में नहीं हैं।

इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अधिक संख्या में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मौजूद हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और वीकर सेक्शंस के लोगों को न्यायाधीशों के पदों पर रखा जाए जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भी सही न्याय मिल सके।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि आप विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाइए। महात्मा गांधी ने कहा था कि विकेन्द्रीकरण में विश्वास करो लेकिन श्रीमती गांधी कहती हैं कि सेन्ट्रलाइजेशन में विश्वास करो। आप पुराने गांधी की बात को याद रखिए और विकेन्द्रीकरण कीजिए।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रस्ताव है, यह सही मायनों में जितने भी हमारे पिछड़े क्षेत्र में हैं, आदिवासी और हरिजन क्षेत्र हैं उनकी भावनाएं इसमें प्रकट की गई हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूं।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसाकि पासवान जी ने भी कहा है, मैं उसे अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी को सही, सस्ता और समयबद्ध न्याय मिले। जहां न्याय सही हों, वहां वह सस्ता भी हो उसके साथ-साथ वह समयबद्ध भी हो। समयबद्ध न्याय और सस्ता न्याय समाज के विकास के लिए आवश्यक है। सस्ता और समयबद्ध न्याय समाज को तभी उपलब्ध हो सकता है जबकि उसे अधिक से अधिक समाज के नजदीक लाया जाए। हमें न्यायालयों को समाज के नजदीक लाना होगा। आजकल न्यायालय कितनी दूर स्थित हैं और न्याय पाने के लिए उन तक जाने में समय लगता है, साधन लगते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पीढ़ियां बदल जाती हैं और न्याय नहीं मिल पाता।

5.22 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

न्याय मिलने तक पीढ़ियां बदल जाती हैं। आज ऐसी स्थिति न्याय के क्षेत्र में है। इस स्थिति को हमें बदलना होगा। इसके लिए उचित यही होगा कि हम इस क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण करें।

मैं अपने क्षेत्र में रायपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में है। हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों के बीच में एक बड़ा शहर रायपुर है। लेकिन न्याय की दृष्टि से हमें काफी दूर जाना पड़ता है। हमारे यहां भी हरिजन और आदिवासियों का बाहुल्य होने के नाते क्षेत्र में हाई कोर्ट की बैंच की मांग हो रही है। लेकिन जैसा कि बताया गया है, बड़े-बड़े न्यायाधीश इस क्षेत्र को विकेन्द्रित करने में रुचि नहीं रखते। हालांकि हमको अपनी न्याय प्रणाली पर बड़ा गर्व है परन्तु न्याय को पाने में कितना समय और साधन लगते हैं उससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप विकेन्द्रित करें। मेरे क्षेत्र में आज यह रूप है कि वहां लोग कभी-कभी जन-आन्दोलन की बात करते हैं। हमको चाहिए कि जन समस्याओं पर हमें जन-आन्दोलनों को उभरने का मौका नहीं देना

चाहिए। जन समस्याओं के प्रति हमें स्वयं आगे आकर उन्हें समझाना चाहिए। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को नजदीक में ही न्याय मिल सके।

अब मैं अपनी पुरानी न्याय प्रणाली के विषय में कहना चाहता हूं। हमारे जो जमीन और पूंजी के मामले हैं उनको अलग कर दिया जाये। उनके अलावा जो सामाजिक मामले हैं, उन्हें हमारे हरिजन और आदिवासी भाई शतप्रतिशत अपनी पंचायतों के माध्यम से सुलझाते हैं। पंचायतों से उन्हें अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी न्याय मिलता है। वे अपने सामाजिक फैसले पंचायतों में करते हैं। पंचायतों में हरेक को बोलने का अधिकार होता है। वे अपनी-अपनी चीजों को पंचायत के सामने रखते हैं। इसका जबरदस्त लाभ होता है। अगर कोई गलत बात कहता है तो दूसरे लोग समझ-बूझकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। तो इस आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत को भी न्यायालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर कोई मामला पंचायत में हल नहीं हो पाता तो विकास खण्डों में न्याय पंचायत में उस मामले को ले जाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों तक यही प्रणाली लागू रही और लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों को न्याय करने का अधिकार दें। इससे न्याय जगत में एक क्रांतिकारी कदम आप उठा सकेंगे।

इसी तरह से आज लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए अदालतों में जाना होता है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि अदालतें वहां पहुंचें। खुले रूप में चर्चा हो और उस आधार पर वहां पर न्याय दिया जाए। ऐसा न्याय ज्यादा कारगर एवं उपयोगी होगा। पूरी न्याय प्रणाली को इस आधार पर बदलिए, जिससे न्याय सस्ता, समयबद्ध और ज्यादा लागत उस पर न आए। इस सारी प्रक्रिया को आपको बदलना होगा। अन्यथा एक ही कहावत याद आती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में कहावत है—

एह नोहै कचहरी, साहेब मन बैठे-बैठे खेलत हैं गरी।

इसका अर्थ है कि कचहरी का मतलब होता है बाल काटने वाली। तो आदिवासी लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे सिर का मुंडन होता है, उसी तरह से कचहरी में भी लोगों का मुंडन किया जाता है। और वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी तुलना उनसे की गई है जैसे तालाब के किनारे बैठ करकें मछली पकड़ने के लिए गल डाला जाता है।

इसलिए अगर जनता को सही मायने में लाभ पहुंचाना है तो जो पूर्व प्रचलित प्रणाली थी, उसी तरीके से सारी व्यवस्था गांवों में चलानी होगी। तभी गांवों में न्याय सुलभ हो सकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो विधेयक पेश किया गया है, वह उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग की जनता का जो बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच वहां खुलनी चाहिए, उसके संबंध में है। उसके स्थानों के बारे में विभिन्न राय हैं। बरेली में हो, मेरठ में हो, मुरादाबाद में हो, आगरे में हो लेकिन इस

क्षेत्र में होनी चाहिए। हरीश रावत जी ने इसको पेश किया है। जिस जिले से आते हैं, उनके जिले से किसी आदमी को इलाहाबाद जाना हो तो 750 किलोमीटर से ज्यादा सफर उसको तय करना होता है। इसके बाद वो इलाहाबाद पहुंचता है। यही स्थिति सभी पिछड़े जिलों की है। मैं समझता हूं कि इसकी ब्रांच उत्तर में किसी जिले में खुलनी चाहिए। सिद्धांत रूप में शासक दल ने भी उसको स्वीकार किया है और मैं आपको याद दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा था कि जीतने के बाद खोलेंगे ब्रांच। लेकिन 4 साल हो गए। घोषणा पत्र के वादे को दूसरे वादों की तरह पूरा नहीं किया गया है। इससे लोगों के मन में क्षोभ है। आम जनता चाहती है लेकिन वहां के वकीलों का विरोध है। वहां के जजेज नहीं चाहते। स्थिति यह है कि इलाहाबाद में भी जगह कम पड़ रही है। तो नए कमरे वहां पर बनाने होंगे नया स्टाफ भी देना होगा। इस पर भी खर्चा आएगा। इसलिए खर्चे का तो सवाल नहीं है। इलाहाबाद में इस वक्त 60 जजेज हैं। इसलिए कोई विशेष खर्चा आपको नहीं करना है लेकिन आम जनता को काफी सुविधा हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की आबादी 50 लाख की है। 6 महीने हाई कोर्ट श्रीनगर में और 6 महीने जम्मू में लगता है। इस बीच एक बैंच भी बराबर काम करती है। उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ आबादी है। इतना बड़ा प्रदेश है। वहां पर एक ही हाई कोर्ट है। लखनऊ में ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अवध के लोगों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार नए सिरे से विचार करें कि लोगों को सही और ठीक से न्याय मिल जाए। दूसरा, जल्दी मिले और तीसरा सुविधाजनक तरीके से मिले ताकि उनका शोषण न हो। इन्साफ पाने के यही प्रिंसिपल्स हैं। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद महसूस किया कि दस लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्रोसीजर चैंज कीजिए, डिवीजन बांटिए और ज्यादा न्यायालय खोलिए। दस लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं और आप यह स्वीकार करते हैं कि इन्साफ का जो बहुत बड़ा उसूल है, वह वहां परास्त हो जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर एक बार फिर से न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका का संगठन कैसे हो, इस पर विचार करके कुछ निर्णय लेंगे।

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, अपनी पार्टी आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं अपने मित्र श्री हरीश रावत के विधेयक, जो बरेली में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में है, का हृदय से समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वव्यापक है। समय की मांग को देखते हुए भी सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों के निवास के यथासम्भव निकट न्यायालयों की स्थापना करके देश की आम जनता को न्याय दिलाया जाए। यह उद्देश्य बिना अधिक कठिनाई के ही पूरा किया जा सकता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय देश के एक कोने में है। इसमें संदेह नहीं कि यह न्यायालय देश की राजधानी में स्थित है। लेकिन क्या देश की आम जनता वहां

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जाकर न्याय प्राप्त कर सकती है ? देश के विभिन्न भागों से लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए देश के उच्चतम न्यायालय दिल्ली आना पड़ता है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि देश की गरीब जनता का कितना खर्चा होता है, कितना समय लगता है और उसे राजधानी में भाषा, जलवायु, आवास आदि जैसी अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। जैसाकि मेरे से पूर्ववर्ती वक्ता ने सुझाव दिया कि यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायपीठ देश के चार क्षेत्रों में स्थापित की जाये तो लोगों को आसानी से और शीघ्रतापूर्वक न्याय मिलेगा। केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है। मैं मांग करता हूं कि मद्रास, जो सभी चारों दक्षिणी राज्यों का केन्द्र स्थान है, में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना की जाए। लोग यह महसूस करेंगे कि उनको न्याय प्राप्त करने में विलम्ब नहीं होगा। यदि न्याय में देरी नहीं होती तो न्याय अवश्य मिलता है।

इसी प्रकार, तमिलनाडु के 5 करोड़ लोगों में से 2.5 करोड़ लोग तमिलनाडु के चार दक्षिणी जिलों में रहते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कई बार सिफारिश की है कि मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की जाए। हाल ही में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए जसवंत सिंह आयोग ने मद्रास के कई स्थानों का दौरा किया था। मुझे भी मदुरै जिले के सांसद के रूप में आयोग के समक्ष उपस्थित होने का अवसर मिला। मैंने इस बात पर बल दिया कि मदुरै में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना भी अत्यावश्यक है। कन्याकुमारी से मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दायर करने के लिए लोगों को लगभग 500 किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता है। इस बढ़ती हुई महंगाई में आप उस न्याय मांगने वाले आम व्यक्ति की दशा का अनुमान लगा सकते हैं जबकि न्याय बहुत महंगा हो गया है। जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता सदस्य ने सुझाव दिया है कि सरकार को निचले न्यायालय के कार्य पंचायतों को सौंपने हेतु योजना बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों को इनके घर के दरवाजे पर ही न्याय मिल सके। हम चलते-फिरते न्यायालय स्थापित करने के बारे में भी बातें करते हैं। इसमें बहुत समय लगेगा। प्रारम्भिक कदम के रूप में, मेरा सुझाव है कि मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जानी चाहिए और मद्रास में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ भी स्थापित की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं। श्री रावत, जो इस समय यहां उपस्थिति नहीं हैं, चाहते हैं कि बरेली में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य अपने आप में ही एक देश है। उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ या इससे भी अधिक लोग रहते हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या को पहले से ही न्याय से वंचित रखा गया है।

जब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सोचता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अब तक बहुत कुछ बताया गया है **हम भी कहते आए हैं**और डा० अम्बेडकर ने इसके बारे में हमें बहुत पहले चेतावनी दी थी···

सभापति महोदय : यह शब्द असंसदीय हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह बात नहीं कि संविधान गलत है। इसका कारण यह है कि हम भ्रष्ट हैं। हम निश्चय ही भ्रष्ट हैं क्योंकि हम भारतीय संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं। आप यह कहते आए हैं कि आप समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। आपने इसकी स्थापना नहीं की। आप वैसा नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय किसके लिए हैं? यह केवल उन्हीं के लिए है जो उच्चतम न्यायालय में जाने का खर्च वहन कर सकते हैं। यहां तक कि गरीब तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए तो उच्च न्यायालय भी नहीं हैं। इस मामले में मैं आर्थिक पहलुओं को नहीं लाना चाहता। मैं गरीबी की रेखा की भी बात नहीं करूंगा क्योंकि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वे कभी भी अपने पेट के अलावा कुछ और नहीं सोचते। यह बड़ी विडम्बना है कि सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय बनाए हुए हैं क्योंकि विलम्ब के इस ड्रामे में सरकार स्वयं ही सबसे बड़ी दोषी है क्योंकि जो भी देरी होती है, इसमें भी सरकार का ही कोई निहित स्वार्थ है। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए वर्तमान विधि मंत्री जिम्मेदार हैं, इसके लिए वर्तमान विधि मंत्री या उनके पूर्ववर्ती विधि मंत्री भी जिम्मेदार नहीं हैं। मैं महसूस करता हूं कि मामलों को निपटाने में सरकार और विलम्ब करती है। अब, तीन या चार बातें ऐसी हैं जिनका मैं यहां अवश्य उल्लेख करूंगा जिससे विधि मंत्री महोदय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। सरकार ने न्यायालय की फीसों के बारे में कभी नहीं सोचा। ये फीसें बहुत अधिक हैं। सरकार लोगों की गरीबी के बारे में कभी नहीं सोचती। जब सरकार इन फीसों का निर्धारण करती है तो वह यह नहीं सोचती कि क्या भारत के लोग इतनी फीस दे भी सकते हैं। मैं वकीलों की फीस की तो बात ही नहीं करता। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा।

सभापति महोदय : समय नहीं है। कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे दो-तीन मिनट का समय दीजिए। अब मैं इन फीसों के बारे में बोलूंगा। मुझे बताया गया है कि बड़े-बड़े वकील न्यायालय में हर पेशी के लिए 50,000 रु० तक लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : एक ही ऐसे व्यक्ति हैं और वह हैं श्री राम जेठमलानी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्री अशोक सेन भी हैं। और फिर न्यायालयों में रिक्त स्थानों का भी तो सवाल है। मेरे माननीय मित्र श्री पासवान ने बताया कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

न्यायालयों में 10 लाख मामले विचाराधीन पड़े हैं। लेकिन इसका कारण वे 132 रिक्त स्थान नहीं हैं जिन्हें आपने अभी तक भरा नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में विधि मंत्री क्या कहना चाहेंगे। लेकिन मुझे यह जानकारी मिली है कि 132 रिक्त स्थान ऐसे हैं जिन्हें भरा जाना है। यदि हम लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए न केवल उत्तर प्रदेश में कई न्यायपीठ होनी चाहिए बल्कि अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए।

जहां तक जम्मू और काश्मीर राज्य का संबंध है, मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार वहां उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करे। यह जरूरी नहीं कि यह श्रीनगर में ही हो बल्कि यह जम्मू में भी स्थापित की जा सकती है ताकि हिमाचल प्रदेश और अन्य निकटवर्ती राज्य भी इसका लाभ उठा सकें। मैं बताऊंगा कि वहां न्यायपीठ स्थापित करना क्यों जरूरी है, इसका कारण यह है कि जम्मू और काश्मीर राज्य का क्षेत्र आवागमन की दृष्टि से कठिन है। यहां तक कि वहां विमान सेवाएं भी निश्चित नहीं होती हैं। इस कठिन क्षेत्र में और वर्षा ऋतु में दिल्ली पहुंचना मुश्किल होता है।

इसके साथ ही विमान अपहरण के मामले भी हैं जिस पर हम अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाए हैं।

सभापति महोदय : इसे और लम्बा मत कीजिए। अब समय नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपको बताता हूं कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 30 तारीख को 3.30 बजे अपराह्न में निर्णय दिया। 31 तारीख को 10 बजे विधान सभा समवेत होनी थी (**व्यवधान**) उन्होंने यह निर्णय उस समय इतने बजे इसलिए दिया कि व्यथित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न जा सके। व्यथित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सका (**व्यवधान**)। यही कारण है कि मैंने उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ वहां स्थापित करने की मांग की है।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : महोदय, सभा के समक्ष जो विधेयक है वह केवल एक ही मामले तक सीमित है जो बरेली में उच्च न्याय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने के बारे में है। सभी मित्र जानते हैं कि इस बात का निर्णय करने के लिए कि क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में एक न्यायपीठ होनी चाहिए, जसवंत सिंह आयोग की नियुक्ति की गई थी और हमें आशा थी कि आयोग की रिपोर्ट शीघ्र मिल जाएगी। लेकिन जितना जल्दी हमने आशा की थी आयोग की रिपोर्ट उतनी जल्दी नहीं आई। इसके लिए समय बढ़ाना पड़ा। और जब वह रिपोर्ट तैयार हो गई तो हमारे ऊपर अन्य राज्यों द्वारा इतना अधिक दबाव डाला गया, वस्तुतः यह दबाव राज्यों, बार एसोसिएशनों, देश के सार्वजनिक व्यक्तियों से डाला गया, कि बार-बार आयोग नियुक्त करने के स्थान पर हमने यह सोचा कि बार-बार आयोग नियुक्त करने की

बजाय इसी आयोग, जिसने देश का दौरा किया है, को जिन राज्यों ने अपने यहां न्यायपीठ स्थापित करने की पेशकश की है, कम-से-कम यहां न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में हमें सलाह देने को कहा जाए। हमने यह भी सोचा कि आयोग हमें यह भी सलाह दे कि वे कौन से सिद्धान्त और मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि किन राज्यों में ये न्यायपीठ स्थापित की जानी चाहिए।

इस उद्देश्य को सामने रखते हुए अब आयोग हमें तीन मामलों में सलाह देगा। एक मामला उत्तर प्रदेश के बारे में है। उच्च न्यायालय के न्यायपीठों की स्थापना उन स्थानों को छोड़ कर जहां पहले ही उनके मुख्य स्थान हैं तथा इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों तथा मानदण्डों तथा विशेष रूप से गौहाटी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना की मांगों के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं के बारे में है। अब यह चार मुद्दे उस आयोग को भेज दिए गए हैं और सामान्य प्रश्न भी आयोग के पास है। आयोग की अवधि दिसम्बर के अन्त तक समाप्त हो जाएगी और आशा की जाती है कि उससे पहले आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं जानना चाहता हूं जसवंत सिंह आयोग की स्थापना जो की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की खण्ड पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में थी। जब उसकी रिपोर्ट हुई तो सरकार को डिले करने की क्या जरूरत है ? रिपोर्ट सदन के सामने आ जानी चाहिए थी।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने अभी अर्ज किया हमने इसलिए कमीशन की टर्म बढ़ाई है। आपकी तसल्ली मेरे जवाब से नहीं हुई तो मेरा दुर्भाग्य है।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, आंध्र प्रदेश के वकीलों द्वारा गुंटूर में न्यायपीठ के लिए एक अभ्यावेदन सिद्ध किया गया तथा वह अभ्यावेदन उनके पूर्ववर्ती श्री शिव शंकर के सम्मुख पेश किया गया था। उस अभ्यावेदन का क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ कौशल : प्रो० रंगा, मैंने अभी बताया है कि आयोग को भेजे गए सभी मुद्दे उन राज्यों से प्राप्त हुए जो अब सामने आए आपकी राज्य सरकार ने यह मांग नहीं की है। **(व्यवधान)**

महोदय, हमने उनसे सामान्य सिद्धांत तथा मार्गनिर्देश निर्धारित करने के लिए कहा है।···**(व्यवधान)**। महोदय, जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले अस्थायी न्यायपीठ अथवा स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के बारे में सोचना हमारे लिए व्यर्थ होगा। स्थान के संबंध में, मैं कहूंगा कि यह बहुत ही कठिन प्रश्न है ? यहां तक कि विधेयक प्रस्तुत करने वाले ने कहा है :

> "मेरठ, बरेली, आगरा, शाहजहांपुर या रामपुर में कहीं भी बैंच खोल दी जाए। यह तो कोई तरीका नहीं है बैंचेज खोलने का। एक माननीय सदस्य ने कहा कि गोरखपुर में खोल दी जाए।"

यह बात तो काफी सोच-समझ कर फैसला करने वाली है ।

जहां तक जनरल बातें कही गई हैं, उनके मुताल्लिक में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में अभी भी कुछ वैकेन्सीज बाकी हैं । मैंने खुद ही कहा था कि अभी 40-41 वैकेन्सीज बाकी हैं । कोशिश मेरी यह है कि इस साल के खात्मे से पहले-पहले मैं इनको भी फिल कर दूं ताकि कोई वैकेन्सी न रहे ।

दूसरी बात यह है कि जजेज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के हमने नार्म्स ले-डाउन किए हुए हैं । जब कोई हाई कोर्ट सपोर्टेड बाई स्टेट, हमको यह कहती है कि इन नार्म्स के मुताबिक हमको जजेज की स्ट्रेन्थ मिलनी चाहिए तो आमतौर पर हम जजेज की स्ट्रेन्थ बढ़ा देते हैं । यही वजह है कि जजेज की स्ट्रेन्थ बढ़ चुकी है ।

सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जितनी स्ट्रेन्थ पार्लियामेंट के ला के मुताबिक थी वह पूरी हो चुकी है, वहां अब कोई वैकेन्सी नहीं है । लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, जैसा कि उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा था, एक फंक्शन में कहा था कि उन्हें 25 जजेज चाहिए, तो उनकी कोई रिकमैंडेशन तो हमारे पास आई नहीं है, जब आएगी तो उसको हम सिम्पेथेटिकली कन्सीडर करेंगे ।

हम भी मानते हैं कि अगर जजेज की स्ट्रेंथ बढ़ने से केसेज कम हो जाएं तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि खाली इतना करने से भी केसेज कम नहीं होंगे, उसके लिए और बहुत-सी बातें करनी पड़ेंगी । उसके लिए अभी-अभी हमने 2,3 कदम उठाए हैं । पार्लियामेंट ने हमारी मदद की है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है । सबसे बड़ा कदम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का है । यह इतना बड़ा कदम है कि इससे हाई कोर्ट्स का कम-से-कम 40 परसेंट काम ट्रिब्यूनल्स के पास चला जाएगा ।

अभी हमने एक फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश की है । मेरी अपनी राय है कि अभी एक गोल्ड कन्ट्रोल और कस्टम का ट्रिब्यूनल बनायें । हायर जुडिशियरी ये जब तक कोई काम निकाल नहीं लिया जाएगा तब तक उसका काम कम नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 226 को बहुत लिबरली इंटरप्रेट कर दिया गया है । पहले बहुत एक्स्ट्रा रैमेडी के लिए लोग वहां पहुंचते थे अब तो बहुत लोग 226 को लेकर वहां पहुंच जाते हैं ।

बाकी आफट्रकोटिड बातें हैं जिनसे हर आदमी को इत्तिफाक है कि जस्टिस जल्दी मिलना चाहिए, चीप मिलना चाहिए लेकिन यह इतना कम्पलैक्स क्वैश्चन है कि इस पर लॉ कमीशन आफ्टर ला-कमीशन, सेमिनार और समय-समय पर डिबेट होती रही हैं ।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस बिल को तो उनको वापिस लेना चाहिए क्योंकि इसका मामला कमीशन के रोबरू पैंडिंग है, उनकी रिपोर्ट आने पर डिसाइड होगा ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के पद कब भरे जाएंगे ?

श्री जगन्नाथ कौशल : जल्दी फिल कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जिन सदस्यों ने इस बिल के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय जाहिर की है, श्री मूलचन्द डागा ने इसके विरोध में राय जाहिर की है, मैं सभी सदस्यों को जिनमें डागा साहब भी शामिल हैं, अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा।

मंत्री जी के विषय में मेरी राय थी कि मंत्री जी किसी बात को टालते नहीं हैं, बल्कि मुस्करा कर हां कर देते हैं, मगर आज इस मामले को जिस खूबसूरती से उन्होंने टाला है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सारी बात कमीशन पर डाल दी।

मेरी जो शिकायत है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बैंच की स्थापना चाहते हैं वह कमीशन का टर्म बढ़ाने की तरफ है। हम चाहते हैं कि कमीशन से रिपोर्ट ले ली जाती, कम-से-कम इंटेरिम रिपोर्ट लेकर एक सर्किट न्यायालय की स्थापना कर दी जाती, जिससे वहां के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति हो सकती। मगर मंत्री महोदय ने इस विषय में कोई बात नहीं कही और उन्होंने कमीशन पर इस बात को टाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कमीशन की टर्म आगे बढ़ाने के विषय में मंत्री महोदय विचार करेंगे और कमीशन को कहेंगे कि इस वर्ष दिसम्बर उसकी में टर्म एक्सपायर होने से पहले वह अन्तिम रूप से रिपोर्ट दे दे, ताकि जिन राज्यों के मामलों को उसे रेफर किया गया है, वहां की जनता को एहसास हो सके कि निकट भविष्य में वहां हाई कोर्ट की खंड-पीठ की स्थापना होने जा रही है।

इन शब्दों के साथ, मंत्री महोदय ने जो भावना जाहिर की है, उसके अनुरूप और जिस प्रकार उन्होंने इस मामले को टाला है, उसके विरोध में मैं अपने विधेयक को वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री डागा द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायपीठ की बरेली में स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

5.52 म० प०

बम्बई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायपीठ की औरंगाबाद में स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

महोदय, 1980 में, मैंने बम्बई उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायपीठ की औरंगाबाद में स्थापना करने वाले विधेयक को पेश किया था। आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद से मराठवाड़ा के लोगों में भारी असन्तोष पैदा हो गया। उन्हें औरंगाबाद में स्थायी न्यायपीठ के स्थापित किए जाने की उम्मीद थी। विधेयक की पुरःस्थापना के बाद, खंड 51(3) एस० आर० सी० अधिनियम के अन्तर्गत यहां अस्थायी न्यायपीठ की स्थापना हुई। हम अभी तक स्थायी न्यायपीठ के लिए जोर दे रहे हैं। पहले भी, राज्य सभा में श्री वी० एम० गाडगिल तथा लोक सभा में श्री बापु कलदाते तथा श्री महालगी ने इस संबंध में विधेयक पुरःस्थापित किए थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

इसके अलावा बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भी अवश्य भरा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायपीठ की औरंगाबाद में स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह मांग स्वीकार कर ली गई है तथा औरंगाबाद में स्थायी न्यायपीठ सोमवार, 27 अगस्त, 1984 से कार्य करना शुरू कर देगा।

श्री उत्तम राठौर : मंत्री महोदय ने जो बताया उसे देखते हुए, मैं अपने विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायपीठ की औरंगाबाद में स्थापना करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तम राठौर : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

5.55 म० प०

लाटरी प्रतिषेध विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी लाटरियों के प्रतिषेध का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, उन सब लोगों के लिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है जो यह चाहते है कि इस देश में किसी भी प्रकार की जूआबाजी को प्रोत्साहन नहीं मिले। ऐसे बहुत से राज्य हैं जो अपने-अपने राज्यों में लाटरियों का संचालन करते हैं और यदि हम इस समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं देंगे, तो यह सम्भव है कि केन्द्र भी लाटरियों की इस सट्टेबाजी में शामिल हो जाएगा। मेरा विधेयक बिल्कुल साधारण है। इसमें कहा गया "भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में यह अधिनियमित हो। इस अधिनियम को लाटरी प्रतिषेध विधेयक, 1983 कहा जाए। यह शीघ्र लागू किया जाएगा। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा लाटरियों को प्रारम्भ करने पर इस विधेयक में प्रतिबन्ध लगाया गया है।"

यह सम्भवतः बहुत ही सामान्य विधेयक है परन्तु इसका बहुत ही अधिक महत्व है। महोदय, प्रत्येक देश में, जो भी पुनर्गठन के काम में लगा हुआ है, यह आवश्यक है कि नागरिकों के पास तर्कसंगत तथा ईमानदार तरीकों से अपनी आजीविका कमाने तथा धनराशि जमा करने की आवश्यक सुविधाएं तथा अच्छे साधन अवश्य होने चाहिए। महोदय, दुर्भाग्यवश, भारत में विभिन्न राज्यों में लाटरियों की पद्धति ने भारतीय नागरिकों को बिल्कुल भाग्यवादी बना दिया है। वास्तव में वह जूआ-प्रणाली का विकास कर रहे हैं। वस्तुतः ये लाटरियां जूए का राष्ट्रीयकरण तथा भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण करने के अतिरिक्त और कुछ नही हैं। महोदय, मैं चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में समझ सकता हूं। परन्तु मैं इस देश में जूए के राष्ट्रीयकरण के बारे में नहीं समझ सकता और मैं अभी तक नहीं समझ सका कि भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण क्या है। महोदय, इन दोनों बुराइयों का लक्ष्य लाटरियों का प्रारूप करने से प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

जहां तक देश में अमीर लोगों का सम्बन्ध है, उनके पास आजीविका कमाने के तथा धन संचय करने के सन्देहजनक साधन है। उदाहरण के लिए वह चोर बाजारी द्वारा धन इकट्ठा करने में समर्थ हैं। महोदय, यदि आप वान्चू समिति की रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा देश के अमीर लोग चोर बाजारी से धन इकट्ठा करने में समर्थ हैं। चोर बाजारी द्वारा किए जाने वाला व्यापार, सोना, हीरे तथा ऐशो-आराम की वस्तुओं को विदेशी मुद्रा का गैर कानूनी संचालन तथा जमाखोरी के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं को खरीदना एक सामान्य तरीका है। महोदय, इन अमीर लोगों की ये कुछ गलत व्यापार-प्रथाएं हैं। उनके पास इस प्रकार के कार्य व्यापारों के लिए पर्याप्त साधन हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि सबके पास पर्याप्त साधन अवश्य होने चाहिए? जहां तक मध्य तथा निम्न वर्गों के लोगों का सम्बन्ध है,

उनके पास इस प्रकार के अवैध तथा अनैतिक कार्य-व्यापार के लिए ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इन सब लोगों को धन इकठ्ठा करने के लिए जूए का सहारा लेना पड़ता है तथा भाग्य पर विश्वास करना पड़ता है। इसी कारण बहुत से युवा इस देश में लाटरियों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं तथा इससे हमारे देश के लोगों का नैतिक पतन होता है और लोगों के चरित्र का हनन होता है। मैं सोचता हूं कि इससे बचना चाहिए।

एक अन्य पहलू यह है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक लाटरियों का सम्बन्ध है जिस तरीके से इन्हें चलाया जाता है और जो बिचौलिए लाटरियों के काम में लगे हुए हैं यदि आप लाटरियों के प्रबन्ध के साहचर्य में उनके काम करने के ढंग को देखें तो आप पायेंगे कि हर राज्य में एक विशेष बुराई दृष्टिगोचर होती है। देश में असंख्य अज्ञान और अशिक्षित व्यक्ति हैं वह इन लाटरियों के काम करने के ढंग को नहीं जानते और उनसे सम्बन्धित विभिन्न नियमों और विनियमों को नहीं जानते। इसलिए दौलत शीघ्र इकठ्ठी करने के लिए···

सभापति महोदय : आप अपना भाषण किसी और समय जारी रख सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : किसी और समय ? मैं निश्चित रूप से आठवीं लोक सभा में भी

6.00 म० प०

आऊंगा। मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। (**व्यवधान**) मैं कह रहा था कि बीच में बहुत से बिचौलिए हैं। अशिक्षित लोगों के मामले में···

सभापति महोदय : और लोगों ने भी बोलना है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह कह रहा था कि बहुत से बिचौलिए हैं जो लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाते हैं वह उनसे कहते हैं, "हम आपके लिए टिकट खरीद देंगे। हमें पैसा दे दो।" उन्हें पैसा मिल जाता है लेकिन वे टिकट अपने पास ही रखते हैं। जब ईनाम निकलता है तो वे इन लोगों को गलत टिकट का नम्बर दे देते हैं और ईनाम का पैसा अपने पास रख लेते हैं।

पुलिस ने बहुत से कदाचारों का पता लगाया है। ये लाटरियां गुंडों और समाज विरोधी तत्वों को जन्म देती हैं। अतः मैं यह कहता हूं कि इस विषय पर बोलने की अपेक्षा मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक पास कर दिया जाए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं "यह विधेयक विवादास्पद नहीं है। आप मुझे यह मत कहिए कि विधेयक का मसला तो अच्छा है लेकिन आज इसे वापिस ले लीजिए। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा।"

मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे चुपचाप इस विधेयक को एकमत होकर अपना समर्थन दें ताकि हम इस विधेयक को पारित करा सकें।

6.01 म० प०

इंडियन एयरलाइन्स के विमान आई० सी० 421 का 24 अगस्त, 1984 को अपहरण किये जाने के बारे में वक्तव्य

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, दुर्भाग्यवश मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए। राज्य सभा में स्टेटमेंट हो गया जबकि इस सवाल को लोक सभा में सबसे पहले उठाया गया था।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापलम) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह विषय देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। बात अपहरण के बारे में हो रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां : दुर्भाग्यवश मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि सुबह जो छोटा-सा वक्तव्य मैंने दिया था उसमें कुछ और जोड़ सकूं···और जानकारी प्राप्त होने के फलस्वरूप···

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : यह क्या स्टेटमेंट है।

सभापति महोदय : उनके पास जो जानकारी है वह आपको बतायेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों की अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत अभी जारी है और वे अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अतः अभी मेरे लिए अपहरणकर्ताओं अथवा उनकी मांगों के बारे में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। नियंत्रण कक्ष में बैठकर दिन में हमने जो जानकारी एकत्र की है, मैं वह बता रहा हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह : लोगों का तो कहना है कि विमान इजरायल पहुंच गया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप कल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल भी सदन की बैठक होगी।

श्री खुर्शीद आलम खां : इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आई० सी०-421 जो सुबह 7.35 पर चंडीगढ़ से जम्मू के लिए रवाना हुई थी उसका अपहरण कर लिया गया था और अपहरणकर्ताओं ने विमान चालक से विमान लाहौर ले चलने के लिए कहा। विमान के चालक ने वायु यातायात नियंत्रण से विमान उतारने की अनुमति मांगी क्योंकि इसका ईंधन समाप्त हो रहा था। विमान को उतारने की अनुमति दे दी गई थी और सुबह 9.45 पर विमान लाहौर उतर गया।

विमान में 86 यात्री, एक बच्चा और छह विमान चालक दल के सदस्य थे। सभी यात्री और कर्मीदल सुरक्षित हैं।

हमारे देश के राजदूत इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी प्राधिकारी अपहरणकर्ताओं से पहले ही सम्पर्क स्थापित कर चुके थे। उन्होंने भारत सरकार से कोई मांग नहीं की है। इनकी मांग केवल यही है कि विमान को अमेरिका ले जाने की अनुमति दी जाए। यात्रियों, कर्मीदल और विमान की सुरक्षा के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

इस मौके पर इस बात पर विचार करना कि अपहरण के लिए कौन जिम्मेदार है, सही नहीं होगा क्योंकि इस घटना के पूर्ण तथ्य अभी प्राप्त किए जा रहे हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने यात्रियों तथा कर्मीदल के मित्रों तथा रिश्तेदारों को घटना की अद्यतन जानकारी देने के लिए अपने नगर कार्यालय तथा पालम हवाई अड्डे पर विशेष जानकारी देने के लिए बूथ बनाए हैं।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 25 अगस्त, 1984/3 भाद्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53